षोडश माला, खंड 9, अंक 30

बुधवार, 6 मई, 2015
16 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2015/1937 (शक)
अंक 30, बुधवार, 6 मई, 2015 / 16 वैशाख, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	13-14
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]तारांकित प्रश्न संख्य561 से 565 तक	15-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 566 से 580	42
अतारांकित प्रश्न संख्या 6429 से 6658	

[1] किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

43-63

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा पारित किए गये विधेयक 64-65

गैर- सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
11वां प्रतिवेदन 66

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति
11वां प्रतिवेदन 66

कृषि संबंधी स्थायी समिति
विवरण 66-67

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
विवरण 67-68

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
11वां से 13वां प्रतिवेदन 69

"नेट तटस्थता" के **बारे दिनांक 29.04.2015 के तारांकित प्रश्न संख्या 518 के** उत्तर **में शुद्धि** करने **में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण**
श्री रविशंकर प्रसाद 69-72

मंत्री द्वारा वक्तव्य 73

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

साध्वी निरंजन ज्योति

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 के बारे में प्रस्ताव 74

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 **75**

सदस्य द्वारा निवेदन

विभिन्न आयोगों के सर्वोच्च पदों विशेष रूप से मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के पद पर नियुक्ति में विलंब के बारे में 76-88

नियम 377 के अधीन मामले **89-110**

(एक) भूदान आंदोलन के अंतर्गत प्राप्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने और इसे भूमिहीन लोगों में बांटे जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. ताड़स 90

(दो) राज्यों में जिला आपदा शमन कोष और जिला आपदा मोचन कोष गठित किए जाने और राज्य आपदा मोचन कोष की तर्ज पर कुल राशि की 75 प्रतिशत राशि के केन्द्र सरकार के अंग के रूप में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	91
(तीन)	उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हेतु शारदा नदी पर तटबंध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेश वर्मा	92
(चार)	एक बहादुर योद्धा और महाराणा प्रताप के सहयोगी झालामन्ना के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चंद्र प्रकाश जोशी	93
(पांच)	उत्तर प्रदेश के खीरो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और पुरवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री अजय मिश्रा टेनी	94
(छः)	उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों से बढ़ रहे वायु और जल प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री देवेन्द्र सिंह भोले	95
(सात)	गुजरात के जूनागढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर ऊपरी पुल अथवा अंडर पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेशभाई चुडासमा	96
(आठ)	देश में विशेष रूप से गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक सेवाओं को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता।	
	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	97-98

(नौ) अहमदाबाद और खेदब्रत्मा के बीच रेल सेवा को बरास्ता अम्बाजी अबू तक बढ़ाए जाने और राजस्थान में इस लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री डी. एस. राठौड़ 99

(दस) राजस्थान के करौलीधौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

डॉ. मनोज राजोरिया 100

(ग्यारह) झारखंड में नियमित आधार पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किए जाने और राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. रविन्द्र कुमार राय 101

(बारह) देश में ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे और सेवा शतों की जांच किए जाने के लिए एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता।

श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी 102-103

(तेरह) तमिलनाडु में काजू उत्पादकों को विशेष पैकेज प्रदान किए जाने और राज्य के चिदम्बरम में एक काजू फल प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री एम. चन्द्राकाशी 104

(चौदह) तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में रह रहे मछुआरों और वंचित लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री आर.के. भारती मोहन 105

(पंद्रह) ओडिशा के भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

डॉ. कुलमणि सामल 106

(सौलह) बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चुने गए आदर्श गांवों में विकास कार्यक्रमों के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम किशोर सिंह 107

(सत्रह) हरियाणा और अन्य राज्यों में गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक रूप से निर्मित गोदामों की स्थापना की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला 108

(अट्ठारह) सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले 109

(उन्नीस) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष कर्मियों की उपलब्धता और भावी आवश्यकता के बीच के अंतर को पाटने के लिए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 110

संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014

श्री अरुण जेटली	113-163
खंड 2 से 21 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	**164-641**

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) विधेयक, 2014 642-748

विचार करने के लिए प्रस्ताव	642
श्रीमती मेनका संजय गांधी	642, 644
श्री शशि थरूर	642-660
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	661-666
श्री वी. पन्नीरसेल्वम	667-670
श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार	671-673
श्री तथागत सत्पथी	674-677
श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती)	678-679
श्री गजानन कीर्तिकर	680-681
श्री बी. विनोद कुमार	682-684
श्री मो. बदरुद्दोज़ा खान	685-687

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	688-697
श्रीमती सुप्रिया सुले	698
श्री धर्म वीर गांधी	699-728

कार्य मंत्रणा समिति

18वां प्रतिवेदन	729-752

लोकसभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

माननीय डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

<u>बुधवार, 6 मई, 2015 / 16 वैशाख, 1937 (शक)</u>

लोक सभा की बैठक पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन* हुईं]

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री पी. आर. किन्डिया, जिन्होंने 12वीं, 13वीं और 14वीं लोक सभा में मेघालय के शिलांग संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, के दुखद निधन की सूचना देनी है। अपने लम्बे राजनीतिक जीवन के दौरान श्री किन्डिया ने विभिन्न पदों पर रहकर जनसेवा की। वे वर्ष 2004 से 2009 तक जनजातीय कार्य मंत्री और वर्ष 2004 से 2006 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री रहे। वे 12वीं और 13वीं लोक सभा के दौरान कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

श्री किन्डिया वर्ष 1970 से 1993 तक मेघालय विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने वर्ष 1987 में मेघालय के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 1975 से 1988 तक मेघालय सरकार में चार बार कैबिनेट मंत्री रहे। वे वर्ष 1989 से 1993 तक मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष रहे और वर्ष 1979 से 1981 तक मेघालय विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे। श्री किन्डिया वर्ष 1993 तक 1998 तक मिजोरम के राज्यपाल भी रहे।

श्री किन्डिया एक विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर नौ पुस्तकें भी लिखी हैं। उनका निधन 87 वर्ष की आयु में 26 मार्च, 2015 को शिलांग में हुआ। हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

अब, सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती सोनिया गांधी, श्री ई. अहमद, श्री भगवंत मान और श्री एम.बी.राजेश से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। राजेश. हालांकि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिन के कामकाज में रुकावट की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं की अनुमति नहीं दी है।

.....(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): कृपया उन्हें दोपहर 12 बजे इसे उठाने का अवसर दें। … ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हां, मैं उन्हें दोपहर 12 बजे अनुमति दूँगी। आज दोपहर 12 बजे शून्यकाल नहीं है लेकिन फिर भी मैं अनुमति दूँगी।

.....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम आज शाम को शून्यकाल लेंगे।

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

[2]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : अब, प्रश्न संख्या 561 - श्री राहुल शेवाले।

(प्रश्न संख्या 561)

[हिन्दी]

श्री राहुल शेवाले : अध्यक्ष महोदया, पिछले सप्ताह मेरे प्रश्न संख्या 503 के सप्लीमेंटरी प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय राज्य मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे मजबूत होते कदमों के बारे में बताया था। हमारा देश इस क्षेत्र में अग्र श्रेणी में खड़ा है, हम सभी देशवासियों को इस पर गर्व हो रहा है। पृथ्वी है तो हम हैं, उसे जानना और बदलते मौसम के अनुसार व्यवहार करना मानवता का कर्त्तव्य है। हमारा पृथ्वी मंत्रालय इस पर अच्छा कार्य कर रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मंत्रालय के अंतर्गत निधाररित मामलों में हमारी विश्व में क्या स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में पृथ्वी विज्ञान का उपयोग किस प्रकार हो रहा है और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार पृथ्वी विज्ञान का योगदान है, डीआरडीओ को पृथ्वी विज्ञान किस प्रकार योगदान करता है, भारत और अमेरिका की दोनों संस्थाएं इन सभी मामलों में सहयोग कर मिलकर कार्य करने में हमें कितना लाभ मिला है?

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश ने असाधारण प्रगति की है। विश्व में जिन देशों में इस विषय पर जो भी रिसर्च हो रही है और उसके अनुरूप जनता के हित में जो भी जानकारियां समय-समय पर समाज को देने की आवश्यकता होती है, उसमें हम शायद विश्व में किसी से पीछे नहीं हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2004 में जब देश में सुनामी आया था, तो हम अचानक आई इस विपदा से आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि

---

[2] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

हमारी उस प्रकार की कोई तैयारी नहीं थीं। लेकिन पिछले वर्षों में हमने इस क्षेत्र में इतनी असाधारण प्रगति की है कि अभी सुनामी के संदर्भ में हम अपने देश के लोगों को, अपने समाज को, जब भी समुद्र में कभी अर्थ क्वेक होता है, जिसके परिणामस्वरूप सुनामी होती है, दस मिनट के अंदर-अंदर अर्ली वार्निंग अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें सूचित कर सकते हैं। यह जो प्रक्रिया है, यह खाली हमारे देश के लिए ही नहीं है, आपितु समुद्र के किनारे, ओशन के नजदीक जो 25-30 देश हैं, उन्हें भी हम इस प्रकार की जानकारियों से अवगत करा रहे हैं। हमारी इतनी उच्च कोटि की प्रणाली है कि हमारे देश में हम कभी फॉल्स सिग्नल्स नहीं देते। इसी प्रकार से चाहे साइक्लोन की फोरकास्टिंग हो या वैदर की फोरकास्टिंग हो, हमारे एयरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में उसके अंदर सहयोग करने की दृष्टि से समय-समय पर दिन भर हमारी विभिन्न हाइट्स के ऊपर जो विंड की स्पीड है या डायरेक्शन है, क्लाइमेट से जुड़े हुए विषय हैं, हम ये सारी जानकारियां देते हैं। अभी 2095 तक हमारे क्लाइमेट पर क्या असर होने वाला है, उस बारे में भी डिटेल फोरकास्ट इत्यादि किए गए हैं। लेकिन इन विषयों पर यह सोचकर कि हमने असाधारण प्रगति कर ली है, हम रुके नहीं हैं। पिछले वर्षों में हमारे इस प्रकार के लगभग 20 मेमोरंडम आफ अंडरस्टेंडिंग हुए हैं दुनिया के अनेक देशों से, अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं से, जैसे अमेरिका से, कोरिया से, इंग्लैंड से, फिनलैंड से और जापान से, जहां हम उनके माध्यम से सारी जानकारियों को शेयर कर रहे हैं। अमेरिका की 10 युनिवर्सिटीज, कालेज और रिसर्च सेंटर, जिनका कंसोर्टियम बना हुआ है, उस कंसोर्टियम के साथ हमारे देश की युनिवर्सिटीज जहां इस विषय पर काम हो रहा है, उनके साथ हमारा कोलेब्रेशन का एग्रीमेंट है। इसमें हमारे वैज्ञानिक, रिसर्चर्स वहां जाकर, जिन चीजों में मान लीजिए कि हम कम हैं, जैसे रडार मेट्रोलॉजी का फील्ड है, उसके अंदर शायद अमेरिका हमसे ज्यादा विकसित है और दूसरे स्थानों का तंत्र, तो हम अपने को उस स्थान पर लाने के लिए बहुत एक्टीवली प्रयास कर रहे हैं। इन सारी जानकारियों को, जैसा आपने कहा कि शिक्षा की दृष्टि से या जो हमारी कम्युनिकेशंस के टूल्स हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए सब प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। अभी किसानों को और फीशरमैन को हम समय-समय पर मौसम की जानकारी देने की दृष्टि से, फीशरमैन को फीशिंग के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, कहां रिस्क आ सकता है, यह सब बताने के लिए एस.एम.एस. के माध्यम से या सरकारी व्यवस्था के माध्यम

से डिसप्ले करके, स्क्रीन बोर्ड के माध्यम से, ऐसे कई हमारे एंडेवर्स हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को सूचित कर रहे हैं। जिनके माध्यम से हम लोगों को सूचित कर रहे हैं। अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो यह काफी लम्बा विषय है और आने वाले समय में जो सम्भावनाएं हो सकती हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बता सकता हूं, लेकिन मौटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि हम दुनिया में हम किसी से कम नहीं हैं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में हम पूरी गम्भीरता से अग्रसर हैं।

श्री राहुल शेवाले : अध्यक्ष महोदया, विश्व में कई कारणों से और पर्यावरण में बदलाव की वजह से मौसम के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण हमारे अन्नदाता किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारा अन्नदाता दुखी है, जिंदगी से हार मान रहा है और अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है। हमें मौसम की आग्रिम जानकारी की प्रणाली विकसित करने के संबंध में आधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। मेरा दूसरा सप्लिमेंटरी क्वैश्चन यही है कि इस समझौते के तहत और आधिक लोंग रैंज फोरकास्ट के संबंध में रिसर्च कार्यों के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर किसानों के लिए आने वाले मौसम के अनुरूप फसलों की बुआई की जानकारी व व्यवस्था की भी जानकारी देने का कोई विचार है? इस विषय पर अभी तक कितना कार्य हुआ है और इस तरह की प्रणाली कब तक विकसित करने की सम्भावना है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, हम माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहते हैं कि जो भी संबंधित जानकारियां हम अर्थ साइंसिज मिनिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग हम देश में जिन लोगों के लिए और जिन विभागों के लिए हो सकता है, उनको हम त्वरित जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। यदि किसानों से संबंधित जानकारी पहुंचानी है या किसानों के लिए कोई प्रिएम्पटिव स्ट्रैटजी बनानी है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को हम लोग जानकारी देते हैं। इस वर्ष हमने वैदर का फोरकास्ट किया है कि 93 परसेंट रेनफॉल होने की सम्भावना है जो कि प्लस-माइनस फाइव परसेंट हो सकता है। हमने पहले से सभी संबंधित विभागों को इस बारे में सूचित किया है ताकि वे अपनी रणनीति इस संदर्भ में बना लें। मैंने पहले सप्लीमेंटरी के जवाब में भी यह कहा था कि इन सब स्ट्रैटजीज़ को, चाहे विण्ड प्रोफाइलर से संबंधित है कि विण्ड की ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन और स्पीड्स इत्यादि देखते हैं। इसके लिए बैलून का प्रयोग करते हैं, जिसके साथ सैन्सर लगाते हैं।

लेकिन आने वाले समय में हम किस प्रकार से वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड विण्ड प्रोफाइलर का उपयोग कर सकते हैं। अभी 19 स्थानों पर इस तरह के रेडार हैं जो करीब 117 सिटीज़ को कवर करते हैं, जहां गड़बड़ होने की ज्यादा सम्भावना रहती है। आने वाले समय में हम एडवांस रडार लगाकर सौ स्थानों तक किस प्रकार से देश में ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें विश्व में जहां-जहां सम्पर्क, संबंध और मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के माध्यम से कन्टीन्यूस तालमेल रखना है, वह सारी प्रक्रियाएं इस समय हमारी चल रही हैं। देश के अंदर अपने डिपार्टमेंट्स के साथ रैगूलर और बहुत एक्टिव कांटैक्ट है और हम उन्हें समय-समय पर सूचित भी करते हैं और उनकी सहायता भी लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: महोदया, यह सच है कि भारत को हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं पर अपने वार्षिक राजस्व का 16 प्रतिशत का नुकसान होता है, लेकिन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का बजट मात्र रु. 400 करोड़ है। यह प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने और मौसम आपदाओं की भविष्यवाणी करने में इस सरकार की गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

आज भारत में केवल 700 स्वचालित मौसम स्टेशन हैं। पूर्वानुमान लगाने का कौशल मात्र सात दिनों के लिए ही है। किसानों को दिए जाने वाले किसी भी कृषि इनपुट के लिए कम से कम बीस दिन की आवश्यकता होती है।

यह देखते हुए कि आपकी वित्त पोषण क्षमता इतनी कम है, यूसीएआर के साथ इस एमओयू से आप वास्तव में क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? मौसम पूर्वानुमान के लिए आप अगले एक या दो वर्षों में देश में कौन सी तकनीकें लाने की उम्मीद करते हैं और बजट की आवश्यकता क्या है? मेरी जानकारी के अनुसार, महोदया, रु. 400 करोड़ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह एमओयू ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि हाथी के दांत खाने के और ओर दिखाने के और।

डॉ. हर्ष वर्धन: आदरणीय महोदया, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि प्रत्यक्षतः, यह कम बजट जैसा प्रतीत हो सकता है, हमने कम बजट के साथ रहना सीख लिया है और लोगों के अधिकतम लाभ के लिए इस कम बजट का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास किया है।

हम नई रणनीतियों के विकास और शोध की प्रक्रिया में हैं। जैसे ही हम अपनी जनशक्ति को प्रशिक्षित करने में सक्षम होंगे, जैसे अमेरिका के साथ हमारा सहयोग, 100 कॉलेजों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के परिसंघ के साथ हमारा सहयोग, आदि, हमें अपेक्षित बजट मिल जाएगा। अब हमारे वैज्ञानिकों को वहां जाना चाहिए और उनके वैज्ञानिक आकर हमारे लोगों को सिखाएंगे। हम पवन प्रोफाइलर्स की कार्यनीति, रणनीति, सामरिकीको समझेंगे। हम उन्नत रडार मौसम विज्ञान को समझेंगे और फिर जब हम इन उन्नत उपकरणों को पूरे देश में कई और केंद्रों में स्थापित करने की स्थिति में होंगे और जो हमारे पास पहले से है उसमें सुधार करेंगे, तो हम निश्चित रूप से अधिक बजट की मांग करेंगे, और मुझे यकीन है कि हमारी सरकार हमारे माननीय प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में एक बहुत ही व्यावहारिक और ईमानदार दृष्टिकोण है। निश्चित तौर पर जब भी आवश्यक होगी हमें अपेक्षित बजट मिलेगा। मुझे इस बारे में यकीन है।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस साल हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है। इसका कारण यह है कि आने वाली हर चीज की जानकारी किसानों को सात दिन या दस दिन पहले मिली। परंतु इसके साथ-साथ हम यह भी जानना चाह रहे हैं कि आप सब लोगों को जानकारी दे रहे हैं, फिशरमैन को जानकारी दे रहे हैं, किसानों को जानकारी दे रहे हैं और अलग-अलग टैक्निक के द्वारा जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? आप सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जानकारी के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के क्या उपाय किये जा रहे हैं? अभी उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में पिछले तीन महीने के दौरान नौ बार ओले गिरे हैं और इन ओलों से हजारों-करोड़ों रुपये की फसल का नुकसान हुआ है। इसलिए आप ओले नियंत्रण की कोई प्रणाली अपनाने का काम क्यों नहीं करते, जिसके माध्यम से किसानों को राहत मिले। क्या इस दृष्टिकोण से आपका मंत्रालय कोई विचार कर रहा है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जानकारी देने का प्रश्न उठाया। हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध होती है, उसे हम सारे एडवांस्ड कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करके देश के सभी किसानों तक जो हमारी सारी सम्पूर्ण सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनके माध्यम से किसानों और फिशरमैन तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी हमारी वैबसाइट पर बहुत सिम्पल तरीके से रजिस्टर करके बहुत प्रभावी ढंग से उसका अंग बन सकता है।

जहां तक उनके प्रश्न का दूसरा पार्ट है, हम सब जानते हैं कि जब ओलों और अन्य कारणों से किसानों की फसलों को असाधारण नुकसान हुआ तो हमारी सरकार ने उसमें पूरी जागरूकता दिखाई। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं किसानों के लिए दी जाने वाली राहत की 50 परसैन्ट से 33 प्रतिशत तक की सीमा को चेंज किया और इस दिशा में हमारे सभी संबंधित मंत्री और मंत्रालयों के लोग जगह-जगह पर गये। जहां तक साइंस के माध्यम से ओलों को पड़ने से रोकने का प्रश्न है, अब अर्थक्वेक हो ही न, इसके लिए साइंस के माध्यम से इस दिशा में अभी तक इतनी प्रगति नहीं हुई है कि ओलों को पड़ने से हम रोक सकें या अर्थक्वेक को आने से हम रोक सकें। लेकिन दुनिया के अंदर जो भी इस दिशा में वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च हो रही है, उसमें हम अपने आपको कहीं किसी से पीछे नहीं पाते हैं और उसे और आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रकार के जितने भी प्रयास कर सकते हैं, कर रहे हैं। अगर आप कहें तो जो हमारे 20 एम.ओ.यूज. हैं और उन देशों के साथ मिलकर हम क्या-क्या और किस विषय पर काम कर रहे हैं, मैं उसकी विस्तृत सूची पढ़कर इस सदन को सुना सकता हूं। हमने उसके अंदर हर विषय को बहुत गंभीरता और गहराई से लिया है। दुनिया में कहीं भी अगर हमसे बेहतर काम हो रहा है तो हम उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो बेहतरीन जानकारियां हैं, उन्हें सारी दुनिया के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भी सहायता करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राय : मुझे यह अवसर देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद।

हाल ही में, 25 अप्रैल को नैपाल में भूकंप आया था। इसने पूरे उपमहाद्वीप को प्रभावित किया है और हमें पता चला है कि इस तरह की घटना आखिरी नहीं होगी। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए मैं आपके

माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए समग्र डिजाइन तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 में 18 सितंबर को सिक्किम राज्य में विनाशकारी भूकंप आया था। अब, हमारे पास एक और भूकंप आया है और हम हमेशा कहते हैं कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है। यही कारण है कि मैं सोचता हूं कि जो नया विज्ञान मौजूद है उसमें पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम इसमें तेजी ला रहे हैं और सरकार अगला कदम क्या उठाएगी?

डॉ. हर्ष वर्धन: सटीक होने के लिए मैं कहूंगा कि हम पहले से ही सभी एजेंसियों के साथ सर्वोत्तम संभव सहयोग कर रहे हैं और हर चीज पर हर पल नजर रखी जाती है। यदि हमारे सदस्यों का एक समूह पूरे देश में स्थापित प्रयोगशालाओं का दौरा करेगा और उन्हें देखेगा, तो उन्हें वास्तव में हमारे वैज्ञानिकों और देश पर गर्व महसूस होगा। इसलिए हर चीज पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। हम चेतावनियाँ जारी करते हैं और सभी संबंधित लोगों को यथासंभव जल्दी सभी जरूरी जानकारी प्रदान करते हैं।

आपने हाल ही में नैपाल में आए भूकंप में देखा है कि हम कितनी तेजी से सक्रिय थे और कितनी तेजी से हमारे प्रधानमंत्री को सारी जानकारी थीं। भूकंप की जानकारी नैपाल के प्रधानमंत्री को मिलने से पहले ही उन्हें मिल गई थीं। तो, यह सब उस महान प्रगति के कारण है जो हमने पहले ही कर ली है।

जैसा कि मैंने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा, हम स्वयं में सुधार लाने के लिए तैयार हैं। हम सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके द्वारा मैं अगले 24 घंटों में आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी कर सकूं। वर्तमान परिस्थितियों में जो कुछ भी वैज्ञानिक रूप से संभव है, वह भारत द्वारा किया जा रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्म वीर गांधी : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10-20 साल से जो नैचुरल साइंसिस हैं जैसे - फिज़िक्स, कैमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और अर्थसाइंसिस

आदि हैं, इनमें मेधावी छात्र बहुत कम जा रहे हैं। इसके उलट मैडिसिन में, इंजिनियरिंग में, मैनेजमेंट में, जहां बहुत अच्छी रिम्युनरेशन है, वहां मेधावी छात्र बहुत जा रहे हैं। किसी भी देश के विकास के लिए जो बेसिक साइंसिस हैं, आज हम जिस इंटलैक्चुअल पूल की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, वह हमारी सिर्फ 50-60 की कंट्रिब्यूशन है। मैं मंत्री जी से विनती करता हूँ कि मेधावी छात्र बेसिक साइंसिस की तरफ आकर्षित हों, वहां ज्वाइन करें और वहां उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उसके लिए वहां उनको अच्छा रिम्युनरेशन मिले, स्कॉलरशिप्स मिलें, ताकि हमारा बेसिक साइंस डिवेल्प हो। [अनुवाद] मूल विज्ञान सभी विज्ञानों की जननी है। यह देश के औद्योगिक या अन्यथा समग्र विकास के लिए एक पूर्वापेक्षित है।

[हिन्दी]

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। शायद जितना बेसिक साइंसिस की तरफ हमारे देश के बच्चों का झुकाव होना चाहिए या आज से 20-30 साल पहले होता था, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन उसको दोबारा से उसी दिशा की तरफ लाना होगा। विशेष कर जो अर्थ साइंसिस जैसे विभाग हैं, इनके बारे में जब तक जानकारी नहीं होती है, तब तक उसमें झुकाव नहीं हो पाता है। [अनुवाद] इस विभाग में मंत्री बनने के बाद ही मुझे भी इस विभाग के प्रति जुनून पैदा हुआ। उसके बारे में हम अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से भी इसको एक आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। साइंस के अंदर लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए लाखों की तादात में हमारे यहां से स्कॉलरशिप्स तथा इतने प्रकार की स्कीम्स हैं, जिसके बारे में डिटेल में व्याख्या अगर आप चाहें तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन माननीय सदस्य का जो कंसर्न है, वह बिल्कुल वाजिब है, वही हमारा कंसर्न है, वही हमारी सरकार का कंसर्न है, वही इस देश में हरेक अकेडमिक व्यक्ति, जो साइंस के स्ट्रीम के साथ जुड़ा है, उसका कंसर्न है और वही इस पूरे सदन का कंसर्न है। इस दिशा में, इसको एक बड़ा मूवमेंट बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।

(प्रश्न संख्या 562)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने उत्तर तो बड़ा अच्छा दिया है। इस उत्तर से यह समझ में आ रहा है कि आठ लाख जो यूनिट्स बने हैं, उसमें से दो लाख यूनिट्स जो हैं, वे अभी तक या तो बन नहीं पाए हैं या लोगों ने उनको ऑक्यूपाई नहीं किया है। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें पीएसी की भी एक रिपोर्ट आई है। पीएसी के सामने जब सैक्रेट्री आए थे, तो उन्होंने कहा था कि दस पर्सेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लिटिगेशन था, लैक ऑफ लैण्ड था और लैक ऑफ अदर थिंग्स था। उसमें 90 परसेंट जो प्रोजेक्ट्स आए, उसका कारण यह था कि आइडेन्टिफिकेशन ऑफ बेनफिशीएरी, जैसे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मामला था कि प्रोजेक्ट बना किसी के लिए और उसे दे किसी और के लिए दिया गया। इसके बाद जो कॉस्ट एस्कलेशन है, वह एक बड़ा विषय रहा है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में कहा था कि उसमें डाइवर्शन ऑफ फंड्स एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें आइडेन्टिफिकेशन ऑफ बेनफिशीएरी, जो दो बड़े रीजन हुए हैं, उसमें आज तक केन्द्र सरकार ने स्टेट के लोगों के ऊपर कौन सी कार्रवाई की, कितनी एफआईआर हुई और यदि एफआईआर नहीं हुइ तो इसके बारे में केन्द्र सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने सी एंड एजी रिपोर्ट और लोक लेखा समिति द्वारा की गई कुछ टिप्पणी का भी उल्लेख किया है। मैं उनकी जांच कराऊंगा, लेकिन लाभार्थियों की पहचान का मूल कर्तव्य राज्य सरकार का है क्योंकि दिल्ली से आप यह पहचान नहीं सकते कि इसके लिए कौन पात्र है। हम केवल दिशा-निर्देश जारी करना, लोकार्पण सकते हैं और फिर धन जारी करना, लोकार्पणकर सकते हैं और यह

भी निगरानी कर सकते हैं कि धन ठीक से खर्च किया जा रहा है या नहीं। यहां, इस विशेष उदाहरण में, यदि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कुछ धनराशि का दुरुपयोग किया गया है या ठीक से खर्च नहीं किया गया है, और एक बार सी एंड एजी ने कुछ टिप्पणी की हैं, तो निश्चित रूप से इस पर गौर किया जाएगा। लेकिन जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हम हमेशा राज्यों को विश्वास में लेते हैं और फिर, जहां भी काम धीमी गति से चल रहा होता है, हम समय-समय पर समीक्षा बैठकें करते हैं और निगरानी समिति की बैठकें भी करते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि चीजें ठीक हैं।

दी गई जानकारी के मुताबिक, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं, मूल योजना के तहत 481 परियोजनाओं को संस्वीकृत दी गई थीं। इन 481 परियोजनाओं के तहत, 7,89,968 आवासीय इकाइयों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 6,03,322 इकाइयां पूरी हो चुकी हैं और 4,50,3655 इकाइयों पर कब्जा हो चुका है, और 1,86,646 इकाइयां प्रगति पर हैं।

यह योजना 2005 से 2012 तक संस्वीकृत की गई थीं। 2012 में, तत्कालीन सरकार ने चल रहे कार्यों के लिए इसे 2015 तक तीन साल के लिए विस्तारित, विस्तृत कर दिया था। मंत्री पद संभालने के बाद मैंने समीक्षा की और पाया कि अब भी विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर पर आवास संबंधी गतिविधियां प्रगति पर हैं। यदि आप उन्हें अचानक समाप्त कर देंगे, क्योंकि योजना मार्च, 2015 तक समाप्त हो चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से वे अपूर्ण होंगी और राष्ट्रीय खजाने को भी नुकसान होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने इस मामले को मंत्रिमंडल में ले लिया है और मंत्रिमंडल ने अब चल रहे आवास कार्यक्रम के लिए इसे मार्च, 2017 तक विस्तृत कर दिया है। इसलिए, मुझे यकीन है कि जो भी घर निर्माणाधीन हैं, राज्य उन्हें पूरा करने में सक्षम होंगे और हम उनका इष्टतम उपयोग करने में सक्षम होंगे।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: महोदया, जिस तरह से शहर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इसके लिए अर्बनाइजेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसके कारण गरीब वहाँ आ रहे हैं। जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्टेट, म्यूनिसपल कारपोरेशन या म्यूनिसपैलिटी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यह प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के पहले हमने, केन्द्र

सरकार ने बार-बार कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए और रिफॉर्म्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई और रेंट कन्ट्रोल पर होने चाहिए और इसके अलावा जो कांस्टीट्याूशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज इलेक्शन है, ट्रांसफर ऑफ ट्वेल्फ्थ शेड्यूल है और कांस्टीट्याशन ऑफ डीपीसी एंड कांस्टीट्यूशन ऑफ एमपीसी है। दो तरह के रिफॉर्म्स होने हैं, मैन्डेटरी और ऑप्शनल। [अनुवाद] 14 अगस्त 2014 को माननीय मंत्री जी ने राज्य सरकारों को इस रिफॉर्म्स के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि जिस तरह से स्मॉर्ट सिटी बनना है, जिस तरह से अमृत प्रोजेक्ट को लागू करना है, उसके बारे में आज तक स्टेट्स ने क्या प्रक्रिया अपनाई है, क्या रिपोर्ट दी है और क्या हम बिना रिफॉर्म्स के अर्बनाइजेशन के लिए फंड रिलीज करने की स्थिति में है?

[हिन्दी]

श्री एम. वेंकैया नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, यदि सुधारों को क्रमानुसार लागू नहीं किया जाता है तो 10 प्रतिशत धनराशि रोकने का प्रावधान है, लेकिन साथ ही, जैसा कि माननीय सदस्य ने सही कहा है, हालांकि मैंने एक सलाह जारी की है या सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों को विचार करना, हमने सभी राज्य सरकारों की एक बैठक भी की है और सुधारों के संबंध में धीमी प्रगति या गति के संबंध में उन्हें विश्वास में लिया है। राज्यों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे तेजी लाना और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका कार्यान्वयन हो।

मैं फिर से मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। यहाँ से हम समय-सीमा तय करते हैं, धनराशि जारी करते हैं और निगरानी भी करते हैं, लेकिन दिन के अंत में, क्योंकि भूमि राज्य का विषय है और यह शहरी-स्थानीय निकाय में स्थित है, जब तक कि शहरी-स्थानीय निकाय और राज्य सरकार पहले दिलचस्पी ले और फिर इसमें तेजी नहीं लाते, तब तक, दिल्ली से आवास निर्माण में तेजी लाना आसान नहीं है।,

लेकिन ध्यान देना के संबंध में, अब, 90 प्रतिशत धनराशि प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है, और 10 प्रतिशत धनराशि सुधार प्रक्रिया के आधार पर जारी की जाती है। अभी तक यही स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: अध्यक्ष महोदया, मैं आदरणीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस स्कीम का दो साल तक, 2017 तक एक्सटैंशन कर दिया। आपने अपने जवाब में स्पैसिफिकली कहा कि ये लैंड के

इश्यूज़ ज्यादातर स्टेट गवर्नमैंट से संबंधित हैं। आप जानते हैं कि बी.एस.यू.पी. की जो स्कीम है, वह ज़्यादातर *इन सीटू* डैवलपमैंट है। जिस जगह पर मकान बना है या झुग्गी झोपड़ी है, वहीं पर पक्के मकान बनाने का इसमें प्रयोजन है। कई डिलेज़ के बारे में आपने रिव्यू लिया होगा। डिलेज़ सिर्फ स्टेट गवर्नमैंट या लोकल बॉडीज़ की ओर से फैसले कुछ होना ज़रूरी है, इसलिए आपने कहा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। मैं तो कहूँगा कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से है। जैसे कि मेरी कांस्टीट्युएंसी नांदेड़ में एन.टी.सी. लैंड के ऊपर झुग्गी-झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जिनमें 40-50 साल से भा ज्यादा समय से वहाँ पर लोग स्थापित हैं। एक प्रपोज़ल गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के टैक्सटाइल डिपार्टमैंट के पास कई महीनों से पड़ा हुआ है। मेरी आपसे गुज़ारिश रहेगी कि क्या आप इस फैसले को, जिसमें गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का संबंध है, एन.टी.सी. लैंड का संबंध कई जगह पर आता है, कई जगह पर रेलवे की ज़मीन का संबंध आता है, आप अपनी ओर से तुरंत एक मीटिंग बुलाकर - एन.टी.सी. हो या रेलवे हो, इनकी मीटिंग बुलाकर जो भी झुग्गी-झोपड़ी या कच्चे मकान उनकी ज़मीन पर हैं, जिसके ऊपर फैसला गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को करना है, इसके बारे में आप फैसला जल्द से करें, क्योंकि ये पैसे ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक फैसला नहीं होता है, क्योंकि यह सैन्ट्रल गवर्नमैंट का पैसा है, स्टेट गवर्नमैंट का कोई इनवाल्वमैंट इसमें नहीं है, लोकल बाडी का संबंध नहीं है। इसलिए जब तक एन.टी.सी. इस पर फैसला नहीं करती है, तब तक यह पैसा खर्च नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की एन.टी.सी. लैंड पर जो लोग बैठे हुए हैं, एन.टी.सी. अनुमति दे कि उस पर बी.एस.यू.पी. के मकान तुरंत बनाए जाएँ और उसके लिए फंड्ज़ रिलीज़ किए जाएँ।

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने राज्यों या शहरी-स्थानीय निकायों पर दोष मढ़ने का प्रयास नहीं किया। मैंने केवल तथ्यात्मक स्थिति ही सदन के समक्ष रखी है। माननीय सदस्य देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं, और यदि हम आवास, *इन-सीटू* विकास की प्रगति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि महाराष्ट्र ने अन्य राज्यों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। मुझे इसे स्वीकार करना होगा, और इसके बारे में कोई दो विचार नहीं है।

लेकिन दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, भले ही उसका सीधा संबद्ध न हो, वह कहीं न कहीं आवास कार्यक्रम पर ध्यान देना है। केन्द्रीय सरकार, सरकारी विभाग से संबंधित विचार करने के संबंध में समस्याएं हैं, जो अब झुग्गियों में परिवर्तित हो गई हैं, चाहे वह रक्षा, रेलवे, एनटीसी या कोई अन्य हो आज स्थिति यह है कि कोई भी विभाग उस जमीन को अपने रिकॉर्ड से बाहर करने को तैयार नहीं है, जबकि मामले की सच्चाई/वास्तविकता यह है कि वहां झुग्गी-झोपड़ी है और उस जमीन पर लोग रहते हैं। इसलिए, मैंने हाल ही में रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और संबद्ध मंत्रियों सहित अपने सहयोगियों के साथ बैठक की है। एनटीसी भी एक महत्वपूर्ण, आवश्यक कारक है माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर मैं निश्चित रूप से विचार करूंगी।। मैं उनसे आगे बातचीत करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं सभा के साथ साझा करना चाहता हूं कि वे कह रहे हैं कि अगर हम इसे नियमित करते हैं, तो यह एक प्रथा बन जाएगी, यानी केन्द्रीय सरकार की जमीन पर कब्जा करना क्योंकि केंद्र उस राज्य में नहीं है और फिर उस जमीन को नियमित करने के लिए कहते हैं। केंद्रीय संपत्ति का क्या होगा? ......(व्यवधान)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: आप उन्हें हटा नहीं सकते क्योंकि वे 40-50 वर्षों से वहां रह रहे हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडू : अशोक जी, मैंने भी कहा है। आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे बात नज़र आती है। लेकिन अब यह एक दुविधा है। रेलवे ट्रैक के अलावा भी कई स्थानों पर अनधिकृत निर्माण हैं, जहां घर बन गए हैं और उनमें से कुछ लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन अब हम रेलवे लाइनों का विस्तार करने जा रहे हैं और दूसरी रेलवे लाइन भी बनाने जा रहे हैं।तब आपको उन्हें फिर से खाली कराना होगा और उन्हें वैकल्पिक आवास प्रदान करना होगा। इसमें व्यावहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मैं माननीय द्वारा उठाए गए प्रश्न की भावना को समझता हूं। सदस्य और मैं आगे केंद्र सरकार के विभागों के अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसका जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा।

जहां तक राज्यों का सवाल है, राज्यों को भी इन चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शीघ्र निपटान की जरूरत है। मूल रूप से उन्हें ही इसके कार्यान्वयन और निर्माण भाग को देखना है।

श्री सी. गोपालकृष्णन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज, जल निकासी और अन्य संबंधित नागरिक सुविधाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए शहरी गरीबों की उप-इष्टतम जीवन स्थितियों से निपटती है। शहरी गरीबों को बुनियादी अधिकार और सुख-सुविधाएँ प्रदान करना।

माननीय मंत्री के बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने योजना की मिशन अवधि 31.03.2017 तक बढ़ा दी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के मानदंड को कम करके पाँच लाख आबादी वाले शहरों तक सीमित कर दिया जाएगा और क्या मिशन की अवधि को अगले पाँच साल तक बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक शहरों को इस योजना से लाभ मिल सके।

श्री एम. वेंकैया नायडू: अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न के दो भाग हैं। जहां तक तमिलनाडु के संबंध में इस आवास कार्यक्रम का सवाल है, मुझे सभा में यह स्वीकार करना होगा कि तमिलनाडु ने वह सारा पैसा खर्च कर दिया है जो दिया गया था। इस योजना के अधीन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे उन्होंने शत-प्रतिशत हासिल कर लिया है।

योजना के विस्तार के संबंध में, मुझे केवल कैबिनेट से शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के अधीन वर्तमान में चल रही आवास गतिविधि को दो साल तक बढ़ाने का आदेश मिला है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके अन्य पहलुओं का जल्द ही लॉन्च होने वाली नई '2022 तक सभी के लिए आवास' योजना में ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें इस पर विचार करना होगा क्योंकि पहले की योजना कुछ विशेष आबादी वाले शहरों जैसे दस लाख की आबादी वाले शहरों या कुछ धार्मिक और पर्यटक महत्वपूर्ण स्थानों या चार मिलियन और उससे अधिक आबादी वाले शहरों तक ही सीमित थीं। ये श्रेणियां थीं। वह वर्तमान में जो योजना चल रही है जो क्रियान्वित है और जो किसी न किसी अधीन से निष्पादन है। इसलिए, फीडबैक मिलने के बाद मेरे अनुरोध पर भारत सरकार ने हाल ही में इसे दो साल और बढ़ाने, विस्तार करने का निर्णय लिया

है। मैं उस पुरानी योजना के अधीन किसी नये शहर को शामिल करना नहीं कर सकता। जहां तक सदस्य के सुझाव का सवाल है, निश्चित रूप से, एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर, लगभग पाँच सौ शहर हैं, जिनमें 468 और कुछ अन्य को भी शामिल किया जाएगा — ये सभी 'सबके लिए आवास' योजना, जो कि एक नई योजना शुरू की जा रही है, के अंतर्गत विचाराधीन होंगे।

श्री पी. करूणाकरन: माननीय मंत्री जी ने बहुत व्यापक उत्तर दिया है जिसकी मैं सराहना करता हूँ। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में उन्होंने कहा है कि बीएसयूपी परियोजना को 2015 में पूरा करने के बजाय 2017 तक बढ़ा दिया गया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में भी यह कहा गया है कि यह केवल चल रही योजनाओं के संदर्भ में है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास इस मामले में कोई नई अप्रोच है। यदि आप कोई नई योजना लेने जा रहे हैं तो वह 2017 में ही हाथ में आएगी। साथ ही, शहर और निगम विकास कर रहे हैं। यह सही है कि पिछली योजना में कई नगर पालिकाओं को छोड़ दिया गया है। जहां तक नगर पालिकाओं या अन्य शहरी क्षेत्रों का संबद्ध है, क्या सरकार नगरपालिका या अन्य शहरी क्षेत्रों के संबंध में नई योजनाएँ शामिल करने या लाने पर विचार करेगी? जहां तक नगर पालिकाओं का संबद्ध है तो मैंने स्वयं मंत्री को ज्ञापन देकर कहा है कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां तक मुद्दे का संबद्ध है, अगर उन्हें 2017 तक इंतजार करना पड़ा तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा।

श्री एम. वेंकैया नायडू: वर्ष 2017 की यह समयावधि केवल चल रही अधूरी योजनाओं के लिए है। जहां तक नई योजनाओं का सवाल है तो वे इस वर्ष शुरू होने जा रही हैं, जिसमें माननीय सदस्य द्वारा एक विशेष जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, उन पर भी विचार किया जाएगा। वहां की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले नगर पालिका के लोगों और गरीब लोगों को वर्ष 2017 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 2017 तक की अवधि केवल चालू योजनाओं के लिए है। अन्य वर्गों के लोगों के संदर्भ में, वे इस वर्ष से पात्र होंगे।

(प्रश्न संख्या 563)

[अनुवाद]

श्री चमकुरा मल्ला रेड्डी: अध्यक्ष महोदया, सरकार ने डाकघरों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करके धन भेजने के तीव्रतर तरीके शुरू किए हैं। लेकिन ई-मनीऑर्डर की प्रणाली में मोबाइल मनीआर्डर के लिए 5,000 रुपये तक की सीमा है, 10,000 रुपये तक की सीमा है और तत्काल मनीआर्डर के लिए सीमा 50,000 रुपये तक है। आजकल ग्राहक काफी अधिक मात्रा में लेनदेन कर रहे हैं। मनीआर्डर के उपयोग को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए, मैं मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या वह सीमा बढ़ाने के इच्छुक हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, यह कार्रवाई के लिए एक सुझाव है। जैसा कि यह योजना आज भी मौजूद है, साधारण मनीआर्डर के लिए यह केवल रु. 5,000 लेकिन यात्रा करने वाले लोगों की शिक्षा, चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने आईएमओ (तत्काल मनीआर्डर) की सीमा 50,000 रुपये और मोबाइल मनी ऑर्डर के लिए 10,000 रुपये सुनिश्चित की है। मैं उनके सुझाव पर टिप्पणी करता हूं। हमें इस पर गौर करना होगा क्योंकि तत्काल बैंकिंग ट्रांसफर की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है जिस पर लेनदेन सीमित नहीं है। देश में बैंकिंग प्रणाली का विशाल नेटवर्क उपलब्ध होने के कारण यह सुविधा उपलब्ध है। मैं इसका दृष्टव्य, टिप्पणी लेता हूं। मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा।

श्री चमकुरा मल्ला रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रौद्योगिकी के विकास के अनुसार ई-पोस्ट, पोस्ट कार्ड सेवा लागू की जा सकती है। यह सेवा किसी व्यक्ति को ऑनलाइन कार्ड चयन करने में सक्षम बनाएगी। वितरण करने वाला डाकघर इस कार्ड को प्रिंट कर प्राप्तकर्ता को भेज सकता है। इससे पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी और ग्राहक इस सुविधा का उपयोग अपने घर से ही कर सकता है।

इसलिए, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस सुझाव को लागू करने के लिए तैयार हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, यह फिर से कार्रवाई का सुझाव है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य, भाग सुझाव देने में इतनी रुचि ले रहे हैं। मैं इसे नोट करता हूं। एकमात्र बात जो मैं इस माननीय सभा को बताना

चाहूंगा वह यह है कि हमारे कार्यभार संभालने के बाद, एक समिति है जो इस मामले पर विचार कर रही है और मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन पैसे की डिलीवरी को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए मैंने अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। 14 प्रतिष्ठित, सम्मानित, महती के बाद से कई निरीक्षण किये गये हैं। मैंने उनसे किसी भी विचलन की स्थिति में सख्त कदम उठाने को कहा है। आई 27876 शिकायतों की जांच में से 300 से अधिक लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। ये सभी चीजें इसलिए की गई हैं क्योंकि अभी भी दूर-दराज के इलाकों में गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए मनीऑर्डर प्रणाली सबसे सशक्त माध्यम बनी हुई है।

[हिन्दी**]**

डॉ. मनोज राजोरिया : स्पीकर मैडम, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किस तरह से मनी-ऑर्डर की सुविधा दी जाए, इस प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने इन्टरनेट के माध्यम से इंस्टैंट पोस्टल सर्विसेज की बात की है। मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन्होंने सिर्फ 16,785 पोस्ट ऑफिसेज में इन्टरनेट सेवा के माध्यम से इंस्टैंट मनी-ऑर्डर की सुविधा दी है।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर, राजस्थान की बात करता हूं। यहां मोबाइल सेवा तो बड़ी मुश्किल से मिलती है और वहां इन्टरनेट की सुविधा होना एक असंभव-सी चीज़ है। ऐसे क्षेत्र में और देश के बाकी क्षेत्रों में, जहां इन्टरनेट की सुविधा नहीं है, वहां किस प्रकार लोगों को इंस्टैंट मनी-ऑर्डर की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है और मंत्री महोदय इसके लिए क्या कर रहे हैं? कृपया जवाब दें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की चिंता बहुत ही वाज़िब चिंता है। मैं स्वयं भी अपने विभाग में इसकी विशेष चिंता कर रहा हूं। जो उन्होंने इंस्टैंट मनी-ऑर्डर की बात की, तो लगभग सोलह हजार ऐसे डाकखाने उपलब्ध हैं, जहां जाकर आप पैसा जमा करिए। वहां आपको सोलह अंकों का कोड मिलता है और जिसे वह पैसा पाना है, उसे वह तुरंत मिल जाता है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए इस बात का विशेष विचार करना होगा कि हम कम्प्यूटराइज़ेशन को कितना आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहां लगभग 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिनमें से 13291 पोस्ट ऑफिसेज शहरों में हैं। उन विभागीय डाकघरों

का तो कम्प्यूटराइज़ेशन हो गया है। लेकिन, रूरल पोस्ट ऑफिसेज का कम्प्यूटराइज़ेशन करना जरूरी है। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात इतना ही कह सकता हूं कि वर्ष 2017 तक हम बाकी सभी पोस्ट ऑफिसेज का कम्प्यूटराइज़ेशन पूरा कर लेंगे। फिर आपकी जो शिकायत है, उसमें बहुत सुविधा हो जाएगी।

जहां तक माननीय सदस्य ने इन्टरनेट की उपलब्धता की बात की है, तो उस दिशा में भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं। जो एन.ओ.एफ.एन. [अनुवाद] का कार्यक्रम है, जिसे हमारी सरकार प्रायॉरिटी में कर रही है, उससे देश में ब्रॉडबैन्ड की उपलब्धता में भी काफी सहूलियत होगी।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (नाग): माननीय अध्यक्ष महोदया, आजादी के 68 वर्षों के बाद डाकघरों के पुनर्निर्माण और हमारे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी डाक सेवाओं में सुधार पर जोर देने की आवश्यकता है।

कोई भी सुविधा लाने से पहले हमें ग्रामीण इलाकों के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मनी ऑर्डर की शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करना की आवश्यकता है। तकनीकी के साथ शिकायतें भी बढ़ी हैं। मनीआर्डर की डिलिवरी न होने और मनी ऑर्डर के पैसों की हेराफेरी के मामले सामने आए हैं। क्या माननीय मंत्री हमारे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में मनीआर्डर सेवा में सुधार के लिए लाए गए नवीनतम परिवर्तनों के बारे में बताएंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि डाक विभाग पिछले 150 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है। भारत के सुदूर कोनों में *डाकिया* पर अभी भी भारत सरकार का अधिकार है जो पूरे क्षेत्र को जानती है।

मैं यह नहीं कहूंगा कि शिकायतें नहीं आई हैं। मैं माननीय सभा के साथ आँकड़े साझा करना चाहूँगा। 2013-14 में 12,241 करोड़ रुपये की राशि के लगभग 10.9 करोड़ मनी ऑर्डर जारी किए गए। हमारे पास 10 करोड़ से अधिक मनीऑर्डर में से केवल 80,000 शिकायतें थीं, जो 0.07 प्रतिशत है। फिर भी यह चिंता का विषय है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकारियों के माध्यम से इसकी निगरानी करता हूं और यदि विचलन होता है, तो कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले तीन वर्षों में 27,876 शिकायतों की जांच में से 300 से अधिक व्यक्तियों को दंडित किया गया है। मैंने अधिकारियों से दूरदराज के इलाकों का अधिक आना करने और समय-समय पर निरीक्षण करने को कहा है। प्रतिष्ठित, सम्मानित, महती 2014 के बाद से निरीक्षणों की संख्या में वृद्धि हुई है।

यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी, कंप्यूटरीकरण और अधिक भागीदारी शामिल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि डिजिटल इंडिया के विकास में डाक विभाग को अपनी व्यापक पहुंच के कारण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि डाक विभाग अपने विशाल नेटवर्क के कारण अच्छा पैसा और अच्छी विश्वसनीयता अर्जित कर रहा है।

(प्रश्न संख्या 564)

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे : महोदया, मैंने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 के बारे में प्रश्न पूछा है। हमारी जो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बहुत एंबीसस प्लान है। इसमें रूरल टेली डेंसिटी के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। पिछले दो सालों में रूरल टेली डेंसिटी सिर्फ सात परसेंट बढ़ी है। इस नीति में ऐसा बताया गया है कि वर्ष 2017 तक 70 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत रूरल टेली डेंसिटी हो जाएगी। हमारे जो बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली वगैरह में टेली डेंसिटी 200 परसेंट से ज्यादा है। रूरल-अर्बन डिवाइड की जो हम हर चीज में बात करते हैं, वह इसमें क्लियरली दिख रहा है। रूरल टेली डेंसिटी बढ़नी चाहिए। वहां पर जो इसकी क्वॉलिटी है, वह बहुत पुअर है। कई जगह लोड शेडिंग के कारण 5-6 घंटे तक और कई जगह तो पूरे दिन भर मोबाइल सर्विसेज बंद रहती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार के पास क्या कोई योजना है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, इस देश में जो शहर हैं, वहां टेली डेंसिटी 168 परसेंट है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां टेली डेंसिटी 47 परसेंट है। माननीय सदस्य ने जो अपनी चिंता व्यक्त की है, वह सही है। मैं सदन को एक बात और बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में 5,97,608 गांव हैं और अभी तक कनेक्टिविटी के मामले में 55,669 गांव बचे हुए हैं। इनको हम प्राथमिकता में कर रहे हैं। जो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिज्म् एरियाज हैं, जो नार्थ ईस्ट हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने कनेक्टिविटी के प्राब्लम की चर्चा की। यह कई कारणों से होती है, कई बार बिजली नहीं होती है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह पूर्व में रह चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : मेरी शुभकामना है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो अपनी चिंता व्यक्त की है, कई जगहों पर बिजली की कमी होती है, हमारे टावर्स बिजली होन पर चलेंगे, वरना उनके लिए डीजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि वहां हम उन्हें सोलर एनर्जी से चला सकते हैं तो उसके बारे में विचार करना चाहिए।

जहां तक बी.एस.एन.[हिन्दी] एल. की स्थिति है तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं कि 10 सालों से बी.एस.एन.एल. के साथ क्या-क्या हुआ है? हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान) 25,000 नए बी.टी.एस. लगाये जा रहे हैं। मैंने उनको और आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। हम लगभग 600 नेकस्ट जैनरेशन नेटवर्क और नये-नये एक्सचेंजर्स लगा रहे हैं। इसको रूरल इलाकों में और सुधारने की जरूरत है। हम 'नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम' के माध्यम से देश के ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की महत्वकांक्षी योजना चला रहे हैं। इन सबों के कारण इसमें सुधार होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है और उनकी जो चिंता है, एक समय ऐसा था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : समय जा रहा है, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय धोत्रे : हमारे यहां अगर किसी को टेलीफोन चाहिए तो वह सिर्फ पी.एन.टी. का ही था, लेकिन बाद में इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आये। जब से इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आये हैं तब से बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की कमजोरियां उजागर होती गयीं। हम कई सालों से देख रहे हैं कि बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. बताती थीं कि उन्होंने पूरे नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन्स को कवर किया है, लेकिन वहां पर न तो हमारा मोबाइल चलता है और न हमारा थ्री-जी नेटवर्क चलता है। हमारे मतदाता कई बार हमें बोलते हैं कि आप बी.एस.एन.एल. या एम.टी.एन.एल. का कनेक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप दूसरा कनेक्शन प्राइवेट कम्पनी आइडिया या एयरटेल का ले लीजिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बी.एस.एन.एल. वाले खुद

के लिए काम करते हैं या दूसरे कंपनियों के लिए काम करते हैं?...(व्यवधान) उसके ऊपर...(व्यवधान) उनका जो एकाउंट सिस्टम है, मैंने खुद भुगता है कि जिनका लाखों रुपया बाकी है, वे उनको बिल नहीं भेजते हैं और मेरे ऊपर कुछ भी बकाया नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे लाख रुपये का बिल भेजा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, अगर माननीय सदस्य की कोई बिलिंग की व्यक्तिगत समस्या है तो मैं विभाग से आग्रह करूंगा कि वह उस पर विचार करे।...(व्यवधान) मैंने कभी सदन में यह स्वीकार नहीं किया है कि बी.एस.एन.एल. की स्थिति बहुत स्वस्थ है। हमारी सरकार आने के बाद, हम बी.एस.एन.एल. को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह ईमानदारी से करना चाहते हैं कि हम सेवेन्थ फेज में जो कर रहे हैं। हमारे कई माननीय सांसदों को यह मालूम है कि मैं माननीय सांसदों से राज्यवार मिल रहा हूं। बी.एस.एन.एल. के पदाधिकारी बैठते हैं, वे समस्याओं को सुनते हैं। जहां तक इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विस का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि इसे सुधारने की जरूरत है लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स की भी काफी शिकायतें आती हैं, मुझे मंत्री के रूप में वह भी देखना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि बी.एस.एन.एल. ने देश में बड़ा काम किया है। वर्ष 2004 में बी.एस.एन.एल. दस हजार करोड़ रुपये के प्रॉफिट में था। आज वह आठ हजार करोड़ रुपये के लॉस में है। हमें कहीं न कहीं इसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि यह परिस्थिति क्यों आयी है? हम इसे सुधार रहे हैं और इसे सुधारेंगे, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि आपका यह आरोप ठीक नहीं है कि सारे बी.एस.एन.एल. के लोग प्राइवेट के लिए काम करते हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश है, मैं सुधार करूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिनको प्रश्न पूछना है, वह प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय मंत्री जी का बी.एस.एन.एल. के वर्तमान स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में जो संकल्प है, उसकी चर्चा की है। माननीय सदस्य ने प्रश्न करते हुए बात कही है कि बी.एस.एन.एल. की स्थिति वास्तव में भयावह है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि हम इसके माध्यम से कहीं बी.एस.एन.एल. को प्राइवेटाइजैशन की ओर तो नहीं धकेल रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने हम सब को आश्वस्त किया है और इस बात का संकल्प भी दोहराया है कि हम बी.एस.एन.एल. के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए काम भी कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सदन में आपने जो वाई-फाई की सुविधा दे रखी है, उस सुविधा को सुधारने के लिए और सांसदों के उपयोग के लिए इस सदन के गलियारे में जो कम्प्यूटर्स लगाये गये हैं, जिनमें सोकॉल्ड ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, यदि आप सुधारने की नीयत से काम कर रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि "चैरिटी बिगिन्स विथ होम", इस दिशा में सबसे पहले इस घर की सुविधा को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं? आप इसके बारे में बतायें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, उत्तर तो मिले। बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्हें उत्तर देने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: मुझे उत्तर देने दीजिए। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है? उसे जवाब देने दीजिए।

.........(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मुझे कांग्रेस के मित्रों की चिन्ता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर यह चिन्ता दस साल तक की होती तो बीएसएनएल की हालत ऐसी नहीं होती।...(व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : मेरा सिर्फ यह कहना है कि आपने जो बात कही, जहां तक हाउस का सवाल है, मैंने इस विभाग का मंत्री बनने के बाद हाउस में...(व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। ......(व्यवधान)

[हिन्दी] **श्री रवि शंकर प्रसाद :** आपको मालूम है कि यहां जो भी टावर लगता है, वह हाउस कमेटी की अनुमति से लगता है। मुझे एमटीएनएल द्वारा कल ही सूचना दी गई है। मैंने प्रयास किया, उन्होंने भी प्रयास किया। यहां नया टावर लगेगा। आपने वाई-फाई की जो बात की है, उसे हम और सुधारेंगे और मैं स्वयं देखूंगा, यह आश्वस्त करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 565)

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने मेक इन इंडिया की घोषणा की है। [हिन्दी] इसी उद्देश्य से युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना शुरू की गई है। इसी को देखते हुए सरकार ने 2020 तक 30 करोड़ युवकों को राष्ट्रीय कौशल नीति के तहत प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी तक व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय बनाने तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए बैंक से आसानी से लोन देने के लिए कोई प्रस्ताव बना रही है?

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : आदरणीय महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि वर्तमान में शिक्षा का जो ढांचा है, जितने संस्थान हैं, उनके माध्यम से ही वोकेशनल एजुकेशन न सिर्फ कॉलेजेस बल्कि स्कूली बच्चों को भी दे सकें, इसके प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि नवम्बर, 2014 में हमने बच्चों को मोबिलिटी देने के लिए, स्पैशली वे लोग जो कक्षा आठ के बाद स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं, वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल मोबिलिटी देने के लिए समवय नाम का एक क्रैडिट ट्रांसफर सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किया जिसके अंतर्गत कक्षा नौ से लेकर ग्रैजुएशन तक हमारे छात्र पढ़ सकते हैं और स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत हमने पहली बार एजुकेशन की दृष्टि से सैक्टर स्किल काउंसिल की भी स्थापना की है। कक्षा नौ से ही वोकेशनल एजुकेशन हमारे छात्रों को मिले, इसका भी प्रावधान प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर किया है। वर्तमान का जो यूनीवर्सिटी सिस्टम है, उसके अंतर्गत भी कौशल को बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा यूजीसी कर चुकी है और इसी को कौम्प्लीमैंट करने के लिए हम इस वर्ष 235 कम्युनिटी कॉलेजेस भी स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्ष महोदया, आज देश में 65 प्रतिशत से आधिक हिस्सा ऐसे लोगों का है जिनकी उम्र 35 वर्ष है और 2020 तक यह एवरेज आयु 29 वर्ष हो जाएगी जबकि चीन में 37 और जापान में 48 वर्ष एवरेज आयु होगी। इसके बावजूद हमारे देश में जो कुशल प्रशिक्षित हैं, वे अपने सुनहरे भविष्य के

लिए ज्यादातर विदेश चले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कुशल प्रशिक्षित लोगों को विदेश जाने से रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद से कहना चाहूंगी कि स्किल ट्रेनिंग और डैवलपमैंट के विषय की गंभीरता को देखते हुए प्रधान मंत्री जी ने एक विशेष मिनिस्ट्री - स्किल डैवलपमैंट मिनिस्ट्री की स्थापना की है जिसके अंतर्गत स्किल को कैसे बढ़ावा दें, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मेक इन इंडिया कैम्पेन के अंतर्गत मैनुफैक्चरिंग सैक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास है ताकि ये दोनों गतिविधियां एक-दूसरे को कौम्प्लीमैंट करें। मैं एमएचआरडी के अंतर्गत मात्र इतना कहना चाहूंगी कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम अपने स्कूली छात्रों को दे रहे हैं, उन्हें ज्वाइंट सैर्टिफिकेशन के माध्यम से इंडस्ट्री को पार्टनर करके दे रहे हैं ताकि यह वर्क फोर्स इंडस्ट्री रेडी बने।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव: एनएसएसओ द्वारा पिछले साल किए गए एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के केवल दो प्रतिशत युवाओं और देश की कुल कामकाजी आबादी के सात प्रतिशत से भी कम लोगों के पास औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा है। ऐसा सिर्फ उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के बीच बेमेल या अलगाव के कारण हो रहा है। क्या सरकार उद्योग जगत के साथ करीबी बातचीत करने की योजना बना रही है ताकि उद्योग के अनुकूल उचित शिक्षा दी जा सके?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी: अध्यक्ष (लोकसभा) महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, हम यह सुनिश्चित करना के लिए उद्योग के साथ सहयोग कर रहे हैं कि हम अपने छात्रों को जो कौशल प्रदान करते हैं वह सुनिश्चित करना कि वे उद्योग के लिए तैयार हों। जैसा कि मैंने पहले अपने उत्तर में कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा में हमने यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग के सहयोग से संयुक्त प्रमाणन प्रक्रिया हो। यूजीसी और एआईसीटीई प्रस्तावित कार्यक्रमों के तहत, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उद्योग के सहयोग से 80 ट्रेडों और 76 विशेषज्ञताओं को ध्यान में रखा

जाए। तथ्य यह है कि हमने पहली सेक्टर कौशल परिषद की स्थापना की है जो शिक्षा के क्षेत्र में कौशल सहयोग के भीतर उद्योग के महत्व की पहचान करती है, यह भी उजागर करती है कि हम इस चिंता को कितनी गंभीरता से लेते हैं।

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 566 से 580,
अतारांकित प्रश्न संख्या 6429 से 6658)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री**,** विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**जनरल **(**सेवानिवृत्त**)** विजय कुमार सिंह**) :** अध्यक्ष महोदया, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) आधिनियम, 1967 की धारा 53 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी आतंकवाद का निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्पों का कार्यान्वयन) संशोधन आदेश, 2015 जो 21 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ.206(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2505/16/15]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री **(**श्री रवि शंकर प्रसाद**) :** अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) भारतीय डाकघर आधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2506/16/15]

(2) वर्ष 2015-16 के लिए इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2507/16/15]

(3) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2508/16/15]

(5) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2509/16/15]

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आखिल भारतीय सेवा आधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आखिल भारतीय सेवा (आचरण), संशोधन नियम, 2015 जो 10 अप्रैल, 2015

के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2510/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2511/16/15]

(3) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2512/16/15]

(5) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गाँधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा आभियान) छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गाँधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा आभियान) छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2513/16/15]

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान अथॉरिटी, पंजाब, एस.ए.एस.नगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान अथॉरिटी, पंजाब, एस.ए.एस.नगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2514/16/15]

(9) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान-यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान-यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2515/16/15]

(11) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा आभियान मिशन, आइजल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा आभियान मिशन, आइजल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2516/16/15]

(13) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (सर्व शिक्षा आभियान), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (सर्व शिक्षा आभियान), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2517/16/15]

(15) (एक) सर्व शिक्षा आभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2518/16/15]

(17) (एक) सर्व शिक्षा आभियान यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एण्ड दीव, दमन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एण्ड दीव, दमन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2519/16/15]

(19) (एक) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादर एण्ड नागर हवेली (सर्व शिक्षा आभियान), सिलवासा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादर एण्ड नगर हवेली (सर्व शिक्षा आभियान), सिलवासा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2520/16/15]

(21) (एक) सर्व शिक्षा आभियान यूटी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान यूटी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2521/16/15]

(23) (एक) सर्व शिक्षा आभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2522/16/15]

(25) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2523/16/15]

(27) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा आभियान), चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा आभियान), चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2524/16/15]

(29) (एक) महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2525/16/15]

(31) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2526/16/15]

(33) (एक) महिला समाख्या सोसायटी गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या सोसायटी गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2527/16/15]

(35) (एक) झारखण्ड महिला समाख्या सोसायटी, राँची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड महिला समाख्या सोसायटी, राँची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2528/16/15]

(37) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2529/16/15]

(39) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2530/16/15]

(41) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान अथॉरिटी पंजाब, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान अथॉरिटी पंजाब, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2531/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, राँची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2532/16/15]

(2) (एक) नॉर्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2533/16/15]

(4) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2534/16/15]

(6) (एक) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2535/16/15]

(8) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2536/16/15]

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2537/16/15]

(10) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2538/16/15]

(12) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2539/16/15]

(14) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) [अनुवाद] एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2540/16/15]

(16) केन्द्रीय विश्वविद्यालय आधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आधिसूचना संख्या 181 जो 1 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति से संबंधित परिनियम संख्या ाक 2(4) में संशोधन किया गया है।

(दो) आधिसूचना संख्या 263 जो 10 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद के गठन और विद्या परिषद के गठन के संबंध में क्रमशः परिनियम संख्या ाक 11 और 13 में संशोधन किए गए हैं।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2541/16/15]

[अनुवाद]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वाई.एस. चौधरी): महोदया, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित रखना चाहता हूं:-

(1) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2542/16/15]

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2543/16/15]

(3) दिल्ली विकास आधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत जारी आधिसूचना संख्या का.[अनुवाद] आ. 2973 (अ) जो 26 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 12 फरवरी, 2014 की आधिसूचना संख्या का.आ. 381 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2544/16/15]

(5) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) आधिनियम, 1978 की धारा 32 के अंतर्गत आधिसूचना संख्या का.आ. 198 (अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मेट्रो परियोजना के मेट्रो विस्तार शिव विहार तक, मेट्रो का विस्तार बहादुरगढ़ तक और मेट्रो को नजफगढ़ तक शामिल किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2545/16/15]

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

राज्यसभा से संदेश

विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया[3*]

[अनुवाद]

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेशों की रिपोर्ट करनी है

(i) "राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा 5 मई 2015 को हुई अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई निरसन और संशोधन विधेयक, 2015 जिसे 18 मार्च 2015 को आयोजित बैठक में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

(ii) मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि निरसन और संशोधन विधेयक, 2014, जिसे लोकसभा ने 8 दिसंबर 2014 को अपनी बैठक में पारित किया था, राज्यसभा द्वारा 5 मई 2015 को आयोजित बैठक में पारित कर दिया गया है। निम्नलिखित संशोधन:-

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 ***पर,*** शब्द "सासठवाँ" के स्थान पर, शब्द "छियासठवाँ" ***<u>प्रतिस्थापित किया</u>*** <u>जाए।</u>

<u>खण्ड 1</u>

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 2 ***पर***, शब्द और अंक "निरसन और संशोधन अधिनियम, 2014" के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "निरसन और संशोधन

[3*] सभा पटल पर रखा गया

अधिनियम, 2015" ***प्रतिस्थापित किया*** जाए।

मैं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसार उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाता हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना इस सभा को दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक 2015 को सदन के पटल पर रखता हूं।

<u>अपराह्न 12.03 1/2 बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ एम तंबिदुरै (करूर): महोदया, मैं गैर-सरकारी के विधेयकों और संकल्पों पर समिति की ग्यारहवीं रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करना चाहता हूं।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): महोदया, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री हुक्मदेव नारायण यादव - उपस्थित नहीं।

<u>अपराह्न **12.04 ½ बजे**</u>

कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

[हिन्दी]

श्री मुकेश राजपूत (फरूखाबाद**) :** अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के ' एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेन्ट फसल किस्मों का विकास और उत्पादन संवर्धन प्रौद्योगिकियों का प्रसार - देश में अनुसंधान और विकास तथा विस्तार प्रयासों

की समीक्षा‘ संबंधी 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित ‘नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' पर समिति के 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ‘राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन' पर समिति के 41वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर ऊर्जा संबंधी स्थायी

समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

<u>अपराह्न 12.05 ½ बजे</u>

कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति

11वां से 13वां प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :--

[अनुवाद] (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2014-15)' पर समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2014-15)' पर समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद] (3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2014-15)' पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

'नेट न्यूट्रैलिटी' के बारे में दिनांक 29 अप्रैल, 2015 के तारांकित प्रश्न संख्या 518 का उत्तर शुद्ध वाला विवरण[4*]

[अनुवाद]
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): मैं "नेट न्यूट्रैलिटी" के संबंध में 29.04.2015 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 518 (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) के भाग (ई) के उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य देना चाहता हूं। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर के संशोधित संस्करण सहित विवरण सदन के पटल

[4*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2546/16/15.

पर रखा गया, सभा पटल, सभा पटल पर रखा गया है। अनजाने में हुई लापरवाही से कारण हुई असुविधा के लिए देय है।

(क) नेट-नेटुरैलिटी अवधारणा सामग्री, एप्लिकेशन, सेवा, डिवाइस, प्रेषक या प्राप्तकर्ता पते आदि के आधार पर इंटरनेट के मध्यवर्ती नेटवर्क द्वारा डेटा पैकेट के गैर-भेदभाव को संदर्भित करती है।

सरकार भारत में इंटरनेट के विकास और नवाचार निवेश और रचनात्मकता के लिए व्यापक मंच की पेशकश के आश्वासन के साथ नोट करती है। सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए इंटरनेट तक भेदभाव रहित पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

नेट तटस्थता से जुड़े मुद्दे फिलहाल विचार-परामर्श के दौर में हैं।

(ख) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से वांछित तटस्थता की विस्तार, सीमा और उन्हें प्रवर्तित करना, लागू करना के लिए किए गए वचनबद्ध किया गया देशों के बीच दृष्टिकोण में भिन्नता है। बहुत कम देशों ने विचार करना में विशिष्ट विधान, विधिनिर्माण का विकल्प चुना है।

(ग) मौजूदा, वर्तमान प्रशुल्क रूपरेखा के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं और लीज्ड सर्किट को छोड़कर दूरसंचार सेवा के लिए प्रशुल्क को रोक दिया गया है। सेवा प्रदाताओं के पास विभिन्न वर्गों के ग्राहकों को प्रशुल्क के विभिन्न संयोजनों की पेशकश करने की सुविधा है, बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण मनमाना न हो। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धा के इनपुट प्रतियोगिता स्तर और अन्य वाणिज्यिक विचारों सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ की पेशकश की जाती है। वर्तमान में, सेवा प्रदाता इंटरनेट पैक की पेशकश कर रहे हैं, जो ग्राहकों को इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी सामग्री, एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने की अनुमति देना है। इसके जोड़, कुछ सेवा प्रदाता कुछ अनुप्रयोगों के लिए रियायती विशेष प्रशुल्क पैक की पेशकश कर रहे हैं।

(घ) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 27.03.2015 को "ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवा के लिए नियामक रूपरेखा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। यह पेपर हितधारकों से 24.04.2015 तक टिप्पणियाँ और 08.05.2015 तक प्रति टिप्पणी आमंत्रित करता है। परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(ड़) ट्राई ने विभिन्न हितधारकों से टिप्पणी आमंत्रित करने के लिए 27.03.2015 को "ओवर-द-टॉप सेवाओं के लिए नियामक रूपरेखा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

दूरसंचार विभाग ने जनवरी, 2015 में ही निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ नेट तटस्थता पर एक समिति का गठन किया है।

1. सार्वजनिक नीति उद्देश्य, इसके फायदे और सीमाओं से नेट तटस्थता की खोज की जांच करना।

2. दूरसंचार क्षेत्र पर उस आर्थिक प्रभाव की जांच करना जो एक विनियमित दूरसंचार सेवा क्षेत्र और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवाओं सहित अनियमित सामग्री और एप्लिकेशन क्षेत्र के अस्तित्व से उत्पन्न होता है।

3. सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आर्थिक, गोपनीयता और अन्य दृष्टिकोण से नेट-तटस्थता के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर योग्यता की जांच, मूल्यांकन और निर्दिष्ट करना।

4. विचारार्थ विषय, सौंपे गए काम/कृत्य पहले तीन विषयों में मुद्दों की जांच और मूल्यांकन के आलोक में समग्र नीति, नियामक और तकनीकी प्रतिक्रियाओं की सिफारिश करना।

सरकार उपरोक्त प्रतिवेदनों के आलोक में अंतिम निर्णय लेगी।

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित, से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति [5]

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

---

[5] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2547/16/15

अपराह्न 12.08 बजे

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

विद्युत् मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं प्रस्ताव रखता हूं

> " कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आवंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपायों का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, जो लोक सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2014 को पारित किया गया और 15 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया, को वापस लिए जाने के लिए दी जा रही अनुमति से सहमत है।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

> " कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आवंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपायों का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, जो लोक सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2014 को पारित किया गया और 15 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया, को वापस लिए जाने के लिए दी जा रही अनुमति से सहमत है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह बिल राज्य सभा से विदड्रा हो गया है और नया बिल पास हो गया है।

...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015[6*]

[अनुवाद]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

> "कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

[6*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 06.05.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.09 1⁄2 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

विभिन्न आयोगों के सर्वोच्च पदों विशेष रूप से मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के पद पर नियुक्ति में विलंब के बारे में

माननीय अध्यक्ष: हम शाम को 'शून्यकाल' लेंगे। सोनिया जी, आप कुछ कहना चाहती थीं।

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली):मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी।

अध्यक्ष (लोकसभा) महोदया, मैं मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न करने में सरकार की निंदनीय चूक की ओर इस सभा और सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं। यह पद आठ महीने से अधिक समय से खाली पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप यूपीए द्वारा ऐतिहासिक आरटीआई अधिनियम के माध्यम से स्थापित केंद्रीय सूचना आयोग के कामकाज में लगभग रुकावट आ गई है।

इसके अलावा सीआईसी में तीन सूचना आयुक्तों के पद लगभग एक साल से खाली हैं। मैं यह बताना चाहूंगी, कि यूपीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि आरटीआई लागू होने के दिन से ही मुख्य सूचना आयुक्त का महत्वपूर्ण पद कभी खाली न हो।

पिछले साल चुनाव अभियान में प्रधान मंत्री ने पारदर्शिता और सुशासन के बारे में जनता से कई वादे किए थे और ऐसा करना जारी रखा है। फिर भी आज एक स्पष्ट यू टर्न में, इस सरकार ने सीआईसी की अनुपस्थिति के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि सर्वोच्च कार्यालय प्रधान मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सी एंड एजी, रक्षा मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय आरटीआई अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए जवाबदेह नहीं हैं और व्यापक सार्वजनिक जांच से सुरक्षित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह पारदर्शिता से बचने और अधिनियम को नष्ट करने के स्पष्ट प्रयास की ओर इशारा करता है। आरटीआई एक ऐतिहासिक विधिनिर्माण, विधान है और इसका उद्देश्य सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ाना था। इसी विधान के माध्यम से लाखों लोगों को अपनी सरकार से यह सवाल पूछने का अधिकार मिला कि योजनाएं और जनता कार्य कैसे लागू किए जा रहे हैं और जनता प्राधिकरण कैसे काम कर रहे हैं। क्या अब हमारे नागरिकों को अपनी सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं रह गया है? जनता डोमेन में कई प्रतिवेदनें स्पष्ट करती हैं कि देश के आधे से अधिक सूचना आयोगों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है, जिससे मामलों के निपटान में लंबी देरी होती है। सूचना का अधिकार का मूल आधार यह था कि नागरिकों को अत्यधिक देरी से नहीं संघर्ष चाहिए। फिर भी सरकार ने इस सत्र, अधिवेशन के पहले भाग में प्रविष्ट कि 39,000 से अधिक मामले लंबित, विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदया, सूचना में देरी का मतलब सूचना देने से इनकार करना है। यह कतई स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में देरी या चूक स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने में भी दिलचस्पी की निंदनीय कमियाँ, खामियाँ दिखाई है। गलत काम करने वाले की रक्षा करना किसी भी सरकार के लोकाचार का हिस्सा नहीं हो सकता। इसके अलावा, 11 मार्च 2015 को, डीओपीटी, जो पीएमओ के नियंत्रण में है, ने सीआईसी की वित्तीय शक्तियां सरकार द्वारा नियुक्त सचिव को हस्तांतरित कर दीं। मूल आरटीआई कार्य में ऐसी पोस्ट का कोई जिक्र नहीं है। कार्य सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को एक निर्दलीय सीआईसी के हाथों में रखता है। कार्य में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को सीआईसी की अनुपस्थिति में आयोग के कामकाज को संभालने की अनुमति देता हो।

अध्यक्ष महोदया, यह कार्रवाई सीआईसी की स्वायत्तता पर एक क्रूर प्रहार है। इन सभी से अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि सरकार आरटीआई कार्य की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने और खुद को सार्वजनिक जांच और जवाबदेही से बचाने की कोशिश कर रही है। यह सब नहीं है। इस संदर्भ में यह पूछना प्रासंगिक है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और लोकपाल के दो पद आज तक खाली क्यों हैं? इस सरकार ने कई कानून पेश करने में असाधारण तत्परता दिखाई है, फिर भी व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कार्य, 2011 को अभी

तक प्रभावी नहीं किया गया है, भले ही इसे मई, 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई हो। यह कार्य उन व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक है जो आरटीआई अधिनियम के व्यापक उपयोगकर्ता हैं। ये सभी भ्रष्टाचार से लड़ने के उपकरण हैं और इन्हें अभिप्राय, आशय, इरादा करने से इस सरकार की वास्तविक मंशा पर गंभीर आरोप लगते हैं।

अध्यक्ष महोदया, सरकार को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपने शब्दों के साथ कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं कि इन रिक्त पदों को भरा जाए, आरटीआई अनुरोधों को उसी तरह निपटाया जाए जैसा कि होना चाहिए और सरकार की निगरानी प्रक्रिया अब नहीं रह जाएगी।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री गौरव गोगोई, श्री एम.बी.राजेश, श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर, डॉ. ए. संपत को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

माननीय अध्यक्ष,:उन्होंने जो कहा है, उससे आप सभी लोग जुड़ सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उत्तर नहीं मांग सकते। नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबने नहीं बोलना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप उनके साथ (पदनाम) सह- सकते है। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। वह रिप्लाई कर रहे हैं। सबको नहीं बोलना है।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मुलायम सिंह जी, इसके बाद बोलिएगा।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी वह एक बात पर बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण (बाँका) : माननीय अध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी को बोलने का मौका दिया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी यह विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : ऐसा कैसे हो सकता है? दो इश्यूज़ का एक जवाब कैसे हो सकता है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर उन्होंने बोला और वह रिस्पांस करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसे क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) महोदया, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ......(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा मत कीजिए। मैंने उनको भी अलाऊ नहीं किया। अन्यथा मुझे उन सभी को अनुमति देना होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, वह जवाब दे रहे हैं। अगर मैं सबको बोलने के लिए अलाऊ करूंगी तो मुश्किल हो जाएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं किसी भी मुद्दा पर चर्चा में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। यदि मंत्री महोदया इस मुद्दा पर जवाब देना चाहते हैं तो मैं आपके की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा महोदया से अनुरोध करता हूं कि बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दा पर जवाब दें क्योंकि ये सभी संस्थाओं उनसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। केवल वह ही नियुक्त करना सकता है, और केवल वह ही निपटान कर सकता है और संपूर्ण प्राधिकार उसी में निहित है। इसलिए मैं आप की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दा पर जवाब देना चाहिए। ......(व्यवधान) प्रधानमंत्री को आकर जवाब देने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : पहले माननीय मंत्री जी की बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: ये सभी संस्थाओं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संबंधित हैं। संबंधित मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह यहां मौजूद हैं और वह उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। राजनीति को छोड़कर आइये तथ्य जानते हैं। ......(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसे बीच में इश्यू नहीं उठा सकते हैं। ऐसे नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिहं जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने जो बात कही, उसी का रिप्लाई हो रहा है। आप बात को समझिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, यह किसानों की बात है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बीच में किसान की बात क्यों ला रहे हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): इतने आवश्यक मुद्दा पर प्रधानमंत्री को यहां आकर जवाब देना चाहिए। ......(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अहमद जी, आप बैठिए। हर कोई नहीं बोलेगा। [अनुवाद] मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ सुनिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और राज्य मंत्री अंतरिक्ष विभाग में (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सभा का ध्यान माननीय द्वारा उठाए गए बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सदस्य जहां तक मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति का सवाल है, मैं केवल आधा मिनट का समय लूंगा और माननीय सभा को स्थिति बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है

जिसका उचित उत्तर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, मामले की सच्चाई यह है कि सीवीसी पद 28 सितंबर 2014 को खाली हो गया था। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन तभी अदालत में मुकदमा चल गया। ......(व्यवधान) कृपया सुनें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अगले भाग में दूँगा।

माननीय अध्यक्ष : सुनने की भी हिम्मत रखिए।

...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह महोदया, मैं तथ्य बता रहा हूँ। मैं किसी व्यक्तिपरक विचार से नहीं बोल रहा हूं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसंबर को एक निर्देश पारित करते हुए कहा कि नियुक्ति के मामले में आगे बढ़ने से पहले, कोई भी नियुक्ति करने से पहले सरकार को अदालत की अनुमति लेनी चाहिए। और फिर सुनवाई की अगली तारीख 14 जनवरी रखी गई। इसलिए, हम अदालत को चल रही सभी प्रक्रियाओं के बारे में सूचित रखने के लिए बाध्य थे। ......(व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं। इसलिए, अदालत को भी सूचित करने और इसके साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया में, अगली तारीख 12 मई तय की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे अब जुलाई में डाल दिया है। इसलिए, डीओपीटी की ओर से कोई देरी नहीं है क्योंकि हमें अदालत के निर्देश के अनुसार चलना होगा। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य भी इसकी सराहना करेंगे। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी अभिलेख पर नहीं जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है। सिर्फ मंत्री का जवाब ही अभिलेख में जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)... [7*]

[7*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मुझे यकीन है कि माननीय. सदस्य सराहना करेंगे। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)... *

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मुझे इसे पूरा करने दीजिए। जहां तक सीवीसी का संबद्ध है, यही बात है। मुझे यकीन है कि अगर हमने अदालत के निदेश का पालन नहीं किया होता तो आपने इसकी सराहना नहीं की होती।

जहां तक सीआईसी का संबद्ध, संबंधित है मैं आपको बता दूंगा। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। किसी प्रश्न-उत्तर की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)... *

डॉ. जितेन्द्र सिंह: जहां तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का संबद्ध है, पहले भी ऐसे मौके आए हैं, यहां तक कि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले भी ऐसे मौके आए हैं कि सूचना आयुक्तों की संख्या कम थीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूं। तो, यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब असामान्य रूप से हो रही है। उदाहरण के लिए, 2005 में हमारे पास केवल पाँच सूचना आयुक्त थे। 2006 से 2007 तक जब यूपीए का नियम था तो ऐसा ही था। ......(व्यवधान) यदि आप राजनीतिक उत्तर चाहते हैं, तो मैं आपको राजनीतिक उत्तर दूंगा और फिर अकादमिक उत्तर भी दूंगा। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उन्हें सुनना नहीं चाहते। कुछ भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)... *

डॉ. जितेन्द्र सिंह: 2008 में हमारे पास 10 की विरुद्ध में केवल आठ सूचना आयुक्त थे। 2010 में, हमारे पास फिर से केवल आठ थे। 2011 में, हमारे पास केवल पाँच थे। 2012 में हमारे पास केवल 7 थे। इसलिए, यूपीए नियम के दौरान किसी भी समय आपके पास 10 आयुक्त नहीं थे। यदि आप राजनीतिक उत्तर चाहते हैं तो यह राजनीतिक उत्तर है।

अब, मैं आपको अकादमिक उत्तर दूंगा कि हमें देरी क्यों हुई। हमें देरी हो गई क्योंकि पहले से ही एक विज्ञापन था जो हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया अध्यक्ष को संबोधित करें। यही उचित तरीका है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: फिर जब सरकार ने आरआईटी अधिनियम का सम्मान करते हुए कार्यभार संभाला, जिसका माननीय सदस्य द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है, तो यह निर्णय लिया गया कि ......(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : माननीय सदस्य का नाम क्या है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। इसलिए, आरटीआई अधिनियम के विचार करना में अथवा पारदर्शिता के संबंध में या बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ऐसा किया गया था। पहले यह प्रथा थी कि वरिष्ठ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाता था। इसलिए, जिस दिन मुख्य सूचना आयुक्त अपने कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ने स्वचालित रूप से कार्यभार संभाल लिया। जैसा कि मैडम सोनिया गांधी ने स्वयं पारदर्शिता का उल्लेख किया है, सद्भावनापूर्वक यह निर्णय लिया गया कि सीआईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आईसी के समान ही होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में, उस पद का भी विज्ञापन किया जाना चाहिए। इसलिए, मुझे लगता है कि हम पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गए हैं। हम साधारण मानदंड पर नहीं चले। ......(व्यवधान) मैं आपको पहले ही राजनीतिक उत्तर दे चुका हूं। अब मैं आपको अकादमिक उत्तर दे रहा हूं।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): आपने नियुक्त करना में इतना समय क्यों लगाया। ......(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: वही तो मैं बता रहा हूं। तो फिर क्या हुआ एक विज्ञापन बनाया गया। ......(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको कुछ नियम की भी समझ है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। मुझे खेद है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कोई प्रश्न-उत्तर नहीं चल रहा है। यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)... [8*]

डॉ. जितेन्द्र सिंह: तो, विज्ञापन चला गया। खोज समिती ने आवेदनों की जांच की प्रक्रिया शुरू की और लगभग 4-5 दिन पहले 16 जनवरी, 6 फरवरी और फिर 27 अप्रैल को हुई बैठक में आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग की गई। वह प्रक्रिया लगभग समापन होने वाली है। सीआईसी प्रश्न के तीन भाग हैं जिनका माननीय सदस्य मैडम सोनिया गांधी ने उल्लेख किया है और मैंने तीन का उत्तर दे दिया है। यह असामान्य नहीं है कि हमारे पास 10 आयुक्त नहीं हैं। पिछले 10 वर्षों में ऐसे मौके आए जब केवल चार ही थे। सीआईसी के बारे में, हम पारदर्शिता की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा नियुक्त करना जा रहे हैं। ......(व्यवधान)

यदि माननीय सदस्य मुझे अनुमति देते हैं, तो मैं दल का नेता द्वारा उठाए गए प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर दूंगा। तीसरा भाग यह बताता है कि शक्तियां क्यों सौंपा गया, प्रत्यायोजित किया गया। अब, मैं इसका उत्तर दूंगा। श्री राजीव माथुर की सेवा-निवृत्ति के बाद शक्तियां क्यों प्रदत्त, सौंपा गया, प्रत्यायोजित किया गया? ऐसा कहा गया है कि पीएमओ द्वारा सीआईसी के कार्यालय का नियंत्रण जब्त करने के लिए शक्तियां सौंपा गया, प्रत्यायोजित किया गया। यह सच नहीं है। मैं आपको बता दूँ। गतिविधियाँ का क्रम यह है कि माननीय महोदया द्वारा बताई गई तारीख भी गलत है। मैं बस उसे ठीक कर दूंगा। 22 अगस्त को श्री राजीव माथुर की सेवानिवृत्ति

[8*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के बाद 11 मार्च को शक्तियां नहीं सौंपा गया, जैसा कि बताया गया है, इसके बजाय 5 नवंबर से उसी तारीख को सचिव, डीओपीटी को केवल वित्तीय शक्तियां सौंपा गया, बाद में वित्तीय शक्तियों पर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग को प्रत्यायोजित किया गया, जो सामान्यतः प्रथा है। शक्तियां पीएमओ द्वारा नहीं ली गई थीं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया में उन्हें कार्यालय में किसी को नामोद्दिष्ट किया जाना था। इसलिए, सीआईसी की अनुपस्थिति में इसे सचिव, डीओपीटी को सौंपा गया, प्रत्यायोजित किया गया। ......(व्यवधान)

मैं व्हिसिल ब्लोअर्स की बात करता हूं, यह यूपीए शासन के 10 वर्षों में क्या हुआ है इसकी एक कहानी है। व्हिसिल ब्लोअर्स एक्ट लोक सभा में लाया गया, यह लोक सभा में पारित हुआ और राज्य सभा में गया। राज्यसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली ने राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता की सुरक्षा से संबंधित कुछ सिफारिशें रखी थीं, जिनका खुलासा नहीं किया जा सके। इन संशोधनों या सिफ़ारिशों को सत्ताधारी दल सहित सदन के सभी वर्गों ने आम तौर पर स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? राज्यसभा में इस बिल को बिना संशोधन के ही पास कर दिया गया। ......(व्यवधान) मैं पूरा क्रम बताऊंगा।

फरवरी में क्योंकि यूपीए शासन समाप्त हो रहा था, यह संभवतः राज्यसभा का आखिरी सत्र था, राज्यसभा और उसके सभी सदस्यों ने संशोधनों की खूबियों से अवगत होने के बावजूद, संशोधनों को शामिल करने से इनकार कर दिया। हमने जो किया है वह केवल साबित कर देना के लिए है?

<u>अपराह्न 12.29 बजे</u>

इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से चले गये।

इसलिए, हमने केवल उसमें सुधार करने का प्रयास किया है। अब वही संशोधन लाए जा रहे हैं जिन पर तत्कालीन सत्ताधारी दल ने सहमति जताई थीं। दरअसल, हम उस विधेयक पारित किया गया उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे काम को ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। विधेयक पारित करने की जल्दबाज़ी में, पूर्व शासक पार्टी द्वारा छोड़ा गया अधूरा कार्य अब वर्तमान शासक पार्टी द्वारा पूरा किया जा रहा है। ......(व्यवधान)

आइये अब लोकपाल पर आते हैं। लोकपाल में क्या हुआ? माननीय सदस्य मैडम सोनिया गांधी ने जिस लोकपाल अधिनियम का निर्दिष्ट, उल्लिखित किया है, वह जनवरी 2014 में पारित हो गया था, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे थे, जिनके कारण आगे की कार्यवाही में समस्याएँ, कठिनाइयाँ पैदा हो सकती थीं। अब समस्या

मौजूदा लोक सभा में आती है। लोकपाल अधिनियम की एक धारा यह थी कि चयन आयोग में विपक्ष का नेता शामिल होगा। अब बताओ विपक्ष के नेता कहां हैं? 16वीं लोक सभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। तो, मैंने क्या किया? मैं सबसे बड़े विरोधी दल के नेता को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए एक संशोधन लाया। दरअसल, हमने अच्छा किया है। हमने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। इस के आधार पर, के कारण, सद्गुण, श्री खड़गे को सदस्यों में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया। तो जो कमी थी वो चुनावी कारणों से हुई। मैं उसकी राजनीति में नहीं जा रहा हूं, एक संशोधन लाया गया था।

दूसरा संशोधन भी अकादमिक कारणों से लाया गया था, हमारे पास एक न्यायविद सदस्य था जिसके लिए वे पदावधि अवधि निश्चित करना भूल गए थे। क्या आपके पास अवधि के बिना कोई पदावधि हो सकता है? अध्यक्ष (लोकसभा) का अवधि निश्चित होता है, सभा का नेता का अवधि निश्चित होता है, सभा का नेता का अवधि निश्चित होता है क्योंकि वे *पदेन* सदस्य होते हैं। जहां तक सदन का नेता की बात है तो प्रधानमंत्री तब तक वहां रहेंगे जब तक वह सदन के नेता हैं। माननीय अध्यक्ष के मामले में भी यही स्थिति है। लेकिन न्यायविद के मामले में कोई अवधि तय नहीं किया गया था। इसलिए, हम तीन साल का अवधि निश्चित करना के लिए एक संशोधन लाए हैं। तो, इसमें ग़लत क्या है? हमने केवल कमी को सुधारने का प्रयास किया है और वास्तव में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को मान्यता देकर चयन आयोग में विपक्षी संस्करण या विपक्षी आवाज को समायोजित करने का प्रयास किया है, जिसे लोकसभा द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए, आपको आभारी होना चाहिए और संशोधन की सराहना करनी चाहिए। ......(व्यवधान) मैंने प्रो. सौगत राय के कारण थोड़ा अधिक समय लिया क्योंकि पिछली बार जब मैं ठीक 18 दिसंबर को विधेयक लाया था, जब चर्चा शुरू हुई तो प्रोफेसर सौगत ने हस्तक्षेप किया और कहा कि इसे स्थायी समिति के पास जाना चाहिए। लेकिन हमने फिर भी मनाने की कोशिश की। यह लोकतांत्रिक मानदंडों और संसदीय लोकतंत्र के प्रति हमारा सम्मान और श्रद्धा थी जिसे हम स्थायी समिति को भेजने के लिए सहमत हुए। अब आप ही बताइए, जब तक यह स्थायी समिति से वापस नहीं आ जाता, मैं क्या करूँ? मैं भाषण-फार भाषण का उत्तर दे रहा हूं, - और तथ्यों के बदले तथ्य।

जब तक स्थायी समिति जवाब नहीं भेजती मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए, मुझे लगता है कि ये चार या पाँच बिंदु हैं जिनका निर्दिष्ट, उल्लिखित मे किया गया है और मैंने पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया दी है।

श्री एम. वेंकैया नायडू : शून्यकाल में उत्तर देने की अभ्यास नहीं है। फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष का सम्मान करते हुए हमने जवाब दिया है। कृपया ध्यान दें कि जब माननीय कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे थे तो हम सभी ने ध्यान से सुना, जब मेरे मंत्री की बारी आई, जिन्हें कुछ आरोपों का जवाब देना था, जो प्रकृति में राजनीतिक हैं, उनके अपने सदस्य, अपने नेता की परवाह किए बिना खड़े हो गए। उठो और सदन को बाधित करो। फिर, पूर्वनिर्धारित मन से वे यहां आते हैं और बहिर्गमन, बाहर हो जाना। यह उस दल के लिए अच्छा नहीं है जो 50 साल से अधिकार में है।

<u>अपराह्न 12.33 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले[9*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अंतर्गत मामले सदन के पटल पर रखे जाएंगे। [अनुवाद] जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे बीस मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा के पटल पर सौंप दें।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जो निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में पटल पर प्राप्त होंगे। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

[9*] सभा पटल पर रखा माना गया।

(एक) भूदान आंदोलन के अंतर्गत प्राप्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने और इसे भूमिहीन लोगों में बांटे जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान 'भूदान आंदोलन' के जनक विनोबा भावे जी द्वारा किये गये सराहनीय कार्य की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि भूदान आंदोलन के दौरान जो भी जमीन पूरे भारत वर्ष में दान के रूप में प्राप्त हुई थी, उस जमीन को भूमिहीनों में वितरित करने हेतु एक आयोग का गठन किया गया था जिसके द्वारा मात्र कुछ लोगों को ही जमीन दान में दी गयी तथा बहुत सारी जमीन पूरे भारतवर्ष में ऐसी है जिस पर भू-माफियाओं का कब्जा है और उस पर प्लॉटिंग करके उसे ऊँची दरों पर बेचा जा रहा है। इसमें आधिकारियों के संलिप्त होने की जानकारी भी मुझे मिली है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि जो भी आधिकारी एवं व्यक्ति इस तरह के गलत कार्यों में संलिप्त हो, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और जो भी भूदान की जमीन बची है, उसकी हिफाजत की जाए एवं भूमिहीनों में वितरित की जाए, जिससे समाज में समरसता कायम हो सके।

(दो) राज्यों में जिला आपदा शमन कोष और जिला आपदा मोचन कोष गठित किए जाने और राज्य आपदा मोचन कोष की तर्ज पर कुल राशि की 75 प्रतिशत राशि के केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : तेरहवें वित्त आयोग द्वारा जिला स्तर पर चार तरह की निधियॅा गठित करने की सिफारिश की गई है। इसके आतिरिक्त आपदा प्रबंधन आधिनियम, 2006 की धारा 48 में भी राज्य आपदा प्रतिसाद निधि तथा जिला आपदा प्रतिसाद निधि और राज्य आपदा शमन निधि तथा जिला आपदा शमन निधि का गठन किए जाने का प्रावधान है।

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद निधि तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रतिसाद निधि का गठन किया गया है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन आधिनियम, 2005 की पालना में राज्य आपदा शमन निधि तथा जिला आपदा शमन निधि का गठन किया जाना अभी तक शेष है।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस विषय में न केवल राज्य व जिला स्तर पर उपरोत्त निधियों का गठन करें बल्कि इन निधियों में राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एस.डी.आर.एफ.) की तरह 75 प्रतिशत *अंशदान केंद्र सरकार का* निश्चित किया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हेतु शारदा नदी पर तटबंध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में शारदा नदी जिला पीलीभीत, खीरी-लखीमपुर, सीतापुर एवं बहराइच होते हुए बाराबंकी की ओर जाती है। इस नदी पर खीरी-लखीमपुर में लगभग दस वर्ष पूर्व एक विशाल बाँध का निर्माण हुआ था, परंतु कतिपय कारणों से उपरोत्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत न होने के कारण सीतापुर की सीमा में बाँध का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण हर वर्ष सीतापुर जिले के सैंकड़ों गाँव बाढ़ की विभीषिका में कटकर बह जाते हैं तथा हज़ारों एकड़ जमीन में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। [अनुवाद] बाढ़ से प्रतिवर्ष बहुत ज्यादा जन-धन की हानि होती है जिससे किसान-मजदूर गरीब का गरीब ही बना रहता है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीतापुर की सीमा मे शारदा नदी पर बांध नहीं बनाया गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सीतापुर की सीमा मे शारदा नदी में बांध बनाने की स्वीकति प्रदान कर धन आवंटन किया जाए, जिससे गाँवों के कटान तथा फसलों की बर्बादी को रोका जा सके और किसान-मजदूर खुशहाल हो सकें।

(चार) एक बहादुर योद्धा और महाराणा प्रताप के सहयोगी झालामन्ना के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौडगढ़) : मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि बड़ीसादड़ी के राज राणा झालामन्ना की 7 पीढ़ियों ने 1527 से 1576 के काल खण्ड में मेवाड़ व राजपूताना पर विदेशी हमलावरों से युद्ध करते हुए मैदान में प्राण न्यौछावर किये हैं। झालामान्ना का परिवार हल्वद काठियावड, गुजरात से राज्य छोड़ कर महाराणा रायमल के शासन काल में मेवाड़ आ गया था। उस समय मेवाड़ की जागीर व्यवस्था उत्कर्ष पर थीं। मेवाड़ के कई गाँवों को झालाओं ने अपने आधिकार में कर मेवाड़ पर आधिपत्य किया था। तब 7 वर्ष तक बड़ीसादड़ी का ठिकाना राजराणा अज्जा को जागीर के रूप में दिया। अज्जा से लेकर आसा तक लगातार छः पीढ़ियाँ मेवाड़ के लिए सर्वस्व समर्पण करती रहीं।

मेवाड़ के भविष्य को प्रताप के हाथों में सुरक्षित समझकर उनके साथ सलाहकार के रूप में झालामन्ना सभी महत्वपूर्ण कार्यों और संघर्षों में साथ रहे। 1572 से 1576 तक प्रताप के सैन्य संगठन में अग्रणी भूमिका निभाकर झालामन्ना ने नाकाबंदी करने में कामयाबी हासिल की। उन्हें हर समय युद्ध की अपरिहार्यता का आभास हो जाता था और सदैव आगे होकर मैदान में डट जाते थे।

18 जून, 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में मुगल सेना के सामने जब महाराणा प्रताप घिर गये तब झालामन्ना उस समय उनके साथ ही थे। परिस्थिति को समझते उन्हें एक पल भी नहीं लगा और उन्होंने तुरंत महाराणा प्रताप से राजचिन्ह और ध्वज अपने हाथों में ले लिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में सफल रहे। वे स्वयं दुश्मनों से भिड़ गये और पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस बलिदान स्वरूप झालामन्ना की जागीर बड़ीसादड़ी को मेवाड़ के राज्य चिन्ह धारण करने व मेवाड़ के महाराणा के बराबर प्रतिष्ठापित होने का आधिकार मिला।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि झालामन्ना के बलिदान को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र उनका डाक टिकट जारी किया जाए। यह उनकी वीरता, सच्ची निष्ठा एवं ईमानदारी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

(पांच**) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और कस्बों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मेरे संसदीय क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश व बिहार की नेपाल सीमा से जुड़ा तराई क्षेत्र, जो बाढ़ से भी प्रभावित है, में जल में फ्लोराइड व ऑसेरनिक की मात्रा के खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने के कारण पानी पीने योग्य नहीं है, परंतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र के लोग गंभीर बीमारियों से परेशान हैं। चूंकि यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है तथा छोटी से छोटी बातों की चिंता कर रही है। हमारी सरकार ने सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दिखाई है।

मेरे संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) में भी जल में ऑसेरनिक की मात्रा आधिक हो जाने के कारण जल दूषित हो गया है व पीने योग्य नहीं है। चूंकि भारत सरकार के मानक के अनुसार जिन बस्तियों में ऑसेरनिक की मात्रा 50 पी.पी.बी. से आधिक है, उन्हीं बस्तियों व गाँवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मेरे क्षेत्र के 51 गाँवों की 165 बस्तियों में काम हो रहा है। लेकिन वास्तव में जिन बस्तियों में जल में ऑसेरनिक की मात्रा 50 पी.पी.बी. के मानक से कम परंतु 10 पी.पी.बी. से आधिक है (जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार खतरनाक है) मेरे जिले में ऐसे 527 गाँवों की 1290 बस्तियाँ ऑसेरनिक से प्रभावित हैं।

मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि जल में ऑसेरनिक के 50 पी.पी.बी. की मात्रा को शिथिल करें एवं ऐसे गांवों में जहाँ जल में ऑसेरनिक तत्वों की मात्रा 10 पी.पी.बी. तक है, वहाँ भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना चलाएँ। मेरे जिले के ऐसे भी 527 गाँवों की 1290 मजरों (बस्तियों) में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करके योजना बनायें।

(छः) उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों से बढ़ रहे वायु और जल प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) में जनपद कानपुर नगर की कल्याणपुर, महाराजपुर, बिठूर वं घाटमपुर तथा जनपद कानपुर देहात की अकबरपुर रनियां विधान सभा सम्मिलित है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जी.टी. रोड, कानपुर-सागर राजमार्ग, कानपुर-आगरा राजमार्ग एवं कालपी रोड पर कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें सैकड़ों औद्योगिक संस्थान स्थापित हैं। इन औद्योगिक संस्थानों से प्रतिदिन 500 टन से आधिक अपशिष्ट पदार्थ एवं लाखों लीटर प्रदूषित जल के साथ-साथ धुएं की धुंध एवं डस्ट निकलती है। पर्यावरण एवं प्रदूषण के निस्तारण के मानकों के लगातार उल्लंघन एवं मिल मालिकों व विभागीय आधिकारियों की सांठ-गांठ से पूरे क्षेत्र में जन-जीवन अस्त-व्यस्त एवं गभीर घातक बीमारियों से ग्रस्त हो गया है। ज्ञात हो कि कानपुर नगर के ग्राम बिनौर तथा कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनियां व जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों सहित सैकड़ों ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ हैं जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों, प्रदूषित जल, पानपी के खनन एवं कचरे का यथाउचित निस्तारण न किये जाने के कारण पूरे क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य कायम हो गया है। जहरीला धुंॅआ उगलती चिमनियों से आम आदमी का सांस लेना दूभर हो गया है जिसके संबंध में मैने जिलाधिकारी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 15.10.2014 को पत्र लिखकर औद्योगिक इकाईयों द्वारा मानकों के विपरीत की जा रही कार्यवाहियों को तत्काल रोके जाने का आग्रह किया था परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि संबंधित आधिकारियों द्वारा अभी तक इस गंभीर परिस्थिति को नज़रअंदाज कर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत आभियान एवं क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उत्त औद्योगिक इकाईयों के साथ-साथ पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली अन्य इकाईयों पर जनहित में अंकुश लगाकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार उत्त औद्योगिक इकाईयों को संचालित कराने की कृपा करें।

(सात) गुजरात के जूनागढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर ऊपरी पुल अथवा अंडर पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राजेशभाई चुड़ासमा (जूनागढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र जूनागढ़ (गुजरात) ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। जूनागढ़ शहर में सात रेलवे फाटक हैं जो दिन के बारह घण्टे में तीन घण्टे बंद रहते हैं जिसकी वजह से यहांॅ के नागरिकों और यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी यातायात की समस्या का सामना करना पड़ता है। रोगियों को भी आपातकाल के समय में अस्पताल पहुंचने में परेशानी आती है। फाटक बंद होने की वजह से पेट्रोल, डीजल तथा समय का काफी नुकसान होता है और शहर थम सा जाता है। जोशीपुरा रेलवे फाटक संख्या -81 दिन में 30 से आधिक बार बंद किया जाता है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जूनागढ़ शहर के नागरिकों की समस्या को देखते हुए इन सभी रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज या अण्डर पास बनाये जाने की शीघ्रातिशीघ्र कृपा करें।

(आठ) देश में विशेष रूप से गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक सेवाओं को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): पूरे देशभर में डाक विभाग के तकरीबन 1,55,000 डाकघर कार्यरत हैं। उन डाकघरों में तकरीबन 25,000 डाकघर गुजरात में मौजूद हैं। उनमें मॉडर्न टेक्नॉलोजी की सेवा उपलब्ध है एवं विभाग में नई-नई सेवाएं जैसे सोने की बिक्री करना, रेलवे का आरक्षण, अमरनाथ यात्रा की बुकिंग, विदेशी मनी ऑर्डर इत्यादि सेवाएंॅ उपलब्ध की जाती है। सरकार के द्वारा डाकघरों में नई-नई सेवाएं तो दी जाती हैं लेकिन ज्यादातर डाकघर ऐसे हैं जो किराये के मकान में चल रहे हैं। उनमें से कई डाकघर मेरी जानकारी के मुताबिक 50 से 60 साल पुराने जर्जर मकानों में चल रहे हैं। ऐसे डाकघर सूरत (गुजरात) में सगरामपुरा पुतली, रांदेर, नवयुग, पांडेसरा, जर्जर मकान में चल रहे हैं। सगरामपुरा पुतली डाकघर के लिए 3-3 बार टेण्डर आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसे कितने जर्जर डाकघर देशभर में और सूरत, गुजरात में मौजूद हैं? इन डाक भवनों के निर्माण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इन भवनों के लिए सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा फण्ड आवंटन करना चाहिए और ऐसे जर्जर डाक भवनों को बदलने की आवश्यकता है।

आज देश में गाँव और शहरों की आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। डाक विभाग में 6 लाख कर्मचारी आज से 10 साल पहले कार्यरत थे। उसमे से करीब 50 हज़ार से ज्यादा पद रित्त पड़े हैं। उनकी वजह से आम आदमी को डाक समय पर नहीं मिलती। जैसे सरकारी नौकरी इच्छुक लोगों को तो साक्षात्कार हो जाने के बाद डाक मिलती है जिसकी वजह से देशभर में 80 हब सेंटर बनाये हैं और जर्मनी और इंग्लैण्ड की डाक व्यवस्था का अमल किया जा रहा है जैसे गुजरात में 5 जगह हब सेंटर बनाये गये हैं। सूरत में 5 लाख डाक आर.एम.एस. में इकट्ठी हो गई है। पहले ट्रेनों में डायरेक्ट सोंटरिंग व्यवस्था होती थीं। वह बंद हो जाने की वजह से आम आदमी डाक वितरण से परेशान हो चुका है। मैं जानना चाहती हूं कि गुजरात और सूरत में रित्त पद भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या सरकार इस बात का जानती है कि रित्त पदांे की वजह से हमारी डाक सेवाएं कितनी प्रभावित हो रही हैं?

भारत सरकार के डाक विभाग में कार्यरत आधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक आधिकारियों का कार्यकाल 4 साल का होता है। उसके बाद उसे सरकारी नियमों के तहत स्थानांतरित किया जाता है लेकिन गुजरात सर्कल के वड़ोदरा रीजन में पोस्ट मास्टर जनरल और निर्देशक द्वारा अप्रेल 2012 में 21 वरिष्ठ आधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें से कई आधिकारियों का कार्यकाल तो सिर्फ 4 से 8 महीना ही था। इनमें से कई आधिकारियों ने अपने परिवार के लिए एवं बच्चों की पढ़ाई की वजह से अपनी पंसदीदा जगह पाने के लिए मां॒ॅग की थीं। यदि इन आधिकारियों को उनकी पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग कर दी गई होती तो सरकारी खर्च करीब 20 लाख रूपए बच सकते थे।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि यह आदेश तुरंत ही रद्द किया जाए एवं जो सरकारी खर्च हुए हैं, उसे संबंधित आधिकारियों की तनख्वाह से रिकवर किया जाए।

(नों) अहमदाबाद और खेदब्रत्मा के बीच रेल सेवा को चरास्ता अम्बाजी अबू तक बढ़ाए जाने और राजस्थान में इस लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा): मेरे साबरकांठा लोक सभा मतक्षेत्र में अहमदाबाद-खेडब्रम्हा रेलवे लाइन चल रही है। इसके विस्तार के नजदीक सुप्रसिद्ध शत्तिपीठ माँ अम्बाजी मंदिर है जो समग्र भारत में आस्था का केंद्र है और अम्बाजी के बिल्कुल नजदीक राजस्थान में माउन्ट आबू की तलहटी में विश्व प्रसिद्ध शांति केंद्र है जहाँ पूरे भारत और विश्व के लोग आते हैं। माउन्ट आबू स्वयं एक सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गुजरात और दक्षिण भारत के लोग अहमदाबाद से होकर अम्बाजी और आबू जाते हैं। इसलिए अहमदाबाद से खेडब्रम्हा की रेलवे लाइन को अम्बाजी से आगे आबू रोड तक विकसित करने की जरूरत है जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा और सड़क यातायात कम करने में लाभदायी रहेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि खेडब्रम्हा से अम्बाजी और आबू रोड तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन शुरू की जाए।

(दस) राजस्थान के करौलीधौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डॉ मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर (राजस्थान) के धौलपुर जिले में संगठित क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की काफी कमी है जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी मुख्य समस्या है। धौलपुर जिला एन.एच.3, एन.एच.-11 बी एवं दिल्ली-मुम्बई रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है तथा जिले में लगभग 330 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है एवं चम्बल नदी के बहने के कारण जिले में पानी की समस्या नहीं है। धौलपुर मुख्यालय दिल्ली से 4 घण्टे की दूरी पर है। उत्त सुविधाएं होने के बावजूद जिले का औद्योगिक विकास नगण्य है। औद्योगिक विकास के लिए भूमि भी पर्याप्त है। जिले में दुग्ध एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। अतः यहाँ पर प्रूड प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट्स जैसे उद्योगों का विकास किया जा सकता है। इससे यहाँ के क्षेत्र का भी विकास होगा तथा यहाँ के लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो सकेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर में औद्योगिक विकास के लिए आधिक से आधिक बजट आवंटन करें, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके।

(ग्यारह) झारखंड में नियमित आधार पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किए जाने और राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी**]**

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): 34वाँ राष्ट्रीय खेल वर्ष 2011 में झारखण्ड राज्य में संपन्न हुआ था। जब झारखण्ड में राष्ट्रीय खेल हुए तब सरकार द्वारा हज़ारों करोड़ों की लागत से विशाल स्टेडियम, खिलाड़ियों के रूकने हेतु हॉस्टल व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सहित निर्माण कार्य हुआ था। खेल होने के बाद से करोड़ों की लागत से बने स्टेडियम, हॉस्टल व भवनों का अब समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

झारखण्ड राज्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेकों खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं, चाहे वह जयपाल सिंह मुन्डा हो या दीपिका कुमारी, सिलविनस डुगंडुग, समुराय टेटे, अंशुता लकड़ा, अरुणा मिश्रा, प्रेमलता अग्रवाल या फिर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र धोनी हो। इन सभी खिलाड़ियों ने विदेशों में भारत का परचम लहराया है। झारखण्ड एक खेल प्रेमी राज्य है। यहाँ के लोग खेलों को ज्यादा पसंद करते हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि झारखण्ड राज्य में बने स्टडियमों हॉस्टलों व अन्य सुविधाओं के सदुपयोग हेतु यहाँ सरकार समय-समय पर खेलों का आयोजन करवाए तथा झारखण्ड राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

(बारह) देश में ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे और सेवा शतों की जांच किए जाने के लिए एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी (नलगोन्डा): मैं सरकार का ध्यान ग्रामीण डाक सेवकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें पहले डाक विभाग में काम करने वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंट कहा जाता था। लगभग 2,50,000 ग्रामीण डाक सेवक देश भर में ग्रामीण भारत को अपनी बहुमूल्य सेवा प्रदान कर रहे हैं।

अब ये ग्रामीण डाक सेवक अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डाक विभाग उन्हें मात्र 5000 से 10,000 रुपये प्रति माह का मामूली वेतन दे रहा है। व्यवहारिक रूप से प्रति दिन 10 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद उन्हें चिकित्सा, डाक्टरीसुविधा जैसी कोई भी विभागीय सुविधा नहीं दी जा रही है। डाक विभाग देश में शाखा डाकघरों, की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा 1,46,64,650 ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाक जीवन बीमासक्रिय पॉलिसियों का संचालन कर रहा है। इससे ग्रामीण डाक सेवकों की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा 76 हज़ार करोड़ रुपये की कमाई होती है। भारत सरकार ने सितंबर 2008 में मनरेगा लागू किया। यह योजना 96,375 शाखा डाकघरों की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा चालू है। अप्रैल 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान मनरेगा के तहत 63 करोड़ 90 लाख रुपये के मनरेगा खाते खोले गए और दस हज़ार चार सौ करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। विविध, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं भी चालू हैं, जिसके की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा चार सौ करोड़ रुपये वितरित किये गये। ग्रामीण भारत में शाखा डाकघर की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा से विविध, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं भी संचालित होती हैं। शाखा डाकघर ऑनलाइन सेवाओं के सहयोग से मनरेगा और अन्य सुरक्षा योजनाओं के तहत मजदूरी लाभ का आधार-सक्षम भुगतान कर रहे हैं। वेतनभोगी श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान करने के लिए सर्कल द्वारा 9000 माइक्रो एटीएम तैनात किए गए हैं। ग्रामीण डाक सेवकों को शाखा के अतिरिक्त सामान्य कार्यों के उपस्थित होना प्रतिदिन कार्य भी निपटाने होते हैं। डाक विभाग द्वारा प्रति खाता प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें मात्र 0.50 पैसे का भुगतान किया जा रहा है।

ग्रामीण डाक सेवकों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि ग्रामीण डाक सेवकों की वेतन संरचना और सेवा शर्तों की जांच करने के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करके ग्रामीण डाक सेवकों की समस्याओं को देखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि उनकी समस्याओं को यथास्थिति हल किया जा सके। डाक विभाग की जीवन रेखा।

(तेरह) **तमिलनाडु में काजू उत्पादकों को विशेष पैकेज प्रदान किए जाने और राज्य के चिदम्बरम में एक काजू फल प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।**

[अनुवाद]

श्री एम. चन्द्राकाशी (चिदम्बरम): भारत में सबसे बड़े काजू उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु छठे स्थान पर है। तमिलनाडु के कुड्डालोर और अरियालुर जिलों में काजू उगाना किसानों की मुख्य खेती गतिविधि है। ठाणे चक्रवात के कारण तमिलनाडु के काजू किसानों को भारी फसल नुकसान हुआ। वे सबसे अधीन अल्पपोषित कृषक हैं। काजू किसानों के पुनर्वास और उच्च घनत्व वाली फसल स्वरूप को अपनाते हुए पुन: रोपण के लिए, तमिलनाडु सरकार ने संघ, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव, प्रस्थापना (विधि) भेजा जिसमें 340 हेक्टेयर काजू बागान क्षेत्र को कवर करते हुए प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सब्सिडी मांगी गई। वर्तमान संघ, केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के वित्त पोषण, वित्तपोषण पद्धति को 75:25 से स्वरूप 50:50 करने की मांग की गई है। काजू किसानों की ओर से और हमारी राज्य सरकार की ओर से मैं केंद्र सरकार से 75% केंद्र और 25% राज्य की यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध करना चाहता हूं। तमिलनाडु में काजू किसानों को उर्वरकों की अपर्याप्त आपूर्ति, कीटों के हमले, विपणन बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता और सबसे ऊपर मौसम की अनिश्चितताओं की समस्या से निपटना पड़ता है। चूंकि केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य या खरीद केंद्र उपलब्ध नहीं कराए हैं, इसलिए काजू किसानों को निजी व्यापारियों की दया पर छोड़ दिया गया है और उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कुड्डालोर और अरियालुर के काजू किसानों को विशेष पैकेज देने का आग्रह करता हूं। जबकि अन्य राज्य काजू फल और मेवे दोनों का पूरी तरह से लाभकारी उपयोग कर रहे हैं, तमिलनाडु में किसान काजू का रस बनाने के लिए काजू फलों को संसाधित करने में सक्षम नहीं हैं। अत: राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चिदम्बरम में काजू फल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया है।

(चौदह) **तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में रह रहे मछुआरों और वंचित लोगों के सामाजिक-आधिक विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री आर.के. भारती मोहन (मयिलादुथुराई) : तमिलनाडु के समुद्र तट की लंबाई 1100किलोमीटर है। बंदरगाहों और बंदरगाहों के अतिरिक्त, जोड़ अलवणीकरण संयंत्र और थर्मल पावर प्लांट आदि समुद्र तट पर स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में मौसमी परिसंचरण तमिलनाडु के तटीय जल में धाराओं को प्रभावित करता है।

कावेरी डेल्टा तटरेखा का बड़ा हिस्सा मेरे मइलादुथरई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मौजूद है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में उपलब्ध तटरेखा की लंबाई 63 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में लगभग 11 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। पूमपुहार और ट्रैंकोबार के ऐतिहासिक शहर तटीय क्षेत्र में वर्तमान, मौजूदा हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पूम्पुहार की तटरेखा को क्षरणकारी तट घोषित किया गया है। पूमपुहार में अक्टूबर 2014 के दौरान गंभीर कटाव (75 मीटर की विस्तार, सीमा तक) देखा गया था।

क्षेत्र में रहने वाले लाखों मछुआरों और वंचित लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक मास्टर प्लान की कल्पना करने और तटीय क्षेत्र का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उचित तटीय क्षेत्र प्रबंधन की कल्पना करने के लिए क्षरण और अभिवृद्धि की विस्तार, सीमा को समझना बहुत आवश्यक है। विकासात्मक योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उदारतापूर्वक आवंटित की जा सकती है।

(पंद्रह) ओडिशा के भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): ओडिशा में एम्स, भुवनेश्वर को संसद का अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। हालाँकि, यह 2012 से चालू हो गया है, लेकिन बुनियादी ढांचा, अवसंरचना और नैदानिक स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से यह पिछड़ा हुआ है। देश में एम्स की स्थापना का उद्देश्य गरीब लोगों को एम्स, दिल्ली के समान सुपर स्पेशियलिटी प्रौद्योगिकी प्रेरित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। हालाँकि, ओडिशा के भुवनेश्वर में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना का उद्देश्य अब तक केवल कागजों पर ही रहा है क्योंकि यह नैदानिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ विभागों में विशेषज्ञों की कमी के कारण लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है।

इस संबंध में, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से इस मामले को देखने और एम्स, भुवनेश्वर में सर्वांगीण सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

(सौलह) बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चुने गए आदर्श गांवों में विकास कार्यक्रमों के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली): मैंने अपने संसदीय क्षेत्र वैशाली (बिहार) के अंतर्गत दो जिला मुजफ्फरपुर और वैशाली के अंतर्गत क्रमशः घोसौत (मीनापुर) और कन्हौली विशनपरसी (गौरोल) का चयन 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के अंतर्गत किया है। सरकार द्वारा निधाररित तिथि के पूर्व मैंने उत्त गाँवों को शामिल करने की अनुशंसा संबंधित जिला पदाधिकारियों को भेज दी है परंतु संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई नहीं करने के कारण प्रस्ताव लंबित हैं। यद्यपि मैं इस लोकप्रिय योजना के अंतर्गत अपने क्षेत्र के आधिक से आधिक गाँवों को शामिल करने के लिए अग्रसर हूँ, परंतु प्रशासनिक सहयोग के अभाव में मैं इस योजना के कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत मेरे द्वारा चयनित गांवों में विकास कार्यों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित राज्य सरकार एवं सबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(सत्रह) हरियाणा और अन्य राज्यों में गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण हेतु वैज्ञानिक ढंग से निर्मित भांडागारों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): मैं सरकार के ध्यान में चबूतरे पर खाद्यान्न भंडारण की अवैज्ञानिक और अनुचित प्रणाली के बारे में लाना चाहता हूं, जिसके परिणामस्वरूप हर वर्ष विशेष रूप से हरियाणा में भारी मात्रा में गेहूं को नुकसान होता है। ऐसा क्षतिग्रस्त गेहूं मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है और इसे पशु भोजन के रूप में बेच दिया जाता है अथवा फेंक दिया जाता है। अब केन्द्रीय सरकार ने विपणन वर्ष 2015-16 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 30.05 मिलियन टन वसूली किया है। इस समय, मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि एक भी अनाज बर्बाद न हो। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हरियाणा और अन्य राज्यों में खरीदे जाने वाले गेहूं के लिए वैज्ञानिक रूप से निर्मित गोदामों के माध्यम से पर्याप्त भंडारण क्षमता बढ़ाई जाए और गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के नुकसान को रोका जाए।

(अठारह) सरकारी और निजी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : हाल ही में लाइफलाइन चिकित्सालय, पनवेल में एक मरीज की 2 सप्ताह तक प्रविष्ट रहने के बाद मृत्यु हो गई। रोगी के परिवार के सदस्यों को पूर्वानुमान के बारे में दैनिक पत्र परामर्श दिया गया। कई बार लिखित सहमति ली गई। परिवार के सदस्यों को मरीज को किसी सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया गया। लेकिन इसी बीच मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद लोगों का एक समूह पनवेल के लाइफ लाइन चिकित्सालय में घुस गया और ऑन-ड्यूटी डॉक्टरों पर हमला कर दिया। दो डॉक्टरों को काफी चोटें आई। सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी घटनाएं बहुत आम हैं। हमारे लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि हम अपने डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा प्रदान करें। मरीजों के परिचारकों द्वारा कई बार रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जो जनता अस्पतालों में कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को साबित करता है। हर सरकारी चिकित्सालय में एक पुलिस चौकी है लेकिन इसे मजबूत करने की जरूरत है। निजी अस्पतालों में भी इसे अनिवार्य किये जाने की जरूरत है। ऐसी घटनाएं हमारे लिए काफी आम हो गई हैं।

रेजिडेंट डाक्टरी भारतीय चिकित्सा प्रणाली की रीढ़ हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज की मदद करते हैं। 2013 में, मुंबई के सरकारी अस्पतालों के 56 डॉक्टरों को तपेदिक होने की सूचना मिली थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। संक्रमण के प्रति आतिसंवेदनशीलता केवल मुंबई का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के सरकार अस्पतालों में यही स्थिति है। रेजिडेंट डॉ. सबसे अधिक पीड़ित और सबसे अधिक उपेक्षित हैं। यह सुनिश्चित करना के लिए एक उचित प्रणाली की आवश्यकता है कि चिकित्सालय से होने वाला संक्रमण किसी को, विशेषकर डॉक्टरों को प्रभावित न करे।

(उन्नीस) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष कर्मियों की उपलब्धता और भावी आवश्यकता के बीच के अंतर को पाटने के लिए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम): राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा शुरू की गई कौशल अंतर प्रतिवेदन के अनुसार, 2022 तक 24 क्षेत्रों में लगभग 119 मिलियन (11 करोड़ 90 लाख) अतिरिक्त कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी। ऑटोमोबाइल, खुदरा, हथकरघा, निर्माण और रियल एस्टेट परिवहन और संभार-तंत्र लेखा जोखा देना 10 क्षेत्रों की 80 प्रतिशत आवश्यकताएं हैं। अध्ययन के पीछे का उद्देश्य उन क्षेत्रों को समझना है जिनमें हमें बड़े अंतराल का सामना करने की संभावना है ताकि हम भविष्य में कार्यबल की अपेक्षा, आवश्यकता के लिए उनकी तैनाती से पहले ही कौशल प्रशिक्षण की योजना बना सकें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले हमारे आईटीआई और अन्य संस्थानों को सुव्यवस्थित करने के लिए इन इनपुट का सर्वोत्तम उपयोग करे। इसके अलावा, हाल ही में घोषित प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना को 2022 तक कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित करना जा सके कि विभिन्न क्षेत्रों में कौशल कर्मियों की अपेक्षा, आवश्यकता और उपलब्धता के बीच कोई बेमेल न हो।

......(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह क्वेश्चन आवर के सस्पेंशन के बारे में है। वह अभी अलाऊ नहीं होता है। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। किसानों की बात बहुत बार हो गयी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। ऐसा नहीं होता है, यह आपको मालूम है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं दो मिनट का समय चाहता हूँ।

महोदया, उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हुई और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद भी सरकार ने कोई मदद नहीं की है।...(व्यवधान) ओलावृष्टि के संबंध में भारत सरकार को मेमोरेंडम दिनांक 02/05/2015 को प्रेषित किया गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने दो तारीख को ही मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : इसके बाद ओलावृष्टि राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1455 करोड़ रुपए बांट दिए हैं और प्रभावित जनपदों को भी काफी मदद की है। 1118 करोड़ रुपयों की धनराशि 24,51,213 किसानों के बीच वितरित हुई। 75 परसेंट अनुदान केंद्र सरकार को देना पड़ता है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में केवल 253 करोड़ रुपये दिये हैं, लेकिन उनको 506 करोड़ रुपये देना चाहिए था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी अभी अलाऊ नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरी भारत सरकार से मांग है कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा के बारे में संसूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्वहन किए गए बजट प्रावधान में...(व्यवधान) में ही धनराशि का आवंटन किया जाए।...(व्यवधान) लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है।...(व्यवधान) यह दिख रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, हो गया।

माननीय मंत्री जी, कृपया बोलें।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : इसके बारे में गृहमंत्री जी रिस्पांड करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पीछे भी लोग चिल्ला रहे हैं, आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलना शुरू करें।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: अध्यक्ष जी, इसके बारे में गृहमंत्री जी रिस्पांड करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

मंत्री जी, आप बोलना शुरू कीजिए।

अपराह्न12.36 बजे

संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 - जारी।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बड़ी संख्या में माननीयों का बहुत आभारी हूं। वे सदस्य जिन्होंने वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा को लाने के लिए संविधान में एक सौ बाईसवें संशोधन से संबंधित बहस पर बात की है, जो कि पूरे देश के लिए एक गंतव्य कर है।

यह निस्संदेह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण क्षण है क्योंकि जीएसटी लागू होते ही भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। इस वाद-विवाद, बहस में 12 साल से अधिक समय लग गया। केलकर समिति की नियुक्ति वर्ष 2003 में पहली एनडीए सरकार द्वारा की गई थीं। इसके बाद केलकर समिति की प्रतिवेदन आई जिसमें भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की एक नई प्रणाली का उल्लेख किया गया जो कम से कम उत्पीड़न, कम से कम कर चोरी का कारण बनती है और पूरे देश में एक ही कराधान संरचना लाती है। ऐसी संरचना का लाभ यह होगा कि गंतव्य कर होने के अलावा, इसमें कई महत्त्वपूर्ण विशेषताएं शामिल होंगी। जहां तक पूरे देश का संबद्ध है, कराधान में एकरूपता होगी। आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी जहां ट्रक या तो किसी राज्य के बाहर या किसी शहर के बाहर प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे हों। वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध हस्तांतरण होगा। पूरा देश, जो दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा है, एक एकल बाजार बन जाएगा। इसलिए जहां तक व्यापार का संबद्ध है, यह आवश्यक, जरूरी प्रोत्साहन देगा।

इस कराधान की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि कर पर कोई कर नहीं लगेगा। आज, यदि कच्चे सामग्री, सामान पर कर का भुगतान किया जाता है तो उत्पाद शुल्क, कर्त्तव्य का भुगतान किया जाता है। इसके बाद जब सामान किसी विशेष राज्य में प्रविष्टि करता है, तो कुछ इंदराज कर का भुगतान किया जाता है। फिर

वैट का भुगतान किया जाता है। कराधान की विभिन्न परतों का भुगतान किया जाता है और आपको पहले से भुगतान किए गए करों के लिए जरूरी छूट नहीं मिलती है। इसलिए, कर पर कर की एक व्यवस्था है जो अपने आप से, स्वतः *महंगा* बनाती है। इसलिए, यह प्रयास किया गया है या 2003 के बाद से निरंतर अभ्यास किया जा रहा है कि हम एक ऐसी प्रणाली पर कैसे आएं जो लंबे समय में कीमतों को नीचे लाएगी। इससे महंगाई थोड़ी कम हो सकती है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इसमें भारत की जीडीपी को बढ़ावा देने की कार्यक्षम है। यह राज्यों को सशक्त बनाने में भी मदद करता है क्योंकि राज्यों की किटी में ही वृद्धि होगी। यूपीए के वित्त मंत्री ने 2006 के अपने बजट भाषण में सबसे पहले टैक्स की अवधारणा पेश की थीं।

इसके बाद, 2006 में, जब जीएसटी की अवधारणा पेश की गई, तो राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया, चर्चा पत्र पेश किए गए और पूरी प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में विचार-विमर्श हुई। मार्च, 2011 में फिर से यूपीए के वित्त मंत्री ने संविधान में 115वां संशोधन पेश किया। अब इसके बाद वह संशोधन विचार-विमर्श के लिए गया। यह वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के पास गया। यह स्थायी समिति के पास भी गया।

मैं श्री वीरप्पा मोइली का बेहद आभारी हूं जिन्होंने खड़े होकर विधेयक का समर्थन किया। लेकिन मैंने अखबारों में जो पढ़ा है, उससे पता चलता है कि इस विधेयक को शब्दों से ही समर्थन की जरूरत नहीं है। यूपीए के हर सदस्य, भाग ने, जिसने भी बात की, कुल मिलाकर विधेयक का समर्थन किया है। संविधान, गठन, देश की शासन व्यव्सथा संशोधन पारित करने के लिए, हमें सकारात्मक वोटों की आवश्यकता है। मुझे लगा कि श्री मोइली को एकमात्र आपत्ति यह थी कि उन्होंने 2011 के विधेयक और 2015 के विधेयक के बीच अंतर के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए थे। उनका मामला था कि चूंकि 2015 का विधेयक 2011 के विधेयक से अलग है, इसलिए इसे स्थायी समिति के पास वापस जाने की जरूरत है। यही उनके तर्क का सार है। संभवतः इसीलिए आपकी पार्टी के नेतृत्व को इस आशय की जानकारी भी दी गई कि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और इन परिवर्तनों को एक स्थायी समिति द्वारा फिर से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। यदि केवल इतना ही पर्याप्त था, तो संभवतः आपके पास एक बहुत ही उचित बिंदु था। लेकिन, मुझे लगता है कि ऐसे निर्णय लेते

समय एक अक्षरों में और ब्यौरा में जाने की जरूरत होती है। आपने 2011 का विधेयक पुरःस्थापित किया गया। मैं इसे यूपीए या यूपीए विधेयक नहीं कहना चाहता क्योंकि यह के बाद एक सरकार का सामूहिक प्रयास रहा है। 2011 का विधेयक स्थायी समिति के पास गया स्थायी समिति ने दो साल तक इस पर चर्चा की। श्री मोइली द्वारा बताए गए अधिकांश परिवर्तनों पर स्थायी समिति द्वारा चर्चा की गई। तो आप जिसे भी मेरे द्वारा लाए गए नए प्रस्ताव कह रहे हैं वो वो प्रस्ताव हैं जो 2011 के विधेयक में थे। वे स्थायी समिति के पास गये और स्थायी समिति ने ही कुछ सिफ़ारिशें की थीं। मुझे लगता है कि श्री महताब उस स्थायी समिति के सदस्य, भाग थे। स्थायी समिति ने क्या कहा? आपने बताया कि आपके पास एक विवाद निपटान तंत्र है। आपका विवाद निपटान तंत्र यह था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए। अब, कानूनों पर निर्णय संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाना है। किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला नहीं कर सकती। तो, पूरा विचार एक जीएसटी परिषद बनाने का था जो विवाद का फैसला करेगी। अब स्थायी समिति ने क्या कहा ?

> "इसलिए, समिति की इच्छा है कि जीएसटी विवाद निपटान प्राधिकरण के लिए प्रस्तावित अनुच्छेद 279ख को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह निकाय संसद और राज्य विधानमंडलों की सर्वोच्चता को खत्म करने का प्रभाव डालेगा। हालाँकि, चूंकि कई संस्थाओं/हितों से जुड़ी किसी भी व्यवस्था के लिए विवादों/मतभेदों को हल करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए अनुच्छेद 279क में ही एक प्रावधान करना समीचीन हो सकता है जो जीएसटी परिषद् को अपनी सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले विवादों को संकल्प करना, निश्चय करना के तौर-तरीकों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दे।

आपने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्णय लेना चाहिए या एक निर्दलीय व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन आपके शासन-काल के दौरान स्थायी समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और संस्तुति, 'किसी भी जीएसटी परिषद् को निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए, मैं यह कहने के लिए एक संशोधन लाया हूं कि जीएसटी परिषद् को स्थायी समिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अब, आपका सुझाव इसे स्थायी समिति को वापस भेजने का है। कोई विधेयक कोई नाचने वाला यंत्र नहीं है कि वह स्थायी समिति से

स्थायी समिति में चला जाएगा। एक बार जब मैं स्थायी समिति की सिफारिश स्वीकार कर लेता हूँ, तो उस संस्तुति पर दोबारा विचार करने के लिए उसे स्थायी समिति को भेजने का क्या औचित्य है?

आपने मतदान स्वरूप के संबंध में विचार करना। 2011 के विधेयक में कहा गया था: "निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। " केंद्र और 30 राज्य सर्वसम्मति कैसे तय करते हैं? यदि पाँच राज्य कुछ कहते हैं और 25 राज्य कुछ और कहते हैं, तो क्या वहां सर्वसम्मति है और क्या एकमत है? सर्वसम्मति *अपने आप से, स्वतः* एक अस्पष्ट वाक्यांश है। आप कैसे कहते हैं कि आपने सर्वसम्मति हासिल कर ली है? आपके विधेयक में सर्वसम्मति का उल्लेख किया गया है। विधेयक स्थायी समिति के पास गया। स्थायी समिति ने क्या कहा? यह अधिकार प्राप्त समिति के पास गया। अधिकार प्राप्त समिति और स्थायी समिति की सिफ़ारिशें *यथास्थिति* हैं। वे एकमत हैं। तदनुसार, जैसा कि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, केंद्रीय प्रतिनिधियों को एक-तिहाई वेटेज, राज्य प्रतिनिधियों को दो-तिहाई वेटेज प्रदान किया जा सकता है, और परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को तीन-चौथाई के साथ पारित किया जाना चाहिए।

अब, अधिकार प्राप्त समिति और स्थायी समिति द्वारा 'आम सहमति' शब्द को 'अंकगणितीय सूत्र' से बदल दिया गया है। इसे मैं स्वीकार करता हूं। आपका सुझाव है: "इसे स्थायी समिति को वापस भेजें।" अब ये हैं स्थायी समिति की सिफारिशें हैं। इससे पहले कि आप "इसे स्थायी समिति को वापस भेजें" का रुख अपनाएं, कम से कम आपको अपने विधेयक पर स्थायी समिति की सिफारिशों को पढ़ना चाहिए था। स्थायी समिति की सिफ़ारिशें ख़ुद ये कहती हैं, जिसे स्वीकृत किया है।

अब तीसरा मुद्दा ये है। हम पेट्रोलियम के बारे में क्या करते हैं? राज्य इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि पेट्रोलियम और अल्कोहल को इससे बाहर रखा जाए क्योंकि वे राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं। आपने शराब को बाहर रखा। मैंने शराब को भी बाहर रखा है। वह पीने योग्य शराब है। पीने योग्य शराब राज्य का विषय है और औद्योगिक शराब केंद्रीय विषय है। वह स्थिति बनी हुई है। अब, जहां तक पेट्रोलियम का सवाल है, हमने राज्यों के साथ एक समझौता किया है कि पेट्रोलियम संशोधन का हिस्सा होगा लेकिन कोई कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि जीएसटी परिषद जहां राज्यों का दो-तिहाई बहुमत नहीं है, इस पर सहमत नहीं हो जाती।

वे अनेक वर्षों अथवा दस वर्षों के बाद सहमत हो सकते हैं अथवा बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते हैं, यह राज्यों को तय करना है। हम वह यथास्थिति *बनाए रखेंगे।* अब, आप कह रहे हैं: "इसे स्थायी समिति को भेजें।" लेकिन, श्री मोइली, स्थायी समिति पहले ही इस पर एक विचार व्यक्त कर चुकी है; अधिकार प्राप्त समिति पहले ही इस पर विचार व्यक्त कर चुकी है। स्थायी समिति का कहना है:

> “संविधान के अनुच्छेद 366 को विधेयक में खंड 14 के माध्यम से संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिसमें निर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति पर करों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव है। समिति का मानना है कि संविधान (संशोधन) विधेयक में ऐसे विशिष्ट बहिष्करण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे जीएसटी व्यवस्था अनावश्यक रूप से बहुत कठोर हो जाएगी। ”

निर्दिष्ट वस्तुएँ कौन सी हैं? खंड 12 क के अधीन इसमें पेट्रोलियम भी शामिल है। तो, स्थायी समिति पहले ही ऐसा कह चुकी है और अधिकार प्राप्त समिति पहले ही ऐसा कह चुकी है। तो, तर्क क्या है? आपको एक ईमानदार स्थिति अपनानी होगी कि आप जीएसटी चाहते हैं अथवा आप जीएसटी नहीं चाहते हैं? यह कहने का कोई मतलब नहीं है: "हम जीएसटी चाहते हैं लेकिन इसे स्थायी समिति को भेजें।" लेकिन स्थायी समिति पहले ही इनकी सिफ़ारिश कर चुकी है। आप सभी सदस्य सहमत हो गए हैं। ये स्थायी समिति के सर्वसम्मत निष्कर्ष हैं। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने सहमति दे दी है। आपके कांग्रेस मुख्यमंत्री इसमें एक दल हैं। ये सर्वसम्मत सिफ़ारिशें हैं। इसलिए, यदि आप जीएसटी की अवधारणा के विरोध में हैं, तो आपका मन बदल गया है या श्री अधीर रंजन चौधरी के शब्दों में, "*कभी हां कभी ना*"। मैंने सोचा कि उसने ही उचित बात कही है। मुझे खुशी है कि कल जब उन्होंने ऐसा कहा तो श्रीमती सोनिया गांधी मुस्कुरा रही थीं। लेकिन, महोदया, कृपया याद रखें। ......(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली): मैं हास्य के तौर पर मुस्कुरा रही थीं। ......(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: मुझे खुशी है कि आप कम से कम श्री रंजन की टिप्पणी पर मुस्कुरा रहे थे। ......(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): यह एक दर्पण छवि है। ......(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: लेकिन आखिरी हंसी हमेशा तेज होती है।

मैं बस इतना कह रहा हूं कि स्थायी समिति पहले ही इन मुद्दे पर विचार कर चुकी है। इसलिए, जब आप यह रुख अपनाते हैं "इसे स्थायी समिति को भेजें", तो कम से कम स्थायी समिति की प्रतिवेदन ही पढ़ें, जो इस मुद्दा पर बहुत स्पष्ट है।

महोदया, कई माननीय सदस्यों ने एक मुद्दा उठाया है। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने कल एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और मैंने उसका उत्तर दिया था और अध्यक्ष (लोकसभा) ने उस पर फैसला सुनाया था। लेकिन मैं सिर्फ एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण बिंदु जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, "आप राष्ट्रपति को संविधान के संशोध्नार्थ करने की शक्ति दे रहे हैं।" मैंने कहा: 'नहीं, हम इसे राष्ट्रपति को नहीं दे रहे हैं; यह कठिनाइयों को दूर करने के लिए है, जो कि अधिकांश संशोधनों में है: और यह अधिकांश विधानों में है।' आपने उल्लेख किया कि यह आपातकाल के दुर्भाग्यपूर्ण 42वें संशोधन में था और 44वें संशोधन ने इसे हटा दिया। मैंने कल उत्तर दिया। मैं घर वापस गया और 44वां संशोधन निकाला। 44वें संशोधन ने वह सब कुछ हटा दिया जो आपातकाल के इस 42वें संशोधन ने किया था। लेकिन 44वां संशोधन - और यह अशुद्धि थी और मैं इसे श्री प्रेमचन्द्रन की प्रशंसा करते हुए कह रहा हूं क्योंकि वह अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करते हैं, इसमें खंड 59 भी था। श्री प्रेमचन्द्रन, मैं इसे आपके पढ़ने के लिए आपके पास भेजूंगा।

44वें संशोधन में खंड 59 भी था जो कहता है: 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' यदि रसद आदि को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति संशोधित, स्पष्ट आदि कर सकते हैं। आप मुझसे एक कॉपी ले सकते हैं। न केवल 44वें संशोधन में जोड़ा गया, बल्कि 45वें संशोधन में भी इसी तरह का प्रावधान था। तो, आप संविधान,गठन,देश की शासन व्यव्सथासंशोधन में हैं। ऐसे रसद हमेशा होते हैं तो, 44वें संशोधन और 45वें संशोधन सभी में यह प्रावधान था। इस प्रावधान में कुछ भी असामान्य नहीं है। तो, दो प्रमुख आपत्तियां दूर हो गईं।

अब, मैं कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करता हूं जो माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं। मुझे कहना होगा कि विभिन्न दलों के अधिकांश सदस्यों ने, जिन्होंने अपनी बात रखी, भी महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने इस विषय का विस्तार से परीक्षित जाँच की गई और उनकी कुछ चिंताएँ वास्तविक हैं। स्थायी समिति ने जो

कहा था उसमें हमने जो एकमात्र प्रश्न जोड़ा है, वह आईजीएसटी पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर है। श्री मोइली ने उल्लेख किया कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। यह एक संभावित दृष्टिकोण है। यह वास्तव में विवादों को निपटाने की भावना से लिया गया है। अन्यथा विवाद अनिश्चित काल तक ज़ारी रहते। वे अनिश्चित काल तक क्यों जारी रहेंगे क्योंकि विनिर्माण राज्यों को लगता है कि वे जिस चीज़ का निर्माण करते हैं उस पर सीजीएसटी के संदर्भ में कराधान का लाभ उपभोग करने वाले राज्यों को मिलेगा। जैसा कि एआईडीएमके के माननीय सदस्य ने उल्लेख किया - यह एक बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया मसौदा था और मुझे माननीय भाग की सराहना करनी चाहिए - कि हमने बुनियादी ढांचे पर खर्च किया है, हम एक विनिर्माण राज्य बन गए हैं। जीएसटी शासन-काल में विनिर्माण राज्यों के रूप में मुझे कर के रूप में जो मिलता है वह उपभोग करने वाले राज्यों को मिल सकता है। तो, किसी और को लाभ होगा। अत: आप मुझे क्षतिपूर्ति कैसे देंगे? यह सिर्फ तमिलनाडु से जुड़ा मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र ने भी ये मुद्दा उठाया था और गुजरात ने भी ये मुद्दा उठाया था।

अब, विनिर्माण राज्यों को उनके राज्यों में निर्मित माल के बाहर जाने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रदान की गई है। पहला संरक्षण यह है कि हमने पांच साल की अवधि के लिए कहा है और यह संविधान संशोधन का एक हिस्सा है, जो भी नुकसान होगा वह केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा और हम राज्यों को मुआवजा देंगे।

दूसरे, जहां तक इस एक प्रतिशत सीजीएसटी का संबद्ध है तो दो साल के लिए विनिर्माण करने वाले राज्यों द्वारा इसे चार्ज करने से जो भी नुकसान होने की संभावना है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। यह संविधान में केंद्रीय गारंटी के अतिरिक्त है कि हम नुकसान की भरपाई करेंगे। तो, इससे उन राज्यों को मदद मिलेगी। तो, यह वास्तव में उन राज्यों के लाभ के लिए रखा गया है।

अब, जीएसटी परिषद् में सभी राज्यों के बहुत जिम्मेदार, उत्तरदायी वित्त मंत्री भी शामिल हैं। सामग्री को जब्त कर लिया गया है। इस परिषद् ने स्वयं एक उप-समूह, उप-धरा, समूह, दल, वर्ग, टोली नियुक्त किया है ताकि यह देखा जा सके कि कोई व्यापक प्रभाव न पड़े। ......(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय वित्त मंत्री ने स्थायी समिति की संस्तुति के बारे में उल्लेख किया है। इस पहलू पर आईजीएसटी की स्थायी समिति की सिफारिशें बहुत स्पष्ट थीं। जिस तरह से अब इसे आईजीएसटी में रखा गया है वह बोझिल हो जाएगा और कार्यपालिका पर बोझ बन जाएगा। इसीलिए स्थायी समिति का सुझाव संशोधित बैंक मॉडल का था। यह सुझाव था और यह अधिक स्पष्ट होता और महाराष्ट्र और तमिलनाडु की चिंता का समाधान किया गया होता और यह टास्क फोर्स की सिफारिश का सुझाव था।

श्री अरुण जेटली: मुझे खुद को सही करने दीजिए। यह एक प्रतिशत अतिरिक्त कर है। इसे किसी आईजीएसटी से जोड़ने के बजाय अतिरिक्त कर कहा जाना चाहिए।

डॉ. एम. थंबीदुरई (करूर): माननीय वित्त मंत्री तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाई गई चिंताओं पर कुछ तथ्यों को संबोधित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक समान कर की बात कही है। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य अनेक प्रकार के करों का न होना है। शिक्षा प्रयोजन, उद्देश्य सड़कों और कई अन्य चीजों के लिए उपकर के कई रूप हैं। हम अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर का भुगतान कर रहे हैं। अधिकांश राज्य सरकारें विकास के लिए इस प्रकार के करों पर निर्भर हैं। आप बता रहे हैं कि आप अगले पाँच सालों के लिए गारंटी, प्रत्याभूति और क्षतिपूर्ति देंगे। उसके बाद क्या होगा? राज्य सरकारें बहुत सारी बुनियादी ढांचा, अवसंरचना सुविधाएं तैयार कर रही हैं। हम इस प्रकार की चीजों से संबंधित हैं।

हमारी माननीय महोदया ने पूर्व प्रधान मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री को भी कई पत्र लिखे। वह इस मुद्दा को विविध, विभिन्न राष्ट्रिक मंचों पर भी उठा चुकी हैं। हमें इन मुद्दे को सुलझाना होगा।

श्री अरुण जेटली: महोदया, श्री थंबीदुरई जी ने जो कहा है, मैं उन्हें और तमिलनाडु के प्रत्येक सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम विनिर्माण राज्यों की चिंता से पूरी तरह परिचित हैं।

मैं अभी समझाऊंगा। हम इस तथ्य से भी परिचित हैं कि कैसे इस एक प्रतिशत अतिरिक्त कर का व्यापक प्रभाव नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का उप-समूह, उप-धरा पहले से ही इस मुद्दा पर विचार कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर विचार किया गया है और इन मुद्दे पर अब उस उप-समूह, उप-धरा, समूह, दल, वर्ग, टोली द्वारा ही विचार किया जा रहा है। जो राज्य विनिर्माण कर रहे हैं, हमने पांच साल के लिए

कहा है कि हम घाटे को कम करेंगे और आपको यह एक प्रतिशत अतिरिक्त कर मिलेगा जो विनिर्माण राज्यों के लिए एक बड़ा लाभ होगा।

दूसरा लाभ यह है कि सेवा कर, जो अब से केवल एक केंद्रीय कानून है, सेवा कर केवल केंद्रीय खजाने में जाता है, अधिकांश राज्य जो उपभोग के बजाय विकसित राज्य हैं, राज्यों में भी सेवा कर की राशि बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, शिव सेना के मेरे दोस्तों ने मुद्दा उठाया है और मैं थोड़ी देर बाद उस चिंता का अभिभाषण करूंगा। वे नगर पालिका में प्रवेश कर के चुंगी को लेकर चिंतित हैं।

अब, प्रवेश कर के संबंध में एक दृष्टिकोण यह है कि यह वस्तुओं और वस्तुओं के सुचारू प्रवाह को रोकता है, लेकिन सेवा कर की असाधारण राशि जो मुंबई को स्वयं मिलती है, सेवा कर की अभूतपूर्व राशि जो चेन्नई को स्वयं मिलती है क्योंकि ये बहुत विकसित टाउनशिप हैं। इतना बड़ा होना कि इसे पहली बार राज्यों के साथ साझा किया जाएगा और वैट के इतिहास के पहले वर्ष में, जिसे कुछ माननीय सदस्यों ने हमें याद दिलाया था, दोहराया जा रहा है कि शायद आपके पास कोई राज्य नहीं होगा जैसा कि वैट के मामले में अज्ञात का डर था। अज्ञात भय यह था कि यदि कराधान की कोई नई प्रणाली आएगी तो क्या मेरा कराधान कम हो जाएगा। यह प्रमाण इस तथ्य से झुठलाया और झुठलाया गया कि प्रत्येक राज्य का राजस्व बढ़ा और यहां तक कि जिन राज्यों ने सोचा था कि इसमें कमी आएगी, उन्हें भी लाभ होने लगा।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

महताब जी ने स्थायी समिति के संशोधित बैंक मॉडल के बारे में कहा है। उस भाग के संबंध में कृपया याद रखें कि हम इस संविधान संशोधन के माध्यम से न केवल केंद्र की शक्तियों में संशोधन कर रहे हैं, बल्कि हम राज्य की शक्तियों में भी संशोधन कर रहे हैं और इसलिए यह सहकारी संघवाद है जो संवैधानिक रूप से लागू है। संसद एक बात तय कर सकती है लेकिन राज्य सहमत नहीं होंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि स्थायी समिति में राज्य पार्टी आधार पर विभाजन, विभाजित करना नहीं हैं। सभी राज्य अपने रुचि को लेकर संबद्ध थे। पश्चिम बंगाल का एक सदस्य उपभोग करने वाले राज्य के रुचि को लेकर संबद्ध होगा। तमिलनाडु या गुजरात एक विनिर्माण राज्य के रुचि से संबद्ध होंगे। महाराष्ट्र उनके चुंगी वगैरह को लेकर संबद्ध

था। अब, जब ये वित्त मंत्रियों के पास गए तो संशोधित बैंक मॉडल का वह हिस्सा अधिकार प्राप्त समिति के पास चला गया। अधिकार प्राप्त समिति ने सर्वसम्मति से, एकमत होकर असहमति जताई। अब, यदि राज्य सर्वसम्मति से, एकमत होकर इससे असहमत हैं तो क्या संसद या केंद्र के लिए यह कहना संभव है कि हमें अपनी इच्छा राज्यों पर थोपनी चाहिए? यह संभव नहीं है।

तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ......(व्यवधान) श्री प्रेमचन्द्रन, मुझे यह बात पूरी करने दीजिए और फिर मैं आपकी बात मानूंगा।

अब सर्विस कर राज्यों के पास जाएगा। पेट्रोलियम और अल्कोहल पहले से ही राज्यों के पास हैं। एक फीसदी अतिरिक्त कर राज्यों को जायेगा। मैं किसी भी राज्य के घाटे में होने की संभावना नहीं देखता हूं, और यदि कोई राज्य घाटे में है, तो संविधान संशोधन स्वयं खंड 19 में कहता है कि जहां तक राज्यों का सवाल है, केंद्र पांच साल तक उस नुकसान को कम करता रहेगा।

डॉ. एम. थंबीदुरई: आप बता रहे हैं कि पेट्रोलियम अब जीएसटी के अंतर्गत है।

श्री अरुण जेटली: नहीं, महोदय। मुझे बस स्पष्ट करने दीजिये।

संविधान संशोधन एक सक्षम संशोधन है। एक सक्षम प्रावधान के तहत शराब नहीं आती है लेकिन पेट्रोलियम आता है। लेकिन संविधान संशोधन स्वयं कहता है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर जारी रखने का अधिकार राज्यों के पास जारी रहेगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक जीएसटी परिषद सहमत नहीं हो जाती और जीएसटी परिषद् को सहमत होने के लिए आपको तीन-चौथाई जनादेश की आवश्यकता होती है। इसलिए केंद्र फैसला नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक तिहाई मत है।

डॉ. एम. थंबीदुरई: अब चाहे यह एक तिहाई हो अथवा दो तिहाई या तीन चौथाई इसका मतलब है कि आप निर्णायक कारक हैं। वहां आपके पास वीटो अधिकार है। इसलिए हम आपत्ति जता रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: मैं इस एक तिहाई और दो तिहाई मुद्दा का उत्तर दूंगा। श्री भर्तृहरि महताब ने यह प्रश्न उठाया है।

श्री भर्तृहरि महताब : यह पूर्णतः सैद्धांतिक बात है।

श्री अरुण जेटली: महताब जी, चूंकि आपने इसे उठाया है तो मुझे सीधे इससे मिलने दीजिए। आज, इनमें से अधिकांश कराधान केंद्र द्वारा अकेले तय किए जाते हैं। कुछ कर, जो राज्यों को अपर्याप्त लगते हैं, सहकारी संघवाद के इस मॉडल द्वारा राज्यों द्वारा तय किए जाते हैं। यह मेरा मॉडल नहीं है। जब एनडीए थी तब इसका जन्म नहीं हुआ था। जब पिछली सरकार सत्ता में थी तो इसे लाया गया था।

डॉ. एम. थंबीदुरई: हमने यूपीए सरकार के मॉडल का भी विरोध किया था। हम इस जीएसटी के साथ एनडीए सरकार के मॉडल का भी विरोध करते हैं।

श्री अरुण जेटली: मैं आपको बताऊंगा। इस एक-तिहाई और दो-तिहाई मॉडल के साथ अन्य सभी स्थायी समिति की सिफारिशें, जिन्हें मैंने स्वीकृत कर लिया है, मेरे पास मूल फ़ाइल है। मैडम, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने किसी सहकर्मी से इन कागजात को मेरे साथ साझा करने का अनुरोध करें क्योंकि आखिरकार आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। जब स्थायी समिति ने इसकी अनुशंसा की तो आपके अपने वित्त मंत्री ने इनमें से प्रत्येक संशोधन को मंजूरी दे दी। अब आप मुझे इसे वित्त समिति को वापस भेजने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी स्थिति में स्थिरता की आवश्यकता होगी कि राज्यों में आखिरकार आपकी पार्टी सत्ता में है। मेरे पास आप सभी मुख्यमंत्रियों के भाषण हैं। आज मेरे पास माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, श्री पी. चिदम्बरम और आपके मुख्यमंत्रियों के भाषण हैं।

श्रीमती सोनिया गांधी:आपकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या?

श्री अरुण जेटली: हां हमारे पास है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपने प्रधान मंत्री एक मुख्यमंत्री के रूप में इसके खिलाफ थे।

श्री अरुण जेटली: महोदया, मेरा सम्मानजनक प्रस्तुत करना, निवेदन यह है कि जीएसटी को यूपीए-एनडीए मुद्दा के रूप में लेना पूरी तरह से गलत है। जीएसटी केंद्र-राज्य का मुद्दा था। राज्यों के बीच, आपके पास समान राजनीतिक दलों के राज्य थे जिनमें से कुछ जीएसटी का समर्थन कर रहे थे और कुछ जीएसटी का विरोध कर रहे थे। ऐसा क्यों किया गया इसका औचित्य समझना बिना आप यह प्रश्न उठा रहे हैं। विनिर्माण राज्य होने के

नाते गुजरात का रुख और तमिलनाडु का रुख एक समान था। उन्होंने कहा कि विनिर्माण राज्यों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। गुजरात तब तैयार हुआ जब हमने उन्हें पूरा पैकेज दिया और इसमें शामिल पैकेज यह था कि पाँच साल तक हम नुकसान उठाएंगे और दो साल तक हम उन्हें अतिरिक्त कर देंगे। फिर, पेट्रोलियम और अल्कोहल को राज्यों के पास रखा जाता है। इसलिए, विनिर्माण राज्यों को यह आराम स्तर दिया गया था।

मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वर्तमान एनडीए सरकार के दौरान भी आप अपने मुख्यमंत्रियों से पूछें, यह पैकेज दिए जाने के बाद ही कुछ विनिर्माण राज्य शामिल हुए थे और गुजरात अंतिम राज्यों में से था। यह यूपीए या एनडीए के मुद्दे के कारण नहीं है, बल्कि असली मुद्दा विनिर्माण राज्यों और उपभोक्ता राज्यों के बीच था। यदि आप उस अंतर को महसूस करना हैं तो मुझे लगता है कि प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा।

महताब जी इस मुद्दा को उठा रहे हैं और थंबीदुरई जी ने अभी एक-तिहाई और दो-तिहाई के स्वरूप के बारे में मुद्दा का उल्लेख किया है। हम सहकारी संघवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं। संघवाद का मतलब मजबूत राज्य है लेकिन इसका मतलब कमजोर केंद्र नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। इसलिए, आप चाहते हैं कि संघ की पहचान इतनी कमजोर कर दी जाए कि आप जो कह रहे हैं उसका प्रभाव यह होगा - इस शब्द का उपयोग करने के लिए मुझे क्षमा करें - यदि इस मॉडल पर काम नहीं किया गया तो 'परिणाम' इतना बड़ा होगा। मैं स्थायी समिति या यूपीए सरकार में जो भी इसे मंजूरी दे रहा था और मॉडल पर काम कर रहा था, उसकी सराहना करूंगा - एक तिहाई शक्ति केंद्र के पास है और दो तिहाई राज्यों के पास है। साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हर फ़ैसला तीन-चौथाई से होगा। इसलिए, आवश्यक रूप से सहकारी संघवाद लागू होगा कि राज्यों और केंद्र को एक साथ काम करने के लिए 3/4 तक पहुंचना होगा।

श्री भर्तृहरि महताब: इसका श्रेय आपकी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार को जाएगा।

श्री अरुण जेटली: मुझे पता है कि स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे, मैं उन्हें जरूर बताऊंगा।

तीन-चौथाई तक पहुंचने के लिए एक-तिहाई और दो-तिहाई के इस मॉडल को एकीकृत करना होगा। अन्यथा, जिस मॉडल में आप राज्यों को एक साथ आने का सुझाव दे रहे हैं और कहते हैं कि अब से केंद्र को कोई कर नहीं मिलेगा, यह केवल राज्यों को जाएगा। तो फिर राज्यों के संघ भारत का क्या होगा? आपके पास

केवल वे राज्य हैं जिनके पास केंद्र का कोई राजस्व नहीं है, उन्हें वोट से बाहर कर दिया गया है। ......(व्यवधान) तो यह वीटो नहीं है।

डॉ. एम. थंबीदुरई: मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन, आप राज्यों की शक्तियां नहीं छीन सकते। आप राज्यों की शक्तियां छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ......(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं आपको बता दूं कि क्या कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिस पर हमें गर्व है, वह है राज्यों को सशक्त बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने ऐसा 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में कहा है और मैं इस संदर्भ में भी ऐसा कहता हूं कि 14वें वित्त आयोग के परिणामस्वरूप भी राज्य को राजस्व की हानि नहीं होगी, उसे 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राजस्व से अधिक लाभ होगा। दूसरे, अभी हमने वचनबद्ध किया गया जो पैकेज लिया है, उससे राज्यों को भी सशक्त करना और उनका राजस्व भी कहीं अधिक होगा। उपभोग राज्यों को अधिक राजस्व मिलेगा क्योंकि उन्हें अपने विकास, वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन विनिर्माण राज्यों को हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके राजस्व में कोई कमी न हो।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, आप विनिर्माण राज्यों और उपभोक्ता राज्यों के मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं। उपभोक्ता राज्य इस उम्मीद से इस विधेयक का पूरा प्रत्याशा कर रहे हैं कि उन्हें अधिक राजस्व मिलेगा। लेकिन अधिकांश राज्यों द्वारा 279ए खंड 1 उप-खंड *(सी)* के संबंध में पहले ही चिंता व्यक्त की जा चुकी है, जो आपूर्ति के स्थान के संबंध में है। मैं सभी उपभोक्ता राज्यों की ओर से बात कर रहा हूं। उपभोक्ता राज्यों के लिए एकमात्र लाभ यह है कि अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के कारण उन्हें अधिक राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य से, खंड (सी) के प्रावधान के आधार पर, के कारण, आपूर्ति का स्थान जीएसटी परिषद की सलाह के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि ऐसा है तो जिस लाभ की हम आशा कर रहे हैं वह भी समाप्त हो जाएगा यदि जीएसटी परिषद व्यवहार में आने पर आपूर्ति के स्थान के लिए, के विषय में एक अलग दृष्टिकोण अपना रही है। उपभोक्ता राज्यों द्वारा यही शंका व्यक्त की गई थीं।

धन्यवाद।

श्री अरुण जेटली: महोदया, उपभोक्ता राज्यों की चिंता के बारे में मैंने स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन विनिर्माण राज्यों की चिंता को इस प्रतिशत अतिरिक्त कर द्वारा संबोधित किया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि इसका कोई व्यापक प्रभाव न हो। श्री प्रेमचन्द्रन ने कुछ मुद्दे को जीएसटी परिषद् के विवेक पर भी छोड़ दिया।

ये सभी विधान तीन अधीनस्थ विधान जो सामान्य कानून होंगे उन्हें उन लोगों द्वारा अनुमोदित करना होगा। हम उनके विचार के बिना इसे लागू नहीं कर सकते और जब वे इसे औजार लागू करना तो इन सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा।

दूसरी बहुत वास्तविक चिंता जो कुछ माननीय सदस्यों ने उठाई है वह यह है कि एक आंकड़ा उछाला जा रहा है। क्या यह 27 प्रतिशत होगा? और 27 प्रतिशत आरएनआर राजस्व तटस्थ दर, भाव अधिक होने वाली है। इसलिए लागत और कीमत दोनों ही बढ़ जाएगी। मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि 27 फीसदी बहुत ज्यादा होगा सरकार या जीएसटी परिषद् ने यह आंकड़ा नहीं दिया है। एक विशेष संगठन ने अपने आंतरिक मूल्यांकन में इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि राजस्व तटस्थ दर, भाव क्या है। वह इनपुट में से एक होगा। यह लीक हो गया और किसी ने कहा कि यह 26.8 प्रतिशत था। इस तरह 27 फीसदी का यह आंकड़ा पैदा

हुआ। 27 फीसदी का यह आंकड़ा सामने आने के बाद राज्यों और केंद्र ने फिलहाल शराब को बाहर रखने का फैसला किया है। हमने पेट्रोलियम को बाहर रखने का फैसला किया है। फिर, हर राज्य के वित्त मंत्री को अपने ही लोगों पर अधिक कर लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही केन्द्रीय सरकार को। इसलिए, जो आंकड़ा बताया गया है, उसकी तुलना में यह आंकड़ा बहुत अधिक पतला होने वाला है। ये वो दरें हैं जो जीएसटी परिषद् द्वारा ही तय की जाएंगी।

प्रो. सौगत राय (दम दम): आपका बॉलपार्क आंकड़ा क्या है?

श्री अरुण जेटली: मैं आपको केवल बता सकता हूं कि मैं अटकलें लगाने के बजाय खुद को प्रतिबद्ध नहीं करूंगा। 13वें वित्त आयोग ने संभावित आंकड़े के रूप में 18 प्रतिशत का सुझाव दिया था। इसलिए लोग सुझाव देते हैं कि ये बड़ी आकृतियाँ हैं। इस आंकड़े में कराधान की पूरी राशि शामिल करना। यह कुछ ऐसा है जो हमारे स्वाभाविक लाभ के लिए है। इस पर काम करना होगा।

अब, खंड 19 के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार कानून द्वारा यह प्रावधान करेगी और वह मुआवजा आदि का भुगतान कर सकती है कि 'हो सकता है' शब्द 'करेगा' हो जाना चाहिए। अब, संवैधानिक भाषा में जब मई को कर्त्तव्य के साथ जोड़ा जाता है, जब विवेक को शुल्क के साथ जोड़ा जाता है तो मई हमेशा 'होगा' के बराबर होता है। वह विधायी प्रारूपण की भाषा है। मैं इस सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि राज्यों के साथ हमारी स्पष्ट समझ है, और हम इस कथन पर कायम हैं कि पांच साल तक जिस तरीके से उन्होंने तय किया है कि किसी भी राज्य को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी और ऐसी स्थिति अंततः नहीं होगी। आना।

प्रो. सौगत राय: संदेह दूर करने के लिए बदलाव किया जा सकता है।

श्री अरुण जेटली: *दादा*, सैकड़ों-सैकड़ों कानून हैं और इसकी एक स्थापित व्याख्या है। यदि श्री कल्याण बनर्जी यहां होते तो उन्होंने आपको बताया होता कि संवैधानिक भाषा में 'हो सकता है' और 'करेगा' के बीच का अंतर तब मिट जाता है जब 'हो सकता है' को कर्तव्य के साथ जोड़ दिया जाता है। वे पर्यायवाची हैं।

अगला प्रश्न जो उठाया गया वह सीएसटी क्षतिपूर्ति के बारे में था। अब, सीएसटी क्षतिपूर्ति पर यह राज्यों से वर्ष 2010 में की गई एक गंभीर प्रतिबद्धता थी कि आप अपना कराधान घटाकर दो प्रतिशत कर दें और इसलिए तीन साल के लिए आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी। यही सहमति है। अब वर्ष 2014-15 तक राज्यों को कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। राज्यों के साथ नहीं आने का एक कारण यह था कि केंद्र ने उन्हें तीन साल के क्षतिपूर्ति का वादा किया था, लेकिन केंद्र उस पर खरा नहीं उतरा। मेरी अधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठक हुई और मैंने कहा कि भले ही यह पिछली सरकार से संबंधित है, और सरकार एक सतत पहचान है, मैं उस पूरे पैसे की भरपाई करने का वचन देता हूं।

इसलिए, चूंकि बजटीय दबाव के कारण इसे एक वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए हम एक ऐसी व्यवस्था पर आए हैं जहां उन्हें तीन वर्षों में एक तिहाई का भुगतान किया जाएगा। पहले एक-तिहाई का भुगतान पिछले वित्तीय एक वर्ष में किया जा चुका है, अगले एक-तिहाई का भुगतान इस वर्ष दो किश्तों में किया जाएगा यानी पहले भाग में और दूसरा दूसरे भाग में और मैंने राज्य को यह आश्वासन दिया था। और सीएसटी मुआवजे का तीसरा शेष अवशेष धन जो भुगतान नहीं किया गया था, वर्ष 2016-2017 में भुगतान किया जाएगा। तो राज्यों का सारा पैसा केंद्र के इशारे पर ही चल रहा है।

तमिलनाडु के माननीय सदस्यों द्वारा तम्बाकू लाए जाने के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। अब, शराब और तम्बाकू दोनों अवगुण वस्तुएँ हैं और जहाँ तक शराब का संबंध है, राज्य उन पर शुल्क लगाना जारी रखने का अपना अधिकार चाहते हैं। आज, जहां तक केंद्रीय जीएसटी का संबद्ध है, केंद्र तंबाकू पर उत्पाद शुल्क ले रहा है। केंद्र स्वास्थ्य आदि कारणों से इसे लगाता है और इसकी अधिकार अपने पास रखता है। अब, एक अवगुण अच्छा है जहां अधिकार विशेष रूप से राज्यों के पास है और एक और अवगुण अच्छा है जहां अधिकार पूरी तरह से केंद्र के पास है। वह *यथास्थिति* बनी हुई है और जहां तक तंबाकू का संबद्ध है, शराब की तुलना में राजस्व बहुत कम है। ......(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: पश्चिम बंगाल में हम तंबाकू पर लक्जरी टैक्स लेते हैं। इसलिए, जब तक आप अधिकार नहीं देंगे, हमें हार माननी होगी।

श्री अरुण जेटली: *दादा*, आप जैसे लोग जो अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, वे इस विलासिता में शामिल न हों। यह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। केन्द्रीय कक्ष के बगल में एक धूम्रपान कक्ष है जहां प्रो. सौगत राय सबसे अधिक बार आगंतुक हैं जिन्हें मैं देखता हूं। इसलिए, इस विलासिता में शामिल न हों और मुझे लगता है कि आपकी सरकार उस विलासिता में शामिल होने के लिए आपसे शुल्क वसूल कर अच्छा कर रही है।

यह प्रश्न महाराष्ट्र के माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है और उनमें से कुछ ने प्रवेश कर के संबंध में विचार करना है। अब, जब इन सभी करों को जीएसटी में समाहित कर दिया जाएगा तो इसका प्रभाव यह होगा कि नगर पालिकाओं को वित्त पोषित कैसे किया जाएगा? यह एक वैध प्रश्न है और इसलिए नगर पालिकाओं की फंडिंग जो नगर पालिका संविधान के तहत नगर पालिका शुल्क के साथ करती है जैसे साधारण कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर नगर पालिकाओं के पास रहेगी। दूसरे, वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह में जो बाधा है, उसे जीएसटी के साथ समाप्त करना होगा। अन्यथा, जीएसटी अर्थहीन हो जाता है।

अब, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, जहां मैंने आंकड़ों की गणना की है, जहां सभी नगर पालिकाओं को इंदराज, प्रविष्टिकर पर चारों ओर 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। यह सेवा कर से सीधे देश की सबसे बड़ी राशि प्राप्त करता है,जो महाराष्ट्र को भी जाती है। फिर इस फीसदी अतिरिक्त कर से उसे काफी फायदा होता है और वह फीसदी के दायरे में अतिरिक्त एसजीएसटी उद्ग्रहण, वसूली, शुल्क का भी हकदार है। अब, यदि आप इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं, तो महाराष्ट्र को होने वाले लाभ की मात्रा उस राशि से कहीं अधिक होगी जो उन्हें प्रवेश कर पर नुकसान होता है। इसलिए, प्रत्येक राज्य के लिए और हम राज्यों को तदनुसार सलाह देंगे, अधिमानत: विधान, विधिनिर्माण द्वारा क्योंकि वहां एक राज्य वित्त आयोग भी है। केंद्रीय वित्त आयोग अब नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए 14वां वित्त आयोग है, जिसने अलग से धन स्वीकृत किया है। अब, राज्य के करों की कुल राशि और केंद्र के विभाज्य पूल से राज्यों को जो मिलता है, उसमें से राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए एक निश्चित राशि की सिफारिश करता है। यदि राज्य को 73वें और 74वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए *स्थानीय निकायों* के प्रति अपनी विश्वसनीयता दिखानी है तो राज्य विधायी रूप से यह प्रदान कर सकते हैं। यह एक अनुबंध या सार्वजनिक नीति द्वारा यह प्रदान कर सकता है और हम महाराष्ट्र जैसे राज्यों

को तदनुसार कार्य करने की सलाह देंगे ताकि सभी नगर पालिकाओं का भविष्य ऐसा हो कि उन्हें ऐसे किसी भी बदलाव के कारण राजस्व की कमी न हो। ......(व्यवधान)

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर): महोदया, क्या मैं आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न पर इस मामले में हस्तक्षेप करना, अंत:क्षेप करना कर सकता हूं।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) महोदया, मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: पिछले संशोधन में एक प्रावधान था कि यह राज्यों को बिक्री के उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर केवल पंचायत या नगर पालिका द्वारा लगाए गए सीमा तक कर लगाने की अनुमति देता था। यह विधेयक विधि आपने जो उल्लेख किया है उसे हटा देता है। आप कहते हैं कि आप उन्हें सलाह देंगे। लेकिन यह संविधान के सत्तर-तीसरे और सत्तर-चौथा संशोधन की मूल भावना को ही ख़त्म कर देगा। प्रत्याभूति, गारंटी कहां है? संविधान में तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधन केवल नगर पालिकाओं और सभी स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों की दया से दूर करने के लिए पेश किए गए थे, और आप उन्हें फिर से राज्य सरकारों की दया पर डाल रहे हैं। यह मूलभूत परिवर्तन है जो निश्चित रूप से सत्तर-तीसरे और सत्तर-चौथा संशोधन के प्रभाव को समाप्त कर देगा।

श्री अरुण जेटली: मोइली साहिब आइए इस प्रश्न की निष्पक्षता से जांचना। कराधान में एकरूपता का उद्देश्य एक संरचना है। आज मुख्यतः दो ही राज्य ऐसे हैं जहां प्रविष्टि, इंदराज कर लागू है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : आपको उन्हें संवैधानिक रूप से गारंटी देनी होगी।

श्री अरुण जेटली: अधिकांश राज्यों ने प्रविष्टि, इंदराज कर समाप्त कर दिया है। दो राज्य जहां यह मुख्य रूप से रहता है वे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक।

श्री भर्तृहरि महताब: उन्होंने चुंगी ख़त्म कर दी है लेकिन इंदराज, प्रविष्टि कर अभी भी है।

श्री अरुण जेटली: चुंगी अधिकतर हटा दी गई है। अब, अधिकांश राज्यों में यदि आप वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह के रास्ते में बाधाएँ डालते रहेंगे तो एक समान कर का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। फिर यह मेरा प्रस्ताव, प्रस्थापना (विधि) नहीं है। कृपया आकर आपकी सरकार के दौरान चली गई फाइल का परीक्षा

लेना। स्थायी समिति ने सिफारिश की कि इंदराज कर को जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। आपके वित्त मंत्री ने कहा, "हां, यह करना होगा। अन्यथा जीएसटी अर्थहीन हो जायेगा अब, जब मैं उठाता हूं, तो आप कहते हैं कि मैं सत्तर-तीसरे और सत्तर-चौथा संशोधन की भावना को पराजित कर रहा हूं। हमें यह आपत्ति केवल इसलिए नहीं उठानी चाहिए कि सरकार बदल गई है। यह आपका प्रस्ताव, प्रस्थापना (विधि) है। कम से कम उस मंत्रिमंडल के प्रस्ताव, प्रस्थापना (विधि) के प्रति तो ईमानदार रहें, जिसके आप सदस्य थे।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : यह मेरा तर्क नहीं है। मैं प्रविष्टि, इंदराज कर और अन्य चीजें समझ सकता हूं। आपको संविधान में यह गारंटी देनी होगी कि स्थानीय निकायों के लिए जो मात्रा निर्धारित है, वह सुनिश्चित हो। लेकिन इस संविधान, गठन, देश की शासन व्यव्सथा(संशोधन) विधेयक बशर्ते, यह कि वह प्रत्याभूति, गारंटी प्रदान नहीं की गई है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, नगर पालिकाएँ और पंचायतें राज्य सरकारों के अधीन चलती हैं। उनका विधिनिर्माण, विधान राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब, राज्यों की यह कहने की शक्ति को न छीनें कि केंद्र नगर पालिकाओं के वित्त पोषण के संबंध में कानून बनाएगा। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा कहीं नहीं हो सकता। इसलिए, यदि आप और हम दोनों प्रतिबद्ध हैं तो हमें या तो विधान द्वारा या एक संविदात्मक नीति द्वारा प्रतिबद्ध होने दें कि हम नगर पालिकाओं को बताएं कि यह उनकी वित्त पोषण का स्तर है। हमारे सभी राज्य ऐसा करेंगे। जहां तक हमारी नगर पालिकाओं का संबद्ध है तो हमें उन्हें भूखा मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री आनंदराव अडसुल: एंट्री टैक्स के संबंध में अभी माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में एक वैध व्यवस्था होगी। मैं इसे स्वीकार करती हूं। दूसरे, शहर में प्रवेश करने वाले अवैध सामान पर स्वत: प्रतिबंध लग जाता है। उसके लिए क्या प्रयोजन, उद्देश्य होगी? तीसरा, यदि जीएसटी एक स्थानीय निकाय है, यानी नगर निगम है, चाहे वह मुंबई हो अथवा कोई अन्य महानगरीय नगर निगम, जीएसटी परिषद में कम से कम एक सदस्य होना चाहिए जो मेयर नगर आयुक्त या अन्य हो सकता है।

श्री अरूण जेटली:महोदय, यह एक अच्छा मुद्दा है जिसे श्री अडसुल ने उठाया है। जीएसटी में हमारा संबद्ध केंद्र और राज्यों से है। राज्यों के भीतर 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों के पास नगर पालिकाओं को वित्त पोषित करने के तरीके पर एक उप-पैनल होना चाहिए। राज्यों के भीतर जब आप अपने राज्य में इस प्रकार का विकेंद्रीकरण करते हैं तो नगर पालिकाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यहां तक कि कानून द्वारा भी आप यह प्रदान कर सकते हैं कि नगर पालिकाओं को वित्त पोषण का वैकल्पिक रूप कैसे होना चाहिए क्योंकि हमें उन राज्यों में उन्हें जीवित रखना है। इसलिए, जहां तक जीएसटी का संबद्ध है, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो यह 12 साल का अभ्यास है। एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने इसका प्रायश्चित किया है। अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी संस्तुति कर दी है। व्यापक सर्वसम्मति बन गई है। यहां तक कि तमिलनाडु के माननीय सदस्य जो बोलते थे और उनके माननीय मंत्री जो आते थे, हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम तमिलनाडु जैसे विनिर्माण राज्य को एक आरामदायक स्तर दें कि एक भी दिन तमिलनाडु को किसी भी प्रकार के नुकसान में नहीं रखा जाएगा। या राजस्व की हानि। यदि यह एक अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है तो इसे अपने आप में सर्वश्रेष्ठ सुधार करना होगा। हम निश्चित तौर पर उनका सहयोग करेंगे। ......(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : आपने मैन्यूफैक्चरिंग स्टेट का कंसर्न तो ले लिया है, लेकिन पंजाब फूड ग्रेन प्रोड्यूसर स्टेट है। देश में एक ही ऐसा स्टेट है, जहां परचेज टैक्स लगता है, इसके लिए हम चाहते हैं कि कमिटमेन्ट हो।

श्री अरूण जेटली: पंजाब और हरियाणा जहां फूड ग्रेन की पैदावार ज्यादा होती है, वहां पर जो सेन्टर प्रोक्योरमेन्ट करता है, स्टेट फूड ग्रेन के ऊपर, प्रोक्योरमेन्ट के ऊपर टैक्स लगाती है। हम ने उसके पूरे कैलकुलेशन किए हैं, आपके दोनो राज्यों के जो वजीर हैं, हमने उनके साथ बैठ कर भी यह किया है, जो बाकी सारे कॉम्पैनसैशन पैकेज में राज्य को मिलने वाला है, कई तरह की टैक्सेज की वाल्यूम इंक्रीज होनी है, सर्विसेज टैक्स इंक्रीज होना है, उसके बावजूद भी राज्य को घाटा हुआ तो हम लोग उसे पूरा करेंगे। यह भी बिल कॉंस्टीट्यूशन अमैंडमेन्ट में रख दिया है। हम ने उसको मद्देनजर रखा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे प्रश्न-उत्तर करेंगे तो कैसे सदन चलेगा।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: पंजाब का ड्यूल कैरेक्टर है। पंजाब एग्रीकल्चरल स्टेट है। अगर आप लुधियाना और जालंधर के आस-पास के क्षेत्र को देखेंगे तो पंजाब मैन्यूफैक्चरिंग स्टेट भी है। अगर आप हरियाणा को देखेंगे तो हरियाणा में जो परचेज टैक्स का नुकसान होगा, वहां गुड़गांव जैसा शहर आ गया है, सर्विस टैक्स में उनको इतना लाभ होने वाला है कि उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर दोनों राज्यों में परचेज टैक्स की वजह से थोड़ा घाटा भी होता है तो उसकी पूर्ति केन्द्र करने वाला है, यह एक्ट में लिखा है। हम ने राज्यों को एक प्रतिशत एडीशनल टैक्स लगाने के लिए कहा है, जो मैन्यूफैक्चरिंग स्टेट पर लागू होता है, वह दोनों परचेज टैक्स वाली स्टेट्स पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी लागू होता है।

[अनुवाद]

मुझे बस इतना ही कहना था। मैं निश्चित रूप से सदस्यों से इस संविधान, गठन, देश की शासन व्यव्सथा संशोधन को मंजूरी देने का अनुमोदन करना क्योंकि यह 1बहुत लंबे समय से लंबित, विचाराधीन है।

माननीय अध्यक्ष: आपकी पार्टी से केवल एक ही व्यक्ति बोलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको 'ना' नहीं कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री एम वीरप्पा मोइली: माननीय अध्यक्ष महोदया, विधि, रूपरेखा यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है। लेकिन साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह एक दोषरहित कर शासन-काल हो। लेकिन हम जो संशोधन करने जा रहे हैं, उससे राज्य और राज्य के बीच और अधिक वैमनस्य बढ़ गया है। इसलिए मैं चाहता था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रस्तावित कर की संरचना और संचालन की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त किए बिना संशोधन को पारित करने की मांग की गई है। छूट, दर संरचना, प्रशासनिक तंत्र, मुआवजे के लिए तंत्र, राजस्व हानि, निर्बाध इनपुट कर क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए तंत्र और अंतर-राज्य दायरे के साथ सेवा कर को विभाजित करने के लिए

आपूर्ति नियम के स्थान के आवेदन को निर्धारित करने में काफी काम किया जाना है। इससे भी अधिक अगर कोई चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा, यात्रा करना दिल्ली से ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदता है, तो किस राज्य को सेवा कर का हिस्सा मिलेगा? यह किसी की दया पर निर्भर नहीं हो सकता। 29 राज्य और दो संघ राज्यक्षेत्र हैं और एक तरफ केंद्र और राज्यों का हित तथा दूसरी तरफ उत्पादन और उपभोग करने वाले राज्यों का हित असंगत हो सकता है। उभरती संरचना समझौतों पर आधारित होगी। इसीलिए पहले इसमें सर्वसम्मति बशर्ते, यह कि प्रावधान किया गया था। आप राज्यों और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र के बीच इन सभी परस्पर विरोधी हितों के साथ समझौता कैसे करते हैं? ......(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: यदि यह स्थिति है कि उस स्तर पर इसने आम सर्वसम्मति बशर्ते, यह कि प्रावधान किया तो श्री चिदम्बरम फाइल पर इस एक/तिहाई, दो/तिहाई आधार पर क्यों सहमत हुए? वह आपका प्रस्थापना (विधि), प्रस्ताव था, आपके मंत्री जी।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: एक वित्त मंत्री दूसरे वित्त मंत्री के लिए सहमत हैं। ......(व्यवधान) मान लीजिए कि इसे संशोधन के लिए कैबिनेट में लाया गया होता तो हम सहमत नहीं होते। ......(व्यवधान) कृपया पिछले मंत्री के अधीन आश्रय न लें।

श्री अरुण जेटली: आप अपने दोनों वित्त मंत्रियों को अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन देश उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता।

माननीय अध्यक्ष: केवल स्पष्टीकरण की अनुमत है और जो आपने मांगा है। वह इसका जवाब देंगे।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अंततः यह संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की मूल भावना को पराजित कर देगा।

माननीय अध्यक्ष: वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: एक और मुद्दा यह है कि अब जो संशोधन मांगा गया है वह जीएसटी परिषद् की शक्तियों को बढ़ाता है। संस्तुति से उत्पन्न विवाद के समाधान के संबंध में, कौन सी परिषद् अपने निर्णय को रद्द कर देगी? एक बार निर्णय लेने के बाद उसी निकाय को ऐसा करने के लिए कहा जाता है। यहां तक कि स्थायी

समिति ने भी सिफारिश की कि विवाद को संकल्प करना, निश्चय करना के लिए कोई तंत्र होना चाहिए। वह बशर्ते, यह कि नहीं कराया गया है। महोदया, इतनी सारी जटिलताओं को देखते हुए इससे और अधिक वैमनस्य पैदा होगा। मुझे डर है कि जटिलताओं के कारण मौन सहमति नहीं बढ़ पाएगा।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अर्थ मंत्री की ओर से एक इम्प्रैशन आ रहा है कि कांग्रेस इस बिल को औपोज़ कर रही है और एक नई दिशा में जा रही है। इस हाउस में स्टैंडिंग कमेटी को रैफर करने का ऐसा कोई प्रिसिडैंट नहीं था। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि कम्पनी बिल 2009 से 2011 तक कितनी बार रीइंट्रोड्या◌ूस हुआ और कितनी बार स्टैंडिंग कमेटी में गया, यह आप जानते हैं। वह बिल 3-4 बार स्टैंडिंग कमेटी में गया। यहां हमारा रिपिटेडली एक ही निवेदन था। हम उनके उत्तर से समझे थे, वे बार-बार स्टैंडिंग कमेटी का रैफरैंस दे रहे हैं। आपने स्टैंडिंग कमेटी की सारी रिकमैंडेशन्स नहीं मानीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने क्लॉज़ 9 की रिकमैंडेशन नहीं मानी, क्लॉज़ 17 की नहीं मानी, 17 के एक और क्लॉज़ पर नहीं माना। आपने 4-5 रिकमैंडेशन्स नहीं मानीं, लेकिन जो 2-4 मानी हैं, उनके बारे में वे जो कह रहे हैं, हम उसे मानते हैं। उन्होंने जो नहीं माना, इसीलिए हमारा कहना है कि आपने 1993 में इसी सदन में एक निर्णय लिया था कि जब कभी ऐसा वक्त आता है, जब कभी ऐसी चीजों पर बहस होती है, उसे गंभीरता से लेने के लिए ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था ताकि वहां पर डिटेल में चर्चा हो और उसके बाद वह सदन में आए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप एक महीने, दो महीने का समय दे सकते हैं। उतने समय में स्टैंडिंग कमेटी से वापिस आकर यह एक्ट बन सकता है। इस सदन में 325 नए सदस्य हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे बिल रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत पास होते हैं। उन पर डिसकशन होती है। इसमें जो आठ नई चीजें आई हैं, उनके बारे में बहस होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए था। मंत्री जी इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं। हमें इससे सैटिसफैक्शन नहीं है। हम प्रोटैस्ट करते हैं, इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते और वॉक आउट करते हैं।

<u>अपराह्न 01.35 बजे</u>

इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से चले गये।

[अनुवाद]

डॉ. एम. थंबीदुरई: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने कई बार तमिलनाडु को होने वाले राजस्व नुकसान के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने यूपीए सरकार के समय से ही इस विधेयक का विरोध किया है क्योंकि यह हमारे राज्य के हित के खिलाफ है। उसके कारण, हमारी नेता माननीय अम्मा ने तमिलनाडु को राजस्व हानि की चिंता व्यक्त करते हुए प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को कई पत्र लिखे हैं।

हमारे वित्त मंत्री अपने उत्तर के दौरान यह कहते रहे हैं कि वह एक फार्मूला ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रतिशत कर की अनुमति दी जाएगी और क्षतिपूर्ति के लिए पांच साल की अवधि की अनुमति दी जाएगी। वो तो यही बता रहे हैं। लेकिन साथ ही वह हमें यह समझाने की स्थिति में नहीं है कि वह तमिलनाडु सरकार को राजस्व हानि के विरुद्ध गारंटी देगा। यह बात वह अभी सभा में कह सकते हैं लेकिन पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद मुआवजे की क्या गारंटी है? अगर वे इस बात को लेकर जरा भी गंभीर हैं तो उन्हें हमारी दल के सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधनों को विधेयक में ही शामिल करना चाहिए। उन्हें इन संशोधनों को गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए हम भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बिल को स्थायी समिति के पास जाने दिया जाए। यही हमारी दल का रुख है। इसलिए, हम इस सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी बिल के खिलाफ हैं, जैसे हम यूपीए सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी बिल के विरुद्ध थे।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): महोदया, बीजू जनता दल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिद्धांत, मूल रूप से वह जीएसटी का समर्थन कर रहा है। हमें इस पर कोई अनापत्ति, आपत्ति नहीं है। लेकिन देश के पूर्वी हिस्से में कुछ ऐसे राज्य हैं जो आजादी के बाद से और आजादी से पहले भी लंबे इतिहास में कुछ ऐसा पैदा कर रहे हैं जो शायद ईश्वर प्रदत्त है और वह है खनिज संपदा। माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने की जिम्मेदारी हम पर बहुत लंबे समय से डाली जा रही है और हमने देखा है कि ओडिशा, बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्व जैसे राज्यों में भी विकास प्रभावित हुआ है। यह एक ऐतिहासिक प्रस्तुत करना है जो आप कर रहे हैं और यह कोई व्यक्ति नहीं है जो वादे कर रहा है। वित्त मंत्री जब बात कर रहे होते हैं तो वह भारत के वित्त मंत्री होते

हैं, यह शाश्वत, सदैव के लिए, निरन्तर है। इसलिए, हमें उम्मीद थी कि उन राज्यों के लिए ग्रीन टैग का उल्लेख होगा जो कोयले और ऐसी अन्य गतिविधियों पर आधारित बिजली संयंत्रों के कारण खनन के प्राप्य अपनी पारिस्थितिकी के भयानक क्षरण से पीड़ित हैं।

जब आप पंजाब और हरियाणा की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं क्योंकि वे खाद्यान्न उत्पादक राज्य हैं, तो आपको विशेष रूप से ओडिशा, बंगाल, बिहार और ऐसे अन्य राज्यों की समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए जो खनिज उत्पादक राज्य भी हैं। यह आपकी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आपकी जीडीपी में भी मदद करता है। हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जल, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए सरकार को जीएसटी में ग्रीन टैग घटक को शामिल करने पर प्रस्तुत करना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इसे इसी कदम में संशोधन के रूप में लाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. करूणाकरन, यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो ही बोल सकते हैं।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदया, चर्चा, विचार-विमर्श के क्रम, पाठ्यक्रम ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसे स्थायी समिति के पास भेजना बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सदन में सामान्य चर्चा, विचार-विमर्श कर रहे हैं। जहां तक विधायी कामकाज का सवाल है, संसद सामान्य चर्चा कर रही है और इसका विवरण केवल स्थायी समिति में ही किया जा सकता है। जहां तक विधान, विधिनिर्माण का संबद्ध है, ऐसे कई उदाहरण हैं।

जहां तक इस विधेयक का संबद्ध है तो इसमें कुछ नये मुद्दे भी हैं। इतना ही नहीं, हम समिति को और अधिक शक्तियां देने जा रहे हैं। इसलिए उससे पहले इसे स्थायी समिति के पास भेजना बेहतर होगा। हमारी दल का यही मानना है। जब हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं तो हमारा अनुरोध है कि सरकार के लिए भी यह बेहतर होगा कि वह इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजे।

माननीय अध्यक्ष: वह आपकी बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब यह ठीक है। मंत्री महोदय।

...(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): हम सब यहां बैठक हैं। हम एक मुद्दा उठाना चाहते हैं ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रेमचंद्रन, आप तभी बोल सकते हैं जब आपके पास कोई स्पष्टीकरण हो।

...(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: माननीय अध्यक्ष महोदया, हम भी इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें कई मुद्दे शामिल हैं। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब यह प्रश्न, प्रश्न ही नहीं उठता। वह प्रश्न अब नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): मैं बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। ......(व्यवधान)

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला): जबकि हमारी पार्टी विधेयक का समर्थन कर रही है, केंद्र को वीटो शक्ति पर चिंता का समाधान नहीं किया गया है। ......(व्यवधान)

मुझे लगता है कि डॉ. थंबीदुरई ने यह मुद्दा भी उठाया था। वित्त मंत्री ने एक-तिहाई और दो-तिहाई अनुपात के बारे में आंकड़ों के साथ काफी स्पष्टता से बताया लेकिन वोटिंग में यह तीन-चौथाई और एक-चौथाई है। इसलिए, यह वास्तव में पुष्टि की जाती है कि केंद्र के पास वीटो अधिकार है। ......(व्यवधान) इसलिए, जब उन्होंने इसका उत्तर दिया तो उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की। अंकगणित यह दिखाता है। बस अंकगणित करो।

श्री अरुण जेटली: महोदया, यह एक चालू अभ्यास है। मैंने कहा है कि यह संविधान संशोधन केवल एक सक्षम देश की शासन व्यव्सथा संशोधन है। वास्तविक काम तीन अन्य कानूनों के तहत होगा जिन्हें मंजूरी देनी होगी। उन कानूनों को वर्ष के दौरान तैयार किया जाना है और वितरित किया जाना है, सदस्यों को एक अवसर मिलेगा, हो सकता है कि यह स्थायी समिति के पास जाए और वापस आ जाए।

अब, आपूर्ति के मूल स्थान और उसके तहत बनाए जाने वाले नियमों के संबंध में सब कुछ जीएसटी परिषद द्वारा ही तैयार किया जाना है। इन सभी विषयों पर, जिन पर काम किया जाएगा, हमें उनका कामकाज जीएसटी परिषद के विवेक पर ही छोड़ना चाहिए।

हम इसे फिर से स्थायी समिति को क्यों नहीं भेज रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकार प्राप्त समिति में हुए समझौते पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर को छोड़कर सभी बदलाव स्थायी समिति की सिफारिश पर किए गए हैं। तो, एक स्थायी समिति है; यह परिवर्तन की सिफ़ारिश करता है; मैं बदलावों को स्वीकार करता हूं और अब आप कहते हैं, 'इन बदलावों के साथ, आप इसे स्थायी समिति को भेजें। कम से कम, मेरी राजनीतिक समझ मुझे विफल कर देती है। मैं तर्क नहीं समझ सकता। प्रत्येक निर्णय को कुछ तर्कसंगतता से सूचित किया जाना चाहिए जो वहां नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंपनी अधिनियम, कंपनियाँकार्यके बारे में उल्लेख किया। कंपनी अधिनियम में, सरकार ने स्थायी समिति की प्रतिवेदन के बाद भारी संख्या में बदलाव किए और विधेयक काफी अलग था। इसलिए, इसे वापस स्थायी समिति के पास जाना पड़ा। कल, श्री मोइली ने कहा कि यह सबसे अच्छे कानूनों में से है और मैंने इस पर अपनी टिप्पणी सुरक्षित रखी है क्योंकि इस सभा के पास - दो साल के भीतर उस कार्य में कई संशोधन करने का समय था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप इसे करना मुश्किल हो रहा था। जहाँ तक भारत का सवाल है, व्यापार करो।

उत्पत्ति के नियम, आपूर्ति के नियम, दी जाने वाली छूट आदि पर विभिन्न उप-समितियां हैं जो दी जा रही हैं।

जहां तक तमिलनाडु के मेरे दोस्तों का सवाल है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने दोस्त डॉ. थंबीदुरई के नेता से भी बात की है। मैंने उनके मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री से बात की है और मुझे गहरी सराहना के साथ कहना होगा कि वे ईमानदारी से अपने राज्य के हित के बारे में चिंतित हैं। जहां तक हमारा सवाल है, तमिलनाडु राज्य का हित सर्वोपरि है क्योंकि तमिलनाडु किसी भी मानक से आर्थिक रूप से एक विकसित राज्य है। कुछ चीजें

हैं जिन्हें वह करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए, तमिलनाडु को किसी भी तरह से राजस्व का नुकसान उठाना पड़े, यह ऐसी बात है जो केंद्र के लिए भी स्वीकार्य नहीं है।

हमने इस अधिनियम के तहत जो विभिन्न योजनाएं बनाई हैं और राशि के संबंध में जो प्रावधान किए हैं, उससे तमिलनाडु को लाभ होने वाला है। मैं तमिलनाडु के सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि किसी राज्य को हमारे द्वारा तैयार किए गए मुआवजे पैकेज पर संदेह है तो हम उस पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार होंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि हर राज्य का राजस्व बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी है। उन्हें नीचे नहीं आना चाहिए। यह ऐसी चीज है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी।

जहां तक ओडिशा के हित का संबद्ध है, केंद्र में हमें *ईमानदारी* दिखानी होगी। जहां तक भारत का संबद्ध है, ओडिशा संभवतः सबसे बड़ी जनजातीय आबादी में से एक है। प्रधान मंत्री बार-बार कहते रहे हैं कि भारत के पूर्व के राज्यों को संसाधनों की आवश्यकता है क्योंकि हमें राज्यों में बड़ी जनजातीय आबादी के कारण विशेष रूप से अधिक विकास करना होगा। इसलिए, 14वें वित्त आयोग से ओडिशा को काफी लाभ हुआ है। कोयला नीलामी का पैसा ओडिशा को मिलने से ओडिशा को काफी फायदा होता है।

श्री तथागत सत्पथी: रिवर्स बिडिंग होती है।।

श्री अरुण जेटली: जहां तक अधिकार का संबद्ध है, रिवर्स बिडिंग होती है। जहां तक लोहा या एल्युमीनियम का संबद्ध है तो यह ऊपर की ओर बोली है। खनिज नीलामी से भी ओडिशा को बहुत फायदा होता है। अब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको लाभ होगा क्योंकि खनिज में रिवर्स नीलामी नहीं होती है। जहां तक खनिज का संबद्ध है तो अधिकार नहीं है। तो, आपको इनमें से प्रत्येक राज्य से लाभ होने वाला है। पूरे पैकेज से ओडिशा को सबसे अधिक लाभ होगा और यह मेरी समझना है। एक उपभोक्ता राज्य के रूप में आपको जीएसटी से काफी लाभ होने वाला है।

आपने कुछ अन्य ग्रीन टैक्स आदि के संबंध में एक प्रस्ताव रखा है क्योंकि खनन से पारिस्थितिक क्षति होती है और इसलिए पारिस्थितिक क्षति से कुछ क्षतिपूर्ति स्वयं की जानी चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, इस पहलू पर मैंने संशोधन पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष : वह अभी झुक नहीं रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: जब मैं संशोधन पेश करूंगा तो यदि आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति देना तो मैं वह बात व्यक्त करना सकता हूं। मैं यहां कहूंगा कि आप हमारी राज्य सभा को उपकर लगाने की अनुमति देना। यह विधेयक का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केंद्र कोई उपकर लगाएगा। संबंधित राज्यों को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री अरुण जेटली: अब हमारे पास कैम्पा फंड है जो ग्रीन टैक्स की तरह है क्योंकि जहां वनों की कटाई हो रही है वहां आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। इसके लिए शुद्ध मूल्य का भुगतान करना होगा और वह मूल्य बैंक खाते में पड़ा रहेगा। जहां तक राज्यों का संबद्ध है, अब हम उन निधियों को स्थानांतरित करने का एक विधान, विधिनिर्माण ला रहे हैं। यदि इसके बाद आपको लगता है कि राज्यों को अभी भी कुछ नुकसान हुआ है तो हम आपके साथ होंगे क्योंकि बड़ी जनजातीय आबादी के कारण ओडिशा को प्रगति की आवश्यकता है। उन पिछड़े इलाकों को समर्थन देने की जरूरत है। उन पूर्व भुखमरी वाले क्षेत्रों को समर्थन देने की आवश्यकता है।। इसलिए, ये सभी स्थानांतरण ओडिशा से होने के कारण ऐसी आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो सकती है। यदि यह संभवत: जीएसटी परिषद को विचार करने की अनुमति देना है और हम हमेशा वहां मौजूद हैं, भले ही इस मामले में कुछ बदलावों की आवश्यकता हो।

आखिरी प्रश्न वीटो के विचार करना था। यदि केंद्र के पास वीटो नहीं है तो राज्यों के पास वीटो है। मेरा वाक्यांश वीटो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपका वाक्यांश उधार लूं तो दोनों के पास वीटो है ताकि दोनों एक साथ काम करने के लिए मजबूर हों क्योंकि यही पूरा विचार है। तीन-चौथाई के आंकड़े तक पहुंचने के लिए एक-तिहाई और दो-तिहाई को एकीकृत होना होगा। इसलिए, किसी के पास वीटो नहीं है। इसके पीछे यही तर्क है।

महोदया, मुझे बस 1ही कहना है। ......(व्यवधान) महोदया, मैंने आपको लिखा है कि जहां तक वस्तुओं के विवरण का सवाल है, इसमें मुद्रण संबंधी त्रुटि है। हम बाद में इसे ठीक कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष : हां, आपने एक पत्र लिखा है और अब आप इसे यहां सदन में बता रहे हैं।

माननीय सदस्यों, इससे पहले कि मैं सभा में विचारार्थ प्रस्ताव रखूं, मैं सभा को सूचित कर सकता हूं कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए।

दीर्घायें साफ़ होने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: अब लॉबी खाली हो गई है।

महासचिव ने स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली का संचालन।

महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर आकर्षित किया जाता है।

1. प्रभाग शुरू होने से पहले प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी सीट पर बैठना चाहिए और उस सीट से ही प्रणाली का संचालन करना चाहिए।

2. जब माननीय अध्यक्ष कहते हैं "अब विभाजन" तो महासचिव वोटिंग बटन को सक्रिय कर देंगे, जिसके बाद माननीय अध्यक्ष की कुर्सी के दोनों ओर डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर "लाल बल्ब" चमक उठेंगे और एक घंटा की ध्वनि एक साथ सुनाई देगी।

3. मतदान के लिए माननीय सदस्य कृपया निम्नलिखित दो बटन एक साथ "केवल" घंटा बजने के बाद दबाएँ और मैं दोहराता हूँ केवल पहला घंटा बजने के बाद।

   प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लाल "वोट" बटन और सीट के डेस्क के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कोई एक बटन लगा होना चाहिए।

पक्ष में,	:	हरा रंग
विपक्ष में,	:	लाल रंग
अनुपस्थित	:	पीला रंग

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना आवश्यक है, जब तक कि दूसरा गोंग (घंटा) न सुनाई दे और प्लाज्मा डिस्प्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब "बंद" न हो जाएं।

5. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि उनके वोट पंजीकृत नहीं किए जाएंगे।

   (i) यदि बटनों को प्रथम गोंग की ध्वनि बजने से पहले दबाया जाता है।
   (ii) दूसरे गोंग तक दोनों बटन एक साथ नहीं दबाए जा सकते।

6. माननीय सदस्य वास्तव में माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर स्थापित डिस्प्ले बोर्ड पर अपना वोट "देख" सकते हैं।

7. यदि वोट पंजीकृत नहीं है, तो वे पर्चियों के माध्यम से मतदान के लिए कह सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : लॉबी को पहले ही खाली कर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .1 **पक्ष में,** **अपराह्न 01:51 बजे.**

[अनुवाद]

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

[10]*अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

श्री ई. अहमद

अली, श्री इदरिस

*श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

---

[10]*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

[11]*भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

[12]*भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

---

[11]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[12]

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी.पी

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

[13]*चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

---

[13]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

डे (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

[14]*गांधी, श्रीमती मेनका संजय

*गंगवार, श्री संतोष कुमार

---

[14]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गौतम, श्री सतीश कुमार

[15]*गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

[16]@गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गोपाल, डॉ. के.

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

---

[15]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[16]@ हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

[17*]खैरे, श्री चंद्रकांत

[17*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी एवीएसएम, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन

कुलस्ते,श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

[18*]कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

[18*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

[19*]महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

महतो, श्री विद्युत बरन

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

[19*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

[20]*मुंडा, श्री कारिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

---

[20]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

[21]*पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

*पासवान, श्री राम चन्द्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

---

[21]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

[22]*पाटिल, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

*प्रेमचंद्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

---

[22]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

[23]*राम श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास (अवंती),

*राठौड़, श्री डी.एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

---

[23]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

[24]*सेठी, श्री अर्जुन चरण

---

[24]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

[25]*शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

*सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

---

[25]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

[26]*सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

---

[26]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[27]*सिन्हा,श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

*सोमैया,डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

*स्वैन, श्री लाडू किशोर

तडस, श्री रामदास सी

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

---

[27]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

उटवाल, श्री मनोहर

[28]*वाघेला, श्री एल.के.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

---

[28]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

[29]*येदियुरप्पा, श्री बी.एस.

[29]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

विपक्ष में,

[30]*चिन्नायन, श्री एस. सेल्वाकुमार

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

जयवर्धन, डॉ. जे.

*कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

महेन्द्रन, श्री सी.

*मरागाथम, श्रीमती के.

*मरुथराज, श्री आर.पी.

*नागराजन, श्री पी.

*नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

[31]@परसुरामन, श्री के.

*पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

*राधाकृष्णन, श्री टी.

*राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

*सत्यबामा, श्रीमती वी.

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

---

[30]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[31]@ हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

[32]*उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

---

[32]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>मतदान से अनुपस्थित रहना</u>

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

जॉर्ज, एड. जॉयस

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

राजेश, श्री एम.बी.

सलीम, श्री मोहम्मद

संपत, डॉ. ए.

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमती

माननीय अध्यक्ष: सुधार [33*] के अधीन, विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष में:-- 336

विपक्ष में:--, 011

अनुपस्थित:-- 010

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: इससे पहले कि हम विधेयक पर खंडश:, खण्ड-वार, ,खंड विचार करें, मुझे सभा को सूचित करना होगा कि पेश किए गए कुछ संशोधन समान हैं। ऐसे मामलों में, मैं सबसे पहले उस सदस्य, भाग को अपना संशोधन प्रस्तुत करना के लिए बुलाऊंगा जिसकी सूचना सबसे पहले प्राप्त हुई थीं। यदि सदस्य अपना संशोधन नहीं प्रस्तुत करना है तो मैं उस सदस्य, भाग को बुलाऊंगा जिसका नोटिस अगले समय में प्राप्त हुआ था।

सभा अब विधेयक पर खंड, खंडश:, खण्ड-वार विचार करेगा।

[33*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की।पक्ष में,: **336+** श्रीमती संतोष अहलावत, श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा, श्रीमती रंजनबेन भट्ट, श्री दिलीप सिंह भूरिया, विनोद लखमशी चावड़ा, श्रीमती मेनका संजय गांधी, श्री संतोष कुमार गंगवार , डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गावली, सर्वश्री चंद्रकांत खैरे, धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती पूनम महाजन, सर्वश्री करिया मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, राम चंद्र पासवान, संजय काका पाटील, एन.के. प्रेमचंद्रन, विष्णु दयाल राम, डी.एस. राठौड़, अर्जुन चरण सेठी, अनिल शिरोले, डॉ. नेपाल सिंह, श्री सुशील कुमार सिंह, जयंत सिन्हा, डॉ. किरीट सोमैया, श्री लाडू किशोर स्वैन, एल.के. वाघेला, बी.एस. येदियुरप्पा- श्री के. परसुरमन = **363** विपक्ष में: **011 +** सर्वश्री सेल्वाकुमार चिन्नयन, के. अशोक कुमार, श्रीमती के. मरगथम, सर्वश्री आर.पी. मरुथाराजा, पी. नागराजन, जे.जे.टी. नटर्जी, के. परसुरामन, आर. पार्थिपन, टी. राधाकृष्णन, एस. राजेंद्रन, श्रीमती वी. सत्यबामा, श्री एम. उदयकुमार - श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली = **022** उपस्थिति से बचना : **010**

खण्ड 2 नये अनुच्छेद 246क का सम्मिलन

माननीय अध्यक्ष : खंड 2 में दो संशोधन हैं।

अब, श्री भर्तृहरि महताब संशोधन संख्या 13 पेश करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, मैं बिंदु का उल्लेख करूंगा क्योंकि मैंने इस खंड में जो संशोधन पेश किया है वह प्रत्येक राज्य की विधायिका को सशक्त बनाने के लिए है, जिसके पास *मूल्यानुसार*या विशिष्ट उपकर लगाने के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी जिसे हरित उपकर कहा जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जिसका उपयोग पर्यावरणीय क्षरण की रोकथाम के लिए किया जाएगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 2, पंक्ति 3 के बाद, *सम्मिलित करें,—*

"(3) प्रत्येक राज्य की विधानमंडल को बनाने की शक्ति होगी।
'हरित' कहलाने के लिए यथामूल्य या विशिष्ट उपकर लगाने का कानून।
वस्तु एवं सेवा कर पर उपकर, जिसका उपयोग किया जाएगा।
पर्यावरणीय क्षरण की रोकथाम।" (13)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत खंड 2 में संशोधन संख्या 13 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, मुझे डिवीजन चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : लॉबी को पहले ही खाली कर दिया गया है।

लोक सभा का विभाजन:

<u>विभाजन संख्या .2</u> **<u>पक्ष में,</u>** **<u>अपराह्न 01:54 बजे</u>**

अहमद ,श्री ई.

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

जॉर्ज, एड. जॉयस

हंसदक, श्री विजय कुमार

हिकाका, श्री झीना

जयदेवन, श्री सी.एन

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

[34]*कल्वाकुंतला श्रीमती कविता

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

कुमार श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

*महताब श्री भर्तृहरि

---

[34]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माझी, श्री बलभद्र

मणि, श्री जोस के.

मिश्रा, श्री पिनाकी

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पांडा, श्री बैजयंत जय

पासवान, श्री रामचंद्र

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

[35]*संपत डॉ. ए.

सत्पथी, श्री तथागत

*सेठी, श्री अर्जुन चरण

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सुले, श्रीमती सुप्रिया

*स्वैन, श्री लाडू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

---

[35]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमती

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

‘विपक्ष में

[36]*आदित्यनाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

*अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

*अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

---

[36]*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

[37]*भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

---

[37]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

[38]*चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देवी, श्रीमती रमा

*देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

[39]@दुबे, श्री सतीश चंद्र

---

[38]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[39]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

[40]*ज्योति,साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

*कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

40* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

[41]*खैरे, श्री चंद्रकांत

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

[42]@कुमार, कुँवर सर्वेश

*कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

---

[41]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[42]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, श्री विद्युत बरन

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

[43]*मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डे, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डे,श्री रविन्द्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

---

[43]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रताप, श्री कृष्ण

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास (अवंती),

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

[44]*साई, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

*सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

---

[44]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

[45]*सिंह, कुँवर हरिबंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

[46]*सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

---

[45]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[46]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

[47]*तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

[48]@तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

उटावल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

---

[47]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[48]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

[49]*यादव, श्री राम कृपाल

* येदियुरप्पा श्री बी.एस.

[49]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>मतदान में अनुपस्थित रहना</u>

चौटाला, श्री दुष्यंत

जयवर्धन, डॉ. जे.

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[50*], विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष में हाँ :- 044

विपक्ष में,:- 283

मतदान में अनुपस्थित :--003

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

<u>अपराह्न 02.00 बजे</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन संशोधन संख्या 18 को खंड 2 में स्थानांतरित करेंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदया, मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं जो पेट्रोल को जीएसटी के क्षेत्र, कार्य-क्षेत्र परिधि से छूट देना, अवमुक्त करने से संबंधित है। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पेज 2, पंक्ति 4 से 6 हटा दें।" (18)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 2 के संशोधन संख्या 18 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

[50*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:
हाँ: **044** + श्रीमती कविता कल्वाकुंतला, श्री भर्तृहरि महताब, डॉ. ए. संपत, पुत्र श्री अर्जुन चरण सेठी, लाडू किशोर स्वैन - श्री सतीश चंद्र दुबे, कुँवर सर्वेश कुमार, श्री रामेश्वर तेली = **046**
संख्या **283** + योगी आदित्यनाथ, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, कराडी सनगन्ना अमरप्पा, देवेन्द्र सिंह भोले, कर्नल सोनाराम चौधरी, श्रीमती वीणा देवी, श्री सतीश चंद्र दुबे, साध्वी निरंजन ज्योति, पुत्र श्री चंद्रकांत खैरे, भगवंत खुबा, कुँवर सर्वेश कुमार, श्री अश्विनी कुमार, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, सुपुत्र श्री विष्णु देव साई, विजय सांपला, कुँवर हरिबंश सिंह, भरत सिंह, कामाख्या प्रसाद तासा, रामेश्वर तेली, मनोहर उटावल, एल.के. वाघेला, रामकृपाल यादव, बी.एस. येदियुरप्पा=**306**
मतदान में **अनुपस्थित** :**003**

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: लॉबी पहले से ही साफ हैं। अब मैं खंड 2 को सदन में मत के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का हिस्सा बना रहे।"

लोकसभा विभाजित हो गई।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, श्री अरुण जेटली।

श्री अरुण जेटली: महोदया, उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या और कुछ कठिनाइयों के कारण मतदान करने वालों की संख्या , ऐसा प्रतीत होता है कि मतदान सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है।…… ......(व्यवधान)

इसलिए, या तो हमारे पास पर्ची प्रणाली है या आपके पास पुन: विभाजन है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मतदान के साथ जो यांत्रिक मतदान हो रहा है वह सही ढंग से दर्ज किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष: अब, मंत्री महोदय। उन्होंने एक अनुरोध किया है। कुछ यांत्रिक दोष है। इसलिए, यदि सभा सहमत हो, तो हम विभाजन, डिवीजन रद्द कर देंगे। लॉबी पहले ही साफ़ हो चुकी हैं। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का हिस्सा बना रहे।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .3 **पक्ष में** **अपराह्न 02:09 बजे.**

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

[51]*आडवानी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

*अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

---

[51]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

[52]*गीता, श्रीमती कोथपल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

*गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गोपाल, डॉ. के.

*गोपालकृष्णन,श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

---

[52]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[53]@जयवर्धन,डॉ. जे.

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

[54]*कश्यप,श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

*खैरे, श्री चंद्रकांत

---

[53]@ हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

[54]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

[55]@श्री अश्विनी कुमार,

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

---

[55]@ हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मरागठम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

[56]*मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री पी.सी.

*महापात्रा,डॉ. सिद्धांत

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नागराजन, श्री पी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

---

[56]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परसुरमन, श्री के.

[57]*पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

*पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

---

[57]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

[58]*राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

*रेड्डी , श्री जे.सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

---

[58]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

[59]*सिंह,श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

---

[59]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुन्दरम, श्री पी.आर.

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उदासी, श्री शिवकुमार

[60]@उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

[61]*वाघेला, श्री एल.के.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

@वासंती, श्रीमती एम..

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

---

[60]@ हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

[61]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

विपक्ष में

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

[62]@थंबीदुरई, डॉ. एम.

मतदान में अनुपस्थित

हंसदक, श्री विजय कुमार

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

पाटिल, श्री भीमराव बी.

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

सलीम, श्री मोहम्मद

---

[62]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[63*], विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष: 354

विपक्ष: 005
मतदान में अनुपस्थित: 005

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

63* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:

हाँ: 354 + सर्वश्री लाल कृष्ण आडवाणी, कराडी संगन्ना अमरप्पा, श्रीमती कोथापल्ली गीता, श्री लक्ष्मण गिलुवा, सी. गोपालकृष्णन, डॉ. जे. जयवर्धन, श्री दिनेश कश्यप, चंद्रकांत खैरे, अश्विनी कुमार, दद्दन मिश्रा, डॉ. सिद्धांत महापात्र, श्री आर. पार्थिपन, राम चंद्र पासवान, एस. राजेंद्रन, जे.सी. दिवाकर रेड्डी, लल्लू सिंह, एम. उदयकुमार, एल.के. वाघेला, श्रीमती एम. वासंती - डॉ. एम. थंबीदुआराय = **372**
नंबर: 005 + प्रो. ए.एस.आर. नाइक - डॉ. जे. जयवर्धन, श्री अश्विनी कुमार, एम. उदयकुमार, श्रीमती एम. वसंती = **002**
मतदान में अनुपस्थित:**005**

खंड 3 से 8 अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 269 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: खंड 3 से 8 में कोई संशोधन नहीं है। यदि सभा सहमत हो, तो मैं खंड 3 से 8 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा, जिस स्थिति में विभाजन द्वारा मतदान के परिणाम को प्रत्येक खंड पर लागू माना जाएगा।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय अध्यक्ष: दीर्घायें पहले ही साफ़ हो चुकी हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 से 8 विधेयक का हिस्सा हैं।

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .4 **पक्ष में** **अपराह्न 02:11 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

[64]*आलूवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

---

[64]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

[65]*बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

---

[65]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

[66]*छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

---

[66]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

[67]*गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

*हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

---

[67]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

[68]*जोशी, श्री चन्द्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

---

[68]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

69*कुलस्ते श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

69* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

[70]*मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

*निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

---

[70]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

[71]*पटेल,श्रीमती जयश्रीबेन

*पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

*प्रधान,श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

---

[71]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

[72]*रादडिया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

---

[72]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

[73]*रियो, श्री नेफ्यू

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

*रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साई, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

---

[73]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

[74]*सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

---

[74]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

[75]*सिंह,श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

---

[75]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

[76]*वाघेला, श्री एल.के.

वर्धन, डॉ. हर्ष

---

[76]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

‘ना’ के पक्ष में

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

[77]*चिन्नायन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

*गोपालकृष्णन,श्री सी।

*गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

*जयवर्धन,डॉ. जे.

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

*महेन्द्रन,श्री सी

*मरागाथम, श्रीमती के.

*मारुथराज,श्री आर.पी.

*नागराजन, श्री पी।

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

*पनीरसेल्वम,श्री वी।

परसुरमन, श्री के.

---

[77]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[78]*पार्थिपन, श्री आर.

*प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री टी.

*राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

*सेनगुट्टुवन, श्री बी

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

*उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

*वासंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

*वेणुगोपाल, डॉ. पी.

मतदान में अनुपस्थित

शून्य

[78]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन[79*] , रहते हुए, अध्यधीन, प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष: 334

विपक्ष: 020

मतदान में अनुपस्थित : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9 नए अनुच्छेद 269 अ का सम्मिलन

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: खंड 9 में तीन संशोधन हैं। प्रो. सौगत राय, क्या आप अपने संशोधन संख्या 9 को खंड 9 में ले जा रहे हैं?

प्रो. सौगत राय : महोदया, हम जीएसटी विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए, मैं अपने संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि माननीय वित्त मंत्री हमारी चिंताओं का ध्यान रखेंगी।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप खंड 3 में संशोधन संख्या 19 पेश कर रहे हैं?

[79*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:
हां **334** + सर्व/श्री एसएस अहलुवालिया, प्रसून बनर्जी, थुपस्तान छेवांग, लक्ष्मण गिलुवा, श्रीमती हेमामालिनी, सर्वश्री चंद्र प्रकाश जोशी, फग्गन सिंह कुलस्ते, डा सिद्धांत महापात्र, श्री राम चरित्र निषाद, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती रीति पाठक, सर्वश्री नागेन्द्र कुमार प्रधान, विठ्ठलभाई हंसराजभाई रादडिया, नेफ्यू रियो, राजीव प्रताप रूडी, अर्जुन चरण सेठी, दुष्यंत सिंह, एल. के. वाघेला = **352** अंक : **020** + सर्व/श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन, सी. गोपालकृष्णन, आर. गोपालकृष्णन, डॉ. जे. जयवर्धन, श्री सी. महेंद्रन, श्रीमती के. मरागाथम, सर्वश्री आर. पी. मारुथाराजा, पी. नागराजन, वी. पन्नीरसेल्वम, आर. पार्थिपन, के. आर. पी. प्रभाकरन, एस. राजेंद्रन, बी. सेनगुट्टुवन, एम. उदयकुमार, श्रीमती एम. वसंती, डॉ. पी. वेणुगोपाल = **036** अनुपस्थित : **000**

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"पेज 2, पंक्ति 31, के बाद अंत:स्थापित करना, में रखना, डालना, -

"(3) अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति पर एक प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कर, अनुच्छेद 269ए के खंड (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा। दो वर्ष की अवधि या ऐसी अन्य अवधि जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद अनुशंसित कर सकती है और ऐसा कर खंड (2) में दिए गए तरीके से राज्यों को सौंपा जाएगा।

(4) किसी भी वित्तीय वर्ष में माल की आपूर्ति पर अतिरिक्त कर की शुद्ध आय, संघ राज्यक्षेत्र की आय को छोड़कर, भारत की समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनेगी और उन राज्यों को सौंपी गई मानी जाएगी जहां से आपूर्ति उत्पन्न होती है।

(5) भारत सरकार जहां सार्वजनिक हित में आवश्यक समझे वहां खंड (1) के तहत ऐसे सामानों को कर लगाने से छूट दे सकती है।

(6) संसद कानून द्वारा उस मूल स्थान का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत बना सकती है जहां से अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति होती है।"."
(19)

महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक के पक्ष में मतदान कर रहा हूं। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण संशोधन है और मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। कल भी मैंने अपने भाषण में यह राय, टिप्पणी कही थीं। मैं सरकार का समर्थन करता हूं। मैंने मूल विधेयक के खंड 18 को धारा 269(ए) के खंड 3 के रूप में समाविष्ट किया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बस अपना संशोधन पेश करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, कृपया जल्दबाजी न करें क्योंकि ये सभी जानकारी एकत्र करना बहुत कठिन है। खंड 18 एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, कर्त्तव्य लगाने का है ताकि विनिर्माण राज्यों की रक्षा की जा सके। यह सरकार की मंशा है। मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन यह एक संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए ताकि

विनिर्माण राज्यों के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। अत:, मेरा सुझाव यह है। खंड 18 का प्रभाव क्या है? महोदया, हम संविधान, गठन, देश की शासन व्यव्सथा में संशोधन नहीं कर रहे हैं। ......(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री से उत्तर मांग रहा हूं। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस समय आप बताएं कि आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: पूरे खंड 18, के लिए मैं चाहता हूं कि यह संवैधानिक संशोधन का प्रावधान हो। यह मेरा संशोधन है। सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। कृपया इसे स्वीकार करें।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 9 के संशोधन संख्या 19 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी - उपस्थित नहीं।

इससे पहले कि मैं खंड 9, को सदन में मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह देश की शासन व्यव्सथा है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

“कि खंड 9 विधेयक का हिस्सा बना रहे।”

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .5 **पक्ष में** **अपराह्न 02:16 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

[80*]अहमद, श्री ई।

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

[80*] *पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

[81]*बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

[82]@ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

---

[81]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[82]@ हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

[83]*दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

---

[83]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखला

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शैलेश

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

[84*]पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

[84*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[85]*प्रधान,श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

[86]*राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

*राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

---

[85]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[86]

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

[87*]रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

[87*] *पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीरामुलु, श्री बी.

[88]*सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

---

[88]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

[89]*यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

---

[89]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में</u>

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कुमार, श्री पी.

[90]*महेन्द्रन,श्री सी।

*मरागाथम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

*परसुरामन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

[91]*प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

90* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

91

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[92*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष: 344

विपक्ष: 011

अव्यअनुपस्थितक्त : 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 अनुच्छेद 270 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: खंड 10 में दो सरकार संशोधन हैं। अब, माननीय मंत्री संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करना।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 33, -

"और लेख" के लिए ,

स्थानापन्न "और"। (3)

[92*] *निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:
हाँ: 344 + श्री ई. अहमद, प्रसून बनर्जी, रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री नागेंद्र कुमार प्रधान, उदित राज, गोकाराजू गंगा राजू, चौ. मल्ला रेड्डी, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री जय प्रकाश नारायण यादव = **355**
विपक्ष में 'ना' वाले: **011** + श्री सी. महेंद्रन, श्रीमती के. मरागाथम, श्री के. परशुरामन, के.आर.पी. प्रभाकरन - श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा = **014**
मतदान में अनुपस्थित:**001**

पृष्ठ 2, पंक्ति 34, -

"और लेख" के लिए ,

स्थानापन्न "और"। (4)

(*श्री अरुण जेटली*)

माननीय अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं खंड 10 को सदन में मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

"कि संशोधित धारा 10 विधेयक का हिस्सा बने।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .6 **पक्ष में** **अपराह्न 02:18 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

[93*]अहमद, श्री ई.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

[93*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

[94]*ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

---

[94]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

[95]*दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

*दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

---

[95]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

[96]*खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

---

[96]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खन्ना, श्री विनोद

[97]*खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

---

[97]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

[98]*पटेल,श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

---

[98]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रताप, श्री कृष्ण

[99]*प्रेमचंद्रन, श्री एन.के.

*रादडिया, श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

*राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

---

[99]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

[100]*रेड्डी, श्री जे.सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

---

[100]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

[101]*सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

---

[101]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

[102]*सिंह, कुँवर हरिबंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

102* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

*स्वैन, श्री लाडू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

[103*]त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

[103*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>विपक्ष में</u>

कुमार, श्री पी.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

रामचंद्रन, श्री के.एन.

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[104*], प्रभाग का परिणाम है:

हाँ: 340

नही: 001

मतदान में अनुपस्थित: 002

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11 अनुच्छेद 271 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं खंड 11 को सदन में मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का हिस्सा बना रहे।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .7 **पक्ष में** **अपराह्न 02:19 बजे.**

[104*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:

हाँ: 340 + श्री ई अहमद, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रीमती रक्षाताई खडसे, श्रीमती किरण खेर, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, विट्ठलभाई हंसराजभाई रादडिया, विष्णु दयाल राम, जे.सी. दिवाकर रेड्डी, अर्जुन चरण सेठी, कुँवर हरिबंश सिंह, श्री लाडू किशोर स्वैन, श्री शरद त्रिपाठी = **355**

विपक्ष में 'ना' वाले:001

मतदान में अनुपस्थित**: 002**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

श्री ई. अहमद

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

मंडल, डॉ. तापस

[105*]मणि,श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

105* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

[106*]सिंह,श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

106* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>विपक्ष में</u>

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कुमार, श्री पी.

परसुरमन, श्री के.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

शून्य

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन[107*] रहते हुए, अध्यधीन, प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष , :350

विपक्ष :008

मतदान में अनुपस्थित : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12 नये अनुच्छेद 279 क का सम्मिलन

माननीय अध्यक्ष: खंड 12 में 13 संशोधन हैं। प्रो. सौगत राय, क्या आप अपने संशोधन संख्या 10 को खंड 12 में ले जा रहे हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए, मैं संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री हमारी चिंताओं का ध्यान रखेंगी।

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन संख्या 14 और 15 को खण्ड 12 में ला रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा संशोधन संख्या 14 और 15 जीएसटी परिषद के दो-तिहाई, एक-तिहाई और तीन-चौथाई से संबंधित विशिष्ट गणितीय गणनाओं से संबंधित है और इस पर मतदान कैसे किया जाना है। यह स्थायी समिति का एक सचेत निर्णय था। स्थायी समिति ने सभा को दी अपनी प्रतिवेदन में कहा था कि कुछ

[107*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये
हाँ: 350 + श्री जोस के. मणि, कीर्ति वर्धन सिंह = **352**
नही: 008
मतदान में अनुपस्थित **: 000**

मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने की बजाय मतदान कराया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से आज माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो समझाया गया है, इस विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए अधिक सर्वसम्मति की आवश्यक है। उस संबंध में, मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : अब श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन खंड 12 में संशोधन संख्या 20, 21, 22, 23, 24 और 25 पेश करेंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 2, -

"साठ दिन" के लिए
'तीस दिन' प्रतिस्थापित करें। (20)

कॉलम 3, पंक्ति 34 और 36 का लोप किया जाए। (22)

पृष्ठ 4,पंक्तियाँ 4 और 5,-

"कुल डाले गए मतो का एक तिहाई महत्व होगा"

स्थानापन्न “उपाध्यक्ष, नीति आयोग और सहित।”
अध्यक्ष, वित्त आयोग के पास होगा
डाले गए कुल वोटों के एक-चौथाई का वेटेज”। (23)

पृष्ठ 4, पंक्ति 7, -

"दो-तिहाई" के लिए,

स्थानापन्न "तीन-चौथाई"। (24)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16, *के बाद सम्मिलित करें,—*

“(12) संसद उपविधि द्वारा की सिफारिश पर कर सकती है
वस्तु एवं सेवा कर परिषद मुआवजे का प्रावधान करती है
राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए
ऐसी अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन
जिसे दस साल तक बढ़ाना, विस्तार करना जा सकता है।".” (25)

महोदया, एक संशोधन जिसे सरकार बहुत आसानी से स्वीकार कर सकती है वह यह है कि संविधान (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों के भीतर माल और सेवा परिषद का गठन किया जाना है। इसलिए, हमें इसे अगले वित्तीय वर्ष तक कार्यान्वित करना होगा। इसलिए, मैं दिनों की संख्या 60 से घटाकर 30 कम करना एक संशोधन पेश कर रहा हूं। यह एक बहुत ही हानिरहित संशोधन है और सरकार इसे अच्छी तरह से स्वीकार कर सकती है क्योंकि हम भी सरकार के लिए मतदान कर रहे हैं।

दूसरा संशोधन नीति आयोग को लेकर है। बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त आयोग के सभापति जीएसटी परिषद के सदस्य होंगे। ये संशोधन हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा।

मैं संशोधन संख्या .20 पेश कर रहा हूं। इस प्रत्याशा में कि सरकार औपचारिक संशोधन के लिए सहमत होगी, मैं संशोधन संख्या .21 पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं संशोधन संख्या .22 पेश किया। मैंने संशोधन संख्या .23 पेश किया है। मैंने संशोधन संख्या .24 पेश किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, खंड 19 को यहां सम्मिलित किया गया है, इसलिए मैंने संशोधन संख्या .25 भी पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष : खंड 12 में संशोधन संख्या .22 भी डॉ. के. कामराज द्वारा किया गया है, जो वही संशोधन है जो श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किया गया है।

अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 12 में संशोधन संख्या 20, 22, 23, 24 और 25 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय अध्यक्ष : अब, श्री राहुल शेवाले संशोधन संख्या 28 को खंड 12 में पेश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदया, मुम्बई म्यूनिसपल कारपोरेशन को ऑडिक्वेट फाइनेंशियल सिक्यूरिटी देने के बारे में शिव सेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो सूचना की थी, उस सूचना को

माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, इसलिए आई एम नॉट मूविंग दिस अमेंडमेंट और मैं इस बिल को सपोर्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, श्री बालासुब्रमण्यम सेनगुट्टुवन संशोधन संख्या 31 और 32 को खंड 12 में स्थानांतरित करेंगे।

श्री बालासुब्रमण्यम सेनगुट्टुवन (वेल्लोर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"पृष्ठ 4, पंक्तियाँ 4 और 5, -

"एक तिहाई" के लिए,
स्थानापन्न "एक-चौथाई"। (31)

पृष्ठ 4, पंक्ति 7 के बाद, *सम्मिलित* करें-

“(सी) प्रत्येक राज्य का वेटेज के अनुपात में होगा।
राज्यसभा में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व।" (32)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री बालासुब्रमण्यम सेनगुट्टुवन द्वारा प्रस्तुत खंड 12 में संशोधन संख्या 31 और 32 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री बालासुब्रमण्यम सेनगुट्टुवन: महोदया, मुझे डिवीजन चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : लॉबी को पहले ही खाली कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

> "श्री बालासुब्रमण्यम सेनगुट्टुवन द्वारा प्रस्तुत खंड 12 में संशोधन संख्या 31 और 32 को अपनाया जाए।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .8	पक्ष में ‘	अपराह्न14:26 बजे

श्री ई. अहमद

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

बीजू, श्री पी. के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

एलुमलाई, श्री वी.

जॉर्ज, एड. जॉयस

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

श्री भर्तृहरि महताब

महेन्द्रन, श्री सी.

मरागठम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

[108]*पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री टी.

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

---

[108]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सुन्दरम, श्री पी.आर.

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमती

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

[109]*उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

[110]*वेंकटेश बाबू, श्री टी.जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

विजय कुमार, श्री एस.आर.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

<u>'ना' के पक्ष में</u>

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

*आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

---

[109]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

110

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

[111]@अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

[112]*भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

---

[111]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

[112]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

[113@]देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

[113@] विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

[114]*पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

[115]@पासवान, श्री राम चन्द्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

---

[114]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[115]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रताप, श्री कृष्ण

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

[116]*रेड्डी, श्री गुथा सुकेंद्र

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

---

[116]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रिओ, श्री नेफिउ

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

*सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

[117]*सिंह, कुँवर हरिबंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

---

[117]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

[118]*सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

---

[118]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

[119]*श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

---

[119]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[120]*वाघेला, श्री एल.के.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

शून्य

---

[120]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[121*], प्रभाग का परिणाम है।

पक्ष में : 052

विपक्ष: 312

अनुपस्थित : शून्य

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : अब, श्री रवीन्द्र कुमार जेना खंड 12 में संशोधन संख्या 39 पेश करेंगे।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय अध्यक्ष महोदया, हम जी.एस.टी. विधेयक का समर्थन करते हैं और माननीय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और आश्वासन को ध्यान में रखते हुए। वित्त मंत्री जी, मैं संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री के.सी. वेणुगोपाल- उपस्थित नहीं।

अब, श्री सी.एन. जयदेवन खंड 12 में संशोधन संख्या 43 पेश करेंगे।

[121*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने वोट दर्ज/सुधार किए: **हां: 052** + एस/श्री आर. पार्थिपन, एम. उदयकुमार, टी.जी. वेंकटेश बाबू, डॉ. पी. वेणुगोपाल - श्री तारिक अनवर, श्रीमती वीणा देवी, श्री राम चंद्र पासवान = **053**

नही: **312** + श्री एस.एस. अहलूवालिया, तारिक अनवर, दिलीप सिंह भूरिया, श्रीमती वीणा देवी, पुत्र श्री छेदी पासवान, राम चंद्र पासवान, गुथा सुखेंद्र रेड्डी, डॉ. भोला सिंह, कुँवर हरिबंश सिंह, श्री वीरेंद्र सिंह, बी. श्रीरामुलु, एल.के. वाघेला = **324**

अनुपस्थित: **000**

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर): महोदया, मैं संशोधन पेश कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 3, पंक्ति 31, -

"उत्तराखंड" के बाद,

"और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी" डालें। (43)

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं खंड 12 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है।

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .9 **पक्ष में** **अपराह्न 02:29 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

[122]*अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

*अहमद, श्री ई।

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

[123]@अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

---

[122]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[123]@ हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

[124]*भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

---

[124]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

[125]*छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

*दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

*दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

---

[125]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

[126*]खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

[126*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

[127]*मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

---

[127]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

[128]*नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

---

[128]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

[129]*परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

---

[129]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

*सिंह, डॉ. जीतेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

[130]*सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

*सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

---

[130]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

[131]*सिंह, श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

---

[131]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

[132]*श्री बी.एस. येदियुरप्पा

---

[132]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में</u>

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री पी.

राजा, श्री ए. अनवर

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस.आर.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

शून्य

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[133*], विभाजन का परिणाम हैः

हाँ:338

विपक्ष में,:010

अनुपस्थित : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13 अनुच्छेद 286 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: दीर्घायें पहले ही साफ़ हो चुकी हैं। अब मैं खंड 13 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 विधेयक का हिस्सा है।

लोक सभा का विभाजन:

[133*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये

हाँ: 338 + श्री सिसिर कुमार अधिकारी, ई. अहमद, तारिक अनवर, दिलीप सिंह भूरिया, छोटेलाल, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, श्री बंडारू दत्तात्रेय, चंद्रकांत खैरे, दद्दन मिश्रा, अशोक महादेवराव नेते, दलपत सिंह परस्ते, डॉ. जीतेन्द्र सिंह, श्री भरत सिंह, श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह, श्री बी.एस. येदियुरप्पा= **353**

संख्या : 010 - श्री तारिक अनवर = **009**

अनुपस्थित **:000**

विभाजन संख्या 10 **पक्ष में** **अपराह्न 02:30 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

श्री ई. अहमद

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

[134*]ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

[134*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

[135]*छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

*दत्तात्रेय, श्री बंडारू

*डे(नाग), डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

---

[135]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

[136@]कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

[136@] हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

[137]*पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

---

[137]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

[138*]पटेल,श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

[138*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[139]*फुले,साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

---

[139]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

[140]*सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

*शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

---

[140]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

[141]*सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

---

[141]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>विपक्ष में</u>

मान, श्री भगवंत

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

शून्य

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[142*], विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष में,:342

विपक्ष: 002

अनुपस्थित : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 अनुच्छेद 366 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष खंड 14 में चार संशोधन हैं। सबसे पहले, मैं माननीय मंत्री को अपना संशोधन प्रस्तुत करना के लिए बुलाऊंगा।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 34, --

" और लेख" के लिए,

स्थानापन्न "और"।(5)

(श्री अरुण जेटली)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

[142*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:

हाँ: 342 + श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, छोटेलाल, बंडारू दत्तात्रेय, डॉ. रत्ना डे (नाग), श्री कौशलेंद्र कुमार, थोटा नरसिम्हम, श्रीमती कमला पाटले, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, साध्वी सावित्री बाई फुले, पुत्र श्री अर्जुन चरण सेठी, गजेंद्र सिंह शेखावत, वीरेंद्र सिंह= **354**

नही**: 002** - श्री कौशलेन्द्र कुमार = **001**

अनुपस्थित **:000**

"पृष्ठ 4, पंक्ति 31 , "उपभोग" के बाद *जोड़ें,*--

"और पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन की बिक्री पर कर"।(26)

यह संशोधन सिर्फ पेट्रोल को जीएसटी के क्षेत्र, कार्य-क्षेत्र परिधि रखने के लिए है।

माननीय अध्यक्षः अब मैं श्री एन के प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 14 के संशोधन संख्या 26 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं यहां डिवीजन चाहता हूं।

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .11 **पक्ष में** **अपराह्न 02:34 बजे**

श्री ई. अहमद

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भारती मोहन, श्री आर

बीजू, श्री पी. के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

[143]*एलुमलाई, श्री वी.

जॉर्ज, एड. जॉयस

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कामराज, डॉ. के.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

---

[143]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री संतोष

श्री भर्तृहरि महताब

महेन्द्रन, श्री सी.

मणि, श्री जोस के.

मरागठम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

[144]*पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

*राधाकृष्णन, श्री टी.

*राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सलीम, श्री मोहम्मद

---

[144]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

संपत, डॉ. ए.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुन्दरम, श्री पी.आर.

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमती

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

[145]*वेणुगोपाल, डॉ. पी.

विजय कुमार, श्री एस.आर.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्रीमती डिम्पल

---

[145]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>'ना' के पक्ष में</u>

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

[146]*आलूवालिया, श्री एस.एस.

*अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

---

[146]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

[147]*बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

*भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

---

[147]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

[148]@चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

---

[148]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

[149@]हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

[149@] विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

[150*]खूबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

[150*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

*मुंडा, श्री कारिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

[151*]पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

[151*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रताप, श्री कृष्ण

रदाडीया, श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

[152@]राठौड़, श्री डी.एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

[152@] विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

[153]@श्रीरामुलु, श्री बी.

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

---

[153]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[154*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष में,- 056

विपक्ष में,- 329

अनुपस्थित- 002

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के.सी. वेणुगोपाल- उपस्थित नहीं।
श्री सी.एन. जयदेवन।

श्री सी.एन. जयदेवन: मैं प्रस्ताव करता/करती हूँ।

"पेज 4, पंक्ति 34 और 35 के लिए,--

स्थानापन्न ' (26बी) अनुच्छेद 246ए, 268, 269, 269ए, 270, 275, 279ए और अनुच्छेद 280 के संदर्भ में "राज्य" में विधानमंडल के साथ एक संघ राज्यक्षेत्र शामिल है;" (44)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सी.एन. जयदेवन द्वारा प्रस्तुत खंड 14 में संशोधन संख्या .44 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: दीर्घायें पहले से ही स्पष्ट हैं। अब मैं संशोधित खंड 14 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

[154*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:
हाँ: 056 + श्री वी. एलुमलाई, आर. पार्थिपन, टी. राधाकृष्णन, एस. राजेंद्रन, डॉ. पी. वेणुगोपाल - एस/
श्री अनंत कुमार हेगड़े, डी.एस. राठौड़। बी. श्रीरामुलु = **058**
नही**: 329** + श्री एस.एस. आलूवालिया, कराडी संगन्ना अमरप्पा, प्रसून बनर्जी, जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, बीरेंद्र कुमार चौधरी, अनंत कुमार हेगड़े, भगवंत खुबा, करिया मुंडा, रवींद्र कुमार पांडे, भीमराव बी. पाटिल, डी.एस. राठौड़, बी. श्रीरामुलु = **341**
अनुपस्थित**: 002 -** श्री बीरेंद्र कुमार चौधरी **=001**

प्रश्न यह है:

“कि संशोधित धारा 14 विधेयक का हिस्सा बने।”

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .12 **पक्ष में** **अपराह्न 02:36 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

[155]*अहमद, श्री ई।

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

---

[155]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बालियान, डॉ. संजीव

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

[156]*बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

---

[156]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

[157@]छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

[@]चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

[157@] हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

[158]*गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

---

[158]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

[159*]क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

[160@]लागुरी, श्रीमती शकुंतला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

[159*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[160@] हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रताप, श्री कृष्ण

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

*सिंह, डॉ. जीतेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

[161]*सिंह, कुँवर हरिबंश

*सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

---

[161]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

[162*]तराई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

162* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

[163]*वाघेला, श्री एल.के.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

---

[163]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

‘ना’ के पक्ष में

[अनुवाद]

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अली, श्री इदरिस

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

देव, श्री अरका केशरी

हिकाका, श्री झीना

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री पी.

मणि, श्री जोस के.

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

[164*]रामचंद्रन, श्री के.एन.

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

समल, डॉ. कुलमणि

सत्पथी, श्री तथागत

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सुन्दरम, श्री पी.आर.

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

164* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वनारोजा, श्रीमती आर.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

[165]@वेणुगोपाल, डॉ. पी.

विजय कुमार, श्री एस.आर.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

शून्य

[165]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

माननीय अध्यक्ष: संशोधन के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[166*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष में,- 329

विपक्ष में, - 024

दूर रहना - शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 और 16 अनुच्छेद 368 और छठी अनुसूची का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: खंड 15 और 16 में कोई संशोधन नहीं है। यदि सभा सहमत है, तो मैं खंड 15 और 16 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा, जिस स्थिति में प्रभाग द्वारा मतदान के परिणाम को प्रत्येक खंड पर लागू माना जाएगा।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय अध्यक्ष: लॉबी पहले से ही साफ हैं। अब मैं खंड 15 और 16 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"वह खंड 15 और 16 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा का विभाजन:

[166*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:

हाँ: 329 + श्री ई. अहमद, रमेश बिधूड़ी, छोटेलाल, बाबूलाल चौधरी, लक्ष्मण गिलुवा, एन. क्रिस्टप्पा, श्रीमती सकुंतला लागुरी, डॉ. जीतेन्द्र सिंह, कुँवर हरिबंश सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, श्रीमती रीतातराई, श्री एल.के. वाघेला - डॉ. पी. वेणुगोपाल = **340**

नही**: 024** + श्री के.एन. रामचन्द्रन, डॉ. पी. वेणुगोपाल - श्री छोटेलाल, बाबूलाल चौधरी, श्रीमती शकुन्तला लागुरी = **023**

अनुपस्थित **:000**

विभाजन संख्या .13 **पक्ष में** **अपराह्न 02:37 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

[167]*आलूवालिया, श्री एस.एस.

*अहमद, श्री ई।

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

---

[167]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

*बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

[168]*बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

---

[168]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

*चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

[169]*दत्तात्रेय, श्री बंडारू

---

[169]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

डी (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

[170]*गायकवाड, प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

---

[170]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

*गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

[171]*हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

---

[171]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

[172]*खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

[172]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

[173]*प्रधान,श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

*रादडिया, श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

---

[173]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

[174]*सरमाह, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

---

[174]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

[175]*सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

---

[175]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

विपक्ष में

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

[176]@गोपालकृष्णन, श्री सी

@गोपालकृष्णन, श्री आर

हरि, श्री जी.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कामराज, डॉ. के.

[177]*कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

@महेंद्रन, श्री सी.

*मरागाथम, श्रीमती के.

@मारुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

@पन्नीरसेल्वम, श्री वी।

---

[176]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

[177]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

परसुरमन, श्री के.

[178]@प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री टी.

[179]*राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

*सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

@वासंती, श्रीमती एम..

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस.आर.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

---

[178]@ विपक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

[179]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[180*], प्रभाग का परिणाम है।

पक्ष में,- 351

विपक्ष में, - 024

मतदान से अनुपस्थित- 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 और 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 17 सातवीं अनुसूची में संशोधन

माननीय अध्यक्ष खंड 17 में चार संशोधन हैं।

अब, प्रो. सौगत राय खंड 17 में संशोधन संख्या .16 प्रस्तुत करना।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैं संशोधन पेश नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन संख्या .16 को खंड 17 में स्थानांतरित कर रहे हैं?

[180*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने वोट दर्ज/सुधार किए:

हाँ: 351 +श्री एस.एस. अहलूवालिया, ई. अहमद, सुदीप बंद्योपाध्याय, रमेश बिधूड़ी, अश्विनी कुमार चौबे, बंडारू दत्तात्रेय, प्रो. रवींद्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती हेमामालिनी, श्री सौमित्र खान, नागेंद्र कुमार प्रधान, विठ्ठलभाई हंसराजभाई रदादिया, राम प्रसाद सरमा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, - श्री सी. गोपालकृष्णन, आर. गोपालकृष्णन, सी. महेंद्रन, आर.पी. मारुथराज, वी. पन्नीरसेल्वम, के.आर.पी. प्रभाकरन, श्रीमती एम. वासंती = **358**

नही: **024** +श्री सी. गोपालकृष्णन, आर. गोपालकृष्णन, के. अशोक कुमार, सी. महेंद्रन, श्रीमती के. मारागथम, श्री आर.पी. मारुथराज, वी. पन्नीरसेल्वम, के.आर.पी. प्रभाकरण, एस. राजेंद्रन, श्रीमती बी. सत्यबामा, श्रीमती एम. वसंती = **035**

अनुपस्थित: 001

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैंने पहले ही पाप वस्तुओं के बारे में बात की थी जिस पर संबंधित राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

इसीलिए मैं इस संशोधन संख्या .16 को 'तंबाकू और तंबाकू उत्पादों' की बिक्री के बाद खंड 17 में अंत:स्थापित करना, में रखना, डालना कर रहा हूं। इस के साथ ही, मैं अन्य संशोधन संख्या भी प्रस्तुत करना।17 से खंड 17 जहां मैं अलग खंड, 54(ए) के अंतःस्थापनार्थ करना चाहूंगा जो कि `प्रदूषणकारी वस्तु एवं सेवा कर पर उपकर है जिसे माल और सेवा कर परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करना।

मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 5, पंक्ति 16_

"की बिक्री" के बाद,

"तंबाकू और तंबाकू उत्पाद" डालें। (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री बी. महताब द्वारा प्रस्तुत खंड 17 में संशोधन संख्या .16 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं इस पर मत विभाजन चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : लॉबी को पहले ही खाली कर दिया गया है।

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .14 **पक्ष में** **अपराह्न 02:40 बजे**

अहमद, श्री ई.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

बीजू, श्री पी. के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

हिकाका, श्री झीना

जयवर्धन, डॉ. जे.

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री संतोष

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

श्री भर्तृहरि महताब

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मरागठम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

नागराजन, श्री पी.

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पांडा, श्री बैजयंत जय

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

*पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री टी.

[181]*राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

*रामचंद्रन, श्री के.एन.

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

*डॉ. ए. संपत

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमती

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

---

[181]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

[182]*वेणुगोपाल, डॉ. पी.

विजय कुमार, श्री एस.आर.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्रीमती डिम्पल

---

[182]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में</u>

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

[183]*अंगड़ी, श्री सुरेश सी

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

---

[183]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

[184]*ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

---

[184]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

*दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

[185]*धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

---

[185]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

[186]*कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

---

[186]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

[187]*लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

---

[187]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

[188]*मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

*पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

---

[188]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

[189]*पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रताप, श्री कृष्ण

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

---

[189]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

[190]*सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

---

[190]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

मान, श्री भगवंत

कुमार, श्री शैलेश

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[191*], विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष में,- 064

विपक्ष में,- 304

अनुपस्थित - 002

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री महताब खंड 17 में संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना। क्या आप पारित कर रहे हैं?

[191*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये

हां: 064 + श्री आर. पार्थिपन, एस. राजेंद्रन, के.एन. रामचन्द्रन, डॉ. ए. संपत, डॉ. पी. वेणुगोपाल = **069**

नही: 304 + श्री सुरेश सी. अंगड़ी, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, बंडारू दत्तात्रेय, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री अश्विनी कुमार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, पुत्र श्री रवींद्र कुमार पांडे, ए.टी. नाना पाटिल, भरत सिंह= **314**

अनुपस्थित **:002**

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पेज 5, *पंक्ति* 20 के बाद, *डालें*,_

`(iia) इंदराज 54 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जाएगी, अर्थात्: -

“54क प्रदूषणकारी वस्तुओं और सेवाओं पर कर पर उपकर वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।" (17)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री बी. महताब द्वारा प्रस्तुत खंड 17 में संशोधन संख्या .17 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और उपेक्षित किया गया

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री राहुल शेवाले खंड 17 में संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना।

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): मैं नहीं हट रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना खंड 17 में संशोधन संख्या .40 प्रस्तुत करना।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): जैसा कि पहले कहा गया है, हम जीएसटी विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा ओडिशा के हितों का ध्यान रखने के दिए गए आश्वासन के मद्देनजर, मैं यह संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: लॉबी पहले ही साफ हो चुकी हैं। सवाल यह है।

“कि खंड 17 विधेयक का हिस्सा बना रहे।”

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .15 **पक्ष में** **अपराह्न 02:43 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

श्री ई. अहमद

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

[192*]भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

[192*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

[193]*छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

* श्री बाबूलाल चौधरी

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

*डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

---

[193]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

माझी, श्री बलभद्र

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

[194]*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय,

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

---

[194]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

[195]*रॉय, श्रीमती शताब्दी

*रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

---

[195]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[196]*सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

---

[196]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री परभुभाई नागरभाई

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>विपक्ष में</u>

शून्य

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[197*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष में	-	340
विपक्ष में	-	शून्य
अनुपस्थित	-	001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 आपूर्तिकर्ता वस्तु पर अतिरिक्त कर को 2 वर्ष के लिए सीधे सौंपने की व्यवस्था या परिषद द्वारा अनुशंसित अन्य अवधि की खोज

माननीय अध्यक्ष: अब, हम खंड 18 में संशोधन करेंगे। खंड 18 में चार संशोधन हैं। सबसे पहले, मैं माननीय मंत्री को अपने संशोधनों को 6 से 8 तक ले जाने के लिए प्रस्तुत करना।

श्री अरुण जेटली: मैं संशोधन संख्या .6, 7, और 8 प्रस्तुत करना।

संशोधन किए गए:

[197*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये

हाँ: 340 + श्री सुदर्शन भगत, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, छोटेलाल, बाबूलाल चौधरी, रमेन डेका, रवीन्द्र कुमार पांडे, श्रीमती शताब्दी राय, श्री राजीव प्रताप रूडी, अर्जुन चरण सेठी = **349**

विपक्ष में 'ना' वाले:000

अनुपस्थित**: 001**

"स्तंभ 5, पंक्ति 30, -

"खंड (2)" के लिए

स्थानापन्न "उपधारा (2)", (6)

"स्तंभ 5, पंक्ति 36, -

"खंड (1)" के लिए,

स्थानापन्न "उपधारा (1)", (7)

"पेज 5, पंक्ति 38 *के बाद, डालें*-

"(5) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "राज्य" का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26बी) में दिया गया है।" " (8)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री सी.एन. जयदेवन, क्या आप अपने संशोधन संख्या 45 को खंड 18 में ले जा रहे हैं?

श्री सी.एन. जयदेवन: हाँ महोदया, मैं संशोधन संख्या 45 को खंड 18 में स्थानांतरित कर रहा हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 5, पंक्ति 32, -

"संघ राज्यक्षेत्र" के बाद,

"विधायिका के बिना" अंत:स्थापित करना, में रखना, डालना। (45)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सी.एन. द्वारा प्रस्तुत खंड 18 में संशोधन संख्या 45 रखूंगा। जयदेवन सदन के मतदान के लिए।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं खंड 18, यथा संशोधन, को सदन के मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"कि संशोधित रूप में खंड 18 विधेयक का हिस्सा बने।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .16 **पक्ष में 'हाँ** **अपराह्न 02:45 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

श्री ई. अहमद

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

[198]*चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

---

[198]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

[199]*कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

---

[199]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

[200]*मोहन, श्री एम. मुरली

---

[200]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मुंडा, श्री करिया

[201]*मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

---

[201]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

[202]*रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

---

[202]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

[203]*सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी,डॉ. किरिट पी

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

---

[203]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्रीमती डिम्पल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

‘ना’ के पक्ष में

शून्य

मतदान में अनुपस्थित

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[204*], विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष: 348

विपक्ष: शून्य

अनुपस्थित : 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19 वस्तु एवं सेवा कर की शुरूआत के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को मुआवजा

माननीय अध्यक्ष: खंड 19 में पाँच संशोधन हैं। प्रो. सौगत राय, क्या आप अपने संशोधन संख्या 11 और 12 को खंड 19 में स्थानांतरित कर रहे हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, संशोधन संख्या 11 'हो सकता है' के स्थान पर 'चाहिए' को प्रतिस्थापित करने के संबंध में था, जिससे भारत सरकार के लिए राज्य को पाँच साल की अवधि के लिए राजस्व के नुकसान की भरपाई करना अनिवार्य हो गया। लेकिन माननीय वित्त मंत्री श्री जेटली ने हमें आश्वासन दिया है कि कानूनी

[204*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:
हाँ: **348** + श्री राजेशभाई चुडासमा, अश्विनी कुमार, एम. मुरली मोहन, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, श्री वीरेंद्र सिंह = **354,**
नहीं: 000
अनुपस्थित: 001

भाषा में 'हो सकता है' और 'होगा' का मतलब एक ही है। चूँकि मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ और श्री जेटली सम्माननीय व्यक्ति हैं, इसलिए मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना नहीं है।

दूसरी बात यह है कि मैं चाहता था कि ऐसी अवधि के लिए, जो पाँच साल तक बढ़ सकती है या ऐसी अवधि के लिए जो पाँच साल से कम नहीं होगी, उन्होंने कहा है कि राज्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए पाँच साल तक मुआवजा दिया जाएगा। चूंकि उनका कथन, वक्तव्य हमारी चिंताओं को पूरा करता है, इसलिए मैं संशोधन संख्या 12 भी पेश नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल शेवाले, क्या आप अपने संशोधन संख्या 30 को खंड 19 में स्थानांतरित कर रहे हैं?

श्री राहुल शेवाले: महोदया, मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. पी. वेणुगोपाल, क्या आप अपने संशोधन संख्या 34 को खंड 19 में स्थानांतरित कर रहे हैं?

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): हाँ, महोदया। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पेज 5, लाइन 40, -

""राजस्व की हानि के लिए राज्यों" के लिए,

स्थानापन्न "राजस्व की संपूर्ण हानि के लिए राज्य"। (34)

[अनुवाद] महोदया, मैं अपने संशोधन पर 'संपूर्ण' शब्द डालने के लिए दबाव डालता हूं ताकि केंद्र पांच साल की पूरी अवधि के लिए कुल नुकसान की भरपाई कर सके।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. पी. वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत खंड 19 में संशोधन संख्या .34 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, मुझे डिवीजन चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : लॉबी को पहले ही खाली कर दिया गया है।

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .17 **पक्ष में** **अपराह्न 02:48 बजे**

[205]*अहमद, श्री ई.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

बीजू, श्री पी. के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौटाला, श्री दुष्यंत

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

देव, श्री अरका केशरी

एलुमलाई, श्री वी.

जॉर्ज, एड. जॉयस

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

*गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

हिकाका, श्री झीना

जयवर्धन, डॉ. जे.

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

---

[205]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कामराज, डॉ. के.

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

श्री भर्तृहरि महताब

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मान, श्री भगवंत

मरागथम, श्रीमती के

मरुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पांडा, श्री बैजयंत जय

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

[206]*राझा, श्री ए अनवर

---

[206]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राधाकृष्णन, श्री टी.

*राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

[207]*श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

---

[207]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस.आर.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

<u>विपक्ष में</u>

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

[208]*मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

---

[208]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

[209]*सिंह, डॉ. जीतेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

---

[209]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

*सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

कुमार, श्री शैलेश

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[210*], विभाजन का परिणाम हैः

हाँ: 067

नही: 318

अनुपस्थित: 001

यह प्रस्ताव प्रक्रिया नियम के कार्यविधि नियम 155 और भारत का संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार पारित नहीं किया गया है।

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. पी. वेणुगोपाल, क्या आप अपने संशोधन संख्या 35 को खंड 19 में स्थानांतरित कर रहे हैं?

डॉ. पी. वेणुगोपाल: मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"पृष्ठ 5, पंक्तियाँ 41 और 42, -

"ऐसी अवधि के लिए जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है",

"उस अवधि के स्थान पर जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी" प्रतिस्थापित करें।(35)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं खंड 19 में संशोधन संख्या 35 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, मुझे डिवीजन चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : लॉबी को पहले ही खाली कर दिया गया है।

लोक सभा का विभाजन:

[210*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/संशोधित किए:

हां: **067** + श्री ई. अहमद, आर. गोपालकृष्णन, ए. अनवर राजा, एस. राजेंद्रन, श्रीमती पी.के.

श्रीमती टीचर = **072**

नहीं: **318** + श्री एम. मुरली मोहन, डॉ. जितेंद्र सिंह, श्री राकेश सिंह = 321, **अनुपस्थित**: **001**

विभाजन संख्या .18 **पक्ष में** **अपराह्न 02:50 बजे**

[211]*अहमद, श्री ई.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

बीजू, श्री पी. के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

*दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

देव, श्री अरका केशरी

एलुमलाई, श्री वी.

जॉर्ज, एड. जॉयस

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

हिकाका, श्री झीना

जयदेवन, श्री सी.एन

जयवर्धन, डॉ. जे.

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

---

[211]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कामराज, डॉ. के.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

श्री भर्तृहरि महताब

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मरागठम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

नागराजन, श्री पी.

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पांडा, श्री बैजयंत जय

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री टी.

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

[212]*सेनगुट्टुवन, श्री बी।

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमती

---

[212]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

विजय कुमार, श्री एस.आर.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

विपक्ष में

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

[213]*आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

---

[213]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

[214]*भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

---

[214]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

[215]*चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

---

[215]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

करान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

*पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रताप, श्री कृष्ण

[216]*रादडिया, श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

[216]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

[217]*सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

---

[217]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

शून्य

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन[218*], विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष: 070

विपक्ष: 304

अनुपस्थित : 000

यह प्रस्ताव प्रक्रिया नियम के कार्यविधि नियम 155 और भारत का संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार पारित नहीं किया गया है।

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी - उपस्थित नहीं।

इससे पहले कि मैं खंड 19, को सदन में मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह देश की शासन व्यव्सथा है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

"कि खंड 19 विधेयक का हिस्सा बना रहे।"
लोक सभा का विभाजन:

[218*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने वोट दर्ज/सुधार किए:

हाँ: **070** + श्री ई. अहमद, शंकर प्रसाद दत्ता, बी. सेनगुट्टुवन= **073**

नही: **304** + श्री कीर्ति आज़ाद, देवेन्द्र सिंह भोले, अश्विनी कुमार चौबे, कपिल मोरेश्वर पाटिल, विट्ठलभाई हंसराजभाई रादडिया, श्रीमती नीलम सोनकर = **310**

अनुपस्थित: **000**

विभाजन संख्या .19 **पक्ष में** **अपराह्न 02:52 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

[219]*अहमद, श्री ई।

*श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा

*अनंतकुमार,श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

---

[219]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बालियान, डॉ. संजीव

*बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

[220]*भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

---

[220]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

[221*]कुलस्ते श्री फग्गनसिंह

[221*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

[222]*लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

---

[222]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

[223]*मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

---

[223]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

[224]*राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

---

[224]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

विपक्ष में

देव, श्री अरका केशरी

हिकाका, श्री झीना

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

माझी, श्री बलभद्र

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

माननीय अध्यक्षा: सुधार[225*] के अधीन, विभाजन का परिणाम है:

पक्ष: 324

विपक्ष: 009

अनुपस्थित : 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 संक्रमणकालीन प्रावधान

माननीय अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं खंड 20 को सदन में मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

"कि खंड 20 विधेयक का हिस्सा बना रहे।"

लोक सभा का विभाजन:

[225*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने वोट दर्ज/सुधार किए:

हाँ: 324 + श्री ई. अहमद, कराडी संगन्ना अमरप्पा, अनंतकुमार, सुदीप बंद्योपाध्याय, देवेन्द्र सिंह भोले, फग्गन सिंह कुलस्ते, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, पुत्र श्री अनूप मिश्रा , थोटा नरसिम्हम, श्रीमती कृष्णा राज = **334**

नही: **009**

अनुपस्थित **001**

विभाजन संख्या .20 **पक्ष में** **अपराह्न 02:53 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

[226]*अहमद, श्री ई

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

---

[226]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

[227]*चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

---

[227]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

[228]*महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

---

[228]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

[229]*सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

---

[229]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

[230]*यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

---

[230]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>विपक्ष में</u>

शून्य

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

शून्य

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[231*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष: 341

विपक्ष: शून्य

अनुपस्थित : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21 राष्ट्रपति की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

माननीय अध्यक्ष अब, खंड 21 में तीन संशोधन हैं। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन खंड 21 में संशोधन संख्या 27, 37 और 46 प्रस्तुत करना।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पेज 6, पंक्ति 10 और 17 के लिए, -

संशोधित संविधान के प्रावधानों के स्थान पर "इस अधिनियम" को प्रतिस्थापित करें
इस अधिनियम द्वारा, सरकार ऐसी प्रतिवेदन पेश कर सकती है।
कठिनाइयों को दूर करने के प्रस्ताव के साथ।

[231*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:
हाँ: 341 + श्री ई. अहमद, अश्विनी कुमार चौबे, बंशीलाल महतो, श्रीमती नीलम सोनकर, श्री लक्ष्मी नारायण यादव = **346**
नहीं:000
अनुपस्थित **: 000**

संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष एक के भीतर कठिनाइयाँ
इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति की तिथि से वर्ष।" (46)

महोदया, मैंने खंड 21 में तीन संशोधन प्रस्तावित किये हैं। एक संशोधन संख्या .27 है जिसे मैं पेश नहीं कर रहा हूं। फिर, मैं संशोधन संख्या .37 पेश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं संशोधन संख्या .46 पेश कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 21 के संशोधन संख्या 46 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 6, पंक्ति 14, -

के लिए "तीन वर्ष"
स्थानापन्न "एक वर्ष"। (27)

मैंने अपना संशोधन पेश कर दिया है। राज्य सूची में मादक शराब को अनुमति देने के केंद्र के कदम का स्वागत करते हुए, हम पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखने की आवश्यकता और आवश्यकता को भी दोहराते हैं। अतःमैं खंड 14 में पेट्रोलियम उत्पादों की सूची के अंतःस्थापनार्थ, अंत:स्थापित करना, में रखना, डालनाअपना संशोधन पेश करने पर जोर देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री टी.जी. द्वारा प्रस्तुत खंड 19 में संशोधन संख्या 27 रखूंगा। वेंकटेश बाबू सदन के मतदान के लिए।

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): महोदया, मुझे डिवीजन चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : लॉबी को पहले ही खाली कर दिया गया है।

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .21 **पक्ष में** **अपराह्न 02:57 बजे**

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

[232*]बीजू, श्री पी.के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

एलुमलाई, श्री वी.

जॉर्ज, एड. जॉयस

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

जयदेवन, श्री सी.एन

जयवर्धन, डॉ. जे.

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कामराज, डॉ. के.

करुणाकरण, श्री पी.

[232*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

महेन्द्रन, श्री सी.

मरागठम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री टी.

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

सलीम, श्री मोहम्मद

संपत, डॉ. ए.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमती

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस.आर.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

[233]*यादव, श्रीमती डिम्पल

---

[233]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में</u>

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

[234]*देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

---

[234]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

[235]*क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

---

[235]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

माझी, श्री बलभद्र

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

[236]*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

---

[236]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नटूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

[237*]श्रीरामुलु, श्री बी.

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

[237*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

टेनी, श्री अजय मिश्रा

[238]*ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

---

[238]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

मतदान में अनुपस्थित

मान, श्री भगवंत

सुले, श्रीमती सुप्रिया

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[239*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष: 054

विपक्ष: 324

अनुपस्थित : 002

यह प्रस्ताव प्रक्रिया नियम के कार्यविधि नियम 155 और भारत का संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार पारित नहीं किया गया है।

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं खंड 21 को सदन में मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

"कि खंड 21 विधेयक का हिस्सा बना रहे।"

लोक सभा का विभाजन:

[239*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये

हां: 054 + श्री पी.के. बीजू, श्रीमती डिम्पल यादव - श्री कलिकेश एन. सिंह देव= **055**

नही: 324 + श्री कलिकेश एन. सिंह देव, एन. क्रिस्टप्पा, थोटा नरसिम्हम, बी. श्रीरामुलु, अनुराग सिंह ठाकुर = **329**

अनुपस्थित: 002

विभाजन संख्या .22 | **पक्ष में** | **अपराह्न 02:58 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

[240]*आदित्यनाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

श्री ई. अहमद

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

---

[240]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

*बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

*बिरला, श्री ओम

[241]*श्री रामचरण बोहरा

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

---

[241]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुड़ासमा, श्री राजेश भाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

[242]*कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

---

[242]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

[243]*क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

*लागुरी, श्रीमती शकुंतला

---

[243]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मुंडा, श्री करिया

*मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

[244]*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

---

[244]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

[245]*रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

---

[245]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

[246]*शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

---

[246]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वर्मा, डॉ. अंशुल[247]*

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

[248]*यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

247

248* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में</u>

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

[249]*भारती मोहन, श्री आर.के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

*चिन्नायन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

*गोपालकृष्णन,श्री सी।

*गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

*महेन्द्रन,श्री सी।

*मरागाथम, श्रीमती के.

नागराजन, श्री पी.

*नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

*परसुरामन, श्री के.

*प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राजा, श्री ए. अनवर

---

[249]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राधाकृष्णन, श्री टी.

[250]*राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

*सत्यबामा, श्रीमती वी.

*सेनगुट्टुवन, श्री बी।

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

*उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

*वासंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

*वेणुगोपाल, डॉ. पी.

विजय कुमार, श्री एस.आर.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

कुमार, श्री शैलेश

*

---

[250]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[251*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष: 345

विपक्ष: 018

अव्यक्त : 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

माननीय अध्यक्ष : अब, मंत्री जी संशोधन संख्या 2 को खंड 1 में स्थानांतरित करेंगे।

संशोधन किया गया:-

पृष्ठ 1,पंक्तियाँ 2 और 3,-

"(एक सौ बाईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014" के लिए
स्थानापन्न "(एक सौवाँ संशोधन) अधिनियम, 2015"। (2)

[251*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने वोट दर्ज/सुधार किए:

हाँ: **345** + योगी आदित्यनाथ, डॉ. संजीव बालियान, श्री ओम बिड़ला, रामचरण बोहरा, श्रीमती कविता कल्वाकुंतला, श्रीमती सकुंतला लागुरी, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, श्री थोटा नरसिम्हम, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, पुत्र श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लक्ष्मी नारायण यादव, = **356**

नही: 018 + श्री आर.के. भारती मोहन, एस.सेल्वाकुमारा चिन्नैयन, सी. गोपालकृष्णन, आर. गोपालकृष्णन, सी. महेंद्रन, श्रीमती के. मरागथम, एस/श्री जे.जे.टी. नटर्जी, के.परसुरामन, के.आर.पी.

प्रभाकरन, एस. राजेंद्रन, श्रीमती बी. सत्यबामा, बी. सेनगुट्टुवन, एम. उदयकुमार, श्रीमती एम. वसंती, डॉ. पी. वेणुगोपाल = **033**

अनुपस्थित: **001**

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं खंड को सदन में मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मतदान मत विभाजन द्वारा होना चाहिए। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

"खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का हिस्सा है।

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .23 **पक्ष में** **अपराह्न 02:59 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

श्री ई. अहमद

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

[252]*बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

---

[252]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

[253]*कुमार, कुँवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

---

[253]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

[254]*मिश्रा, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

---

[254]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

श्रीमती संध्या राय

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वाघेला, श्री एल.के।

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>विपक्ष में</u>

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

हरि, श्री जी.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

[255]*मरागाथम, श्रीमती के.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री टी.

*राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

---

[255]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस.आर.

<u>मतदान में अनुपस्थित</u>

शून्य

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[256*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष में,:-348

विपक्ष में,:-026

अनुपस्थित :-000

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

माननीय अध्यक्ष : अधिनियमन सूत्र में एक संशोधन है।

मंत्री संशोधन संख्या 1 पेश करेंगे।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, -

"पैंसठवें" के लिए,
स्थानापन्न "छियासठवाँ"। (1)

(श्री अरुण जेटली)

प्रश्न यह है:

"संशोधित अधिनियमन सूत्र, विधेयक का हिस्सा है।"

[256*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की।
हाँ: **348** + श्री ओम बिड़ला, कुँवर सर्वेश कुमार, पुत्र श्री जनार्दन मिश्रा, थोटा नरसिम्हम, विष्णु दयाल राम = **353**
नहीं: **026** + श्रीमती के मरागथम, श्री एस .राजेन्द्रन = **028**
अनुपस्थित: **000**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

विधेयक में विस्तृत नाम डाला गया है।

---

*

माननीय अध्यक्षः मंत्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि संशोधित विधेयक पारित किया जाए।

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष महोदया, इससे पहले कि मैं यह कहूं, खंड 12 में 1 पेटेंट त्रुटि है जिसके लिए 25 अप्रैल, 2015 को संशोधनधन के लिए एक पत्र दिया गया था। ऐसा लगता है कि कुछ संवादहीनता है। एक सौ बाईसवें संशोधन, 2014 में संख्या त्मक को सौवें संशोधन, 2015 के रूप में सही करना होगा क्योंकि संविधान संशोधन में पुनः संख्या ांकन होना है। यह शीर्षक और प्रारंभिक भाग में किया गया है लेकिन खंड 12 में यह करना होगा। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खंड 12 में संशोधन सचिवालय में प्राप्त नहीं हुआ था। हालाँकि, सदन ने खंड 1 में संशोधन को स्वीकार करते हुए संख्या परिवर्तन पर सहमति व्यक्त की है।

अत: खंड 12 में भी क्रमांकन किया जा सकता है।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: अब, लॉबी पहले से ही साफ हैं।

प्रश्न यह है:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या 24 **पक्ष में** **अपराह्न 03.06 बजे**

अधिकारी श्री दीपक (देव)

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

श्री ई. अहमद

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

[257*]ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

257* हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सुधार किया गया।

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डी (नाग),डॉ. रत्ना

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अरका केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

श्री देवजीभाई जी. फतेपुरा

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

[258*]गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

घोष, श्रीमती अर्पिता

[258*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

घुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरि, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

हिकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

[259]*कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खैरे, श्री चंद्रकांत

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

---

[259]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिस्टप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लागुरी, श्रीमती शकुन्तला

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

श्री विद्युत बरन महतो

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मान, श्री भगवंत

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मंडल, श्री सुनिल कुमार

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

[260]*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पांडे, श्री रविंद्र कुमार

---

[260]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी.आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती)

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी. वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रॉय,श्रीमती शताब्दी

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

[261]*सिंह, श्री अभिषेक

*सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

---

[261]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बाल्का

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती ममता

ठाकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

ऊंटवाल, श्री मनोहर

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागापल्ली , श्री वरप्रसाद राव

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>विपक्ष में</u>

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

महेन्द्रन, श्री सी.

मरागठम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री टी.

राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस.आर.

मतदान में अनुपस्थित

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

जॉर्ज, एड. जॉयस

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

राजेश, श्री एम.बी.

सलीम, श्री मोहम्मद

संपत, डॉ. ए.

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमती

माननीय अध्यक्ष : संशोधन के अधीन[262*], विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष: 352

विपक्ष: 037

अनुपस्थित : 010

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से वहन किया जाता है।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : लॉबी अब खोली जा सकती हैं। सभा की कार्यवाही अपराह्न 4.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की गई।

<u>अपराह्न 03.13 बजे</u>

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न 16 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

[262*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/संशोधित किए:

हां: **352** + श्री रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा, संतोष कुमार गंगवार, डॉ. रामशंकर कठेरिया, श्री थोटा नरसिम्हम, अभिषेक सिंह, भरत सिंह = **358**

नहीं: **037**

अनुपस्थित: **010** + श्री एम.बी. राजेश - श्री रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा = **010**

अपराह्न 04.19 बजे

लोकसभा 16 बजकर 19 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 के बारे में प्रस्ताव- जारी।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब मद संख्या 18 उठाया गया था, तो माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को सदन में मत के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, अब मैं प्रस्ताव को मत के लिए रखूंगा।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): वह क्या है?

माननीय उपाध्यक्ष : यह मद संख्या 18 के संबंध में प्रस्ताव है।

प्रश्न यह है:

" कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आवंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपायों का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, जो लोक सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2014 को पारित किया गया और 15 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया, को वापस लिए जाने के लिए दी जा रही अनुमति से सहमत है। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): यह क्या है? यह कैसे किया जा सकता है?

......(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इसे यहां सर्वसम्मति से, एकमत होकर पारित कर दिया था। अब इसे पास करने के बाद आप इसे तुरंत वापस ले सकते हैं? कारण क्या है? ......(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : अब यह ख़त्म हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपको सिर्फ राज्यसभा में हार का डर है और आप इसे यहां वापस लेना चाहते हैं।

......(व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।

......(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं! आप इसे अपनी इच्छानुसार कभी भी पेश कर सकते हैं! तो किसी भी नियम का पालन न करें ......(व्यवधान) आप प्रक्रिया नियम, कार्यविधि नियम को ताक पर रख देते हैं। ......(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, यह एक संसदीय अभ्यास है। ऐसा पहले भी किया जा चुका है।

......(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: दोनों सदनों ने कोयला खदान (विशेष प्रावधान) विधेयक पारित कर दिया है। यह एक पुराना संस्करण है जो अब निष्फल है। इसलिए, इसे राज्यसभा से वापस ले लिया गया है और हमने केवल इसकी सूचना लोक सभा को दी है।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है।

06.05.2015

अपराह्न 04.22 बजे

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014

माननीय उपाध्यक्ष : अब, सभा मद संख्या 22 - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 पर विचार करेगा।

माननीय मंत्री।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती) मेनका संजय गांधी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

> "कि विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का, बालकों से सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत् दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए तथा उसे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए समेकन और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए।"

माननीय उप सभापति: श्री शशि थरूर।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदय, हमारे संशोधन स्वीकृत नहीं किये गये हैं। ......(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : महोदया, क्या आप अंत में उत्तर देने जा रही हैं?

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): महोदय, हम सिद्धांत का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): क्या आप कल उत्तर दे रही हैं?

श्रीमती मेनका संजय गांधी: नहीं, मैं आज ही उत्तर देना चाहूंगी।

महोदय, उनके संशोधन कार्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें आज सुबह ही दिया है। ......(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : महोदया, कृपया आप विधेयक पर बोल सकती हैं।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : उन्हें बोलने दीजिए। फिर, उसके बाद मैं मिस्टर थरूर आपको बुलाऊँगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हर बार वे गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। वे उसी दिन विधेयक पुरःस्थापित करते हैं; वे एक ही दिन बोलते हैं, एक ही दिन जवाब देते हैं और आप हमारे संशोधनों को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके लिए हर चीज़ से छूट देना, अवमुक्त है; और हमारे लिए, आप कहते हैं: "आपने अपने संशोधन समय पर नहीं दिये हैं। इसलिए, उन्होंने उन्हें स्वीकृत नहीं किया है।" यह क्या है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. महोदय।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, कार्यविभाजन सूची, व्यापारिक कार्य सूची में शामिल होने का निर्णय कल ही लिया गया था। इसीलिए हमने आज संशोधन पेश किया है। महोदय, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया पटल कार्यालय को हमारे संशोधनों को स्वीकार करने का निर्देश दें।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इस मामले को देखूंगा।

हाँ, अब, माननीय मंत्री जी।

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदय, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एक दशक से अधिक समय से प्रचालन है। अधिनियम के कार्यान्वयन के 14 वर्षों में कई मुद्दे उठे हैं जिन्होंने इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बाधित किया है। इनमें से कुछ मुद्दे हैं:

- बच्चों द्वारा किये जाने वाले जघन्य अपराधों में वृद्धि।
- घरों में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण संस्थानों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट की गई घटनाओं में वृद्धि।
- बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों द्वारा निर्णयों में देरी के कारण मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं।
- बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों की भूमिका, जिम्मेदारियों और जवाबदेही के बारे में स्पष्टता का अभाव;
- गोद लेने में देरी;
- बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त प्रावधान; और
- अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के साथ क्या किया जाए, इस बारे में दिशा-निर्देशों का अभाव, लेकिन उन्हें गोद नहीं लिया जा सकता।

प्रस्तावित विधेयक इन मुद्दों को संबोधित करने और वैधानिक निकायों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करके और प्रक्रियाओं को परिभाषित करके जेजे प्रणाली के कार्यान्वयन को मजबूत करने का प्रयास करता है। विधेयक अपने दायरे में आने वाले बच्चों से संबंधित सभी मामलों में बाल-अनुकूल क्षेत्र, कार्य-क्षेत्र परिधि रखता है और विभिन्न पुनर्वास और पुनर्एकीकरण पहुँच का प्रावधान करता है।

जैसा कि प्रतिष्ठित सदन को ज्ञात है, विधेयक को जांच के लिए मानव संसाधन विकास पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति की प्रतिवेदन का हमारे द्वारा सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया और प्रावधानों को और मजबूत करने के लिए विधेयक में सिफारिशें प्रस्तावित की गई हैं। विधेयक में 111 खंड हैं जो दस अध्यायों में वितरित हैं। मैं विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताना चाहूंगी।

पहला बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों से संबंधित है। खंड 2(33) के तहत परिभाषित जघन्य अपराध वे हैं जिनके लिए आईपीसी या किसी अन्य कानून के अधीन न्यूनतम सजा सात साल अथवा उससे अधिक की कैद है। खंड 15 (एफ) के अधीन, यदि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा जघन्य अपराध किया जाता है, तो बच्चे पर जेजे प्रणाली की प्रक्रियाओं के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे को तीन साल से अधिक समय तक कैद में नहीं रखा जाएगा।

यदि 16-18 वर्ष की आयु के बच्चे द्वारा कोई जघन्य अपराध किया जाता है, तो बच्चे को सबसे पहले किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। खंड 16 के अधीन बोर्ड आचरण(कर मूल्य) निर्धारण करना है। बोर्ड द्वारा मूल्यांकन कोई परीक्षण नहीं है, बल्कि बच्चे की अपराध करने की क्षमता का आकलन करना है और क्या बच्चे के पास कथित अपराध करने के लिए 'बाल मन' या 'वयस्क दिमाग' था। प्रारंभिक (कर मूल्य) निर्धारण के आधार पर बोर्ड अथवा तो मामले का निपटारा स्वयं कर सकता है अथवा निर्णय ले सकता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इस प्रकार खंड 19(3) के अधीन मामले की सुनवाई को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है। जब मामला बाल न्यायालय के समक्ष आता है, तो खंड 20के अधीन बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा

चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे मामलों में, बाल न्यायालय के पास आचरण न्याय बोर्ड की शक्ति है और इसलिए, मामले को बोर्ड को वापस स्थानांतरित करने के लिए, बाल न्यायालय जांच कर सकता है और तदनुसार आदेश पारित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी बच्चे को तीन साल से अधिक की निरोध् में नहीं रखा जाएगा। दूसरी ओर, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है और इस प्रकार, सीआरपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। पीसी. ऐसे मामले में हिरासत की मात्रा विधेयक में निर्धारित नहीं है और इसे बाल न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

विधेयक के खंड 22 में कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी बच्चे को रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। खंड 20 के तहत विधेयक में यह भी कहा गया है कि जब बाल न्यायालय को पता चलता है कि बच्चे ने अपराध किया है तो वह बच्चे को "सुरक्षा के स्थान" पर रखने का आदेश देगा, जो कि बच्चे के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जेल नहीं है। . 21 वर्षों के बाद, बाल न्यायालय बच्चे की प्रगति की समीक्षा करेगा और या तो बच्चे को परिवीक्षा पर रिहा कर सकता है या यदि बच्चा सुधार योग्य नहीं है तो शेष अवधि के लिए बच्चे को जेल भेज सकता है।

हम खंड 25 में संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं, जो अयोग्यता से संबंधित है। इस खंड में कहा गया है कि जब बाल न्यायालय को पता चलता है कि बच्चे ने वयस्क के रूप में अपराध किया है, तो बच्चे को लागू कानून के तहत दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। बाल न्यायालय बच्चे का रिकॉर्ड भी रखेगा। अन्य सभी मामलों में, विधेयक की धारा 25 के आधार पर, के कारण बच्चा अयोग्यता से सद्गुण है। हम

खंड 102 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर रहे हैं। यह प्रस्तावित है कि प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद बोर्ड द्वारा दिया गया आदेश सत्र न्यायालय के समक्ष अपील योग्य है और खंड 102 के तहत अपील पर निर्णय लेने में न्यायालय उन लोगों के अलावा अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई है। प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान।

दूसरा महत्वपूर्ण, सार्थक प्रावधान अंगीकरण, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने से संबंधित है। वर्तमान, मौजूदा कानूनों के रसद बोझिल हैं और बच्चे को गोद लेने में बहुत लंबा समय लगता है।

वर्तमान जेजे अधिनियम में, अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चों को आवास देने वाले संस्थान विशिष्ट अंगीकरण एजेंसियों (एसएए) से जुड़े नहीं हैं और इसलिए इन संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को गोद लेने के लिए नहीं रखा जा सकता है। खंड 67 के अधीन, इन संस्थाओं को विशिष्ट दत्तक अंगीकरण एजेंसियों के साथ औपचारिक संबंध विकसित करना और बच्चों का ब्योरा प्रस्तुत करने की आवश्यक है।

एनआरआई को भारतीयों के सममूल्य पर, बराबर, समान मानने का भी प्रस्ताव है जो फिलहाल नहीं है। खंड 60 के अधीन, यदि किसी बच्चे को कानूनी रूप से स्वतंत्र अंगीकरण करने के 60 दिनों के भीतर घरेलू गोद लेने में नहीं रखा जाता है, तो बच्चे को अंतर-देशीय गोद लेने के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके वर्तमान, खंड 69 के अधीन, मौजूदा केंद्रीय दत्तक अंगीकरण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इसे वैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव है।

गोद लेने की विस्तृत प्रक्रियाएँ केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले दत्तक अंगीकरण बशर्ते, यह कि में प्रदान की जानी हैं, जिन्हें प्रस्तावित विधान के पारित होने के बाद विकसित

किया जाएगा। गोद लेने के अंगीकरण, विधेयक में प्रायोजन और पालन-पोषण देखभाल बशर्ते, यह कि अन्य गैर-संस्थागत उपाय भी प्रदान किए गए हैं। दोनों भारत के लिए नए हैं। हालाँकि ये उपाय दुनिया में नए नहीं हैं, हमने अधिक स्पष्टता लाने के लिए इन्हें विधेयक में परिभाषित किया है। खंड 45 में परिभाषित पालन-पोषण देखभाल का अर्थ है एक बच्चे को ऐसे परिवार में रखना, जो बच्चे से असंबंधित है और बच्चे को छोटी अथवा बढ़ाई गई अवधि, विस्तारित अवधि के लिए रखने में सक्षम और इच्छुक है। ऐसे परिवारों का चयन बाल कल्याण समिति द्वारा किया जाना है जो परिवार की क्षमता, मंशा, क्षमता और पूर्व अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लेगी। दूसरी ओर प्रायोजन का अर्थ है बच्चे की शैक्षिक, स्वास्थ्य और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रायोजन के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं जिनमें विधवाएं, तलाकशुदा अथवा परित्यक्त माताएं, विस्तारित, विस्तृत परिवारों के साथ रहने वाले अनाथ बच्चे, अथवा माता-पिता जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों के शिकार हैं अथवा दुर्घटना के कारण पीड़ित हैं, शामिल हैं। इन गैर-संस्थागत उपायों के पीछे का सिद्धांत, मूल प्रत्येक बच्चे को परिवार जैसा पर्यावरण प्रदान करना है, अथवा उसके संवृद्धि, वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल है।

अंत में, मैं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या करना चाहूँगी। वर्तमान, मौजूदा जे. जे. एक्ट किसी बच्चे के विरुद्ध किए गए केवल विशिष्ट अपराधों जैसे क्रूरता, दोहन, शोषण, भीख मांगने के लिए नियोजन, नशीली शराब अथवा नशीली दवा देना आदि को कवर करता है। बच्चों के विरुद्ध कई नए अपराध, जो अब तक किसी अन्य विधि, कानून के तहत पर्याप्त रूप से कवर नहीं किए गए हैं, उन्हें प्रस्तावित विधि, कानून में शामिल करने का प्रस्ताव है। अध्याय 9 में बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध शामिल हैं जैसे कि अवैध रूप से गोद लेना, बाल देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड, आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चे का उपयोग, विकलांग बच्चों

के खिलाफ अपराध, बच्चों का अपहरण और अपहरण सहित किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की बिक्री और खरीद। ये रसद सुनिश्चित करनाकि बच्चों को बशर्ते, यह कि संवृद्धि, वृद्धि के लिए सुरक्षित पर्यावरण प्रदान किया जाए।

प्रस्तावित विधान मौजूदा अधिनियम में कमियों को दूर करने और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्राथमिक कानून को समेकित करने का एक प्रयास है। विधेयक, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसके दायरे में आने वाले बच्चों से संबंधित सभी मामलों में बच्चों के अनुकूल क्षेत्र, कार्य-क्षेत्र परिधि रखता है, और विभिन्न पुनर्वास और पुन: एकीकरण पहुँच का प्रावधान करता है। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का, बालकों से सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत् दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए तथा उसे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए समेकन और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए। "

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। नियम 69 के तहत, व्यय से जुड़े विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन संलग्न किया जाएगा जो व्यय से जुड़े खंडों पर विशेष ध्यान आकर्षित करेगा और विधेयक के कानून में पारित होने की स्थिति में शामिल आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय का अनुमान भी देगा।

यहां किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 में खंड 4 के तहत हम देख सकते हैं कि एक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा रहा है और बाल कल्याण समितियां भी प्रस्तावित की जा रही हैं। इस विधेयक में ऐसे कई रसद हैं जो वित्तीय निहितार्थ पैदा करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि विधेयक का वित्तीय निहितार्थ क्या होगा। क्या इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है? सरकार का यही मतलब है। इसलिए, मैं इसके लिए एक विशिष्ट व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि प्रत्येक विधेयक में, यदि कोई वित्तीय निहितार्थ है, तो एक वित्तीय ज्ञापन होगा। इस विधेयक में कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष: क्या इसमें कोई वित्तीय भागीदारी है?

श्रीमती मेनका संजय गांधी: मैं कह रही हूं कि कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: किशोर न्याय बोर्ड है और बाल कल्याण समितियाँ भी हैं। ये सभी वित्तीय व्यय मदें/मदों हैं।

श्रीमती मेनका संजय गांधी: मैं बस इतना कह रही हूं कि ये पहले से ही अस्तित्व में हैं। एक नया नहीं है। वे पहले से ही अस्तित्व में हैं। वे पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए, इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक पर चर्चा में, मैंने मंत्री की बात ध्यान से सुनी लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुद से एक बुनियादी सवाल पूछने की जरूरत है। न्याय किसकी सेवा करना चाहता है? क्या राज्य अपनी दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग आंख के बदले आंख निकालने के लिए बदला लेने के लिए करता है, इस तरह से दंडित करने के लिए जिसे केवल आदिम के रूप में वर्णित किया जा सकता है? या, क्या हम लोगों को ग़लती से दूर करने और युवाओं के पुनर्वास के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में न्याय तंत्र का उपयोग करने की आशा करते हैं? यह प्रश्न उन बच्चों के मामले में और भी अधिक आवश्यक है जो अपराध करते हैं क्योंकि वे अक्सर अपने अन्याय, गलत काम की गंभीरता को समझने के लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होते हैं। क्या एक समाज के रूप में हम अब बच्चों से बदला लेना शुरू कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि यह बात कहां से आ रही है श्रीमान सभापति महोदय। 2012 में निर्भया पर हुए भयानक हमले से हम सभी भयभीत हैं। इसने राष्ट्रीय चेतना को झकझोर दिया। मैं खुद निर्भया के माता-पिता से एक बार नहीं बल्कि दो बार मिला। इसलिए, मुझे उनकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति है। लेकिन वास्तव में उस मामले को लेना और यह कहना कि मीडिया के अनुसार इनमें से कुछ जघन्य कृत्य एक किशोर द्वारा किए गए थे और वह न्यूनतम सजा के साथ बच जाएगा, सिस्टम को बदल दिया जाना चाहिए, यह भयानक है।

बहुत से लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि अगर वह बलात्कार करने के लिए पर्याप्त बूढ़ा है, तो वह हांग देने के लिए भी काफी बूढ़ा है। मैं उनका गुस्सा, उनकी भावना समझ सकता हूं। लेकिन, सभापति महोदय, इस पहुँच के साथ समस्या दोहरी है। सबसे पहले, यह बच्चों को वयस्कों के रूप में मानता है, जो कि नैतिक, कानूनी, संवैधानिक, नैतिक और भावनात्मक रूप से गलत है, जैसा कि मैं समझाऊंगा। निर्भया त्रासदी के तत्काल बाद यूपीए सरकार ने कई महीनों में व्यापक विचार-विमर्श किया, जिससे पुष्टि हुई कि ऐसा करने के तर्क भय, नैतिक आक्रोश, गलत सूचना और अज्ञानता पर आधारित थे। यही कारण है कि बदलाव की लोकप्रिय मांग के बावजूद हम नहीं झुके। और, किसी भी मामले में, अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण कानून, जो बोर्ड भर के सभी किशोरों के मामलों पर लागू होते हैं, एक बुरे उदाहरण के आधार पर निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं और न ही किए जाने चाहिए,

चाहे वह कितना भी भयानक या भयानक क्यों न हो। कानूनों को न्याय के साधन माना और अध्ययन किया जाता है। वे केवल एक उदाहरण पर आधारित नहीं हो सकते। यह आज की सरकार का कर्तव्य है कि वह खुद से पूछे कि क्या अच्छा कानून और अच्छा न्याय कभी किसी भावनात्मक स्थिति या किसी शीर्षक पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से पैदा हो सकता है।

अंगीकरण आदि के संबंध में कुछ सकारात्मक रसद के बावजूद, किशोर न्यायमूर्ति विधेयक ने इस सभा के समक्ष एक अत्यंत प्रतिगामी प्रस्ताव, प्रस्थापना (विधि) रखा है। यह तथ्य कि हम इस सभा में बैठकर बच्चों को वयस्क अपराधियों के रूप में दोषी ठहराने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में आदिम है, जिसने हमें 19वीं शताब्दी के अंधेरे में वापस धकेल दिया है। आधुनिक न्यायशास्त्र की दृष्टि से आज का दिन इस संसद के लिए काला दिन है। मुझे दुख के साथ सरकार पर न्याय के स्थान पर राजनीतिक सुविधा को चुनने का अभियोग लगाना चाहिए।

जैसा कि मंत्री ने समझाया है, यह विधेयक एक चयनात्मक प्रणाली बनाएगा जिसके तहत किशोर न्याय बोर्ड के पास कुछ अपराधों के आरोपी 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली में स्थानांतरित करने की विवेकाधीन शक्तियां होंगी। परीक्षण और दोषसिद्धि। जैसा कि जस्टिस वर्मा समिति ने 2013 में कहा था, "हम बच्चे को संविधान द्वारा दिए गए सबसे बुनियादी अधिकार प्रदान किए बिना उसे किसी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।"

ये अधिकार क्या हैं? किशोर न्याय विधेयक के खंड 16 और खंड 19(3) के तहत प्रावधान न केवल हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि इसके अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत, का उल्लंघन करते हुए, का संघर्ष करते हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, इस दस्तावेज़ में वह हमारे सामने है। तथ्य यह है कि, जैसा कि वह बताती हैं, एक तरफ यह 'किशोर' शब्द को 'विधि, कानून के साथ संघर्ष बच्चे' से बदल देता है, जो संभवतः अधिक मानवीय है। लेकिन इसी 'विधि, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे' पर वयस्क अपराधों के लिए संघर्ष चलाया जाना है, जो इस सरकार द्वारा कल्पित एक अमानवीय विचार है। यहां भी एक खामी है, 'संघर्ष के उल्लंघन में कथित बच्चा और कानून के उल्लंघन में पाया गया

बच्चा' शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इस विधेयक में इन्हें परस्पर उपयोग किया जाता है, भले ही 'के बीच एक स्पष्ट अंतर है' होने का आरोपित, अभिकथित लगाया गया और 'ऐसा पाया गया। यह सिर्फ एक और पुष्टि करना है कि यह एक बुरा विधि, कानून है जिसे बुरी तरह से लिखा गया है और जिस की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा से विचार किया गया है।

वे अपने उद्देश्यों और कारणों का कथन में दावा करते हैं कि वे वास्तव में उचित देखभाल, सुरक्षा आदि के माध्यम से 'संघर्ष में फंसे बच्चे' की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा पूरा करने जा रहे हैं, जैसा कि मंत्री आज "बाल मैत्रीपूर्ण" पहुँच कहते हैं। लेकिन जब आपकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच होती है तो "बच्चों के अनुकूल" पहुँच अचानक गायब हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं श्रीमान अध्यक्ष, लेकिन मैं यह दिखाने में आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि बच्चों को वयस्क प्रणाली में स्थानांतरित करना अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने में विफल रहा है, किशोर अपराध दर को कम करने में विफल रहा है और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में विफल रहा है। वास्तव में, यह विधेयक वास्तव में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ाएगा क्योंकि किसी बच्चे को वयस्क आपराधिक मुकदमे में दोषी ठहराए जाने से बच्चा अपने मूल अधिकारों की पूर्ति से वंचित हो जाएगा, जिससे उसका शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास रुक जाएगा और अंततः हम और अधिक कठोर हो जाएंगे। सुधरे हुए वयस्कों की तुलना में अपराधी। एक अमेरिकी अध्ययन है जिसने स्थापित किया है कि वयस्क जेलों से रिहा किए गए 80 प्रतिशत किशोर अधिक गंभीर अपराध करते हैं। तो, यह सरकार क्या प्रस्ताव दे रही है? किसी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करना और बच्चों को आजीवन कारावास देना न तो बच्चे के हित में है और न ही समग्र रूप से हमारे समाज के हित में है।

मंत्री का कहना है कि अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने आंकड़ों का सटीक अध्ययन नहीं किया है क्योंकि 14 साल पहले इसी मंत्री ने हमारे पास अधिक प्रगतिशील कानून पेश किया था जिसे पुरःस्थापित किया गया हैं।

उन्होंने 2000 में बचाव किया था। मैंने उनकी वाद-विवाद को देखा है और कहा है कि यह एक बच्चों के अनुकूल पहुँच था और कहा कि 2000 से पहले के रसद को बदलने के लिए इसकी आवश्यकता थीं। उन्होंने कहा था कि 2000 का किशोर न्याय अधिनियम सभी बच्चों के लिए सुधार, सुधारना, सुधार करना-सुरक्षा प्रणाली सिद्ध करना। मैं बहुत निराश हूं कि आज, पंद्रह साल बाद उसी मंत्री ने अपने स्वयं के प्रगतिशील कानून को बदलने और एक सुधार, सुधारना, सुधार करना संरक्षण प्रणाली को एक हानिकारक दंडात्मक प्रणाली से बदलने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

महोदय, हमारे देश में 472 मिलियन बच्चे हैं। इन सभी में से केवल 1.2 प्रतिशत ने ही अपराध किये हैं। मैं वर्ष 2012-13 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। गंभीर और जघन्य अपराध करने वाले बच्चों की संख्या और भी कम थीं। वर्ष 2013 में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए सभी बच्चों में से 2.17 प्रतिशत पर हत्या और 3.5 प्रतिशत पर बलात्कार का आरोप था। यह एक प्रतिशत का दो प्रतिशत है। तो, हम अपने राष्ट्रीय अपराध आंकड़ों के अनुसार, इस देश में मुट्ठी भर मामलों के बारे में बात कर रहे हैं। हम ऐसा कानून कैसे पारित कर सकते हैं जो इस देश के अन्य 99.98 प्रतिशत बच्चों को खतरे में डाल देगा क्योंकि हम अति-प्रतिक्रिया कर रहे हैं या यह सरकार इन मुट्ठी भर मामलों पर अति-प्रतिक्रिया करना चाहती है? वैसे ये सिर्फ दर्ज एफआईआर के आंकड़े हैं। उनमें से कितने दोषी पाए गए, इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है इनमें से कई बच्चे शायद दोषी भी नहीं रहे होंगे।

इस सरकार जो उपकरण चाहिए वह यह है कि उसे विधि, कानून का संघर्ष, विरोध करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए वर्तमान, मौजूदा रसद को ठीक से औजार लागू करना चाहिए। इसके बजाय, वह किशोर पुनर्वास प्रणाली की विफलताओं के लिए बच्चों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। सरकार को किशोर न्याय प्रणाली को स्थिर करना चाहिए न कि इसे नजरअंदाज कर हमारे बच्चों को प्रताड़ित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष,महोदय, एक बात और समझ लीजिए यह विधि, कानून मुख्य रूप से देश के गरीबों और हमारे समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्गों ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को प्रभावित करेगा। मेरी

बात मानें: विधि, कानून का संघर्ष करने वाले बहुसंख्यक बच्चे अशिक्षित परिवारों, गरीब घरों या बेघर लोगों से आते हैं। मुझे आंकड़े मिले हैं जो हमें बताते हैं कि 2013 में गिरफ्तार किए गए 77.5 प्रतिशत बच्चे ऐसे परिवारों से थे जिनकी मासिक घरेलू आय 4,200 रुपये से कम थीं। इससे पता चलता है कि ये बच्चे कितने गरीब हैं। अस्सी-सातप्रतिशत ने कोई उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थीं। ये वे लोग हैं जिन्हें वे शिक्षा देने की कोशिश करने की बजाय, उन्हें हमारे समाज में एकीकृत होने का अवसर देने की कोशिश करने की बजाय दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सचमुच न्याय का प्रश्न है? क्या यह निष्पक्षता है या इस सरकार के लिए यह राजनीतिक सुविधा है?

इस प्रावधान में संवैधानिक वैधता का भी अभाव है। बच्चों के साथ चयनात्मक और असमान व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15(3) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यहां, अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत विधि, कानून की समता सुरक्षा खत्म हो गई है और विधि, कानून के समक्ष समानता भी खत्म हो गई है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष रसद अधिनियम बनाना, अधिनियमित करना की अनुमति देता है क्योंकि वे असुरक्षित हैं। अब, उन्होंने जो किया है वह यह है कि विधेयक का खंड 7 भी संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय विधि, कानून के तहत दिए गए दंड से अधिक जुर्माना नहीं दिया जाना चाहिए। अपराध के घटित होने का। लेकिन अगर आप 16 साल की उम्र में कोई अपराध करते हैं और वे आपको 21 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लेते हैं तो इस विधि, कानून के तहत आप पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी ठहराया जाएगा। तथ्य यह है कि यह अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रक्रियात्मक मनमानी पर संवैधानिक निषेध के साथ-साथ अनुच्छेद 21 में निष्पक्षता के परीक्षण का उल्लंघन करता है।

किशोर न्याय बोर्ड को उनकी आरंभिक जाँच के लिए दी गई एक महीने की अवधि बेहद कम है और इससे निर्दोषता की नहीं बल्कि अपराध की धारणा बन सकती है, जो स्वयं संविधान का उल्लंघन है।

महोदय, जब हम उद्देश्यों और कारणों का कथन को देखते हैं, तो यह कहता है कि उद्देश्यों में से एक देश के कानूनों और वर्तमान किशोर प्रणाली को 1989 के बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप

लाना है। विधेयक इसे निर्दिष्ट करता है लेकिन वास्तव में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 16 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों के बीच अंतर करके कन्वेंशन को छोड़ रहा है। कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 में घोषणा की गई है कि कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों को मंत्री और उनके विधेयक के प्रावधानों के विपरीत, सार्वजनिक सुरक्षा पर बच्चे के हित को महत्व देना चाहिए। हम बहुत ईमानदारी से देख रहे हैं कि निर्दोषता की धारणा का पूरा सिद्धांत, मूल बोर्ड पर छोड़ दिया गया है क्योंकि यह किशोर न्याय बोर्ड है जो यह निर्धारित करने जा रहा है कि किसी बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। वे बच्चे के अपराध की जांच करने और उसे स्थापित करने में सक्षम नहीं होंगे। न्याय वर्मा समिति ने कहा था कि इस तरह का बदलाव वास्तव में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दी गई भारतीय गारंटी का उल्लंघन होगा।

यह विधेयक किशोर न्याय प्रशासन,1985 या बीजिंग नियमों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियमों का भी उल्लंघन करता है, जिसके तहत किसी अपराध के आरोपी बच्चे या युवा व्यक्ति के साथ एक वयस्क से अलग व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। यह उनकी स्वतंत्रता से वंचित किशोरों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम 1990 का भी उल्लंघन करता है। यह विधेयक समान अवसर का उल्लंघनकर्ता है क्योंकि यह हर उस सिद्धांत, मूल का उल्लंघन करता है जिसका वह संभवतः उल्लंघन कर सकता है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा निंदा निश्चित रूप से की जाएगी। इस सरकार को दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा करने में शायद कोई शर्मिंदगी न हो, लेकिन इस संसद में हमारे पास इस प्रतिगामी कदम को बिना लड़े स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

विधेयक का खंड 22 कम से कम दयालुतापूर्वक और शुक्रपूर्वक एक बच्चे को मृत्युदंड से छूट देता है लेकिन सच्चाई यह है कि सभी बच्चों को फिर भी 20 साल तक हिरासत में रखे जाने का खतरा है। 20 साल बाद वह एक कठोर अपराधी बन जाएगा और आप इस बात पर निश्चिंत हो सकते हैं। जब वह वयस्क जेल में 20 साल बिता चुका है तो वह समाज में फिर से शामिल नहीं होगा। वे किसी बच्चे के साथ ऐसा करने के बजाय आसानी से तीन साल के नियम को अधिकतम छह या सात साल में बदल सकते थे।

सरकार ने दोषी बच्चों को कठोर वयस्क अपराधियों से अलग, पृथक, भिन्न सुविधाओं में जेल में डालने के लिए क्या रसद किए हैं? मुझे इस विधेयक में कुछ भी नजर नहीं आता। क्या उनकी शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध हैं? मुझे इस विधेयक में कुछ भी नजर नहीं आता।

सच तो यह है कि हमारे देश में बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए उपलब्ध मानक भी बेहद ख़राब हैं। इसके लिए हम अधिकतर समय किस पर निर्भर रहते हैं? किसी स्कूल या नगर निगम से मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र होता है, लेकिन कई सरकारी और नगर निगम स्कूल अक्सर बच्चे की शारीरिक उपस्थिति के आधार पर उम्र दर्ज करते हैं, और अगर हम इसे पास कर लेते हैं तो जो बच्चे इस कानून से तुरंत प्रभावित होंगे। आज, उस समय पैदा हुए थे, यानी 2001 में जब इस देश में जन्म पंजीकरण का स्तर 58 प्रतिशत था। यह अनुमान लगाने का प्रश्न है कि वे कितने पुराने हैं।

वास्तव में, उम्र के प्रमाण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप वास्तव में किसी को यह कहते हुए दोषी ठहरा सकते हैं कि वह 16 वर्ष का है जबकि वास्तव में वह 15 वर्ष का है और किसी ने उसे स्कूल में प्रवेश देने के लिए बड़ी उम्र दी है। यदि आपको मुझ पर संदेह है, तो जनरल वी.के. सिंह से पूछें और वह आपको समझाएंगे कि यह कैसे काम करता है।

अब, तथ्य यह है कि संघर्ष महिला किशोर के लिए कोई विशेष रसद या दिशा-निर्देश नहीं हैं और यौन अपराधियों के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस कानून का इतनी आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है कि यदि बच्चे, उदाहरण के लिए किशोर, सहमति से यौन संबंध बनाते पाए जाते हैं तो पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है और उसे वयस्क जेल में भेजा जा सकता है। यह बेतुका है। 17 वर्ष के लड़के और 16 वर्ष की लड़की के साथ अब ऐसा किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है।

मुझे एहसास हुआ कि मेरा समय ख़त्म हो गया है। मुझे दो और बिंदुओं का उल्लेख करने के लिए बस 1 मिनट और चाहिए। एक यह है कि *लेक्स इनुस्टा नॉन एस्ट लेक्स* का कानून का एक पुराना स्थापित सिद्धांत है या एक अन्यायपूर्ण विधि, कानून बिल्कुल भी कानून नहीं है। मैं बस इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह बेहद अन्यायपूर्ण विधि, कानून है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह राय दी है कि 18 वर्ष से कम उम्र

के व्यक्तियों को किशोर माना जाना चाहिए और किए गए अपराधों के लिए अलग से व्यवहार किया जाना चाहिए और तथ्य यह है कि हमारा न्याय पुनर्वास के बारे में होना चाहिए न कि प्रतिशोध के बारे में।

सच तो यह है कि यह विधेयक समय की मांग नहीं है। हमारे देश में किशोर विधि, कानून के तहत बाल संरक्षण और विकास पर पर्याप्त, काफी ध्यान और निवेश देने की आवश्यकता है। यह सरकार किशोर न्याय प्रणाली को भूखा मार रही है। वे पैसा नहीं दे रहे हैं, पर्याप्त किशोर न्याय बोर्ड नहीं हैं, पर्याप्त बाल कल्याण समितियाँ नहीं हैं; आश्रय गृह, विशेष गृह और अवलोकन गृह जैसी पर्याप्त संस्थागत सेवाएँ नहीं हैं; और कोई प्रभावी निगरानी और समन्वय तंत्र नहीं है।

क्या मंत्री सचमुच यह तर्क दे सकते हैं कि हमारे देश में इस विधेयक को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक और न्यायिक रसद हैं? क्या वित्त मंत्री - मैं देख रहा हूं कि राज्य मंत्री वहां बैठे हैं, उन्हें इसके लिए आवश्यक संसाधन देंगे या क्या वित्त मंत्रालय फिर से उनके मंत्रालय के साथ वही करेगा जो उन्होंने आंगनबाड़ियों के साथ किया जहां उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है? पहले से ही, इस वर्ष क्या हुआ है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना के लिए अभी 400 करोड़ रुपये दिये गये हैं जो पिछले वर्ष संशोधित, परिशोधित प्राक्कलन से 11 फीसदी कम है। बच्चों के विकास, वृद्धि के लिए बजटीय आवंटन में भारी कटौती का सामना करना पड़ा है। राज्यों को आवंटन में 55 फीसदी की कमी, घटौती की गयी है। यदि सरकार उन्हें आर्थिक रूप से भूखा रखती है तो आप प्रणाली को कैसे मजबूत करना, समर्थ बनाना, सशक्त करना और इस विधेयक के प्रावधानों का प्रबंधन कैसे करेंगे? यह विधेयक और भी बड़ी आपदा साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस निष्कर्ष पर जोर देना चाहता हूं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जेल से बचाया जाना चाहिए और नियमित आपराधिक रूपरेखा से संरक्षित किया जाना चाहिए। हम लोकप्रिय राजनीतिक भावना को खुश करने के लिए एक बच्चे की बलि नहीं दे सकते।

कानून का उल्लंघन करने वाले सभी बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले लोगों को आवश्यक देखभाल, शिक्षा और परामर्श मिलना चाहिए और राज्य को पुनर्वास और सहायता के माध्यम से

उन्हें समाज में फिर से शामिल करने के लिए काम करना चाहिए, न कि प्रतिशोध के प्रतिगामी उपायों से उन्हें अलग कर देना चाहिए।

यदि हम इस विधेयक को पारित करते हैं, तो मैं इसे अपने मंत्री मंच से कहता हूं, भावी पीढ़ी हमारा कठोर निर्णायक करेगी। बच्चा हमारा भविष्य है। हमें बच्चे की रक्षा करनी चाहिए, बच्चे को बचाना चाहिए और बच्चे को नष्ट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, सभापति महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष (लोकसभा) : माननीय सदस्यों, मुझे लगता है कि श्री हुड्डा ने यह मुद्दा उठाया था जिस पर मैं व्यवस्था देना चाहता हूं। आपने संशोधनों के बारे में कुछ कहा था।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर था। मैं नियम 79(1) का हवाला देकर मामला को समझाऊंगा. यदि किसी खंड या विधेयक की अनुसूची में संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पहले नहीं दी गई है जिस दिन विधेयक पर विचार किया जाना है तो कोई भी सदस्य संशोधन पेश करने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति तब तक मान्य रहेगी जब तक अध्यक्ष, इसकी अनुमति नहीं देता। संशोधन पेश किया जाना है। अब, अधिकार आपकी अध्यक्षपीठ पर है। हमने आज अपना संशोधन पेश किया है और हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन विधेयक कल ही सूचीबद्ध हो गया था। इसलिए, हमारे पास पर्याप्त, सारवान्, पर्याप्त समय नहीं था और हमारा संशोधन पर्याप्त है जैसा कि हमारे विख्यात अध्यक्ष (लोकसभा) ने अभी-अभी जो बातें कही हैं, उनमें परिलक्षित होता है। हमारा संशोधन पेश किया जाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए, हम आपसे एक व्यवस्था चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : किशोर न्याय, न्यायमूर्ति (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 22.08.2014 को पुरःस्थापित किया गया था। सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि किसी विधेयक में संशोधन उसके पेश होने के बाद किसी भी समय व्यापारिक कार्य सूची, कार्यविभाजन सूची में शामिल होने की प्रतीक्षा किए बिना दिया जा सकता है। इसलिए, आज पेश किए गए संशोधनों को नियम 345 के अधीन अनुमति नहीं दी जा सकती। सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि निजी सदस्यों के संशोधनों की जांच और मुद्रण के लिए

समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए नियम कम से कम एक दिन के नोटिस, सूचना का प्रावधान करते हैं। यदि विधेयक आज पारित नहीं होता है, तो आपके संशोधन कल प्रविष्ट किये जायेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपने इसे पोस्ट-डेटेड बना दिया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुडाः महोदय, कृपया इसकी अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2014 के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले तो मैं सरकार को और सरकार की जो मंत्री हैं, उनको धन्यवाद देता हूं,...([हिन्दी] व्यवधान) जो बात मैं अभी कांग्रेस के मित्र से सुन रहा था, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे मूक पशुओं के लिए भी संवेदनशील हैं, तब बच्चों के लिए उनका रवैय्या क्या होगा, उसमें कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति को उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हम अपनी बात कहते समय लोकप्रियता के लिए कौन काम कर रहा है, हमें इसका विचार जरूर करना चाहिए। अगर हम देश से बाहर दुनिया के कुछ उदाहरण देखें तो मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ सदन में कह सकता हूं कि क्रूरता के लिए उम्र की मर्यादा और सीमा नहीं रही। हम सबने भी पढ़ा था कि जहां पर आतंकवाद है, सोमालिया में एक आतंकवादी का जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति था, उसकी उम्र 12 वर्ष थी और उसने 17 हत्याएं की थीं। मुझे लगता है कि एक कारण आधार तो नहीं बन सकता, लेकिन समाज को इस बात की चेतावनी जरूर देता है कि बाल मन पर होने वाले खराब प्रभाव समाज के लिए चुनौती बन सकते हैं, इस पर जरूर विचार करना चाहिए।

इस कानून का नाम ही बालकों की देखरेख रखा गया है, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई भटकाव की तरफ है तो उसे सुधार की गुंजाइश मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदतन होकर गलत रास्ते पर जा रहा है और वह उसमें रच-बस गया है तो उसे सजा का प्रावधान जरूर होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इन तीनों मंशाओं का अगर कोई मूर्त रूप है तो यह विधेयक है। मैं सरकार को बधाई देता हूं और मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि मैंने जिस बात से शुरू किया, वह एक नकारात्मक बात है, लेकिन आपने तो दिल्ली की घटना का उल्लेख किया है, आप कैसे तय कर सकते हैं।

मैं तीन-चार धाराओं पर अपनी बात को केन्द्रित करूंगा। धारा 75 में साफ लिखा है, जो अध्याय नौ में है कि बालकों के विरुद्ध जो अन्य अपराध हैं, उसमें सीधे कहा गया है, किसी भी प्रकार के कोई समाचार-पत्र

या चैनल कम से कम उसके बारे में बढ़-चढ़कर न दिखायें, इससे बड़ा और कोई संरक्षण नहीं हो सकता। दूसरे उसी का दूसरा हिस्सा है, 75(2) में यह कहा गया है कि पुलिस चरित्र प्रमाण-पत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी आभिलेख का ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी, जहां कि मामला बन्द किया जा चुका है या फिर उसका निपटारा किया जा चुका है। यह बड़ी बात है। किसी से गलती हो सकती है। अगर इतनी बारीक चीज़ पर भी विधान इस बात की इजाजत देता है कि वह प्रतिबन्ध भी जारी होना चाहिए कि यदि किसी से गलती भी हो गई है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसके दस्तावेजों का, न तो समाचार-पत्र में और न मीडिया में उल्लेख करेगा और न ही पुलिस प्रमाण पत्र की तरह उसका उपयोग कर सकती है, इसका प्रावधान भी इसमें दिया गया है। पहले भी हमने कानून देखे हैं, मैं गांव से आता हूं और मैंने मजदूरों के बीच में काम किया है। अपराध किस स्तर के होते हैं? जैसे एक बलात्कार की जिस प्रकार से चर्चा इस दिल्ली महानगर में हो गयी, अपराध केवल इस तरह के नहीं होते हैं। हालांकि, मैं इसे चिंताजनक मानता हूं। लेकिन, इससे ज्यादा चिंताजनक वह है, जब बच्चे स्कूल छोड़ कर, छोटे-मोटे नशे लेकर भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। पुलिस उनको नहीं पकड़ती है।

उपाध्यक्ष जी, मैं स्मैक की लत छुड़ाने के लिए कैम्प चलाता हूं। मैं नशे के खिलाफ़ काम करता हूं। जब हम ऐसे लोगों को पुलिस के दरवाज़े ले जाते हैं तो आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि पुलिसवाले कहते हैं कि हम इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। अब उसके लिए जेल होगा या फिर सुधारालय होगा। उसके लिए कौन काम करेगा? मुझे लगता है कि आपको इसके दोनों पक्षों पर विचार करना पड़ेगा। उन्हें स्कूल लेकर जाएंगे तो वे बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें ऐसे खुले वातावरण की जरूरत है, जहां वे नशे को छोड़ सकें, अपराध से दूर हो सकें। लेकिन, उसका जो दूसरा पक्ष है, जिसके बारे में इसमें लिखा गया है कि उनसे भिक्षावृत्ति करवाने का, उनके द्वारा स्मैक बंटवाने का, उनके माध्यम से उसका परिवहन करने का एक समूह काम कर रहा है। अगर वे पकड़े जाएंगे तो वे अपराधी माने जाएंगे, लेकिन उनके अपराध के पीछे कोई और है। इसे हम सब लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन, मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बिल की धारा-84 के भीतर आपने उग्रवादी समूहों का उल्लेख किया है, जिसमें सात वर्ष की सजा और

पांच लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। बच्चा तो सिर्फ एक कैरियर है, अपराध करने वाले लोग बच जाते हैं। इसमें आपने इसका उल्लेख किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वास्तव में तो सही अपराधी वे लोग हैं, जो बाल मन का उपयोग करके अपराध को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, जो बच्चों का इस बात के लिए उपयोग कर रहे हैं कि हम वास्तव में नशे को और फैलाने का काम कैसे करें? जैसे मैं स्मैक के बारे में जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि तीन बार किसी बच्चे को मुफ्त में स्मैक पिला दीजिए, चौथी बार वह चोरी करके लाएगा और उससे स्मैक पीएगा। इसके बाद वे लोग अपना काम चलाते रहेंगे। लेकिन, इसका दूसरा पक्ष भी धारा-78 और धारा-79 में है। यदि किसी दुकान पर कोई नशीली चीज़ बिकती है और यदि वह किसी छोटे बच्चे को उसे देता है तो उसके लिए भी प्रावधान है। लेकिन, दूसरी तरफ जो इसे बेचने वाला गिरोह है, अगर वह पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी उतना ही कड़ा प्रावधान है। मुझे लगता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें भी इसमें हैं।

जब हमारे ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर किसी बालमन को देखने की व्यवस्था सुपुर्द होती है तो आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यह हो सकता है कि उसके माता-पिता न हों। परिवार की कमियों इत्यादि के कारण वह भटकाव के रास्ते पर चला गया। मैं तो आपके माध्यम से इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूंगा। कई बार जब कोई बच्चा अपराध करता है तो वह किसी आकस्मिक परिस्थिति के कारण करता है, लेकिन समाज उसको पूरी तरह से दुत्कार देता है। ऐसे में उन्हें गोद लेने की अगुवाई करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी अलग से कोई शब्द होना चाहिए। वास्तव में, गोद लेने की जो परंपरा है, उसमें अगर आप उन बच्चों को गोद लेने जाए, जिनके माता-पिता नहीं हैं, तो यह हो सकता है कि शायद आप सफल हो जाएं। लेकिन, जिन बच्चों के माता-पिता हैं, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया, या फिर पिता नहीं हैं और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में गोद लेने की जो कानूनी व्यवस्था है, वह इतनी जटिल है कि आप मानकर चलिए कि आप उस बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि इन सरोकारों से जुड़ने में गोद लेने की परिभाषा बदलनी चाहिए। सम्पत्ति का हक़ नहीं, बल्कि उसे भटकाव से रोकने का हक़ अगर एक गार्जियन की तरह देने के लिए कोई तैयार हो, तो उसके लिए भले ही हमें कोई शब्द ढूंढ़ना पड़े या कोई कानून बनाना पड़े, तो मैं

चाहूंगा कि सरकार को इसके लिए कोई क्लॉज़ बनानी चाहिए। यदि कोई एक बिगड़ते हुए बच्चे को सुधारने के लिए एक गार्जियन की तरह उसे गोद लेने के लिए तत्पर है, तो सरकार को उसके लिए एक अलग-से कानून का प्रावधान करना चाहिए।

श्रीमती मेनका संजय गांधी : यह इसमें है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि यह इसमें स्पष्ट है। मैं भी यह चाहता हूं कि कहीं न कहीं इसमें इस बात का प्रावधान स्पष्ट तरीके से होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, जब डॉक्टरों के ट्रीटमेंट के संबंध में सवाल आता है तो मैं चाहता हूं कि उसमें जो सबसे अहम बात होती है, जिसका सवारधिक अभाव जिला मुख्यालयों में होता है, कि क्या हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सक का प्रावधान कर सकते हैं? जब कभी आप किसी बाल अपराधी के बारे में विचार करते हैं तो मैं मानता हूं कि उस बच्चे की पहली आवश्यकता उसके स्वास्थ्य-परीक्षण की नहीं है, बल्कि उसके मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है कि वास्तव में उसने किन परिस्थितियों में उस अपराध को किया है। फिर हम उसे बेहतर और ज्यादा बेहतर संरक्षण दे पाएंगे और उसे एक अच्छे नागरिक की तरह इस देश में स्थापित कर पाएंगे। यह सबसे अहम सवाल है।

महोदय, मैं नरसिंहपुर जिले से आता हूं। मैंने वहां बच्चों को सुधारालय में देखा है। मैंने देखा है कि वे एक बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे उसके मां-बाप हों या न हों, उसकी दिशा भटक सकती है, लेकिन उसमें कोई-न-कोई हुनर जरूर होता है। मैं नेहरू युवा केन्द्र का महानिदेशक रहा हूं। मुझे पढ़ाई छोड़े हुए गांवों के बच्चों के बीच काम करने का मौका मिला है।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

मैं यह मानता हूं उनको मंच नहीं मिलता है। कभी उनमें कोई अच्छा खिलाड़ी होगा, उसके अंदर खेल की प्रतिभा होगी, किसी के अंदर गाने की प्रतिभा होगी, भले ही वह पढ़ा-लिखा न हो, उसका स्कूल छूट गया हो, भले ही वह अपराध के रास्ते पर चला गया हो, पर मुझे लगता है कि उस गुण को जानने की जरूरत है। जुवेनाइल कोर्ट की सजा देने के बावजूद भी अगर उसके हुनर को हम पहचान पाए और उसको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी या

दूसरा कोई प्रशिक्षण उसके साथ चला दिया तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि लौटकर आने के बाद वह अपराधी नहीं बनेगा, भारत का एक अच्छा नागरिक बनेगा।

हमारे जो मित्र भाषण कर रहे थे, उनसे मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इसमें हम विरोधाभास न करें। चाहे 12 साल हो, 14 साल हो, 16 साल हो या 18 साल हो, आदतन अपराधियों के बारे में इस समाज को सख्त होने की जरूरत है। उसको निश्चित रूप से मौके मिलने चाहिए, उसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और उसको बाकी खुलेपन के अवसर जरूर मिलने चाहिए। जो वह चाहता है, जो उसकी अपेक्षा है, जो उसके भीतर कुंठा है, जिस बात के कारण, परिवार के अभाव के कारण जो कुंठा पैदा हुई है, अगर उसे पहचानने का हमने काम किया और उसे रास्ता दिया तो हम सफलता जल्दी आर्जित करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ समय मैंने इन क्षेत्रों में काम किया और आज भी छोटा-मोटा काम करता हूँ। मैंने बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन मैं छोटे-मोटे काम करता रहता हूँ। उसी आधार पर मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कानून अपनी जगह पर होगा, लेकिन कानून का पालन करने वाली मनोवृत्ति की भी सख्त जरूरत है तब कहीं जाकर आप इस कानून को अमलीजामा पहना पाएंगे।

मुझे इस बात का संतोष है कि यह मंत्रालय आदरणीय मेनका जी के पास है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है और वे बारीकियों को समझती हैं। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि उन लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, एनजीओ तो बहुत सारे होते हैं, इसमें पंजीयन का प्रबन्ध है, लेकिन पंजीयन संस्था का होता है, व्यक्ति का पंजीयन नहीं होता है, उसके काम करने के तौर-तरीकों का पंजीयन नहीं होता है। अगर हम देश से बाहर के देशों से कामकाज के तरीकों में कोई चीज लेना चाहते हैं तो मैं यह चाहूँगा कि एनजीओज के बारे में भी इस बात को तय करना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आपकी मास्टरी किस बात में है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है, जिस बात पर मेरा ज्यादा जोर है कि डॉक्टर्स हों, लेकिन वे मनोविज्ञान के चिकित्सक जरूर हों, क्योंकि बाल मन को पढ़ना और उनकी परिस्थितियों को समझना, ये दोनों चीजें बहुत अहम हैं। इस पूरे कालखंड में पुनर्वास का पूरा का पूरा कालम इसमें दिया गया है। पूरा पुनर्वास का कालम इसमें है, कानून की जद है, 16 से 18 साल के बीच में भी अगर कोई क्रूर अपराध करता है तो उसे उतनी ही क्रूर और कठोरतम

सजा मिलनी चाहिए। उसे सुधरने के अवसर जरूर दो बार मिलने चाहिए। अगर कोई इस कदम के कारण बच जाए कि उम्र का सहारा लेकर बचकर नए अपराध को पैदा करे, नए लोगों को शुरूआत के लिए प्रेरित करे, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। आज हम सब अखबार पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को हथियार देकर उनका दुरूपयोग कराया जा रहा है। हम सबकी आंखें वीडियो देखती है, चित्र देखती हैं, समाचार पढ़ती हैं, इसलिए हमको अपनी उस मनोवृत्ति से उबरना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि उसकी संख्या कम हो सकती है, वे लोग जघन्य हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि उनकी क्रूरता उन बच्चों को इस बात के लिए शायद कभी माफ नहीं करेगी कि उन बच्चों का दुरूपयोग करके अपने गलत मनसूबों को पूरा करना चाहते हैं। उसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तरफ बच्चों के प्रति हमारी सहृदयता हो और दूसरी तरफ अपराधियों के प्रति हमारा कठोर रवैया हो। मैं समझता हूं कि यह कानून दोनों बातों का संतुलन है।

मैं सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि सदन इस पर अपनी राय देकर जरूर इसका समर्थन करेगा।

[अनुवाद]

श्री वी. पनीरसेल्वम (सलेम): महोदय, इस बहुप्रतीक्षित विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह विधेयक वर्ष 2000 में अधिनियमित पहले अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है। वर्तमान विधेयक कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को संबोधित करता है। जघन्य अपराधों के मामले में किशोरों पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा, भले ही उनकी उम्र 18 के बजाय 16 साल ही क्यों न हो। क्या किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण प्रत्येक जिला में गठित होने वाले किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। देश के प्रत्येक जिला में बाल कल्याणकारी समितियां भी होंगी। सीडब्ल्यूसी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल का निर्धारित करना।

इस विधेयक में अंगीकरण की प्रक्रिया और गोद लेने वाले माता-पिता की पात्रता भी शामिल है। विधेयक में किसी बच्चे का अपहरण करने या उसे नशीले पदार्थ देकर बेचने के लिए दंड और बच्चे के खिलाफ क्रूरता के लिए भी दंड का प्रावधान है।

क्या यह विधेयक बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ एक समझौता है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता है। लेकिन यह विधेयक किसी किशोर पर तेरह वर्ष का होने पर भी मुकदमा चलाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप संतुलन बनाने का प्रयास करता है। दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस ने इसे घटाकर सोलह वर्ष कर दिया है। जहां कनाडा और जर्मनी ने इसे घटाकर चौदह साल कर दिया है, वहीं ब्रिटेन ने इसे घटाकर सत्रह साल कर दिया है। इस मिसाल से प्रभावित हुए बिना मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपनी प्रतिवेदन में कहा कि हमारे विधेयक में उम्र को घटाकर सोलह करने का प्रस्ताव सम्मेलन का उल्लंघन है। तथापि, सरकार सोलह साल के किशोरों को वयस्कों के रूप में मानने की दिशा में आगे बढ़ रही है, अगर उन्हें हत्या, बलात्कार और नशीली दवाओं के

अपराध जैसे बहुत गंभीर अपराधों का दोषी पाया जाता है।

एक बच्चे को बेचने की सज़ा, एक बच्चे को नशा देने की सज़ा से कम है।मैं चाहता हूं कि दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में हो। मुझे डर है कि इस विधेयक के निर्माता इस विधेयक का मसौदा तैयार करते समय सही प्रकार का डेटा प्राप्त करने में विफल रहे। यहां तक कि स्थायी समिति ने भी बताया है कि यह विधेयक किशोर अपराधों के बारे में भ्रामक आंकड़ों पर आधारित है।

संविधान, गठन, देश की शासन व्यव्सथा संविधान के उपबंध के उल्लंघन को लेकर अब संसद के बाहर काफी बहस चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 14 और 15(3) के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। एक वयस्क के रूप में कोशिश करने के बारे में एक मानवीय रोना भी है, एक व्यक्ति जिसे 16 से 18 साल की उम्र में किए गए बहुत गंभीर अपराध के लिए 21 साल की उम्र के बाद पकड़ा जाता है। तो, ऐसे आलोचकों का कहना है कि यह संविधान, देश की शासन व्यवस्था के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन है। इसका मतलब यह है कि बाद की तारीख में उसी व्यक्ति को गंभीर अपराध के समय उस पर लागू दंड से अधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। वह विपक्ष इस दलील पर उठाया जाता है कि यह समानता, समता के अधिकार के विरुद्ध है। मैं यह बताना चाहूंगा कि ऐसे किशोर जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं, वे समान नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों से भिन्न हैं जिनकी बच्चों के रूप में अच्छी तरह से देखभाल और सुरक्षा की जाती है, जिन्हें अपने बचपन का आनंद लेने की स्वतंत्रता है। अत: मेरे विचार में यह विधेयक नकारात्मक रूप से धर्मसम्मत है।

यहां तक कि इस देश में आवारा कुत्तों को भी सुरक्षा मिल गई है, लेकिन सड़क पर रहने वाले बहुत से बच्चों को नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जानवरों के लिए आवाज़ उठाने वालों का शोर उन लोगों की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ है जो बच्चों की देखभाल और सुरक्षा चाहते हैं। हाल ही में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के कुछ छात्रों से बातचीत में एक विषम स्थिति सामने आई। जिन छात्रों ने सुधार, सुधारना, सुधार करना गृहों में बच्चों पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पर एक अध्ययन किया, उन्हें कुछ

आश्चर्यजनक निष्कर्ष मिले। मैं उनकी अप्रकाशित प्रतिवेदनों से यह जानकर हैरान रह गया कि देश के सभी स्थानीय निकाय मिलकर आवारा कुत्तों पर देश भर में किशोर गृहों पर खर्च किए गए कुल पैसे से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। यदि इस स्थिति को सत्यापित किया जाता है और सत्य पाया जाता है तो इसे बेहतरी के लिए बदला जाना चाहिए। हमें इंसानों के प्रति अधिक मानवीय होने की जरूरत है।

एक स्तंभकार के अनुसार यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उत्तेजित प्रतिक्रिया है। दुर्भाग्य से, पड़ोसी राज्य के एक ग्रामीण इलाके में इसी तरह की हालिया बस घटना सार्वजनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में विफल रही। इसलिए, कानून बनाते समय शांत और संयमित रहने की जरूरत है।

इस सूचना युग में, बच्चे अधिक सूचित प्रतीत होते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि वे इतनी अधिक जानकारी संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में कई बच्चों में हिंसक व्यवहार देखने को मिला है। कल ही मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका में एक चार साल के बच्चे को हिंसक व्यवहार के कारण पुलिस ने हथकड़ी लगा दी थीं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किशोरों को वश में करने के लिए कितने भी कानून लाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह से बड़ा किया जाता है, वही उन्हें बदल सकता है।

येन्था कुझाथैयुम नल्ला कुझानथाई थान

मन्निल पिराक्कयिले,

अथु नल्लवन् आवथुम, थेयवन् आवथुम

अन्नै वलारपथियेले।

यह बात हमारे संस्थापक नेता, पुरैची थलाइवर एमजीआर ने दोहराई। इसका मतलब यह है कि सभी बच्चे इन्नोसेंट पैदा होते हैं और वे बड़े होकर अच्छे या बुरे बनते हैं, यह माँ द्वारा दी गई देखभाल और सुरक्षा पर निर्भर करता है।

हमारे संस्थापक नेता, हमारे प्रिय नेता, मक्कलिन मुदलवर अम्मा के नक्शेकदम पर चलते हुए, हमारी तमिलनाडु सरकार को पालने से ही बच्चों की देखभाल करने के लिए मार्गदर्शन कर रही हैं। हमारे पास परित्यक्त बच्चों के लिए क्रैडल बेबी योजना है ताकि उनकी उचित देखभाल की जा सके। यह बहुत बड़ा सामाजिक सरोकार है। पौष्टिक दोपहर भोजन योजना और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के लिए मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें, साइकिल, वर्दी, कंप्यूटर जैसे कई अन्य प्रोत्साहनों के कारण हमारे राज्य में स्कूलों में ड्रॉपआउट दर में कमी आई है। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए छात्रावासों के अलावा, तमिलनाडु सरकार बच्चों को बचपन में विकसित होने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बच्चों को बेहतर नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए प्रशिक्षण और संरक्षण गृहों तथा बाल देखभाल छात्रावासों में सही प्रकार के लोगों को रखकर सही माहौल प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (बारासात): महोदय, मैं यहां हमारी माननीय मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा लाए गए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। यह विधेयक किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लेता है। विधेयक जघन्य अपराधों के लिए 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इसके अलावा, कोई भी 16 से 18 साल का बच्चा, जो कम यानी कम गंभीर अपराध करता है, उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है, अगर उसे 21 साल की उम्र के बाद पकड़ा गया हो। इस बात पर अलग-अलग दृष्टिकोण, मत, विचार है कि क्या किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसे तर्क हैं कि चालू, प्रचलित विधि, कानून जघन्य अपराध करने वाले किशोरों के लिए निवारक के रूप में कार्य नहीं करता है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपराधों को दोहराने की संभावना को कम करेगा। गंभीर या जघन्य अपराध करने वाले किसी किशोर पर पकड़े जाने की तारीख के आधार पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का प्रावधान अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (इसके लिए आवश्यक है कि कानून और प्रक्रियाएं निष्पक्ष और उचित हों) का उल्लंघन हो सकता है। यह प्रावधान समान अपराध के लिए उच्च दंड का प्रावधान करके अनुच्छेद 20(1) की भावना का भी खंडन करता है।

भारत ने बाल अनुसमर्थित पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता है। किसी किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का प्रावधान भी इस सम्मेलन का उल्लंघन करता है।

बेशक, विधेयक में दिए गए दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को बेचने पर जुर्माना किसी बच्चे को नशीला या मनोदैहिक पदार्थ देने की तुलना में कम है। हालाँकि, फिलहाल जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि सात से 18 साल की उम्र के बीच के किशोर कुल आबादी का लगभग 25 प्रतिशत हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से पता चलता है कि हाल के दिनों में किशोर अपराधों का प्रतिशत दर बढ़ा है और 2003 से 2013 तक यह 1 प्रतिशत दर से बढ़कर 1.2 प्रतिशत दर हो गया है। इसी अवधि के दौरान, अभियुक्त के आरोपियों में 16 से 18 वर्ष के किशोरों का प्रतिशत दर 54 प्रतिशत दर से

बढ़कर 66 प्रतिशत दर हो गया है। इसलिए, यहां इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जेजेबी और बोर्डों का उल्लेख यह देखने के लिए कि क्या इन बच्चों, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, एक वित्तीय निहितार्थ है जिसे विस्तार से निपटाया जाना चाहिए।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जो पुलिस जांच करने जा रही है अथवा जो बोर्ड इन मामलों को देखने जा रहे हैं, उनमें सदस्य के रूप में महिलाएं होनी चाहिए। मेरा विद्वान मित्र मनोचिकित्सकों के बारे में बोल रहा था। मैं यह भी सोचूंगा कि इस बोर्ड में बच्चों के मनोचिकित्सक होने चाहिए, जो बच्चों की मानसिक क्षमता पर ध्यान दें।

मैं इस प्रतिष्ठित सभा के ध्यान में एक फिल्म लाना चाहूंगा जिसका नाम *'तारे ज़मीन पर'* था।सिर्फ इसलिए कि बच्चों की आवश्यकताओं को समझा नहीं जाता अथवा उनकी सराहना नहीं की जाती, कभी-कभी बच्चों को गुमराह किया जाता है। इस देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। यदि कोई बच्चा अपने घर में धन की भारी कमी के कारण, चाहे वह खाने का सामान हो या खिलौना, उठा रहा है तो मुझे सोचना चाहिए कि बच्चे को दोष नहीं दिया जा सकता है। यह समाज या राज्य है, जिसे दोषी ठहराया जाना है और सुधारात्मक उपाय परिवार, पड़ोस, राज्य द्वारा किए जाने हैं।

इसलिए, माननीय मंत्री द्वारा उठाया गया यह बाल हितैषी कदम सराहनीय है। इसके अलावा, हमें शिक्षा के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उन्हें भोजन प्रदान करके, इन बच्चों की सामाजिक स्थिति को उठाने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने राज्य पश्चिमी बंगाल में ऐसा कर रहे हैं। हम बच्चों को, खासकर बच्चियों को, शिक्षा दे रहे हैं 'कन्याश्री' योजना के तहत, जो मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी की एक पहल है। इसी प्रकार, देश 'दोपहर के भोजन का कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को अनाज देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बच्चों को शिक्षा के अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। बच्चों को मनोरंजक सुविधाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनका बचपन हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि बच्चा गरीबी के कारण ऐसा कोई अपराध करने के लिए न बहकाया जाए, जिससे बच्चे को अपराधी की संज्ञा दी जा सके। बच्चों में इस तरह की आपराधिक मानसिकता से तभी निपटा जा सकता

है, जब जन्म से ही बच्चे की देखभाल दयालु तरीके से की जाए और यदि समान नहीं तो मध्यम वर्गीय परिवार के समान सुविधाएं दी जाएं, ताकि बच्चे की मानसिकता अपराध-उन्मुख न हो। .

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): माननीय उप सभापति महोदय, महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

पिछले सभी वक्ता और मेरे बाद के अन्य वक्ता, 2000 के पिछले विधेयक में जो कुछ हुआ है उसके बारे में डेटा देंगे। उससे पहले भी हमारे पास एक विधेयक था। तो, यह व्यावहारिक रूप से तीसरा विधेयक है। मेरे पास कुछ बिंदु हैं और मैं आंकड़ों पर जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मंत्री और सरकारी दीर्घा के लोग मुझसे बेहतर जानते हैं।

महोदय, यह एनसीआरबी अथवा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मायने रखती है। मैं विधेयक को जिस तरह से देखता हूं वह यह है कि यह एक प्रकार का पिंसर आंदोलन है। एक हिस्सा है, जो 'देखभाल और रोकथाम' कहता है और दूसरा हिस्सा है, 'किशोर न्याय'। भावी पीढ़ी के लिए हमारी ईमानदारी माननीय उप-अध्यक्ष की आंखों में स्पष्ट रूप से देखी जाती है, जो वहां अध्यक्ष पद पर बैठते हैं और खचाखच भरे सदन को देखते हैं कि कैसे लोग हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के बारे में चिंतित हैं। ऐसा होने पर, मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि देखभाल और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। यह वह प्रतिशोध नहीं है जिसे एक को देखना चाहिए।

जब कोई बच्चा अपराध कर रहा होता है तो हमारे पास यह अध्ययन करने की व्यवस्था नहीं है कि किस वजह से बच्चे ने यह रास्ता अपनाया है। यह आर्थिक कठिनाइयाँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण अथवा साथियों का दबाव हो सकता है। ऐसा क्या है जो बच्चे को आपराधिकता का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है जिसके लिए हम यह किशोर न्याय विधेयक ला रहे हैं और उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल कर रहे हैं?

महोदय, मेरा मानना है कि प्रतिक्रियात्मक तरिका अपनाने से इस देश को मदद नहीं मिलेगी। हमें उन मामलों में दीर्घ अवधि तरिका अपनाना होगा जहां हम बच्चों अथवा शिशुओं के साथ काम कर रहे हैं। जब हम बच्चों या शिशुओं से जुड़े मामलों को देखते हैं, तो हमें लंबे समय की सोच अपनानी चाहिए। अतीत ने जो दिखाया है वह यह है कि कानून का कार्यान्वयन सबसे बड़ी समस्या रही है। इस देश में लगभग 600 जिले हैं। इसलिए, संभवतः विधेयक में जो कुछ भी है, हमारे पास लगभग 600 से अधिक किशोर बोर्ड होंगे क्योंकि उनकी

योजना प्रति जिला में एक बोर्ड बनाने की है। ये आपकी अधीनस्थ न्यायपालिका की तरह होंगे जहां उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की तरह कोई एआईआर प्रतिवेदनिंग नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है, उसकी प्रतिवेदन नहीं की जाती और उसका कोई मानकीकरण नहीं होता। इसलिए, वाहन दुर्घटना का शिकार एक व्यक्ति दोषमुक्त हो सकता है और इसे गैर इरादतन हत्या के रूप में नहीं गिना जाएगा। लेकिन दूसरे मामले में अगर वह व्यक्ति सामाजिक रूप से जाना जाता है, जो बड़ा है, जिसका नाम पूरे देश में जाना जाता है और उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, सही या गलत, मैं इसमें नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायपालिका पसंद करती है शाबाशी लेने या अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि वे एक सुपरस्टार को दंडित कर सकते हैं। इस तरह की चीजें राजनेताओं को प्रभावित करती हैं, यह नौकरशाहों को प्रभावित करती हैं, यह फिल्म सितारों को प्रभावित करती हैं और यह सभी प्रकार के लोगों को प्रभावित करती हैं।

इसी प्रकार, जिला बोर्डों में भी, जब आपके पास 600 से अधिक बोर्ड होंगे, तो आप उन पर क्या शर्त लगाने जा रहे हैं? कहां होगा मानकीकरण? ऐसी कोई प्रक्रिया कहां होगी जिसके द्वारा वे बच्चों और उन अपराधों से निपटेंगे जो ये बच्चे कर सकते हैं?

मेरा मानना है कि कानून बनाये जाने चाहिए कि वे आसानी से समझ में आ सकें। यदि हम अपने कानूनों में अस्पष्टता छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि हर कोई विधि, कानून को अलग-अलग तरीके से समझेगा और इन सभी अलग, पृथक, भिन्न जगहों पर इसके अलग-अलग अर्थ और अलग, पृथक, भिन्न व्याख्याएं होंगी। तो, 600 जिला के साथ, हमारे पास हर एक जिले में विधि, कानून की पूरी तरह से अलग व्याख्या होगी। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं यह पसंद करूंगा कि अगर दस बच्चे अपराध कर रहे हैं, तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन हमारे विधि, कानून में अस्पष्टता के कारण भी इन्नोसेंट बच्चे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस विधेयक में बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं। यदि हम उसे देखें तो इंगित करना बहुत आसान होगा।

महोदय,आज मैंने एक बात नोटिस की है। मेरे स्कूल के दिनों में, जब हम बच्चे थे, हम शारीरिक रूप से छोटे दिखाई देते थे। लेकिन अब हमारे खान-पान के कारण, जिस तरह के उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन आज

हमारे बच्चे लेते हैं, वे बड़े हो जाते हैं। तो, उनकी परिपक्वता यौवन बहुत पहले की उम्र में हो जाती है। इसलिए, मैं उस बात पर अड़ा नहीं हूं, जिस पर माननीय मंत्री ने जोर दिया है कि उम्र को अठारह से घटाकर सोलह करने से कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि आधार आयु निर्धारित करना, चाहे अठारह हो अथवा सोलह, क्या यह बुद्धिमानी है या नहीं। इस अर्थ में मुक्त गिरावट होनी चाहिए कि यदि कोई अपराध वास्तव में जघन्य है और निर्भया मामले की तरह भयानक है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर बच्चा चौदह वर्ष का भी है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बच्चे को एक के रूप में आंका जाना चाहिए वयस्क और उस तरह के मामले में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। हालाँकि मैं उम्र कम करने का समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सोलह की संख्या के पीछे कोई तर्क नहीं है और इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए और इन जिला बोर्डों को प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर आंकने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

मैंने गृह मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान की मांगों पर अपने भाषण में भी कहा था कि इस देश में पुलिस को समाज के सक्रिय सदस्यों को लेने का प्रयास करना चाहिए और सामाजिक पुलिसिंग भी होनी चाहिए। विशेष रूप से बच्चों के मामले में, यह आवश्यक है कि हम राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों को नहीं बल्कि सामाजिक नेताओं को शामिल करें जो बच्चों की देखभाल करेंगे जो देखेंगे कि क्या बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति है और सबसे पहले वे ऐसा कर सकते हैं। समस्या का ध्यान दिलाना।

इसका एक मज़ेदार पहलू है और वह है, खंड 7 जो बहुत दिलचस्प है। महोदय, आपने नोटिस किया होगा

श्रीमती मेनका संजय गांधी: हमने उसे वापस ले लिया है।

श्री तथागत सत्पथी: यह अच्छा है। उन्होंने उसे वापस ले लिया है। मुझे लगता है आदरणीय मंत्री जी को भी बेतुका लगा तो, उसके चले जाने से, मेरे भाषण की क्षमता थोड़ी कम हो गई है।

दूसरी बात जो मैं सरकार को बताना चाहूंगा वह यह है कि बच्चों के साथ व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारी के पास अधिक विवेकाधिकार होता है। अब, महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पुलिस

अधिकारी वयस्कों के साथ ज्यादातर मामलों में बेहद असंवेदनशील और संवेदनहीन पाए जाते हैं। जब यह एक बच्चा होता है, तो हम स्पष्ट रूप से उनसे भावनाओं, भावनाओं और बच्चे के भविष्य के बारे में चिंतित होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पुलिस अधिकारियों के विवेक के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि उनकी संवेदनशीलता एक ऐसी चीज है जिस पर वास्तव में 1सवाल उठाने की जरूरत है। यह आवश्यक है कि जिला बोर्डों के अलावा आपको राज्य बोर्ड भी बनाने होंगे जो जिला बोर्डों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। मेरा सुझाव है कि संघीय सरकार द्वारा ऐसी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से सभी राज्यों से आने वाली प्रतिवेदनों को ध्यान में रखने की कोशिश करेगी और वार्षिक प्रतिवेदनें होनी चाहिए जो देश भर में किशोरों के अभियोजन को मानकीकृत करने में मदद करें।

दूसरी बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि विधि, कानून मुझे ऐसा लगता है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा जैसा कि हमने पहले दो कानूनों में देखा है। आखिरी वाला 2000 में था और एक पहले वाला 1986 या 1987 में था। इसलिए, हर समय जब हम अपने विधि, कानून बना रहे होते हैं, तो हम इसे बहुत ही अदूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ बना रहे होते हैं और दिन के अंत में, बहुत जल्द जब कानून वास्तव में जमीनी स्तर पर लागू होता है, तो हम पाते हैं कि हमारे मशीनरी इसे संभालने में असमर्थ है और जिन बच्चों को संबोधित करना है, वे उन विशेष प्रकार के अपराधों से दूर हो गए हैं। इसलिए, कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। फिर भी यह एक खुला विधि, कानून होना चाहिए जो अवधि के साथ खुद को बदल सके।

मैं फिर से विधि, कानून का स्वागत करता हूं। जिस तरह से उन्होंने उम्र कम की है वह मुझे पसंद है। लेकिन मेरा सुझाव है कि 16 भी सीमा नहीं होनी चाहिए। यह एक फ्रीफ़ॉल होना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनकापल्ली): उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपको किशोर न्याय, न्यायमूर्ति (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक 2014 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। विधेयक का आशय है अपराधों के 16 से 18 साल के आरोपियों पर अभियुक्त की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान है। अपने पिछले स्वरूप में, कानून मानता था कि किशोर चाहे 15 या 17 वर्ष के हों, आपराधिक व्यवहार के लिए वयस्कों की तुलना में नैतिक रूप से कम दोषी हैं और परिवर्तन और पुनर्वास के लिए अधिक सक्षम हैं। लेकिन यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस पर दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले और प्रतिष्ठित, सम्मानित, महती 2013 के शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार मामले के बाद से दिन-प्रतिदिन सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों मामलों में 18 वर्ष से कम उम्र के अभियुक्त सह-आरोपी थे। महमूद और उसके दोस्त पिछले साल सरकार द्वारा संचालित किशोर गृह से भाग गए, जिससे शहर में खतरनाक युवा लड़कों के खुलेआम घूमने का खतरा और बढ़ गया।

इन घटनाओं ने एनडीए सरकार को जघन्य अपराधों के 16 से 18 साल के आरोपियों पर अभियुक्त की तरह मुकदमा चलाने के लिए मजबूर कर दिया है। किशोरों द्वारा किये जाने वाले अपराधों में बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी के कारण मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ।

महोदय, साथ ही हमें बच्चों में जागरूकता फैलानी है और उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। तभी हम इन कानूनों को कार्यान्वित करना हैं। हमारे देश में इतने कानून होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उदाहरण के लिए, दहेज लेना और देना गैरकानूनी है लेकिन कई सालों से लोग इस अभ्यास का पालन कर रहे हैं। इसलिए, हमें विशेषकर, विशेष रूप से मीडिया, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्कूलों की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी शैक्षिक प्रणाली में हमें ज्ञान की मात्रा के बजाय ज्ञान की गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को रामायण, महाभारत की कहानियों तथा अन्य ऐतिहासिक गतिविधियाँ की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। मेरा मानना है कि केवल नैतिक मूल्य ही समाज में व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं।

महोदय, यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश में बाल सुधार गृहों की स्थिति दयनीय है। बाल सुधार गृहों में संघर्ष को कम करना की आवश्यकता है। पिछले साल बाल सुधार गृहों में दंगे, पलायन और हिंसा की कई घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति ने भी सिफारिश की थी कि इन घरों की स्थितियों में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इन घरों में सीसीटीवी कैमरे, परिधि घेरा स्थापित करके और वॉच टावरों की संख्या बढ़ाकर सुरक्षा को उन्नत करने की भी आवश्यकता है।

गंभीर व्यवहार संबंधी मुद्दे वाले कैदियों को एक अलग, पृथक, भिन्न सुविधा में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पारिवारिक मुलाक़ातों की अनुमति देकर कैदियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। किशोर गृहों में गैर-औपचारिक शिक्षा कक्षाएं चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को इन गृहों में हिंसा की घटनाओं को रोकने के साधन के रूप में कैदियों को नृत्य, एरोबिक्स, खेल, योग और ध्यान की कक्षाएं प्रदान करनी चाहिए। यहां उचित शौचालय और पीने के पानी की सुविधा नहीं है। उचित मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। उचित स्वास्थ्य जांच नहीं होती है। इन लड़कों को उचित परामर्श दिया जाना चाहिए और अच्छे आचरण वाले लड़कों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें कौशल विकास, वृद्धि का प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है। बशर्ते, यह कि व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत है।

लड़कियों के लिए बाल सुधार गृह भी बेहतर नहीं हैं। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे अपने मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किशोर गृहों का औचक निरीक्षण करें और उचित कार्रवाई की जाए।

अंततः, किशोर न्यायालयों में रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है। यदि मंत्री जी वर्ष 2015-16 के लिए किशोर गृहों के लिए बजट आवंटन के बारे में सभा को सूचित करें तो मैं आभारी रहूंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम): धन्यवाद उप सभापति, महोदय। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 के संबंध में मेरे पास कहने के लिए कुछ सुझाव हैं।

हिंदू दत्तक अंगीकरण अधिनियम में निजी दत्तक ग्रहण खंड जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे अंगीकरण के लिए न्यायालय के आदेश की शर्त अनिवार्य की जानी चाहिए।

देर से विवाह और वित्तीय स्थिरता के लिए, के विषय में आयु सीमा 16 विस्तारित, विस्तृत 18 वर्ष की जानी चाहिए। दत्तक माता-पिता की आयु पुरुष के लिए 50 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष तक विस्तारित, विस्तृत जानी चाहिए। यह वित्तीय पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य स्थिरता के अनुसार भिन्न हो सकता है।

वैवाहिक मामलों में यदि अभिरक्षा मां को दी जाती है तो उसे पिता के साथ-साथ मां का भी अधिकार मिलेगा। यदि पूर्ण अभिरक्षा माँ को दी जाती है तो केवल उसका ही अपने बच्चे पर अधिकार होना चाहिए और ऐसी स्थिति में, पिता का अधिकार माफ कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में मां को अंगीकरण लेने का अधिकार देना होगा। कृपया निर्देश करना चटर्जी मामले का विचारार्थ भेजना। ऐसे में मां पासपोर्ट में अपने बच्चे का नाम बदलना चाहती थीं। उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी लेकिन आख़िरकार वह अदालत में अपना केस जीत सकी। वह काफी नहीं है। सभी आधिकारिक अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे बच्चे का नाम उसकी पसंद और इच्छा के अनुसार बदलने की अनुमति दें। अथवा, संरक्षक माता-पिता अपने बच्चे को अपना नाम दे सकते हैं। उसके लिए किसी अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं है अथवा उसके मूल पिता या माता की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदू विधि, कानून अथवा हिंदू दत्तक अंगीकरण अधिनियम में तदनुसार सुधार किया जाना चाहिए।

अंगीकरण लेने के लिए अनाथालय को किया जाने वाला प्रत्येक भुगतान चेक द्वारा किया जाना चाहिए न कि नकद के रूप में। अंगीकरण लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म अनिवार्य है। प्रत्येक अनाथालय, चाहे वह सरकारी हो अथवा निजी के लिए अंगीकरण के ऐसे प्रपत्रों के न्यूनतम, कम से कम और अधिकतम निपटान, व्ययन की जाँच की जानी चाहिए।

बाल कल्याण समिति को उचित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए और उनके कर्मचारियों को अधिकतम प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

देश के हर जिले में भारतीय समाज कल्याण परिषद् समिति की स्थापना की जानी है। अदालत के आदेश के बाद दत्तक अंगीकरण विलेख के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब, महाराष्ट्र में केवल एक ICSW है। इसी तरह, देश के अन्य हिस्सों में, हर राज्य में ऐसा होना चाहिए ताकि हर जिले में ऐसा केंद्र हो। न्यायालय में अंगीकरण से संबंधित मामले का निपटारा एक माह के अंदर किया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे कुछ प्रतिवेदनें मिली हैं जिनमें संक्षेप में उल्लेख होगा। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की प्रतिवेदन के पैरा 3.29 में कहा गया है।

> "समिति ने उस खंड पर गौर किया 7,15(3),16(1),19(3),20(1),20(3),21 और 22 यह विधेयक बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।"

क्या महिला एवं बाल विकास विभाग यह बताएगा कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ प्रावधानों की असंगति के बावजूद उसने किस आधार पर संशोधनों को आगे बढ़ाया है?

इसमें आगे कहा गया हैः

> "समिति के समक्ष रखे गए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में किशोर अपराधों का प्रतिशत, जो देश की कुल बाल आबादी का 1.2 प्रतिशत है, काफी कम है।
>
> दूसरे, किशोर अपराध की कुछ घटनाएं, हालांकि गंभीर चिंता का कारण हैं, मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली में भारी बदलाव लाने का आधार नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद] महोदय, ये बिंदु हैं जिन्हें मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बी विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वर्ष 2000 में इस सभा में पारित अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए माननीय मंत्री द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 पेश किया गया है। विधेयक का सार किशोरों पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के संबंध में है। मुझे लगता है, यह एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें इस सभा में वाद-विवाद, बहस करनी है क्योंकि जिस बच्चे पर 16 से 18 साल की उम्र है और जिस पर विधेयक में निर्दिष्ट जघन्य अपराध करने का आरोप है, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। एक वयस्क के रूप में। मुझे लगता है कि यही मुद्दे की जड़ है, जिस पर हमें विस्तार से चर्चा और वाद-विवाद, बहस करनी होगी। विधि, कानून का उल्लंघन करने वाले लगभग 80 प्रतिशत किशोर अपराधी बेहद गरीब और वंचित सामाजिक-आर्थिक संघर्ष से आते हैं। उनका बचपन गरीबी, हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से भरा रहा है। वे प्यार, स्नेह, देखभाल और पौष्टिक पर्यावरण जैसी बुनियादी मूल से वंचित हैं। यह उनकी हर्ष परवरिश ही है जो उनके अपराध की ओर मुड़ने के लिए मुख्यत:, प्राथमिक तौर पर, प्रथमत: जिम्मेदार, उत्तरदायी है।

आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल अपराधों में किशोर अपराधों का प्रतिशत 1.2 प्रतिशत दर है और हिंसक अपराध का प्रतिशत तो और भी कम है। यह 1.2 प्रतिशत बच्चे नहीं हैं जो अपराध कर रहे हैं, जैसा कि मेरे एक सहयोगी सांसद ने बताया है, बल्कि सभी अपराधों में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की अपराध दर 1.2 प्रतिशत है। वयस्कों द्वारा किए गए अपराधों की तुलना में बलात्कार और हत्या जैसे गठित करना और भी कम होते हैं।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) पर स्थायी समिति, जिसने अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की है, ने कहा है कि किशोरों के बीच बढ़ते बलात्कार के मामलों को यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कार्य, 2012 के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने यौन गतिविधियों के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी है। 16 से 18 वर्ष तक बढ़ गई। इस कार्य ने आयु को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। तो, यह मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति द्वारा की गई एक टिप्पणी है।

मेरी पार्टी इस खंड का गंभीरता से विरोध करती है, जो 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए गए अपराध के बारे में कार्य में डाला गया है। जहां तक इस विधेयक में निर्दिष्ट अन्य खंडों का संबंध है, जब पिछले अधिनियमों से तुलना की जाती है, तो मुझे लगता है कि कुछ खंड हैं, जो अच्छे हैं। उदाहरण के लिए, किशोर न्याय बोर्ड के गठन और पहले जांच कराने का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जबकि इस विधेयक में यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें यह भी कहा गया है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कुछ मामलों में आरंभिक जाँच की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बच्चे को घर में रखा जाना है या वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए बच्चों की अदालत में भेजा जाना चाहिए। इसमें यही निर्दिष्ट है, मेरे ख्याल से इस विधेयक में उस खंड या अनुभाग के अंतःस्थापनार्थ, अंत:स्थापित करना, में रखना, डालना एक अच्छा कदम नहीं है।

बाल कल्याण समितियों के संबंध में भी, माननीय मंत्री ने इन समितियों के कामकाज के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। यह अच्छा है कि विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का गठन किया गया है। पहले के अधिनियम में ऐसी पुलिस इकाइयों का गठन नहीं था। ये इकाइयाँ प्रत्येक जिले में स्थापित की जाएंगी जिसमें एक पुलिस अधिकारी, दो सामाजिक कार्यकर्ता और एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी शामिल होंगे जो हर पुलिस स्टेशन में मौजूद रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं जानकारी कि इसके लिए बजट कैसे आवंटित किया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधि, कानून, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मुझे नहीं पता कि क्या यह संघ, केंद्र सरकार राज्यों को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कार्य करने में सहायता करेगी।

अंगीकरण के विचार करना भी इस विधेयक में जो प्रावधान किया गया है वह प्रशंसनीय और बहुत अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले जो किशोर अपराध करते थे, उनके वयस्क होने के बाद उनकी देखभाल नहीं की जाती थीं। महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे प्रावधान को हटाने पर विचार करें जो इस विधेयक के खंड 7 16, 19 (3) और 20 में है जिसमें कोई किशोर, जिसकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच है, यदि वह कोई जघन्य अपराध करता है। , एक वयस्क के रूप में कोशिश की जानी है। मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियाँ में यह अच्छा प्रावधान नहीं है। पहले बोलने वाले वक्ताओं ने हमारे देश में मौजूद

परिस्थितियों का भी उल्लेख किया जहां हमें इन बढ़ते बच्चों की देखभाल करनी होगी। बेहतर होगा कि उन्हें शिक्षित किया जाए और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नैतिक कक्षाएं लगाई जाएं ताकि हम ऐसे सभी अपराधों पर नियंत्रण कर सकें। लेकिन अगर 16 और 18 साल की उम्र के किसी बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाता है और आरोप साबित हो जाता है और सजा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस खंड को वापस लिया जाए। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद बदरूद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय उप सभापति, महोदय, की ओर से1 पार्टी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 से संबंधित विधान पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधान, विधिनिर्माण के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूं जैसा कि हम सभी जानते हैं, संबंधित अधिनियम पहली बार संसद द्वारा वर्ष 2000 में पारित किया गया था और इसके कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए इसे 2006 और 2011 में दो बार संशोधित किया गया था। फिर, सरकार एक नया विधेयक लाने की जल्दी में क्यों है जो 2000 के किशोर न्याय अधिनियम की जगह लेगा?

महोदय, हम जानते हैं कि 'निर्भया' जैसे कुछ जघन्य अपराध के मामले भी हैं। यह भी आंशिक रूप से सच है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा किए जा रहे अपराध बढ़ रहे हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए नया विधेयक पेश किया जा रहा है, हालांकि कैबिनेट के भीतर, स्थायी समिति के भीतर कुछ अलग-अलग विचार हैं। और विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 पर मानव संसाधन विकास संबंधी विभाग के लिए, के विषय में स्थायी समिति की 264वीं प्रतिवेदन, जो 25 फरवरी 2015 को प्रस्तुत की गई थी, ने 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के संबंध में आमूल-चूल संशोधनों की कड़ी आलोचना की है। वर्षों तक 'जघन्य अपराध' करने का आरोप। पीएससी प्रतिवेदन विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस तरह के दूरगामी संशोधन एनसीआरबी के किसी भी डेटा द्वारा समर्थित नहीं हैं, जो इसके विपरीत बताता है कि किशोर अपराध दर कुल अपराधों का मात्र 1.2 प्रतिशत बनी हुई है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। हम एक नज़र में यह तय नहीं कर सकते कि अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा।

इतना बड़ा संवेदनशील बदलाव करने से पहले हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि आखिर किशोरों द्वारा किए जा रहे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? वे हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध क्यों कर रहे हैं? हमें इन बच्चों की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए जो ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। यदि हम 2011 के दौरान बच्चों के विरुद्ध अपराध की घटनाओं पर नजर डालें, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2011 की प्रतिवेदन के अनुसार, 2010 के आंकड़ों की तुलना में बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 24 प्रतिशत की बढ़ना,

बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आईपीसी रसद को लागू करने वाले अपहरण और अपहरण के अपराधों में 43 प्रतिशत की बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2010 के आंकड़ों की तुलना में जहां बलात्कार के मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं नाबालिगों की खरीद-फरोख्त में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और भ्रूण हत्या में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बाल श्रम के प्रति क्रूरता के बारे में हर कोई जानता है। गरीबी के कारण, वे ईंट-खेतों, छोटे उद्योगों, दुकानों और कृषि क्षेत्र में वयस्कों की तरह बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भी बच्चों के विरुद्ध अपराध हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कुछ कानून तो हैं, लेकिन किशोरों का बचपन बचाने के लिए ऐसे कानूनों का क्रियान्वयन कहां हो रहा है? कुछ मामलों में, विधि, कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वाले होते हैं। फिर बचपन कौन बचाएगा? इसका नतीजा यह है कि किशोर वयस्कों की तरह अभिनय कर रहे हैं। कई बार तो वे जघन्य अपराध भी कर रहे हैं। अब हम पहले से भी पुरःस्थापित सख्त कानून लाने जा रहे हैं। क्या यही एकमात्र समाधान है? दूसरी ओर, यह विधेयक संभवतः संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 20 (1) का उल्लंघन करेगा।

साथ ही, 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का प्रावधान बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार नहीं है, जैसा कि भारत द्वारा अनुमोदित है और विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन में उल्लिखित है। समस्या का समाधान किशोर न्याय अधिनियम के मापदंडों के भीतर ही सोचा जाना चाहिए और यह अधिनियम के तहत संस्थानों को मजबूत करके और यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि ऐसा अपराध करने वाले किशोर को अपराध दोहराने की अनुमति नहीं है। और/अथवा पीड़ित को फिर से डराना। एक तत्काल संशोधन जो पेश किया जा सकता है वह है वर्तमान अधिनियम के तहत हिरासत के लिए तीन साल की ऊपरी सीमा को सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा सहमत उपयुक्त अवधि तक रोक देना। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान किशोर को जेजे एक्ट के तहत किसी सुरक्षित स्थान अथवा संस्था में रखा जा सकता है।

इस प्रकार, किशोर न्याय विधेयक 2014 में सुझाया गया संशोधन अदूरदर्शी और अन्यायपूर्ण है और मानवाधिकारों के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। इससे न तो जनता सुरक्षा होगी अथवा न ही किशोर व्यवहार में

सुधार होगा। इसे प्राप्त करने के लिए, किशोर न्याय अधिनियम को मजबूत किया जाना चाहिए और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन किशोरों ने अपराध किया है वे उन्हें दोबारा न करें और समाज के लिए खतरा बने रहें।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दा पर बड़े पैमाने पर चर्चा की जाए। विख्यात मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से विशेष परामर्श की बहुत आवश्यकता है। पहले किशोरों का बचपन बचाएं और फिर आवश्यक, जरूरी पड़ने पर सजा दें। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्मम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक 2014 का समर्थन करने के लिए अपनी पार्टी वाईएसआरसीपी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वर्तमान किशोर प्रणाली अप्रभावी साबित हुई है और इसे बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है, लेकिन नया संशोधन किशोरों पर बहुत हर्ष होगा और उन्हें कड़वा बना देगा। किशोरों को इस प्रकार वर्गीकृत करने और उन्हें वयस्कों के साथ जेलों में डालने का प्रयास करने से वे कठोर अपराधी बन सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होने पर 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के साथ वयस्कों के सममूल्य पर, बराबर, समान व्यवहार किया जा सकता है, जिसके लिए न्यूनतम सात साल की कैद का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विशेष स्थानीय कानून (एसएलएल) के तहत नाबालिगों के खिलाफ 43,506 अपराध किशोरों द्वारा दर्ज किए गए हैं और 28,830 अपराध 16 से 18 वर्ष की आयु के लोगों द्वारा किए गए हैं। उम्र का। बड़ी संख्या में किशोर गरीब परिवारों से थे जिनकी वार्षिक आय 25,000 रुपये तक थीं।

किशोर न्याय अधिनियम के संशोध्नार्थ का निर्णय दिसंबर 2013 में दिल्ली में बस सामूहिक बलात्कार मामले में फैसले के बाद उपजे आक्रोश के बाद आया। आरोपियों में से एक, जिसकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम है, को अधिनियम के उपबंध के अनुसार तीन साल के लिए पर्यवेक्षण गृह भेज दिया गया।

देश में लगभग 50 प्रतिशत यौन अपराध 16 साल के किशोरों द्वारा किए जाते हैं जो किशोर न्याय अधिनियम को जानते हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि बलात्कार के आरोप वाले 67 प्रतिशत किशोर 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।

सरकार ने एक स्वागत प्रस्तुत करना स्वीकृत है जो बच्चों को उन आपराधिक गिरोहों के हाथों दोहन, शोषण से बचाता है जो विशेष रूप से नाबालिगों को काम पर रखते हैं। वर्तमान न्याय प्रणाली कानून का संघर्ष करने वाले किशोरों के सुधार में मदद नहीं कर रही थी और यह संशोधन इन अपराधियों को यह बताने का एक

तरीका है कि उन्हें जघन्य अपराध करने के लिए आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। किशोरों को पता चल जाएगा कि वे बरी नहीं होंगे बल्कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है।

यहां हमें यह देखना होगा कि बच्चे, जो हमारे देश के भावी नेता, वैज्ञानिक, शिक्षक, नौकरशाह आदि हैं, अपराधी क्यों बन जाते हैं। कुछ बच्चे स्कूली जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। माता-पिता की गैरजिम्मेदारी, असहनीय छात्र-शिक्षक अनुपात, स्कूलों में मनोरंजन और खेल सुविधाओं की कमी, अध्यापक की उदासीनता सभी इसमें योगदान दे सकते हैं। जो बच्चे अपराधी बन जाते हैं, उनका का विचार किए बिना, का लिहाज किए बिना जाना चाहिए, भले ही उन्होंने किसी भी कारण या परिस्थिति में अपराध किया हो। सज़ा कोई पैमाना नहीं है। एक उपयुक्त तरीका जिससे उनका पुनर्वास किया जा सके, समय की मांग है। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): धन्यवाद। मैं यहां अपनी पार्टी की ओर से खड़ी हूं लेकिन मुझे यह स्वीकार करने से नफरत है कि मैं इस विधेयक को लेकर सभा में, सभा के बीचोंबीच में दुविधा में खड़ी हूं। मैं किशोर की मां हूं। मेरे घर में 16 वर्ष का बच्चा और एक 13 वर्ष का बच्चा है, जो विपरीत व्यक्तित्व के हैं। कई वर्षों तक मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। इसलिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। कुल मिलाकर यह विधेयक बेहद सकारात्मक है। उन्होंने गोद लेने के लिए जो किया है, मुझे उनके हस्तक्षेप के लिए मंत्रालय की सराहना करनी चाहिए क्योंकि मेरे परिवार ने दो बच्चों को गोद लिया है और मैंने उस दर्द को देखा है जो माँ तब झेलती है जब वह गर्भधारण नहीं कर पाती है और बच्चे को पाने और न कर पाने के आघात को झेलती है। बच्चे को घर ले आओ। इसलिए, मंत्रालय ने जो भी कदम उठाए हैं, वे बहुत स्वागत योग्य हैं। लेकिन जिस दुविधा में खड़ी हूं वह यह है कि क्या 16 अच्छा है या 18 अच्छा है। मैं 16 और 18 की यह पूरी कहानी जानती हूं जब यूपीए सत्ता में थी, तीन साल पहले हम सभी इस पूरे मामले से गुजरे थे और उस समय नीति को रोक दिया गया था। इसलिए, मैं चाहूंगी कि वह इसे समझाएं क्योंकि इस विधेयक के ऐसे आलोचक भी हैं जिन्होंने लंबे समय से बच्चों के साथ काम किया है, जिन्हें 18 को 16 करने पर आपत्ति है। इसलिए, अगर वह अपने जवाब में यह बात बताएंगी तो इसकी काफी सराहना होगी।

मैं वर्षों से मुंबई शहर में रह रहा हूं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो बहुत जीवंत है, जहां बाल तस्करी, बाल श्रम और कई गंभीर मुद्दे हैं। मुंबई में आंगन नाम का एक एनजीओ है। मुंबई पुलिस और आंगन ने मिलकर बहुत अच्छे आश्रय स्थल बनाए। मुंबई में किसी भी तरह से अपराध दर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अगर यह 0.1 प्रतिशत भी है तो यह बुरा है क्योंकि बच्चों को असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बच्चों को सुरक्षा की जरूरत है। इस विधेयक का पूरा विचार यही है, जो देखभाल और सुरक्षा के बारे में है। इन आश्रयों ने बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया है। अपराध कम हो गए हैं और बच्चे उचित घरों में हैं। लेकिन यह सफलता का एक अलग उदाहरण है। हमें वास्तव में इसे पूरे भारत में चलाने की आवश्यकता है।

श्री तथागत सत्पथी ने एक बात कही थीं। उन्होंने जो कहा उससे सहमत हूं। एक निर्भया केस के कारण ही हम ऐसा कर रहे हैं। भावनाओं से कानून नहीं बनाये जा सकते। जब आप बेटी की मां हैं तो आपको लगता है

कि हर रेप में दोषी को फांसी होनी चाहिए। ऐसा हर माँ महसूस करती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं यहां सिर्फ मां के रूप में नहीं खड़ी हूं; मैं यहां एक नीति निर्माता हूं। जब आप बेटे की मां होती हैं तो आपको लगता है कि उसे माफ कर देना चाहिए और एक मौका देना चाहिए। हम लिंग भेद नहीं कर सकते। मैं निश्चित रूप से यहां आत्मनिरीक्षण करना और करना चाहूंगी।

मैं इसे तीन श्रेणियों में विभाजित करने की उनकी सराहना करती हूं, जहां जघन्य अपराध के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने शोध किया है और जो शायद आलोचक हैं और महसूस करते हैं कि हमारी प्रतिबद्धताओं के कारण ऐसा होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। ' यह एक स्पष्टीकरण आवश्यक है।

एक और पहलू है जहां संविधान, गठन, देश की शासन व्यव्सथा का अनुच्छेद 15 हमारे सभी बच्चों की सुरक्षा की बात करता है। अब क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं? हर मां के लिए चाहे उसका बेटा 40 साल का ही क्यों न हो, वह बच्चा ही होता है। मैं समझती हूं,यह बहुत यथार्थवादी नहीं है। लेकिन 16 साल से 18 साल तक का अंतर बहुत छोटा और बहुत निविदा होता है। बच्चे कभी-कभी काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वे करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर अधीन होता है। कोई मां अपराधी को जन्म नहीं देती। वह परिस्थितियाँ ही बच्चे को जन्म देती है। यहां तक कि निर्भया मामले में भी, मैं उस लड़के का बचाव नहीं कर रही हूं जिसने यह किया और जो आज 17 साल का है लेकिन वह 11 साल की उम्र में दिल्ली की सड़कों पर था और उसका परिवार नहीं है। इनमें से अधिकांश मामलों में जहां ये बच्चे इन मुद्दे से गुजर रहे हैं वे सिर्फ गरीबी से की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा अथवा टूटे हुए घरों से नहीं हैं अथवा अनाथ नहीं हैं। यह ऐसी चीज़ है जिसे हमें व्यापक परिदृश्य में देखने की आवश्यकता है।

यह एक बहुत ही गंभीर विधेयक है जिसका आने वाली पीढ़ियों तक बहुत से लोगों पर सामाजिक प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे लगता है, हमें वास्तव में देखने की जरूरत है कि क्या 18 से घटाकर 16 किया जाना है। 15 साल के भी बच्चे हैं। क्या हम इसमें और कटौती करने जा रहे हैं? बेंचमार्क क्या होने वाला है? यदि मंत्री कृपया स्पष्ट करें कि भविष्य के लिए रोडमैप क्या है तो हम निश्चित रूप से यहां सुनना चाहेंगे।

एक और विचार है। वर्मा समिति और संसदीय स्थायी समिति की प्रतिवेदन ने क्या कहा है? उच्चतम न्यायालय में दो मामले हैं - एक 2013 का सलिल बाली केस और दूसरा 2014 का डॉ. स्वामी केस। इन सभी मामलों में उन्होंने कहा है, 'उम्र मत कम करना।' ये विशेषज्ञ समितियां क्यों कह रही हैं कि इसे 18 पर ही रहना चाहिए और मंत्रालय क्यों कहता है कि इसे घटाकर 16 पर लाया जाना चाहिए? मुझे लगता है, इस पर सचमुच चर्चा की जरूरत है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुझे अपनी दुविधा दिखती है।

'सुरक्षा के स्थान' ऐसी चीज़ है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जिस राज्य का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां भी हमारे पास बहुत सारे घर और आश्रय हैं लेकिन कई मामलों में बच्चों और युवा लड़कों का बुनियादी दुर्व्यवहार इन आश्रयों में शुरू होता है। इन्हें चलाने वाला कोई हो सकता है जो इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता हो हमें इस पर गौर करना होगा। देखभाल और सुरक्षा दोनों तरफ से होनी चाहिए। बात सिर्फ यह नहीं है कि बच्चे अपराध करते हैं, बल्कि बात यह भी है कि बच्चों को ऐसे अपराध का सामना करना पड़ता है और वे उससे गुजरते हैं। मैं सोचती हूं कि माननीय महोदय के पास बहुत अच्छे निवारक उपाय हैं। मंत्री जी बात कर सकते हैं।

<u>सायं 06.00 बजे</u>

माननीय उपाध्यक्ष : महोदया, बस एक मिनट के लिए रुकें। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन सभा का समय बढ़ाने पर सहमत है।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम वेंकैया नायडू): महोदय, आप सभा का समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं। आइए हम चर्चा जारी रखें। फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य, नहीं, महोदय। ......(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: आपकी समस्या क्या है? एक पार्टी से अगर एक व्यक्ति बोलेगा तो सुनने में आसानी होगी। ...(व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदय, हमारा आग्रह है कि "शून्यकाल" लिया जाए। महोदय, आप हमारे द्वारा पेश किए गए संशोधनों से अवगत हैं। ......(व्यवधान) यदि हमारे संशोधन पेश किये जाते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। महोदय, यदि आप हमारे संशोधनों को पेश करने की अनुमति देना हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। अन्यथा, महोदय, हम 'शून्यकाल' के लिए आग्रह करते हैं। महोदय, आपने हमारे संशोधनों पर विचार न किये जाने का जो कारण बताया है। ......(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: उपाध्यक्ष, महोदय, व्यावहारिक समस्या होगी। कृपया समझने की कोशिश करें। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। किसी भी तरह से कोई कठिनाई नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि अब हमारे पास केवल दो दिन बचे हैं। कल हमें 2 बजे भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता पर चर्चा करनी है। यह एक संवैधानिक संशोधन है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आज इस विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं। अगर आप इसे कल लेना चाहते हैं तो आपको इसे बिना 'शून्यकाल' के पूरा करना होगा और फिर इस पर जाना होगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: विकल्प आपके पास हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडू: मुझे इनमें से किसी भी विकल्प से कोई समस्या नहीं है। ......(व्यवधान)

यादव , श्री जय प्रकाश नारायण (बाँका) : महोदय, इस पर समय बढ़ाया जाए।...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, जब तक संशोधन पेश किये जाते हैं। ......(व्यवधान) यदि हमारा संशोधन प्रचलित होना और प्रस्तुत किया जाता है। ......(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : अध्यक्ष (लोकसभा) जैसा कि माननीय मंत्री ने सुझाव दिया है, हम इसे कल प्रश्नों का समय प्रश्न काल, 'शून्यकाल' के बिना जारी रख सकते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: नहीं महोदय, हम तभी सहमत हो सकते हैं जब संशोधन पेश किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं। यदि हम कल इस पर विचार करेंगे तो आपके संशोधनों पर विचार किया जायेगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, हम आश्वासन चाहते हैं कि कल इस पर विचार किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें। मैं पहले ही फैसला दे चुका हूं. यदि हम विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो आपके संशोधनों को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। अब आप संशोधन दे सकते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: हम पहले ही संशोधन दे चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : तो फिर उस पर कल विचार किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: मैंने आपको दो विकल्प दिये थे।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें कोई अनापत्ति, आपत्ति है। प्रश्नों का समय प्रश्न काल समाप्त होते ही हम विधेयक उठाएंगे क्योंकि 2 बजे एक और संविधान संशोधन विधेयक लिया जाएगा। सरकार इस पर कल विचार करने को तैयार है। इसमें समस्या क्या है?

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: हम शाम को 'शून्यकाल' ले सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मेरा माइक हमेशा कहीं और से नियंत्रित होता है। ......(व्यवधान) बोलना बहुत कठिन है।

श्री एम. वेंकैया नायडू: आप हमें यह बताने में सक्षम होंगे कि आपका रिमोट कहां है?...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हमारा रिमोट कहीं भी रहने दो, लेकिन यहाँ हम सबको कन्ट्रोल करने वाले आप हैं कि बोलो तो बोलना, उठो तो उठना, इंट्रोड्यूज करो तो करना।...([अनुवाद] व्यवधान) महोदय, आप कल चर्चा जारी रख सकते हैं। हमें अभी 'शून्यकाल' के मामले उठाने की अनुमति देना क्योंकि कल 'शून्यकाल' उठाना संभव नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: हम 6 बजे 'शून्यकाल' लेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, कृपया मेरी बात सुनें। हमारे पास नियम 193 के अधीन न तो अल्पावधि चर्चा, विचार-विमर्श, मियाद ध्यानाकर्षण और न ही विचार-विमर्श है। हम सभी चर्चाओं से बच रहे हैं। हम तारांकित प्रश्नों पर होने वाली चर्चा, विचार-विमर्श से भी बच रहे हैं। सरकार जो चाहती है हम चर्चा करते हैं। वे जो चाहते हैं उसका इंट्रोड्यूज करना हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडू: खड़गे जी जैसे बहुत अनुभवी सांसद के लिए यह बहुत अनुचित है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या आपने इसके अन्य किसी और चीज़ की अनुमति दी है? इसलिए महोदय, हमारा हक मत छीनिए। तो आप 12 बजे के बाद भी 'शून्यकाल' जारी रखें। आज, आप 'शून्यकाल' ले सकते हैं क्योंकि कई कारणों से आपने इसे 12 बजे नहीं लिया। हम संवैधानिक संशोधन के कारण बाध्य हुए। सबने सहयोग किया; आपका विधेयक पास हो गया। यह एक अलग बात है। इसलिए, 'शून्यकाल' जारी रखना बेहतर है।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मंत्री ने 'शून्यकाल' रद्द करने की बात कही।

श्री एम. वेंकैया नायडू: मेरे मुंह में शब्द मत डालिये महोदय। मैंने जो सुझाव दिया वह यह है कि यह भी एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है। चूँकि, अभी सुप्रिया वैयक्तिक, व्यक्तिगत, व्यक्ति, व्यष्टि के तौर पर भी कुछ मुद्दे उठा रही थीं, मेरी भी इस विधेयक पर मजबूत विचार है। मेरा विचार है; यह आपकी पसंद के अनुसार हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे वर्ग के खिलाफ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने में सक्षम है तो हमें युवाओं में हाल के

दिनों में आए शारीरिक बदलावों का भी ध्यान रखना होगा। इन सभी पहलुओं का अध्ययन करना होगा। ......(व्यवधान) आप समझने का प्रयास करें। हमारे यहां संसदीय प्रणाली है। आपको यह समझना होगा। यहां तक कि एक संसद सदस्य के तौर पर मंत्री की भी राय होती है। ......(व्यवधान)

मेरा कहना है, महोदय, या तो आप विधेयक को अभी जारी रखें अथवा हमें प्रश्नों का समय प्रश्न काल के तुरंत बाद इसे लेने के लिए सहमत होने दें, हमें विधेयक को पूरा करने दें। ......(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नहीं, शून्यकाल के बाद आप इसे ले सकते हैं। ......(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: फिर, हम संवैधानिक संशोधन ले सकते हैं और फिर हम शाम को 'शून्यकाल' ले सकते हैं। यह किसी भी तरह से हो सकता है, आज नहीं तो कल। ......(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम अपना मध्याह्न भोजन छोड़ सकते हैं लेकिन हम अपना 'शून्यकाल' नहीं छोड़ सकते। 'शून्यकाल' आपको लेना चाहिए। फिर, स्वाभाविक रूप से, मध्याह्न भोजन के समय, हम इसे ले सकते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: हम मध्याह्न भोजन छोड़ने के लिए तैयार हैं। ......(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : आम तौर पर मंत्री जी ने भी जो कहा और आप लोगों ने भी जो व्यक्त किया, वह मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। आम तौर पर, 'शून्यकाल' के दौरान केवल एक या दो मुद्दे ही अध्यक्ष अनुमति देते है। किसी भी महत्त्वपूर्ण मुद्दे को वह 12 बजे भी अनुमति देना। बाद में हम देखेंगे कि विधेयक पूरा हो जायेगा। जो भी 'शून्यकाल' की सूची बची है, उसे 6 बजे लिया जा सकता है। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है। आज भी 6 बजे हम इसे उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: एक असाधारण अपवाद स्वरूप में आप इसे 6 बजे लेते हैं। हर दिन अगर आप इसे 6 बजे उठाते हैं तो इसका महत्व क्या है?

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): तो फिर 'शून्यकाल' की प्रासंगिकता क्या है?

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। सुप्रिया *जी*, क्या आपने अपना भाषण पूरा कर लिया ? केवल दो सदस्य प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। इसके बाद हम 'शून्यकाल' लेंगे। हम सभा का समय 7 बजे तक या 'शून्यकाल' समाप्त होने तक बढ़ा सकते हैं।

श्रीमती सुप्रिया सुले जारी रखें।

06.05.2015

सायं 06.02 बजे

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 जारी।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदय, मेरे पास केवल दो बिंदु हैं। मैं चाहूँगी कि माननीय मंत्री को यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा हो और सुनिश्चित करें कि इस विधेयक का संविधान के साथ कोई टकराव न हो, सभी संशोधनों का उल्लेख पहले किया जा चुका है।

यह विधेयक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और कानूनी पहलू के बारे में है। इस संकल्पना को प्राप्त करने का पूरा विचार यही है। मुझे लगता है, हर बच्चे को जीने का अधिकार है; प्रत्येक नागरिक इसका हकदार है। इसलिए, मुझे लगता है, चाहे वह 16 साल की हो या 18 साल की, उसे निश्चित रूप से हमें विस्तार से समझाना चाहिए और हमें समझाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। हमें इसका समर्थन करते हुए खुशी हो रही है, लेकिन साथ ही, प्रत्येक बच्चा इस देश के लिए एक संपत्ति है। मुझे लगता है कि उनकी शिक्षा, उनकी जीविका, रोजी, हमारी ज़िम्मेदारी है, खासकर हम विशेषकर, विशेष रूप से निर्णय लेते हैं। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि हम उनके लिए जो भी विकल्प चुनेंगे वह सही निर्णय, फैसला होगा। भले ही कोई बच्चा कोई गलती करता है, बेशक यह पाठ्यक्रम है, लेकिन निश्चित रूप से वह दूसरे मौके का हकदार है। धन्यवाद, महोदय।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला): इस विधेयक पर मुझे अपने दृष्टिकोण, मत, विचार व्यक्त करना का अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदय। बच्चों की दृष्टि से और बच्चों के अधिकार की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है कि किशोरों को सुधारों की जरूरत है न कि जेलों की, जैसा कि प्रचारित किया गया है या विधेयक में लाया गया है।

महोदय, मैं विधेयक पर दो दृष्टिकोण से बात करना चाहूंगा। एक है मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है शारीरिक और चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां 42 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं और उनका कुपोषण स्तर 14 उप-सहारा अफ्रीकी देशों की संयुक्त शुद्ध जनसंख्या के बराबर है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर शर्मनाक कहा है। एक ऐसा देश जहां अमूर्त गरीबी है और माता-पिता द्वारा बच्चों को अपराध में धकेला जाता है, एक ऐसा समाज जहां बच्चों के साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार होता है, एक ऐसा समाज जहां बाल श्रम अभी भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है और एक ऐसा देश जहां लोगों के गिरोह छोटे बच्चों को अपराध में शामिल कर रहे हैं दुनिया चाहे मजबूरियों से हो या आर्थिक लालच से या अन्य तरीकों से, उस देश में हम उम्र को 18 से 16 साल करने की बात कर रहे हैं। यह बच्चों के अधिकारों के साथ घोर अन्याय है।

शारीरिक स्तर पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह विधेयक त्रुटिपूर्ण धारणाओं पर तैयार किया गया है कि उचित संदेह से परे परिपक्वता और मानसिकता को निर्धारित करना वैज्ञानिक रूप से संभव है। उचित संदेह से परे परिपक्वता और मानसिकता को निर्धारित करना संभव नहीं है कि 16 वर्ष की आयु में एक बच्चा अपने मस्तिष्क की संरचना के कारण कानूनी निहितार्थों और सामाजिक निहितार्थों के साथ समझने, न्याय करने और उचित, तर्कसंगत रूप से कार्य करने में सक्षम है। ऐसे कई अध्ययन हैं जहां इस बात का जिक्र किया गया है कि 16 साल का बच्चा किसी स्थिति को समझने में सक्षम नहीं होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है या बुरा।

महोदय, रिचर्ड जे. बोनी और एलिज़ाबेथ एस. स्कॉट के नवीनतम शोध से पता चलता है कि किशोर परिपक्वता का व्यक्तिगत मूल्यांकन संभव नहीं है और यह सुझाव देना कि ऐसा किया जा सकता है, का अर्थ

होगा "विज्ञान की सीमाओं को पार करना।" इसलिए, वैज्ञानिक रूप से, मैं पूरी प्रामाणिकता और मेरे पास उपलब्ध सभी शोधों के साथ कहता हूं कि 16 साल की उम्र में जोखिम का आकलन करना, निहितार्थों का आकलन करना और भावनाओं से अभिभूत न होकर तर्कसंगत निर्णय करना संभव नहीं है। बता दें कि ये उम्र 18 साल है।

अंत में, मैं एक महत्वपूर्ण अध्ययन उद्धृत करूंगा जो कहता है।

> “शोध से पता चलता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे-धीरे परिपक्व होता है और किशोरावस्था के दौरान और प्रारंभिक वयस्कता तक फैलता है। यह क्षेत्र मस्तिष्क के कार्यकारी कृत्य को नियंत्रित करता है, योजना बनाने, आवेगों को नियंत्रित करने और कार्य करने से पहले अभिनय के परिणामों को तौलने में नियोजित उन्नत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों के बीच संबंधों में परिपक्वता भी धीरे-धीरे होती है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ आवेग नियंत्रण और भावनात्मक नियमों में सुधार होता है।

यह सिर्फ भावनात्मक नहीं है। यह बहुत शारीरिक और शरीर-रचना-संबंधी रूप से है कि बच्चा अपने लिए कोई निर्णय लेने या तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं है। इसलिए, मैं इस विधेयक का न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि शरीर-रचना-संबंधी पर भी विरोध करता हूं। मेरे पास लंदन विश्वविद्यालय से लेकर नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ (एनआईएमएच) और बेंगलुरु तक सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं कि बच्चा स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए, आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष करना किशोर आबादी के साथ घोर अन्याय है। इससे अपराध भी कम नहीं होगा। यह बच्चों के अधिकार छीन लेगा। इसे अच्छा विधेयक नहीं माना जा सकता। यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के भी खिलाफ है। इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : अब, हम 'शून्यकाल' लेंगे। श्री रवनीत सिंह।

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और संसद् का ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू की तरफ दिलाना चाहता हूं। इराक में 39 भारतीयों को 11 जून, 2014 को आई.एस.आई.एस. टैरेरिस्ट्स ने बंधक बना लिया था, जो वहां की कंस्ट्रक्शन कम्पनी में काम कर रहे थे। उनकी आखिरी बात 15 जून, 2014 को अपने-अपने परिवार वालों से हुई, उसके बाद से किसी की किसी से फोन पर न बात हुई और न उनका पता चला कि वे कहां हैं। उसके बारे में बार-बार अनुरोध करने पर हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा जी ने हाउस में बताया और उन्होंने यह कहा कि जो हमारे सोर्सेज हैं, वे बताते हैं कि वहां 39 भारतीय सेफ हैं और वे बचे हैं। पर, आज इतना लम्बा टाइम हो गया है और सारे परिवारवाले जन्तर-मन्तर पर आठ दिनों से धरने पर बैठे हैं। सारे पेपर्स में इसके बारे में रिपोर्ट है और 'द ट्रिब्यून' में तो इसके बारे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है।...(व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर सर, यह एक सीरियस इश्यू है और यहां क्या हो रहा है? इससे यही पता चलता है कि सरकार का इस पर क्या सीरियसनेस है?...(व्यवधान)

सर, लोग जन्तर-मन्तर पर हड़ताल पर बैठे हैं। उनमें से एक व्यक्ति, जो गुरदासपुर के काला अफगाना गांव का हरजीत मसीह है, जिसके बारे में यहां पर मंत्री जी ने बताया था कि वह हमारी कस्टडी में है। उसे भी न उसके परिवारवालों से मिलाया जा रहा है और न किसी से उसकी टेलीफोन से बात हो रही है। पर, मैडम ने हाउस में कहा था कि वह हमारी कस्टडी में है। आज जहां उनके परिवारवाले धरने पर बैठे हैं, वहां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग उन्हें बोल रहे हैं कि आप वापस पंजाब चले जाएं, नहीं तो आपके केस को गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ाएगी।

सर, मेरी आपसे मांग है कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई व्यक्ति जाकर उसके परिवारवाले से बात करे, क्योंकि उसके परिवारवाले सुषमा जी से उनके ऑफिस में एक साल में नौ बार मिले हैं। एक बार वे लोग पंजाब के चीफ मिनिस्टर को साथ लेकर वहां गए और एक बार कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर जी को साथ लेकर गए, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चला कि वह कहां है। अगर सरकार इन लोगों के लिए थोड़ी-सी भी

सीरियस है तो इसके बारे में उसे बताना चाहिए। अगर वह ठीक-ठाक नहीं है या उनके साथ कोई हादसा हो गया है तो इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। उसके बारे में भी बताना चाहिए। जिन्होंने उसे उठाया, अगर वे कोई रैन्सम या पैसा मांग रहे हैं तो इसके बारे में भी बताना चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को उन भारतीयों के बारे में यहां पर आकर जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेंगलुरु के बाद हुबली-धारवाड़ कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। एक ही निगम होते हुए भी दो शहरों के बीच की दूरी चारों ओर 22 किलोमीटर है। हाल के दिनों में हुबली-धारवाड़ रोड पर कई नए लेआउट सामने आए हैं और तेजी से बस्तियां बढ़ रही हैं। लगभग यह विकसित होकर बंद हो चुका है। अब, प्रसार भारती रिले केंद्र द्वारा बड़ी बाड़ के साथ बनाई गई चारदीवारी के कारण ऐसे कई नए लेआउट वाले इलाकों में लोगों को मुख्य सड़क पर आने के लिए घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता है, और इसके कारण विपरीत सड़क से संपर्क पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। अब लोग चहारदीवारी के निर्माण से पहले की तरह संपर्क मार्ग उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। प्रसार भारती की संपत्ति या रिले सेंटर पर कोई बाधा या व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। बार-बार अनुरोध के बावजूद वे रास्ते के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं।

इसलिए, मैं माननीय से आग्रह करूंगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री आकाशवाणी अधिकारियों को लोगों की लोकप्रिय मांग का सम्मान करने का निर्देश दें, जो समय की वास्तविक जरूरत है।

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन और प्रासंगिक नियमों की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, तमिलनाडु सरकार, डॉ. के कुशल मार्गदर्शन में पुरैची थलाइवी अम्मा ने 8 नवंबर, 2011 को तमिलनाडु बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम अधिसूचित किया है। अधिनियम के उपबंध के अनुसार, तमिलनाडु के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने किंडरगार्टन चरण में वर्ष 2013-14 में 49,864 बच्चों और वर्ष 2014-15 में 86,729 बच्चों को प्रवेश दिया था, जो कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से थे।

तदनुसार, निजी स्कूलों ने तमिलनाडु सरकार को वर्ष 2013-14 में 25.13 करोड़ रुपये और वर्ष 2014-15 में 71.91 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए थे। सर्व शिक्षा अभियान, तमिलनाडु के परियोजना निदेशक ने भी प्रतिपूर्ति के लिए 18 अक्टूबर 2013 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखा था।

लेकिन अचानक 24 मार्च 2014 को मानव संसाधन विभाग ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा कि प्रतिपूर्ति अप्रैल 2014 से प्रभावी होगी और यह केवल कक्षा से प्रविष्ट बच्चों पर लागू होगी।

सर्व शिक्षा अभियान रूपरेखा में किए गए ये एकतरफा और मनमाने संशोधन प्रतिपूर्ति के लिए हमारा दावा करना हैं। इसे प्रविष्टर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा 2014-15 के लिए विस्तार, सीमा 72 करोड़ रुपये का दावा करना केवल 14 लाख रुपये तक प्रतिबंधित, सीमित किया जा रहा है। ये मनमाने प्रतिबंध अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। दूसरे, पूरे देश में यह सर्वविदित तथ्य है कि बच्चों को किंडरगार्टन स्तर पर प्रविष्ट दिया जा रहा है, न कि कक्षा एक स्तर पर।

इसलिए, सर्व शिक्षा अभियान रूपरेखा में ये संशोधन, जो अधिनियम के विपरीत हैं, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं।

इसलिए मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि ये संशोधन वापस लिए जाएं और रुपये की विस्तार, सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाए। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए 97.04 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार को यथाशीघ्र दिए जाएं। धन्यवाद।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे देश के लंबे तटीय क्षेत्रों में लाखों मछुआरों की आजीविका और अस्तित्व से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

वे विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए मीना कुमारी समिति की सिफारिशों से बेहद नाराज हैं। हम, तटीय राज्यों के संसद ने राजनीतिक संबद्धताओं की परवाह किए बिना, इन सिफारिशों के विरुद्ध संसद के भीतर, अंदर और बाहर अपनी आवाज उठाई है। इतना

ही नहीं, विभिन्न मछुआरा संगठनों ने संसद तक मार्च और अन्य विविध, विभिन्न स्थानों पर आंदोलन भी चलाया।

यदि सिफ़ारिशों को लागू किया गया, तो इसके परिणामस्वरूप हमारे समृद्ध समुद्री संसाधनों को भारतीय और विदेशी कॉरपोरेट्स को बेच दिया जाएगा और मछुआरों को उनकी आजीविका के एकमात्र स्रोत से वंचित कर दिया जाएगा।

महोदय, भारतीय जलक्षेत्र में विदेशी जहाजों की स्वतंत्र और अनियमित आवाजाही निश्चित रूप से हमारे देश की सुरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डाल देगी।

आपके निर्देश पर पिछले दिनों हम कृषि मंत्री से मिले थे। उन्होंने एक बैठक, सभा बुलाई गई। हम तटीय राज्यों के सांसदों ने वास्तव में उनके साथ चर्चा, विचार-विमर्श की। लेकिन अभी तक इस मामला का कोई हल नहीं निकल पाया है।

महोदय, यह अत्यंत दुखद है कि मंत्री द्वारा दिये गये वादों का पालन नहीं किया जा रहा है। कल इस पर गहन चर्चा हुई। मानसून के दौरान एक साथ दो महीने के लिए मछली पकड़ने पर असामान्य प्रतिबंध लगाने के नवीनतम निर्णय ने स्थिति और खराब कर दी है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले तुरंत तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाएं।

माननीय उप सभापति: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): महोदय, हम सबको पता है कि हाल में नेपाल तथा हमारे देश के कई राज्यों में भूकम्प से भारी तबाही हुई थीं। नेपाल में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई और भारत में भी सैंकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई थीं। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना, एनडीआरएफ की टीम, वायु सेना के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगायी। वहाँ पर भूकम्प के झटके आते रहे, बारिश होती रही, लेकिन उन्होंने वहाँ पर

सहायता प्रदान की। साथ में मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ, नेपाल जो हमारा मित्र राष्ट्र है, जहाँ हमारा बेटी और रोटी का सम्बन्ध है, जिस प्रकार से उन लोगों ने वहाँ पर मदद कराई, उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

भारत-नेपाल सीमा पर मेरा क्षेत्र महाराजगंज है। वहाँ स्वयंसेवी संगठनों ने और मेरे क्षेत्र के तमाम लोगों ने और मैंने स्वयं वहाँ पर राहत और बचाव के कार्य में मदद की। वहां बहुत तत्परता से राहत और बचाव का कार्य हुआ। आज वहां बहुत बड़ी समस्या पुनर्वास की है। बहुत बड़ी संख्या में वहां भवनों का नुकसान हुआ है। करीब दो लाख मकान गिरे हैं। हमारे देश में भी बहुत जगह गिरे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि भारत-नेपाल सीमा पर इस समय राहत कार्यों के लिए आवाजाही बहुत बढ़ी है। वहां सुरक्षा की व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए, नहीं तो वहां कुछ असामाजिक तत्व निश्चित तौर से इसका लाभ उठाकर कुछ हरकत भी कर सकते हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री पी.पी. चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुमारी शोभा करंदियाजे को श्री पंकज चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्री ई, अहमद (मलप्पुरम): मैं भारत सरकार का ध्यान बाल श्रम के मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगा, जो बहुत चिंताजनक है। वर्तमान में, विकासशील और अल्प-विकसित देशों में बाल कामकाजी आबादी की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

दरअसल, बाल श्रमिक आबादी को बाल श्रमिक कहा जाता है जिनकी उम्र पाँच से चौदह वर्ष के बीच होती है। भारत में, बच्चे ज्यादातर असंगठित क्षेत्रों की विभिन्न कम महत्वपूर्ण नौकरियों में लगे हुए हैं जो स्थिति में खतरनाक हैं।

जनगणना में पाया गया कि बाल श्रमिकों की संख्या 1991 में 11.28 मिलियन से बढ़कर 2001 में 12.66 मिलियन और 211 में 21.39 मिलियन हो गई। इसके अलावा, भारत में लगभग 85 प्रतिशत बाल

श्रमिकों तक पहुंचना कठिन, अदृश्य और बहिष्कृत है, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी दोनों, परिवार के भीतर या घरेलू इकाइयों में काम करते हैं।

हमारा संविधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम छह से चौदह वर्ष के बीच के सभी बच्चों को उनके अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।

जहां तक पंद्रह से अठारह वर्ष के बीच के बच्चों का संबद्ध है, किशोर न्याय अधिनियम इस आयु वर्ग को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार और दोहन, शोषण से बचाता है। तथापि, वर्तमान बाल श्रम विधि, कानून इन युवा वयस्कों के व्यवहार के बारे में चालू, प्रचलित है।

बाल श्रम विशेषकर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। बच्चे विविधता, अनेकरूपता कारणों से काम करते हैं जैसे माता-पिता की गरीबी जो प्रमुख नियंत्रण कारक है।

ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों की गरीबी व्यापक है। भूमिहीनता गरीबी में योगदान करती है और गरीबी भूमिहीनता का कारण बनती है। अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल जाने की उम्र में मुख्यत:, प्राथमिक तौर पर, प्रथमत: पूरक आय की आवश्यकता के कारण स्कूल के बजाय काम पर भेजते हैं।

स्कूली शिक्षा की समस्याएँ भी बाल श्रम में योगदान करती हैं। कई बार, बच्चे केवल इसलिए रोजगार की नियोजन में रहते हैं क्योंकि स्कूलों तक पहुँच नहीं है। जब पहुँच कम होती है तो अक्सर उपस्थिति छात्रों के लिए समय की बर्बादी बन जाती है। कई विकासशील क्षेत्रों के स्कूल अत्यधिक भीड़भाड़, अपर्याप्त स्वच्छता और उदासीन शिक्षकों जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंबित कानून पारित करने के संबंध में श्रम मंत्रालय की पहल सराहनीय है।

जबकि संसदीय स्थायी समिति ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है, अब यह समझा जा रहा है कि विधेयक को श्रम मंत्रालय को यह कहते हुए वापस भेज दिया गया है कि गरीबी के कारण बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करे और हमारे युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने में निवेश करे।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सभी सदस्यों से संक्षिप्त जानकारी देने का अनुरोध करूंगा। हमें यह 'शून्यकाल' सात बजे से पहले पूरा करना है। इसलिए, उनके भाषणों में संक्षिप्त रहें।

[हिन्दी]

श्री दिनेश कश्यप (बस्तर) : उपाध्याक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ राज्य के इंदरावती नदी और ओडिशा राज्य के जोरा नाला पर स्ट्रक्चर निर्माण में हो रहे विलंब की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। लगभग 11 वर्ष पूर्व, 31 मई, 2002 को केन्द्रीय जल आयोग की बैठक में इंदरावती नदी और जोरा नाला पर पक्का स्ट्रक्चर निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्य ओडिशा सरकार के कंसट्रक्शन कारपोरैशन द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। अनुबंध के अनुसार यह कार्य 25 मई, 2012 में प्रारंभ होकर 24 जून, 2014 तक पूरा हो जाना था। लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर निर्माण में लगातार विलंब हो रहा है जिसके कारण 70 प्रतिशत पानी ओडिसा के नाले में जा रहा है और 30 प्रतिशत पानी छत्तीसगढ़ राज्य को मिल रहा है। इस कार्य में व्यवधान पहुंचाने के लिए ओडिसा के एक विधायक ने वहां तोड़-फोड़ की और कार्य को भी रोका। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्य बस्तर, छत्तीसगढ़ के लिए जीवनदायी है। इसके लिए अभी तक 37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 12 करोड़ रुपये का ही काम हुआ है जो 35 प्रतिशत है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार और केन्द्रीय जल आयोग इस पर त्वरित कार्यवाही करे और इसे तत्काल पूर्ण करवाए ताकि दोनों राज्यों को बराबर पानी मिल सके और हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य में बालोद जिले के अंतर्गत दल्लीराजहरा से रायपुर तक जो रेल का संचालन हो रहा है, वह मात्र 105 किलोमीटर का रास्ता है। इस मार्ग में चलने वाली एक्सप्रैस ट्रेन को चार घंटे से ज्यादा का समय लगता है जबकि लोकल ट्रेन ढाई घंटे में पहुंच जाती है। उक्त एक्सप्रैस ट्रेन का किराया भी लोकल ट्रेन के मुकाबले ज्यादा है। एक्सप्रैस ट्रेन नं.18209/18210(अप/डाउन) की लेट लतीफी के चलते

नौकरी तथा व्यावसायिक कारणों से यातायात करने वाले लोगों को आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लेट लतीफी के चलते बहुत से लोगों ने एक्सप्रैस ट्रेन से यात्रा करना बंद कर दिया है जिससे रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है। इससे राजहरा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण नहीं होना बड़ा कारण है। चूंकि दुर्ग में इस ट्रेन का इंजन बदलने में पचास मिनट से ज्यादा समय लगता है, एक्सप्रैस ट्रेन को नियमित करते हुए इसे जोन मुख्यालय बिलासपुर तक बढ़ाया जाये। क्योंकि रायपुर पहुंच कर यह ट्रेन सात घंटे खड़ी रहती है, उच्च न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा दक्षिण क्षेत्र में यात्रा करने वाले बालोद और कांकेर जिला वासियों को इसका लाभ मिलेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत **(जोधपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने खानों के लिए एनवायरमैंट क्लीयरैंस का जो विधान 2006 तक था, उसमें संशोधन करते हुए 2013 में सभी खानों, चाहे वह किसी भी साइज, श्रेणी की हों, यह कर दिया है कि खनन पट्टा स्वीकृत होने से पहले और अगर पुरानी खान है तो नवीनीकरण से पहले एनवायरमैंट क्लीयरैंस लेना आवश्यक है। राजस्थान में अप्रधान खनिजों की ऐसी तीस हजार खानें हैं जिनके साइज़ केवल एक हेक्टेयर से भी कम हैं और आधिकांश खानें ऐसी हैं जिनसे साइज़ 0.18 हेक्टेयर से भी कम है, 25/50 फुट की खानें हैं। ऐसी खानों के लिए एनवायरमैंट क्लीयरैंस की आवश्यकता कर दी गई है। एनवायरमैंट क्लीयरैंस लेने के लिए प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने वाले क्वालीफाइड लोग बहुत कम हैं। उसके कारण खान ओनर को बहुत ज्यादा समय लगता है, श्रम लगता है और जब तक एनवायरमैंट क्लीयरैंस नहीं मिलती, उसकी खान या तो बंद रहती है या नई खान स्वीकृत नहीं होती। राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस दर्द को समझते हुए एक प्रावधान किया है और छोटी-छोटी खानों का एक कलस्टर बनाकर, क्योंकि एक खान जो 25/50 फूट की है, एनवायरमैंट क्लीयरैंस के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है कि 30 प्रतिशत जगह पेड़ लगाने के लिए छोड़ेगी, यह 0.18 हेक्टेयर नाप की खान के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। हमारी मुख्य मंत्री जी ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। लेकिन क्योंकि प्रधान खनिजों, मेजर मिनरल्स के लिए भारत सरकार ने पांच हेक्टेयर तक के लिए एनवायरमैंट क्लीयरैंस की आवश्यकता नहीं रखी तो ऐसे छोटे-छोटे खनिज व्यापारी जो 25 फुट और 50 फुट की खान में अपना काम करते हैं, उनके लिए एनवायरमैंट क्लीयरैंस की आवश्यकता समाप्त की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी, श्री सी.आर. चौधरी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष जी, छावनी परिषदों में रह रहे नागरिकों की समस्याओं की ओरसदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। छावनी क्षेत्रों में नागरिकों की निजी सम्पत्तियां मौजूद हैं जो अंग्रेजी शासन काल में ओल्ड ग्रांट या लीज़ की शर्तों पर होती थी तथा छावनी आधिनियम 1924 के अंतर्गत लोगों को अपने मकान या दुकान के नक्शे पास कराने या उन पर अपना नाम चढ़वाने में कोई समस्या नहीं आती थीं। यहां तक कि मूल मालिक की मृत्यु हो जाने पर उसके वंशजों के नाम अलग-अलग चढ़ा दिए जाते थे और सब्सीडियरी सर्वे नम्बर अलग कर दिए जाते थे। स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही थीं। परंतु दिनांक 23.03.1968 को सरकार द्वारा देश में छावनी क्षेत्रों की भूमि नीति जारी करके संपत्तियों के अलग सर्वे नंबर देने, नाम चढ़ाने, नक्शे पास करने तथा बेचने या गिरवी रखने की अनुमति देने पर रोक लगा दी और इस संबंध में छावनी बोर्डों के आधिकार समाप्त कर दिए गए। नतीजा यह निकला कि अनावश्यक मुकद्मे पैदा हो गए। लोग अपने बढ़ते हुए परिवार की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अवैध निर्माण कर लेते हैं जिस के कारण छावनी बोर्डों में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है।

छावनी क्षेत्रों की भूमि नीति जो अंतिम बार दिनांक 09.02.1995 में संशोधित हुई थी, संसद द्वारा पारित छावनी आधिनियम, 2006 के पूरी तरह विरोधाभासी है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि छावनी क्षेत्रों की भूमि प्रबंधन नीति, 1995 पर तुरंत पुनः विचार कर इसे सुसंगत, व्यावहारिक एवं जनोपयोगी बनाया जाए, जिससे आम नागरिकों को समस्याओं से मुक्ति मिल सके, छावनी बोर्डों के अनावश्यक मुकदमे समाप्त हों, उनकी राजस्व आय में वृद्धि हो तथा विकास कार्यों को भी गति मिल सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनू जिले में आधिक संख्या में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों में कर्मचारी कार्यरत है। इस कारण जिले में कर्मचारी भविष्य निधि के उप-क्षेत्रीय कार्यालय को चालू कराने की मांग कर रही हूं। सरकार की तरफ से इस कार्यालय के लिए स्वीकृति भी जारी हो चुकी है इसलिए आविलंब इस कार्य को प्रारंभ किया जाए ताकि झुंझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चुरू व अलवर का क्षेत्राधिकार पूर्ण हो सके।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एनएच-2 रोड बन रही है उसमें कानपुर देहात और कानपुर नगर में जिन किसानों की भूमि आधिगृहित की गई है उनका मुआवजा कानपुर देहात में 3,93, 00,000 रुपये मिला है और कानपुर नगर में 27,72,00,000 करोड़ रुपये मुआवजा मिला है। [हिन्दी] वर्ष 2013 से यहां काम हो रहा है, टोल प्लॉजा पर लगातार अवैध वसूली हो रही है। [अनुवाद] मैंने 14.12.2014 को महाप्रबंधक को एक पत्र लिखा था जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। [हिन्दी] मैं इस बात को माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में लाया हूं लेकिन अभी तक वहां लोगों से अवैध वसूली की जा रही है जो नियम के विरुद्ध है। लोगों में इससे बहुत आक्रोश है। मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूं तो वहां के लोग इस बात के लिए पीड़ा प्रकट करते हैं। मैं माननीय सरकार से निवेदन करता हूं कि कानपुर नगर और कानपुर देहात के लोगों से टोल टैक्स की वसूली बंद की जाए, यही मेरा आग्रह है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

डॉ**. भोला सिंह (बेगूसराय) :** महोदय, मैं आसन के माध्यम से बिहार में जो विपदा और वेदना आई है, के बारे में बात करना चाहता हूं। संपूर्ण सदन खुदा की इबादत है। परंतु उस खुदा की इबादत नहीं है न उसे स्वर्ग की

अराधना है, जो मंदिरों में रहता है, जो मस्जिदों में रहता है बल्कि उस खुदा की इबादत है जो लाखों करोड़ों झोपड़ियों में, मिट्टी के घरों में, ईंट के घरों में हंसते हुए, रोते हुए, गम में, खुशी में, आधा पेट खाए हुए, भूख रहते हुए वह जमीन की ममता के साथ जुड़ा हुआ है। जब सारा आलम सोया हुआ था, रात्रि 10 बजे अंधेरे में चक्रवाती तुफान ने बेगुसराय, पूर्णया, किसनगंज, अररिया, मधुबनी और दरभंगा को उसके रग-रग को तोड़ डाला। प्रकृति लहूलुहान हो गयी है, लाखों घर उजड़ गये हैं, मकान की छत उड़ गयी है और किसान भूख और विपदा के आतंक से भरे हुए हैं। यह बात ठीक है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने पीड़ा और वेदना को सम्वेदना ही नहीं दी, बल्कि जीने का आधार भी दिया। यह बात भी ठीक है कि देश के गृह मंत्री जी ने उस इलाके में हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने वहां की पीड़ा देखी और सरकार की नीयत और नीति को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया।

महोदय, बिहार चुनाव के साये में गुजर रहा है और वहां पर जनता वोट बैंक हो गयी है। अब वह परमेश्वर नहीं है। राहत के कार्यों में जिस ढंग से भेदभाव हो रहा है, जिस ढंग से वहां काम हो रहा है, वह एक अलग त्रासदी है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी बजी है, लेकिन मेरे दिल में अलग ही घंटी बज रही है।...(व्यवधान) कभी आपकी घंटी भी बजकर हमें याद दिला दे।...(व्यवधान) इसलिए हुजूर, राजनीति शरीर का धर्म है, धर्म आत्मा की राजनीति है और संस्कृति आत्मा के कंपन की खुशबू है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वह बिहार को पीड़ा को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की पीड़ा को सम्वेदना देकर, विशेष रूप से पैकेज देकर बिहार की जनता को राहत पहुंचाने का कदम उठाये।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री पी.पी. चौधरी को डॉ. भोला सिंह द्वारा उठाये गये मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गयी है

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनकापल्ली): उपाध्यक्ष, महोदय, मैं इस मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो आंध्र प्रदेश के पाँच करोड़ तेलुगु लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने शेष आंध्र प्रदेश राज्य के साथ बहुत गंभीर अन्याय किया है। इसने जनसंख्या अनुपात के आधार पर देनदारियों को विभाजित करते हुए स्थान के आधार पर आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ का वितरण किया। यह ध्यान में रखते हुए कि वस्तुतः सभी प्रमुख आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ हैदराबाद शहर में और उसके चारों ओर स्थित हैं, जो तब से तेलंगाना राज्य का एक अभिन्न अंग बन गया है। यद्यपि,के होने पर भी राजधानी होने के बावजूद, आंध्र प्रदेश ने सभी प्रमुख आर्थिक आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ को जब्त कर लिया है और कर्ज चुकाने के साधन के बिना भारी देनदारी विरासत में मिली है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, अपनी स्थिति के आधार पर, के कारण, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सद्गुण है। इसलिए, जब तक भारत सरकार निवेश और सतत आर्थिक विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अलावा, एक सक्रिय नीति ढांचे और पर्याप्त वित्तीय पैकेज के माध्यम से एक समान अवसर नहीं बनाती है, आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिकूल परिणामों के साथ वित्तीय संकट में फंसने की संभावना है। इसके नागरिक, विशेषकर गरीब और कमजोर।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर दूसरे सभा में बहस में भाग लेते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार ने खूब हंगामा किया। ......(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष (लोकसभा): उन्हें जो बोलना था वह पहले ही बोल चुके हैं। वह विशेष प्रतिष्ठा चाहते हैं। यही उनकी मांग है।

...(व्यवधान)

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती): यदि वे सत्ता में आए तो विशेष प्रतिष्ठा देंगे। ......(व्यवधान) दस वर्ष के लिए। दुर्भाग्य से, यूपीए सरकार ने विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया। इसीलिए वे इसमें देरी कर रहे हैं।

अब मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से अनुरोध करता हूं वे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए जिम्मेदार, उत्तरदायी हैं। पिछले एक साल से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, एक अनुरोध कर रहे हैं। ......(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एम. उदयकुमार।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री थोटा नरसिम्हम, डॉ. रवींद्र बाबू, श्री एम. मुरली मोहन और श्री राम मोहन नायडू किंजरापु को श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, *वणक्कम*। मैं अपने नेता *पुरैची थलाईवी* माननीय को धन्यवाद देता हूं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा, इस महती सदन के समक्ष मुझे चीनी उद्योग के संकट के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारतीय चीनी उद्योग भारत की आर्थिक संवृद्धि, वृद्धि का समर्थन करने वाले ग्रामीण विकास का एक प्रमुख चालक है। ब्राजील के बाद दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक भारत में चीनी उत्पादन वर्ष 2014-2015 में पिछले वर्ष के 24.4 मिलियन से बढ़कर 26.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसके अलावा, भारत कम वैश्विक कीमतों का लाभ उठाते हुए कम मात्रा में चीनी का आयात कर रहा है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नकदी की कमी से जूझ रहे उद्योग को उबारने के लिए अगस्त 2015 में कच्ची चीनी और रिफाइंड या सफेद चीनी पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

देश बहुत कम आयात करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अधिशेष उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया है, जिससे मिलों की गन्ना किसानों को बकाया भुगतान करने की क्षमता प्रभावित हुई है। चीनी उद्योग का कहना है कि यह बदतर स्थिति में है, बैंक पैसा उपलब्ध कराने से दूर रहे हैं और निवेशकों ने तेजी से बढ़ते बाजार में चीनी शेयरों को छोड़ दिया है। उद्योग किसानों को गन्ने की कीमत नहीं दे पा रहा है और न ही अपना

चीनी स्टॉक बेच पा रहा है। चीनी मिलें देश के चीनी पूल में 2.2 मिलियन टन अधिशेष की खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बार के हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं ताकि कमोडिटी की कीमतों में लगातार गिरावट को रोका जा सके और संघर्षरत उद्योग के लिए 7000 करोड़ रुपये की आवश्यक नकदी प्रदान की जा सके।

मालूम हो कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय आयात शुल्क को और बढ़ाकर 40 फीसदी करने की योजना बना रहा है। साथ ही, शुल्क में बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी से आयात अव्यवहार्य हो जाएगा और घरेलू चीनी की कीमतों में कुछ उछाल आ सकता है जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। इस बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी से उद्योग को 19,000 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया चुकाने में मदद मिलेगी।

मैं खाद्य और वित्त मंत्रालयों से अनुरोध करूंगा कि वे चीनी उद्योग को गन्ना बकाया चुकाने में सक्षम बनाने के लिए समाधानों की जांच करें। सरकार को इस समस्या का एक सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना चाहिए, और समाधान से लाखों किसानों को अधिक समृद्धि मिलनी चाहिए और भारत के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उद्योग के भविष्य के विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

मैं केंद्रीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि किसानों को गन्ने का न्यूनतम मूल्य 2,650 रुपये प्रति टन के बजाय 3,500 रुपये तय किया जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय उपाध्यक्ष जी, चाहे यूपीएससी का मामला हो, कर्मचारी चयन आयोग का मामला हो या आईएएस अकेडमी में एक छात्रा का अनाधिकृत ट्रेनिंग लेने का मामला हो। आज मैंने अखबार में पढ़ा और मैंने इसका नोटिस भी दिया है, सीपीएमटी के पेपर लीक हुए हैं। चाहे यूपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का मामला हो, इससे स्वायत्तशासी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर संकट पैदा हो रहा है और इससे देश में छात्रों में आविश्वास बढ़ रहा है। हम जैसे मध्यमवर्गीय लोग जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो हमें बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए शंका पैदा होने लगती है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, इनके गठन और क्रियान्वयन पर एक बार सदन को जरूर विचार करना चाहिए। जब उनका मतलब आता है तो ट्रेनी छः महीने

की अवैध ट्रेनिंग देते हैं, तब कोई कानून आड़े नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि लोग इस तरह का दुस्साहस न कर सकें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्रीमती रीती पाठक, श्रीमती संतोष अहलावत, श्री पी.पी. चौधरी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। [हिन्दी] रिलायंस ब्रॉड बैंड प्रीपेड सेवा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। देश में इसके करीब छः लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं जो हर महीने रिचार्ज करते हैं परंतु उन्हें एक दिन पहले रिचार्ज कराने की सख्ती कंपनी करती है। इस तरह देखा जाए तो एक साल में 12 दिन का उपभोक्ताओं को घाटा सहना पड़ता है। एक जीबी डाटा रिचार्ज करने हेतु रिलायंस कंपनी ग्राहकों से प्रति महीना 250 रुपए यानी एक दिन के करीब आठ रुपए के हिसाब से साल के 12 दिनों के करीब 100 रुपए वसूल करती है। देश भर में छः लाख रिलायंस मोबाइल प्रीपेड ग्राहक हैं तो 100 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से छः लाख ग्राहकों से छः करोड़ रुपए वसूल किए जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि रिलायंस ब्रॉड बैंड से ग्राहकों को होने वाले नुकसान को देखते हुए इसकी शीघ्र जांच करके उचित कार्यवाही की जाए और रिलायंस ग्राहकों से आधिक वसूल किया हुआ पैसा लौटाया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री राहुल शिवाले, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, और श्री पी.पी. चौधरी को श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री चाँद नाथ (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जल स्रोतों की मरम्मत के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्यों की सहायता के लिए जल संरचना के लिए रिपेयर, रैस्टोरेशन तथा रेनोवेशन योजना की शुरुआत की है। [हिन्दी] इस योजना के अन्तर्गत ग्राउंड वॅाटर रीचार्ज, कृषि वानिकी उत्पादन में सुधार, पर्यटन विकास, सांस्कृतिक गतिविधियां व पेय जल की उपलब्ध वॅाटर बॉडीज की भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए कार्य किये जाते हैं। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2013 के अनुसार मरुभूमि विकास क्षेत्र के कार्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 90 प्रतिशत अनुदान में सम्मिलित कर लिये गये हैं। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने 16 परियोजनाओं के लिए 11.63 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है जिनमें से दो किश्तें 5.2 व 2.5 करोड़ रुपये प्रदान किये गये जबकि भारत सरकार के हिस्से की 90 प्रतिशत शेष राशि 3.4 करोड़ रुपये आने बाकी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2014 में भारत सरकार को 12.15 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं की शेष राशि 3.4 करोड़ रुपये शीघ्र दिये जाएं जिससे कि ये परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री पी.पी. चौधरी को श्री चांदनाथ द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर की तहसील के करीब 150 गांवों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है कि बनैठा कस्बे में कोई एक सरकारी बैंक खोला जाए क्योंकि जयंत सिन्हा जी बैठे हैं। इन्हीं से संबंधित मामला है और केवल वहां अभी एक ही बैंक है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। इस शाखा में काफी भीड़ रहती है क्योंकि आसपास के सभी पेंशनभोगी और सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी

इसी बैंक से मासिक भत्ता लेते हैं। लगभग 30 ग्राम पंचायतों के आवेदन मुझे प्राप्त हुए हैं और उन्होंने मुझे अवगत कराया है तथा इसके साथ जोर देते हुए मांग की है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी सरकार के समय में बैंक की शाखा नहीं खोली गई है। मोदी जी का एक सपना है कि हर घर तक बैंक पहुंचे जिसे हम मिलकर पूरा करें और मेरा माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि राजस्थान की पहली किश्त तो चली गई, दूसरी किश्त हमारी भेजी जाए क्योंकि हमारे किसान बंधु परेशान हैं। जो ओलावृष्टि का मुआवजा है, वह जल्दी से जल्दी दिया जाए ताकि हम किसानों को पैसे समय पर दे सकें जिससे उनकी मदद हो सके।

[अनुवाद]

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन (इरोड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.... कि केंद्र सरकार ने कृषि फसल ऋण पर ब्याज दर नौ प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत और चार प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी है। जब सरकार यह दावा करती है कि वह किसान हितैषी है तो 2015-16 के बजट में ब्याज दर बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी और किसानों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर सब्सिडी वापस लेने की घोषणा इसके विपरीत साबित होती है।

मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कृषक समुदाय पहले से ही बाढ़, सूखा, उर्वरकों की लागत में बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी और श्रम की लागत में वृद्धि जैसी विभिन्न समस्याओं से प्रभावित है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से बजट में घोषित बढ़ी हुई ब्याज दर को रद्द करने और किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का आग्रह करूंगा। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि किसानों को राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋणों पर मौजूदा ऋण माफी प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, भारत गोल्ड माइंस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खदानों में से एक है। लगभग 80 प्रतिशत श्रमिक तमिलनाडु, उत्तरी अरकोट जिले के हैं। एनडीए शासन-काल में उन्होंने भरत गोल्ड माइंस को बंद कर दिया है। यूपीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद 2006-07 में भरत गोल्ड माइंस को फिर से खोलने का फ़ैसला लिया। कंपनी के कुछ कर्मचारी उच्चतम न्यायालय चले गए। उच्चतम न्यायालय ने भी कैबिनेट के फ़ैसला को कायम रखना का निर्दिष्ट दिया। आज तक, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वैश्विक निविदा

का निर्णय लिया गया था। कर्मियों को 52 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया जाना था। फ़ैसला यह था कि कंपनी वैश्विक निविदा में सम्मिलित होना। यदि उच्चतम बोली लगाने वाली कंपनी होती है तो कर्मचारी उद्योग चला सकते हैं। यही निर्णय था। आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

भारत सरकार के खान विभाग ने राज्य सरकार से भारत गोल्ड माइंस को अपने अधीन लेने का अनुरोध किया। कर्नाटक सरकार ने उस परियोजना को संभालने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के खान सचिव को भी नियुक्त किया।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि मजदूरों का बकाया भुगतान किया जाये। 10,000 कर्मचारी हैं। यह 130 वर्ष पुरानी खदान है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वे 20x10 की छोटी-छोटी झोपड़ियों में रह रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम उन झोपड़ियों को मामूली किराए पर और बकाया राशि पर उन्हें दे दिया जाए। उन्हें पिछले 30 वर्षों से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह मेरा अनुरोध है। बकाया का भुगतान भारत सरकार को करना होगा।

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय कृषि मंत्री ने मीना कुमारी समिति की आधी-अधूरी प्रतिवेदन के आधार पर सभी हितधारकों और संबंधित राज्यों से परामर्श किए बिना गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह विदेशी मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए द्वार खोल देगा। हमारे देश के विशिष्ट आर्थिक मंडल को भारतीय नागरिकों से वंचित कर दिया जाएगा। हमारी घरेलू मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर नियमों का बोझ पड़ेगा। हमारी समुद्री संपदा पूरी संपत्ति से विदेशियों को अर्पित है।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे मछली पकड़ने वाले जहाजों जिनकी कुल लंबाई 15 मीटर या उससे अधिक है, उन्हें हर बार अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा। अब तक, किसी भारतीय नागरिक को हमारे विशेष आर्थिक मंडल में मछली पकड़ने के लिए कोई लाइसेंस अथवा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तमिलनाडु में लगभग 5,500 यांत्रिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक की कुल लंबाई 15 मीटर से अधिक है। खुले समुद्र में मछली पकड़ने की प्रत्येक यात्रा के लिए तटरक्षकों से केंद्र की अनुमति

और मंजूरी का पत्र लेना व्यावहारिक नहीं होगा। इससे हमारे देश विशेषकर, विशेष रूप से तमिलनाडु के हजारों मछुआरों की आजीविका छिन जाएगी। इसलिए, हमारी *मक्कल मुदलवर* माननीय *अम्मा* के मार्गदर्शन में, हमारी तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में प्रधान मंत्री को लिखा है। मीना कुमारी समिति की प्रतिवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि संसद का अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकारों को एक कार्यकारी आदेश द्वारा छीना नहीं जा सकता है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह रामेश्वरम और तमिलनाडु के अन्य तटीय क्षेत्रों में हमारे तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों को बचाए।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन लाखों-करोड़ों लोगों की तरफ जो फेरी वाले, खेचरी वाले, सिर पर टोकरी रख कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए गांवों से शहरों की तरफ आते हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है और दुकानों के सामने जहां भी इन्हें जगह मिलती है, फुटफाथ पर ये अपना काम-धंधा करते हैं या शाम को जब बड़ी दुकाने बंद हो जाती हैं, तो उनके सामने अपनी दुकानें लगाते हैं। इन लोगों को अकारण पुलिसवालों की तरफ से परेशान किया जाता है, वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा भी अवैध वसूली की जाती है। इस कारण वे न तो अपना धंधा ठीक ढंग से कर पाते हैं और न ही अपने परिवार के लिए पैसा बचा पाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से फुटपाथ पर अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले लोगों के लिए शेल्टर हाउस बनाने और उन्हें असामाजिक तत्वों तथा पुलिस से संरक्षण दिलाने की पहल करे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

06.05.2015

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, मैं सभा का ध्यान यात्रियों के सामने आने वाले एक गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दक्षिणी रेलवे मुख्यालय, चेन्नई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जो 1.5.2013 से लागू होगी, आरक्षित स्लीपर कोचों में कम दूरी के यात्रियों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अधिसूचना के अनुसार, अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को आरक्षित स्लीपर कोच में यात्रा, यात्रा करना की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक्सप्रेस या सुपर-फास्ट ट्रेनों में लंबी दूरी की स्लीपर श्रेणी के आरक्षित डिब्बों के यात्रियों की लगातार शिकायत के कारण यह निर्णय उचित था कि उन्हें गैर-आरक्षित टिकट वाले यात्रियों की भीड़ के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

<u>सायं 07.00 बजे</u>

इस फ़ैसला से स्लीपर डिब्बों में यात्रा करने वाले बिना आरक्षण वाले यात्रियों पर लगाम कसेगी। रेलवे के मुताबिक, अगर उनके पास स्लीपर टिकट है, तो भी वे केवल गैर-आरक्षित स्लीपर कोच में ही यात्रा, यात्रा करना हैं, जिनकी संख्या कम है। बिना आरक्षण के यात्रा करने वालों को बशर्ते, यह कि अनुसार संशोधित राशि का भुगतान करना होगा।

मौजूदा नियम के मुताबिक, यात्रियों को आरक्षित डिब्बे में चढ़ने के लिए बढ़ी हुई रकम चुकानी होगी। अनारक्षित कोच स्लीपर क्लास कोच होते हैं, लेकिन यात्रा की गई वास्तविक दूरी के लिए शुल्क का भुगतान करके कम दूरी के दिन के यात्रियों के उपयोग के लिए एक विशेष खंड के लिए अनारक्षित रखा जाता है। लेकिन कई लंबी दूरी की ट्रेनों में ये अनारक्षित डिब्बे बहुत कम हैं। स्लीपर टिकट वाले यात्री अनारक्षित डिब्बों से नहीं जुड़ रहे हैं।

जब शुक्रवार से नए नियम लागू होंगे, तो यात्रियों को स्लीपर क्लास में यात्रा करना अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा अथवा खुद को एक अथवा दो गैर-आरक्षित डिब्बों तक सीमित रखना होगा। आरक्षित स्लीपर कोचों में टिकट के साथ यात्रा करने वाले कम दूरी के यात्रियों की वर्तमान अभ्यास, जिन्हें गैर-आरक्षित कोचों के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है, बंद कर दी जाएगी। ऐसे कम दूरी के यात्रियों को न्यूनतम, कम से कम 200 किलोमीटर की चार्जेबल दूरी के लिए स्लीपर टिकट लेना होगा। नए नियम छोटी दूरी के रेल

यात्रियों के लिए एक बड़ा खतरा होंगे और किराए में मनमानी बढ़ोतरी उन पर असर डाल रही है। यह अप्रत्यक्ष किराया, भाड़ा है महोदय।

हालाँकि रेलवे प्रक्रियाओं के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन अधिकारी ट्रेनों और डिब्बों की अपर्याप्त संख्या के बारे में चुप हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की कमी के कारण छोटी दूरी के भोजनव्यवस्था डिब्बों में ही चढ़ रहे हैं। ट्रेनों में अधिक गैर-आरक्षित कोच जोड़ने की तुलना में कम दूरी के यात्रियों पर इतना भारी किराया, भाड़ा बेहद विडंबनापूर्ण है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ।

रेल मंत्रालय से मेरी मांग है कि आठ वर्ष पूर्व शोलापुर-जलगांव रेल मार्ग को केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित किया था और रेल विभाग ने इस मार्ग पर सर्वे करने के लिए आदेश दिया था। इस प्रस्तावित रेल मार्ग पर उस वक्त निम्लनिखित मार्ग निश्चित किया गया था- शोलापुर-तुलजापुर-उसमानाबाद-कंथलगिरी-बीड-गेवराई-पैठन-शंभाजीनगर(औरंगाबाद)-घृष्णेश्वर-सिल्लोड वाया अजंठा से जलगांव का रूट था। परन्तु कुछ दिनों पहले रेल विभाग ने किसी दबाव में आकर उस रूट को बदल दिया, जिसके सर्वे का काम पूरा हो चुका था और निर्माण का काम शुरू होने वाला था। आज बदले गए रूट से मेरे जिले के शंभाजीनगर(औरंगाबाद) और पैठन शहर को हटाकर इस रेल मार्ग को मोकरदन-जालना से किया जा रहा है। माननीय रेल मंत्री को मालूम है कि शंभाजीनगर एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध तथा शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इस रेल मार्ग को परिवर्तित करके मोकरदन-जालना ले जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस कारण यहाँ प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे अत्यंत गंभीरतापूर्वक लिया जाए अन्यथा प्रदर्शन और भी तेज हो जाएगा। इस हेतु मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से विनती करूँगा कि जैसा पहले सैंक्शन हुआ था, उसी प्रकार से इसे स्वीकृति दी जाए।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में अभी बजट एयरलाइंस का बहुत दौर चल रहा है। इसमें लगता है कि किराया सस्ता होगा और यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। लेकिन उसका न तो मिनिमम प्राइस लिमिट है और न ही मैक्सिमम प्राइस लिमिट है। यदि मिनिमम प्राइस लिमिट नहीं होती है, तो एक एयरलाइंस दूसरे एयरलाइंस से मुकाबला करते हैं जिससे विभिन्न एयरलाइंस बंद होती जा रही हैं। आपको पता है कि कई एयरलाइंस बंद हो गई हैं। मैक्सिमम प्राइस होने से बजट एयरलाइंस का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाता है।

आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो कम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह अनुच्छेद 49(1) (ए) में सरकार को एक रिकमेन्डेशन दिया गया है, वह कुछ चीजें सबसे अच्छी तरह से करती है कि फ्लाइट फ्लाइट यात्राएंचलीगई, उसकीएक सूचीरोजजमा हो गई चाहिए, प्रत्येक उड़ान के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान का प्रकार चाहिए, उड़ान होनी चाहिए, यात्रियों को लोड फैक्टर जमाहोनाचाहिए, रूट डायवर्ट्सरेवेन्यू जाम होना चाहिए, कास्ट ऑफ ऑपरेशन और ऑपरेशन लेजर जमा होना चाहिए, कुल लागत के प्रतिशत के रूप में ईंधन लागत, कर और प्रति उड़ान अधिभार एकत्र किया जाना चाहिए और हवाई जहाज़ का नंबर ओन्डा और लिज़्ड जमा होना चाहिए। हवाई अड्डे पर कहा गया है कि उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों की संख्या , प्रत्येक हवाई अड्डे पर उपलब्ध स्लॉट की संख्या और हवाई अड्डों की क्षमता की गणना की प्रक्रियाआज तक कोई भी एयरलाइन जमा नहीं कर रही है, इस कारण से आम यात्री परेशान हो रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि ये सभी जमा किये जाएं तथा सभी रूट्स के मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तय किये जाएं ताकि आम यात्रियों को सुविधा हो।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी और श्री दद्दन मिश्रा को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

[263*]**श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नामलाई):** माननीय उपाध्यक्ष, सर वड़क्कम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन वंचित बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को तमिलनाडु को 97 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार, निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटें गरीब और अधीन बच्चों को प्रदान करनी होती हैं। तमिलनाडु में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः 49,864 बच्चों और 86,729 बच्चों को निजी स्कूलों की नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। निजी स्कूलों ने वर्ष 2013-14और 2014-15 के लिए तमिलनाडु सरकार से 97 करोड़

[263*] मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

रुपये की राशि का दावा किया है। इसके अलावा तमिलनाडु में निजी स्कूलों में केवल नर्सरी कक्षाओं के लिए ही प्रवेश दिए जाते हैं। जून 2014 में माननीय प्रधान मंत्री के साथ एक बैठक, सभा दौरान माननीय पुरचिथलाईवी अम्मा ने यह मांग रखी थीं। इसलिए मेरा आग्रह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तमिलनाडु के निजी स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को 97 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। धन्यवाद।

डॉ. ए. संपत (अट्टींगल): उपाध्यक्ष, अध्यक्ष (लोकसभा) महोदय, राष्ट्रीय हाइवे 47 10 लोक सभा सदस्यों के संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तमिलनाडु के सलेम से यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम तक आती है। तिरुवनंतपुरम से अगले मुख्यालय कोल्लम तक की दूरी सड़क मार्ग से केवल 62 किलोमीटर है, लेकिन गंभीर भीड़भाड़ के कारण वहां पहुंचने में तीन घंटे लगते हैं। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अट्टिंगल केरल राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। यह वही स्थान है जहां वर्ष 1721 में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का पहला विद्रोह हुआ था।

पिछले 4-5 वर्षों के दौरान क्या हुआ है कि भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए दो अधिसूचनाएँ आधिकारिक राजपत्र में निकाली गईं और विज्ञापन मलयालम समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था। बाइपास के निर्माण के लिए कुछ क्षेत्र की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिससे सैकड़ों परिवार संकट में हैं वे जमीन का कोई लेन-देन नहीं कर सकते क्योंकि सभी लेन-देन से जमीन जमी हुई है और हाईवे बाइपास का निर्माण नहीं हो रहा है मौजूदा राष्ट्रीय हाइवे के पश्चिमी हिस्से की ओर मामम से कल्लाम्बलम तक केवल 10 किलोमीटर की छोटी दूरी के लिए बाईपास के निर्माण की आवश्यकता है। इसलिए, मेरा विनम्र अनुरोध है कि भारतीय राष्ट्रीय हाइवे प्राधिकरण और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके जल्द से जल्द जमीन ली जाए और अटिंगल में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 बाईपास का निर्माण शुरू किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

महोदय, उत्तर प्रदेश में केमिकल एवं प्लास्टिक की बहुत छोटी-छोटी कंपनीज हैं, जो न के बराबर हैं। धौरहरा क्षेत्र में एक भी कंपनी नहीं है। यह एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कम से कम एक इंस्टीट्यूट जैसे सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी खोला जा सकता है, जिससे वहां कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में विकास होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अजय मिश्रा टेनी को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार, विशेषकर वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य भारत में पोल्ट्री उद्योग का केंद्र है। पोल्ट्री उद्योग में भारत सर्वोच्च रैंक वाले देशों में से एक है। हाल ही में हमारे राज्य में बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री उद्योग को प्रभावित किया है जिसके कारण लगभग 2 लाख पक्षी मारे गए। पोल्ट्री उद्योग संकट में है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वे जनता को सस्ता प्रोटीन उपलब्ध कराने वाले पोल्ट्री उद्योग की मदद करें। विशेष रूप से, मैं अनुरोध करूंगा कि पोल्ट्री उद्योग को सॉफ्ट लोन प्रदान किया जाना चाहिए, चिकन के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे पोल्ट्री उद्योग को मार रहा है और मध्याह्न और आंगनवाड़ी भोजन में अंडा और सस्ता प्रोटीन अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। पोल्ट्री उद्योग में कम उत्पादन वाला ब्राज़ील जापान और अन्य देशों को अधिक निर्यात कर रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पोल्ट्री उद्योग में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण उद्योग को सुविधा प्रदान की जाए। सरकार को मध्याह्न भोजन योजना के तहत *आंगनबाड़ियों* में सस्ता प्रोटीन युक्त अंडा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कम उत्पादन करने वाला ब्राज़ील जापान और अन्य देशों को अधिक निर्यात कर रहा है। मैं इन जमे हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में विशेषकर झारखंड में आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को नष्ट करने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कुछ किसान आवारा पशुओं के भय से खेती नहीं कर रहे हैं। पहले राज्य में आवारा पशुओं के लिए कारागार के समान व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान आवारा पशुओं को कारागार में भेज देते थे। परंतु आज वन कानून पशुओं के पक्ष में होने के कारण कारागार की व्यवस्था समाप्त हो गई है। इससे किसानों की फसल नष्ट होने की स्थिति में उन्हें कोई मुआवजा देने का प्रावधान भी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को दोहरा नुकसान होता है। एक ओर उनकी फसल नष्ट होती है तो दूसरी ओर पशुओं के भय से वे

फसल नहीं लगा रहे हैं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि आवारा पशुओं द्वारा जिन किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उन्हें मुआवजा दिया जाए और साथ-साथ कारागार की व्यवस्था भी पुनः की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे को श्री रवींद्र कुमार पांडे द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): धन्यवाद उप सभापति, अध्यक्ष (लोकसभा) महोदय। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ।

मैं माननीय सभा का ध्यान सरकारी सेवा में पदोन्नति के संबंध में एससी और एसटी कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

संविधान के अनुसार, एससी और एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में सेवा में प्रवेश के दौरान आरक्षण की गारंटी है, जबकि एससी और एसटी समुदायों से संबंधित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले कोई समान मानदंड नहीं हैं। कई राज्य सरकारें एससी और एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति सुनिश्चित कर रही हैं लेकिन इसे संवैधानिक प्रवर्तित, लागू नहीं किया गया है। अतः, चूक को गंभीरता से नहीं देखा जा रहा है। नौकरशाही की उदासीनता के कारण एससी और एसटी समुदाय के कर्मचारी और अधिकारी अपनी पदोन्नति से वंचित हैं।

केवल यही कारण है कि वे एससी और एसटी समुदायों में पैदा हुए हैं, यही कारण है कि इन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी शायद ही कभी एससी और एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति पाने के लिए ग्रेड देते हैं। एससी और एसटी कर्मचारियों के साथ अक्सर जाति के आधार पर दुर्व्यवहार किया जाता है।

यूपीए सरकार - आप इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि उसने एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। यह राज्यसभा में पारित हो गया जबकि लोक सभा में यह हार गया। मैं ऐसे राज्य से आ रहा हूं जहां ये एक महत्त्वपूर्ण समस्या है और आप भी बात से जानते हैं। हाल ही में एक बेहद महत्त्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। हाल ही में, पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारी संकल्प

के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है जो एससी और एसटी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता के साथ आरक्षण प्रदान करता है। इससे पहले, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह के एक आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एससी और एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया। आख़िरकार उच्चतम न्यायालय ने भी नागराजन मामले में यही किया। आप नागराजन केस से भली-भांति परिचित हैं, जहां उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के इन अनुसमर्थित पर मुहर लगाई थीं। अब, विविध, विभिन्न निर्णयों के कारण हजारों गरीब एससी और एसटी कर्मचारी अपनी पदोन्नति से देय हो गए हैं। इसलिए, मैं सरकार से आगे आने और विधिनिर्माण, विधानकरने का आग्रह करता हूं। इस सदन में एक संविधान, गठन, देश की शासन व्यव्सथासंशोधन पुरःस्थापित किया गया है। ......(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : आप जो कहना चाहते थे वह तो आप कह चुके हैं। आपने कहा कि आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक विधेयक लाए।

...(व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: सर, मैं पूरा कर रहा हूं। पिछली लोक सभा यानी पंद्रहवीं लोक सभा में इस सभा में एक विधेयक पेश किया गया था और उस पर बहस भी हुई थी लेकिन उसके बाद कुछ दल इस कानून के विरोध में थे। इसीलिए विधेयक पास नहीं हो सका। अब आरक्षित सांसदों में से बहुमत भाजपा की ओर से हैं। ......(व्यवधान) वे इस मुद्दे को नरेन्द्र मोदी सरकार के समक्ष क्यों नहीं उठा रहे हैं? एससी और एसटी के आरक्षण, मौन आपत्ति के प्रति उनका अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, रवैया, दृष्टिकोण क्या है? ......(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोगों की परेशानी आपके माध्यम से सरकार के सामने लाना चाहता हूं और उसका समाधान भी चाहता हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद] **माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया चिल्लाएं नहीं। आपने मुद्दा उठाया है। आप जो कहना चाहते थे वह कह चुके हैं। अब इसे छोड़िए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बहुत सारे ट्रांसपोर्टर सहायक धंधे के तौर पर खेती करने वाले इस काम को करते हैं और टैक्सी चलाते हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद**] माननीय उपाध्यक्ष:** कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)... *

[अनुवाद] **माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : एनडीएमसी और एमसीडी की ओर से उनको...([हिन्दी] व्यवधान) टैक्सी स्टेन्ड अलॉट किए हुए हैं। वे उसका किराया भी देते हैं।...(व्यवधान) लेकिन उनको टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उनको वहां टॉयलेट्स अलॉट करे। इससे स्वच्छ भारत का सपना भी पूरा होगा।...(व्यवधान) दूसरा, उबेर और ओला नाम की कैब कम्पनियां इलिगल तरीके से टैक्सी चला रही हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से जो लोग यहां आ कर टैक्सी चला रहे हैं, उनका काम ये कम्पनियां इनडायरेक्ट तरीके से छीनने का काम कर रही हैं। इन कम्पनियों के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं होती है। वे इनकी गाड़ियां लेती हैं, इनके ड्राइवर्स को हायर करती हैं और उनको बोनस देती हैं। इन टैक्सियों से क्राइम हो रहे हैं। माननीय अदालतों ने उनका नोटिस भी लिया है, लेकिन दिल्ली सरकार उनको ईलीगल चला रही है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो लोग टैक्सी चला रहे हैं, उनको उबर और ओला नाम की कम्पनियां, जिनको अदालतों ने बैन किया हुआ है, उनको ईलीगल तरीके से चलाने से रोका जाए और टैक्सी स्टेंड पर टॉयलेट फैसिलिटी दी जाए।

06.05.2015

<u>सायं 07.17 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति
18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चंदौली): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति, सलाहकार समितिकी अठारहवीं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री के. अशोक कुमार। मैं सदस्यों से संक्षिप्त जानकारी देने का अनुरोध करूंगा क्योंकि कई सदस्य अपने मुद्दे उठाने का इंतजार कर रहे हैं।

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरि): महोदय, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र कृष्णागिरि में, होसुर वन विभाजन, डिवीजन चारों ओर 1496.55 वर्ग सुश्री में फैला हुआ है, जो कुल भूमि क्षेत्र का 30 प्रतिशत है। इस वन क्षेत्र में लगभग 100 से 125 हाथी हैं। उदेदुर्गम और सनामावु से हाथियों की आवाजाही के कारण प्रभावित क्षेत्र ज्वालागिरी और रायकोट्टई पर्वतमाला हैं। सलेम-बैंगलोर रेलवे लाइनों के बीच हाथियों का प्रवास पथ है, जिसके कारण हाथी नियमित रूप से दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। 30.03.2003 को रायकोट्टई और पेरियानागथुनै के बीच एक ट्रेन दुर्घटना के देय पाँच हाथियों की मृत्यु हो गई। 04.02.2013 को भी ऐसा ही हुआ जब एक ही स्थान पर गुजर रही यात्री ट्रेन की चपेट में आने से दो हाथियों की मौत हो गई।

महोदय, होसुर डिवीजन के जिला वन अधिकारी ने रुपये का प्रस्ताव भेजा। हाथियों की सुरक्षा के लिए 300 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को 1.10 करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन यह अभी भी अधिकारियों के पास लंबित है।

महोदय, हाथियों की सुरक्षा के लिए, रेलवे ट्रैक की सीमा बेल्ट के साथ हाथी रोधी नाली और सौर ऊर्जा बाड़ का निर्माण तमिलनाडु के साथ-साथ पूरे भारत में समस्या का एकमात्र दीर्घकालिक और स्थायी समाधान है। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत बिलगहरा और मलहावा नगर के रेलवे स्टेशन से होकर कानपुर-अमृतसर गाड़ी संख्या -14153 तथा 14154 और कानपुर से जम्मूतवी गाड़ी संख्या -12469 वे 12470 गुजरती है। [अनुवाद] आपके माध्यम से मेरी माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि इन दोनों गाड़ियों को मलहावा स्टेशन पर रुकने के लिए आदेश जारी किए जाएं तथा कानपुर-

जम्मूतवी को कटरा रेलवे स्टेशन तक ले जाने की व्यवस्था करायी जाए, जिससे इस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को मां वैष्णों देवी के दर्शन आसानी से हो सकें।

[अनुवाद]

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी) :महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जो एक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है, असंगठित श्रमिकों और उनके परिवार को नामांकित करने के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है।

मैं केंद्र सरकार और इस प्रतिष्ठित सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दर्जी आंखों की रोशनी, स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, घुटनों के जोड़ों के दर्द, बवासीर आदि जैसी कई बीमारियों से पीड़ित हैं। बेचारे दर्जी 50 वर्ष की आयु में ही असमय बूढ़े हो जाते हैं। वो हमारे कपड़े सिलते हैं लेकिन उनकी जिंदगी फटी हुई है। वे घुटने के जोड़ों और अन्य बीमारियों के प्रतिस्थापन के लिए असाधारण चिकित्सा खर्च वहन करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनका करियर 50 साल में ही समाप्त हो जाता है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकारर से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य बीमा और विरासत में मिली इन विशिष्ट बीमारियों से राहत के लिए दर्जियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरा में लाया जाए। उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पूरे समाज के प्रति उनकी सेवा के आभार स्वरूप सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र करौली में चिकित्सा सेवा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। करौली जिले के पहाड़ी और डांग क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अस्पतालों और चिकित्सा कर्मियों की कमी के कारण समय पर आधुनिक चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता है। खनन और कृषि क्षेत्र आधिक होने के कारण यहां मजदूरों और श्रमिकों की संख्या आधिक है, जो कि

पत्थर और धूल से होने वाली सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित रहते हैं और समय पर उपयुक्त इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा करौली जिले के मरीजों को सामान्य बीमारी का उपचार और जांच कराने के लिए भी करीब दो सौ किलोमीटर की दूरी तय करके जयपुर जाना पड़ता है।

मेरी सरकार से मांग है कि यदि करौली जिले में एक मैडिकल कालेज खोल दिया जाए तो न सिर्फ करौली बल्कि पूर्वी राजस्थान के जिलों करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर में रहने वाले लोगों को बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी पूर्वी राजस्थान के मरीजों का भार कम हो जायेगा, जिससे दूसरे मरीजों का समय पर उपचार हो सकेगा। साथ ही राजस्थान के पिछड़े इलाके करौली में मैडिकल कालेज खुलने से करौली और आसपास के जिलों में रहने वाले मैडिकल वर्ग के छात्रों को मैडिकल सेवा की पढ़ाई करने में सुविधा होगी।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली में एक मैडिकल कालेज खोलने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): महोदय, मुंबई में मोनो रेल परियोजना में पाई गई अनियमितता के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे 'शून्यकाल' के दौरान बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

CAG ने मार्च 2014 में अपनी प्रतिवेदन में सुरक्षा को लेकर कई संरचनात्मक त्रुटियों का खुलासा किया था। सुरक्षा का मामला मुंबई में मोनो रेल के यात्रियों की जिंदगी से जुड़ा है। सीएजी ने पाया कि व्यवहार्यता अध्ययन के लिए एक असामान्य निविदा प्रक्रिया में एक कंपनी को ठेका दिया गया, जबकि निविदा एक योग्य कंपनी को दी जानी चाहिए। सीएजी ने बताया कि परियोजना के लिए सलाहकारों का चयन और बेंचमार्क प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थीं। मोनो रेल के निर्माण कार्य में इतने सारे कर्मचारी पाए गए हैं। दो कंपनियाँ, अर्थात् लार्सन एंड टुब्रो और मलेशिया की स्कोमी इंजीनियरिंग, जो कार्य के निष्पादन में शामिल हैं, ने निम्न ग्रेड के कंक्रीट का उपयोग किया है और एंटी-कार्बोनेशन पेंट के उपयोग का पालन नहीं किया है। उन्होंने एक विद्युत प्रणाली तैयार की है जो मोनो रेल को 3 कार्यवृत्त के बजाय 4-5 कार्यवृत्त तक चलने में सक्षम बनाती है। अतः में सरकार को 153 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस घाटे की भरपाई इसके लिए जिम्मेदार, उत्तरदायी इन

कंपनियाँ से क्यों नहीं की गई? इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य सरकार और डेवलपर के बीच टिकट किराया, भाड़ा बढ़ाने को लेकर भी विवाद चल रहा है। डेवलपर एक दावा कर रहा है और राज्य सरकार दूसरा दावा कर रही है। इस विवाद में पीड़ित यात्री ही होता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि वह मुंबई की मोनोरेल परियोजना की सीएजी प्रतिवेदन पर गंभीरता से विचार करे और इसके लिए जिम्मेदार कंपनी की गलतियों पर कड़ी कार्रवाई करे।

श्री एस.पी. मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर): महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान 2014-15 के बजट में तीन नए स्मार्ट शहरों, अर्थात् तमिलनाडु में पोन्नेली, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम के बारे में की गई घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। और चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में कर्नाटक में तुमकुर। लेकिन एक वर्ष चूक जाने के बाद भी अभी तक इस विचार करना में कोई प्रगति नहीं हुई है। 30.1.2015 तक कार्यान्वयन स्थिति प्रतिवेदन में। भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में इन तीन औद्योगिक नोड्स के लिए मास्टर प्लानिंग मार्च 2015 तक पूरी होने की संभावना है। लेकिन हमें अभी तक कोई प्रगति नहीं दिख रही है।

इसलिए मैं भारत सरकार से औद्योगिक स्मार्ट शहरों की इन परियोजनाओं को तुरंत शुरू करने और 2014-15 के बजट में किए गए वादे के अनुसार इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत लोक महत्व की बात उठाना चाहता हूं और केन्द्र सरकार से इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की अपील करना चाहता हूं। बहुत से ऐसे मजदूर जिनकी जड़े इसी देश में हैं, देश के किसी शहर या कस्बे से उनकी जड़े हैं, उनके परिवार हैं। लेकिन शहर में वे कहीं फुटपाथ पर रहते हैं, कहीं मंदिरों में रहते हैं, कहीं रेलवे स्टेशनों के बाहर सोकर मजदूरी करते हैं। इसी तरह से उनकी जिंदगी की गुजर-बसर होती है। अगर उन्हें राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड या आधार कार्ड बनवाना है और यदि वे किराये पर रहते हैं तो मकान मालिक उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। हिंदुस्तान के ऐसे जो नागरिक हैं, गरीब व मज़दूर हैं, उनके लिए यह अत्यंत उपयोगी है। आज बीपीएल और आधार कार्ड

दोनों ही जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, मूल्यवान चीजें हैं, इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ऐसे गरीब, मज़दूर, ठेले-रिक्शाचालक, फेरी वाले, जिनका न गांव में ठिकाना है, न शहर में ठिकाना है, लेकिन वे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनको कोई न कोई राहत देने की व्यवस्था की जाए, जिससे उनको ये कार्ड मिल सकें और ऐसे गरीबों को सरकार की योजनाओं का सही और वजिब लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाए गए मुद्दा से जुड़ने की अनुमति है।

श्री पी.आर सेनथिलनाथन, पी.आर. (शिवगंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। सोने की खरीद को विनियमित करने से हमेशा तस्करी और अवैध लेनदेन को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकार को कई करोड़ रुपये का नुकसान होता है, जिससे यह अलोकप्रिय हो जाता है। हाल ही में, संघ सरकार ने 1 लाख रुपये या उससे अधिक के आभूषणों की किसी भी क्रय, खरीद पर पैन कार्ड ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। देश के 120 करोड़ लोगों में से 15 फीसदी से ज्यादा के पास पैन कार्ड नहीं हैं। प्रत्येक शादी में, यहां तक कि एक छोटे किसान परिवार में भी सोने की क्रय, खरीद की आवश्यकता सामान्यत:, आम तौर पर 1 लाख रुपये या उससे अधिक होगी। हमारी प्रिय नेता मक्कल मुलकलवर अम्मा लड़कियों की शादी के लिए मुफ्त चार ग्राम सोने का सिक्का और 50,000 रुपये देती हैं।

सोने के आभूषणों की क्रय, खरीद के दौरान पैन कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्रीय बजट प्रस्ताव, प्रस्थापना (विधि) से कर चोरी हो रही है और व्यापार में कुछ लोगों को चालान से बचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार को होने वाली कठिनाइयों और नुकसान को दूर करने के लिए, मैं केंद्र सरकार से सोने के आभूषणों की बिक्री की खरीद में पैन विवरण प्रस्तुत करने की शर्त को हटाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जनपद गोरखपुर एवं

जनपद अंबेडकर नगर में नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित कमरियाघाट पर एक पुल का निर्माण हो रहा है। उस पुल में गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं हो रहा है और मानकों का पालन न होने की वजह से पुल भविष्य में कभी भी गिरने के कगार पर पहुंच जाएगा तथा उसके निर्माण में विलंब भी हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए और उस पुल को आविलंब पूर्ण कराया जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहूंगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर एसडीएम द्वारा गांव - बीडबबरान, डंडूर, पीरावाड़ी और झीड़ी को नोटिस इश्यू कर दिए गए हैं। ये चारों गांव आजादी के बाद शहीदों के परिवारों को अलॉट किए गए थे और सन् 1977 में जननायक चौ. देवी लाल जी ने ओनरफुल राईट्स यहां रहने वाले लोगों को देने का काम किया था। महोदय, आज वहां सात हज़ार परिवार और 20 हज़ार की जनसंख्या से ज्यादा लोग रह रहे हैं। पिछले पांच दशकों से वहां पर पंचायत के चुनाव होते हैं, सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सरकार कहती है कि यह गवर्मेंट लाइवस्टॉक फार्म की जमीन है और तुरंत प्रभाव से उनको खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। मैंने हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री के संज्ञान में भी यह विषय रखा था। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अपील करता हूँ कि वह जमीन उन लोगों को अलॉट करने का काम करे। [अनुवाद] अगर पैसा चाहिए तो मैं अपने एमपीलैड से एक साल का पैसा भी देना चाहता हूँ मगर उन 20 हज़ार लोगों को, जो वहां रहते हैं, उनको वहां बसे रहने दिया जाए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अधीन राज्यों में गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। हमारे देश में गौमूत्र से कई प्रकार की जनोपयोगी औषधियां तैयार की जाती हैं। कुछ राज्यों जैसे गुजरात आदि में गौवध पर प्रतिबंध लगा हुआ है, परंतु उत्तर भारत के कई राज्यों में गौवध की घटनाएं आज भी बहुतायत में सुनने व पढ़ने को मिलती हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैल खेत जोतने और माल ढुलाई का सवारधिक उपयोगी साधन एवं गोबर उर्जा का स्त्रोत है। हमारी गाय संस्कृति का प्राण और गौपालन संस्कृति की महान परंपरा रही है। हमारे समाज में गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है। गाय की पूजा हमारे सभी प्रकार के सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों में होती रही है।

गौ पूजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गौमूत्र, गोबर, गौदूध आदि सभी प्रकार के पदार्थों से आरोग्य प्राप्त होता है। हमारी शक्तिवर्धक गौ के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से गुजरात में गौवध पर प्रतिबंध है, वैसे ही देश के अन्य राज्यों के लिए यह आदेश जारी करें। दिल्ली के सभी बॉर्डरों से रात को 12 बजे के बाद ये दुधारू पशु आते हैं। महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार कम से कम उन बॉर्डरों पर पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए और उन लोगों को पकड़ कर जेल भेजे जो इस कार्य में शामिल रहते हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा और श्री पी.पी.चौधरी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): महोदय, मैं ओडिशा में राजकीय रेलवे पुलिस की नई शक्ति बढ़ाने के लिए अपने राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा।

ओडिशा में दोनों जीआरपी जिलों का अधिकार क्षेत्र रेलवे जोन, अर्थात् दक्षिण पूर्वी रेलवे, गार्डन रीच कोलकाता और पूर्वी तट रेलवे, भुवनेश्वर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अंतर्गत रेल द्वारा लगभग 1701 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विधि के साथ, नई लंबी दूरी की व्यक्त करना ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें पुरःस्थापित किया गया। यात्रियों की खंड में बेतहाशा बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में, 516 किलोमीटर में फैली नई रेल लाइनों के अतिरिक्त, जोड़ लगभग 200 ट्रेनें ओडिशा की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा गुजर रही हैं। इसके अलावा, त्योहारों के मौके पर यात्रियों की खंड को नियंत्रित करने के लिए अधिक संख्या में ट्रेनें चलाई जाती हैं। देय औद्योगीकरण के कारण मालगाड़ियों के परिचालन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से पूरे ओडिशा में जीआरपी पुलिस स्टेशनों को बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी और नक्सलियों के खतरे को नियंत्रित करने कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करूंगा।

<u>सायं 07.32 बजे</u>

राज्य सभा का संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक[264*]...जारी

महासचिव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महा- सचिव से प्राप्त एक संदेश की प्रतिवेदन करनी है:-

"राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 111 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे संविधान (एक सौवां संशोधन) विधेयक, 2015 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश दिया गया है, जिसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। 6 मई 2015 को आयोजित बैठक में संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार।"

माननीय उप सभापति, मैं 6 मई, 2015 को राज्यसभा द्वारा पारित संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 को सभा पटल पर रखता हूं।

*

264* सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि यह पूरे देश के लोगों की माँग है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उसी देश में मान्यता मिले। आज हजारों लोगों ने दिल्ली के जन्तर मन्तर पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की माँग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थीं। समय-समय पर किए गए संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लम्बित हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा भी एक है। इस भाषा को देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा और गायन भी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि "बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखता है।" यह भी विदित है कि भाषाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता है। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधान सभा द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री जी ने 17 दिसम्बर 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर के लोगों की भावना, सांसदों एवं राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर गम्भीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

[265]***श्री ए.अरुणमोझीथेवन (कुड्डालोर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। मेरे कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन-क्षेत्र के विरुधाचलम रेलवे स्टेशन पर पिछले छह महीने से खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शित करना पैनल के कारण रेल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को इस स्टेशन पर केवल कुछ कार्यवृत्त के लिए रुकने वाली व्यक्त करना ट्रेनों में भोजनव्यवस्था में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शित करना पैनल की मरम्मत की जाए और उन्हें परिस्थिति हालत में रखा जाए। इसके अलावा विरुधाचलम रेलवे स्टेशन पर रेलवे के कर्मचारियों के लिए विश्राम कक्ष भी नहीं है। रेलवे कर्मचारियों के पास प्लेटफॉर्म की बेंचों पर खाना खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता क्योंकि स्टेशन में उनके लिए विश्राम कक्ष की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे विरुधाचलम रेलवे स्टेशन से संबंधित इन दो मुद्दों पर जल्द से जल्द समाधान खोजने के लिए संबंधित, के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दें। धन्यवाद।

265* मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

[हिन्दी]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो इन्डियन न्यूज़पेपर मैनुफैक्चरर्स हैं, वे सारी कम्पनियाँ इस समय तबाह होने वाली हैं और तबाह हो भी रही हैं। उसकी वजह है कि जो न्यूज़पेपर पब्लिशर्स हैं, इनको बाहर से न्यूज़पेपर इम्पोर्ट करने की इजाजत है और जीरो परसेंट ड्यूटी पर और हो यह रहा है कि जो अमेरिका से ग्लोबल रेट है 550 यू.एस.डॉलर पर मीट्रिक टन, लेकिन उसमें और इन्वॉइस हो रही है, कहीं 600, कहीं 650, कहीं 700 और दूसरे देशों के द्वारा बिलिंग की जा रही है। ओवर इन्वॉइसिंग का जो पैसे का डिफरेन्स है, उससे मनी लॉन्डरिंग की जा रही है और जो एक्चुअल न्यूज़पेपर यूजर हैं। जैसे यहाँ के न्यूज़पेपर यूज़र्स हैं, एक्चुअल मैनुफैक्चरर्स हैं, इनके बीच सेल परचेज़ होना चाहिए। ऐसा न करके ग्रे मार्केट में जा रहा है जिससे यहाँ के जो न्यूज़पेपर मैनुफैक्चरर्स हैं, वे बरबाद हो रहे हैं, मेक इन इंडिया का कंसैप्ट भी बरबाद हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कामर्स मिनिस्ट्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जीरो ड्यूटी फैसिलिटी विदड्रा की जाए और एक्चुअल ओनर्स और एक्चुअल न्यूज़पेपर्स को ही सेल किया जाए, एलाउ किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे को श्री उदित राज द्वारा उठाई गई चिंता से खुद को जोड़ने की अनुमति है।

श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीस सेकंड लूंगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि एनटीपीसी, फरक्का के अंतर्गत मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बैराज परियोजना हाई स्कूल नामक केंद्रीय विद्यालय है, जो अब शिक्षकों की कमी के कारण बंद होने के कगार पर है। जहां तक मेरी जानकारी है, 1979 से अब तक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति नीति अंतिम रूप से तैयार नहीं हो पायी है लंबे अवधि से इस विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। कुछ साल पहले करीब 10 शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी थीं। अब 31 दिसंबर 2014 को अनुबंध की अवधि समाप्त हो गयी इस कारण से, वर्तमान प्राधिकारी ने

कक्षा-I और कक्षा-11 में छात्रों को प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। जाहिर है कुछ साल बाद स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो फिर छात्रों का भविष्य क्या होगा? आरटीई एक्ट 2009 के बावजूद जल संसाधन मंत्रालय की लापरवाही के कारण इन क्षेत्रों के लोग प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो जायेंगे।

इसलिए, मैं संबंधित मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि शिक्षक नियुक्ति की समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए इस मामले पर गौर करें।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के विभिन्न कैंटोनमैंट बोर्ड में होने वाले चुनावों की ओर दिलाना चाहता हूँ। जिस प्रकार देश में नगरपालिका, विधान सभा और लोक सभा का चुनाव होता है, उसी तरह से कैंटोनमैंट बोर्ड के सदस्य का भी चुनाव समय समय पर होता है। लेकिन इन कैंटोनमैंट बोर्ड के चुनाव हेतु सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। इन कैंटोनमैंट बोर्ड के चुनावों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर कोई आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है जबकि देश के बाकी चुनावों में चुनाव लड़ने हेतु खर्च की सीमा निधाररित होती है। [हिन्दी] साथ ही साथ आपराधिक ब्यौरा, मुकदमों का ब्यौरा, शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। जबकि कैंटोनमैंट बोर्ड के चुनावों में इस तरह के कोई नियम लागू नहीं होते। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के नियम देश के बाकी चुनावों में लागू हैं, वही नियम कैंटोनमैंट बोर्ड में लागू किए जाएँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री दुष्यंत चौटाला, श्री अरविंद सावंत और श्री राहुल शेवाले को आज श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[266*]**श्री आर.के. भारती मोहन (मयिलादुथुराई):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। संघ सरकार ने कृषि ऋण पर दी जा रही सब्सिडी को 30 जून 2015 तक विस्तारित, विस्तृत है। इसके बाद संघ सरकार इस सब्सिडी योजना को सीधे फंड ट्रांसफर से जोड़ने की योजना बना रही है। अगर

266* मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।।

यह जुड़ा हुआ है कि किसानों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए शुरू में अपना ऋण ब्याज सहित चुकाना होगा जो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। माननीय मक्कलिन मुथलवर पुरचिथलाईवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि वर्तमान सब्सिडी योजना को बिना किसी बदलाव या संशोधन के जारी रखा जाना चाहिए। इसलिए मैं संघ, केंद्र सरकार से वर्तमान सब्सिडी योजना को जारी रखने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, 1 मई, 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र बना और उस समय विदर्भ, जो सी पी एंड बरार में था, उस समय मांग थी कि संयुक्त महाराष्ट्र में मराठी भाषियों का महाराष्ट्र बने और जो पिछड़ा एरिया है, उसको हम विकास की धारा में लाएँगे, यह एग्रीमैंट उस समय किया गया था। अभी 1 मई को हमारे यहाँ महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। विदर्भ के कई संगठनों ने उसे काला दिवस के रूप में मनाया। उसका कारण भी ऐसा है कि जो एग्रीमैंट किया गया था, उस समय कहा गया था कि शैक्षणिक, सामाजिक, भौगोलिक, सभी क्षेत्रों में डैवलपमैंट किया जाएगा लेकिन आज तक वहाँ उस तरह का पिछड़ापन कायम है। वहाँ किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारों की आत्महत्या वहाँ बढ़ती जा रही है और विकास के नाम पर वहाँ कुछ नहीं हुआ है। इसलिए वहाँ के लोगों की पृथक विदर्भ की मांग बढ़ती जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों की जो मांग है, उसको पूरा करने के लिए शिव सेना को भी उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे बालासाहब ठाकरे जी ने तब कहा था कि विदर्भ का अगर विकास नहीं होता तो हम खुद विदर्भ को अलग करने की बात करेंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. पनीरसेल्वम (सलेम): मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, सलेम में केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे सलेम निर्वाचन-क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय

नहीं है। अतः, कृपया इस विषय को अत्यंत आवश्यक आधार पर उठाया जाए बशर्ते, यह कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मदद मिलेगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से सलेम निर्वाचन-क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने और हमारी दीर्घकालिक जरूरतों और मांगों को पूरा करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे जिले लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. द्वारा लखीमपुर के बेहजम में तत्कालीन इस्पात मंत्री द्वारा स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास दिनांक 16.02.2009 को कराया गया था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन पैट्रोलियम राज्य मंत्री व उस क्षेत्र के सांसद ने की थीं।

उक्त स्टील प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हेतु सेल ने लगभग 60 एकड़ जमीन ली थी तथा 100 करोड़ की लागत से टी.एम.टी. सरिया बनाने की योजना की जोर-शोर से घोषणा की गई थी तथा बताया गया था कि उक्त स्टील यूनिट का निर्माण कार्य एक वर्ष छः माह में पूर्ण करके फैक्टरी का उत्पादन शुरू कर दिया जायेगा। परन्तु जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूरे देश में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारे चुनावी शिलान्यास किए थे, न तो कोई योजना थी, न ही कोई बजट था, ऐसे ही यह शिलान्यास राजनैतिक फायदे के लिए किया गया था। उसमें सरकार का करोड़ों रुपया व्यर्थ पड़ा है। उदाहरण के तौर पर उस स्टील फैक्टरी का कुछ हिस्सा बाउण्ड्रीवाल बनाया गया और वहां आज भी लोहा पड़ा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस्पात मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे जिले की उक्त स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य, बजट उपलब्ध कराकर शीघ्र पूरा करके उत्पादन प्रारम्भ कराया जाये, जिससे सरकार के धन का सदुपयोग हो, जिले के विकास में मदद मिले तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंबई शहर भारत का गौरव है और महाराष्ट्र का गौरव है। यह देश की वित्तीय राजधानी भी है। आज तारीख मुंबई खिलखिला रही थीं। विलंब से

ही में सरकार की ओर से कुछ फैसले लिए गए हैं पिछली यूपीए सरकार ने एयर इंडिया मुख्यालय को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था; फिर हमारी सरकार ने पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय को भी मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया; राष्ट्रीय समुद्री पुलिस अकादमी को पालघर, ठाणे जिले से द्वारका, गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया; अब पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई में किए जा रहे शिपिंग ब्रेकिंग कार्य को अलंग, गुजरात में स्थानांतरित किया जा रहा है। इन कृत्यों से वे शहर को नष्ट कर रहे हैं। हम अपनी सरकार के इस रवैये और अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, रवैया, दृष्टिकोण से बहुत पहुँच हैं। सरकार स्मार्ट शहर बना रही है। लेकिन वित्तीय पूंजी को नष्ट किया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि मुंबई को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाया जाए, इसके लिए जो भी करना पड़े, प्रयास किया जाए।

माननीय उप सभापति: श्री शिरांग अप्पा बार्ने और श्री राहुल रमेश शेवाले को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए मामले से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने उच्च आधिकारियों द्वारा वर्ग छः की श्मसान भूमि पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्ञातव्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर भारत सरकार सहित राज्य सरकारों को भी आगाह किया है कि वर्ग छः के तहत दर्ज भूमि का न तो आधिग्रहण किया जाये और न ही उस भूमि का स्वरूप बदला जाये।

पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी जैसे अहम पदों पर आसीन लोगों की यह जिम्मेदारी है कि श्मसान भूमि, गोचर भूमि, कब्रिस्तान आदि वर्ग छः में दर्ज भूमि को आतिक्रमण से बचायें, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम नागरिक या जनता आखिर किसके पास जाये। बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी ने गाटा संख्या 894, जो कि वर्ग छः में श्मसान भूमि के नाम से दर्ज है तथा गाटा संख्या 895 आदि पर अनधिकृत कब्जा करके बाउण्ड्रीवाल करवा ली है, दोनों उच्च आधिकारियों के रुतबे के सामने शासन मूकदर्शक बना हुआ है।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सक्षम एजेंसियों से इसकी जांच करवाकर दोषी आधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये और जबरन कब्जा की गई भूमि को मुक्त करवाया जाये।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): मैं निम्नलिखित बातों पर माननीय शहरी विकास मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। शहरी गरीब, विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, बुनियादी नगरपालिका सेवाओं मूल जल आपूर्ति, शौचालय, अपशिष्ट जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, बिजली, सड़क, परिवहन आदि तक पहुँच प्राप्त करते हैं। शहरी गरीब बस्तियों को नगरपालिका आपूर्ति नेटवर्क के साथ एकीकृत और मुख्यधारा में लाया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप शहरी गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने गैर-अधिसूचित स्लम क्षेत्रों में अधिसूचित बस्तियों के बराबर स्तर पर बुनियादी सेवाओं का मूल करने के लिए *पट्टा* दिशानिर्देश जारी किए।

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): माननीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, आरबीआई ने 16 अप्रैल 2015 के अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि भारत सरकार किसानों के लिए अल्पकालिक फसल ऋण के लिए रुचि, ब्याज सहायता योजना में कुछ बदलावों पर विचार कर रही है। इसने संकेत दिया है कि भारत सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में निर्णय लिया है क्योंकि यह 30 जून 2015 तक मौजूद है। चूंकि तमिलनाडु में अधिकांश किसानों को कुरुवई सीज़न के लिए जून के बाद और सांबा फसल और अन्य फसलों के लिए अगस्त-सितंबर के बाद ही ऋण की आवश्यकता होगी, ब्याज सहायता योजना 30 जून 2015 से आगे जारी रखी जानी चाहिए ताकि किसानों को आसान जमा का आश्वासन दिया जा सके। तमिलनाडु में मुख्य फसल मौसम के दौरान। साथ ही, प्रस्तावित डीबीटी आधारित प्रतिपूर्ति कृषि जमा के लिए विनियोजन करना मॉडल नहीं है।

इस संदर्भ में, मैं उल्लेख कर सकता हूं कि डॉ. अम्मा के सक्षम मार्गदर्शन के तहत तमिलनाडु सरकार बैंकों द्वारा 2 प्रतिशत के अलावा 4 प्रतिशत ब्याज सहायता और कृषि जमा का तुरंत भुगतान करने वालों को 3 प्रतिशत के अतिरिक्त छूट प्रदान कर रही है। उन किसानों के लिए ब्याज मुक्त जो सहकारी प्रणाली के माध्यम से ऋण लेते हैं और तुरंत अपना ऋण चुकाते हैं।

किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करे और यदि योजना में कोई बदलाव करना चाहता है तो राज्यों की सहमति और सहमति के बाद निर्णय ले।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष जी, बुंदेलखंड क्षेत्र में, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट जनपद में तारीख 02.05.2015 को बड़े-बड़े 250 ग्राम तक के ओले गिरे। ओलों के साथ भयंकर आंधी तूफान भी आया। बड़े-बड़े ओलों से सैंकड़ों कच्चे घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं जगह-जगह पेड़ टूट कर गिर गए हैं। उससे भी मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खपरैल के मकानों में तो छत नाम की चीज़ नहीं रह गयी है। सैंकड़ों लोग घायल हैं, क्योंकि वे खेतों और खलिहानों में काम कर रहे थे। सैंकड़ों जानवर घायल हैं। विद्युत व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है। यह मार्च एवं अप्रैल से लगातार पांचवीं ओलावृष्टि एवं तूफान है। किसान की बची-खुची फसल के साथ उनके घर भी नष्ट हो गए हैं। चार दिन बीत जाने के बाद भी घायलों का ठीक से इलाज़ नहीं किया जा रहा है, और न ही विद्युत व्यवस्था ठीक की जा रही है। तारें सड़कों पर गिरी पड़ी हैं। अभी तक कोई अहैतुक सहायता तक उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह प्रदेश सरकार से बात कर यथाशीघ्र सहायता उपलब्ध कराने व घायलों को समुचित इलाज़ उपलब्ध कराने व विद्युत व्यवस्था बहाल कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा 12 नवंबर, 2014 को जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की परिभाषा को कम करने के लिए बदल दिया गया है। सभी लंबाई (ओएएल) से 15 मीटर तक। साथ ही, 49 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी वाले संयुक्त उद्यमों को शामिल करने के लिए 'ऑपरेटर' की परिभाषा का विस्तार किया गया है और विदेशी चालक दल को कम करने के लिए केंद्र से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया

गया है। ईईजेड में मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र के जहाजों के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी करने की प्रणाली का विस्तार किया गया है।

नए दिशानिर्देशों के कारण तमिलनाडु सहित पूरे भारत में मछुआरा समुदाय ने कड़ा विरोध प्रदर्शन जताया है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में तमिलनाडु की सरकार। मक्कल मुथुलवर पुराची थलाइवी अम्मा ने दोहराया है कि हमारे माननीय के कुशल मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार। मक्कल मुथुलवर पुरैची थलाइवी अम्मा ने दोहराया है कि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के भारतीय नागरिकों और मछुआरों के अधिकारों को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए और मछुआरों के स्वामित्व वाले 20 मीटर के ओएएल से नीचे के सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों को भारतीय ईईजेड तक मुफ्त पहुंच दी जानी चाहिए। नया मत्स्य पालन अधिनियम लागू होने तक भारत में मछली पकड़ने के संचालन के लिए कोई नया दिशानिर्देश जारी करना।

केंद्र सरकार को डॉ. बी. मीना कुमारी की अध्यक्षता में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति और दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को अस्वीकार कर देना चाहिए।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र और अपने जिले की एक बर्निंग प्रॉब्लम आपके समक्ष रखना चाहता हूं। लिग्नाइट कोल नागौर जिले में मेड़ता रोड के पास पाया जाता है। एक डी.सी.एम. श्रीराम कॉन्सॉलिडेटेड कम्पनी है, जिसके अंतर्गत फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स आदि की फैक्ट्रीज़ चल रही है, उसे दिनांक 07 फरवरी, 2007 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 867 हेक्टेयर जमीन का एक लिग्नाइट कोल ब्लॉक दिया गया था। पर, आज तक वहां पर कोयले की कोई खान नहीं खोदी गयी। किसानों की 867 हेक्टेयर ज़मीन उस कम्पनी के कब्जे में है।

मेरा आपके मार्फत माननीय कोयला मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कोल ब्लॉक को निरस्त किया जाए और कोल इंडिया लिमिटेड के मार्फत एक बार इसका सर्वे कराया जाए। अगर यहां पर लिग्नाइट कोल अच्छी

मात्रा में है तो फिर गैसिफिकेशन के माध्यम से इनर्जी प्राप्त की जाए, ताकि इस बेल्ट में जो जबर्दस्त मात्रा में ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, उसका भी बचाव हो सके।

[अनुवाद]

[267*]**श्री के.परसुरामन (तंजावुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। मैं नारियल विकास बोर्ड से संबंधित एक मुद्दा माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। नारियल उत्पादों से हमारे देश को 8300 करोड़ रूपये की वजह से, के बाहर, में से, से होकर, के द्वारा होती है। इससे 13000 मिलियन डॉलर की विदेशी विनिमय भी प्राप्त होती है। हालाँकि केरल देश में नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर है, तमिलनाडु में 3,89,900 हेक्टेयर भूमि पर नारियल की खेती की जाती है और यहाँ लगभग 72 मिलियन नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं। तमिलनाडु में लगभग 5365 मिलियन नारियल का उत्पादन किया जाता है जो इसे भारत के सबसे बड़े नारियल उत्पादक राज्यों में से एक बनाता है। तंजावुर सहित तमिलनाडु के तीन जिले बड़े पैमाने पर नारियल की खेती के लिए जाने जाते हैं। तंजावुर, जो मेरा निर्वाचन-क्षेत्र है, नारियल उत्पादन में अद्वितीय स्थान रखता है। नारियल विकास, वृद्धि बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोच्चि में है। नारियल विकास, वृद्धि बोर्ड का चेन्नई में एक क्षेत्रीय कार्यालय है। माननीय पुरचिथलाईवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में नारियल किसानों को तमिलनाडु सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। लेकिन गुमराह बिचौलियों के कारण केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नारियल किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरा क्षेत्र है कि नारियल विकास, वृद्धि बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय तंजावुर में स्थापित किया जाना चाहिए, जो नारियल की खेती के लिए जाना जाता है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायबरेली से इलाहाबाद तक दो लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। माइलस्टोन 143 से 153 के बीच, जो कुण्डा नगर

[267*] मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

में स्थित है, यह मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बाईपास बनाया जा रहा है। इसके कारण कुण्डा नगर की सड़कें, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएच 24 बी में आती है, आति उपेक्षित है। इसमें बड़े-बड़े बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं।

मैं आपके माध्यम से भूतल परिवहन मंत्री से इस बात की मांग करता हूं कि कुण्डा नगर में जो दस किलोमीटर का एनएच का बाईपास बन रहा है, इससे वहां जो सड़कें उपेक्षित हो गई हैं, उनको तत्काल बनवाना सुनिश्चित करें जिससे वहां आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई (अरानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं केंद्र सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हाल के दिनों में डॉक्टरों के विरुद्ध हिंसा में अचानक वृद्धि हुई है। डॉक्टर वो होते हैं जो खुद को जोखिम में डालकर इंसान की जान बचाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 70 प्रतिशत से अधिक डॉक्टरों को कम से कम अथवा प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ा है। हिंसा सामान्यत:, आम तौर पर आपात वार्डों, आईसीयू और सर्जरी के बाद के वार्डों में होती है। जब कोई डॉ. कोई कदाचार करता है अथवा लापरवाही बरतता है तो उसके विरुद्ध कानून के अधीन विधि, कानून कार्रवाई की जा सकती है। मरीज़ों के परिचारकों अथवा रिश्तेदारों द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिकांश मामले डॉक्टरों द्वारा प्रतिवेदन नहीं किए जाते क्योंकि डॉ. संकट में पड़े रिश्तेदारों की स्थिति के प्रति सहानुभूति रखते हैं।

इसलिए, मैं सरकार से डॉक्टरों पर होने वाली शारीरिक हिंसा से उनकी सुरक्षा के लिए एक नया विधि, कानून पारित करने का विरुद्ध करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन दलित जातियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो जन्मजात खेल से ही अपनी रोजी-रोटी चलाने का काम करते हैं, जैसे नट, कंजड़, भील, आदिवासी, वनवासी, भातु आदि जाति के लोगों को जिमनास्टिक में, एथलेटिक्स में, तीरंदाजी में, निशानेबाजी में, ऊंची कूद और लंबी कूद में महारत हासिल है। इनके बच्चे बचपन से ही इस तरह से आगे निकलते जाते हैं और खेलों में महारत हासिल करते हैं। चूंकि इनको सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, इसलिए

एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों में इनको जाने का मौका नहीं मिलता है। अगर इनको सुविधायें दी जाएं तो निश्चित तौर पर ये एशियाई खेलों में और ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर लाने का काम करेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ है, उसी तर्ज पर दलित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया जाए और इन लोगों को यानी दलित जातियों के लोगों को उसमें शामिल करके, सुविधायें देकर खेलों में आगे बढ़ाया जाए।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक आति लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। झारखंड राज्य के सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 75 विस्तार है, जहां बंदगांव से लेकर नकटी चक्रधरपुर तक सड़क पूर्णरूपेण खराब है। हजारों लोगों को आने और जाने में काफी कठिनाइयां हो रही हैं। इस सड़क को आविलंब बनाना जरूरी है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 विस्तार, जो बंदगांव से लेकर नकटी चक्रधरपुर तक 50 किलोमीटर है, इसका आविलंब निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि लोगों को आने और जाने में सुविधा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री कौशल किशोर द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय संतुष्टि के लिए भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की व्यवस्था की गयी है। [हिन्दी] अब तक इसमें हिन्दी सहित 22 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जा चुका है और 38 भाषायें केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। झारखण्ड की पांच भाषाएं भी प्रतीक्षा सूची में हैं। झारखण्ड की जिन पांच भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव है उनमें कुडुख, कुरमाली, मुंडारी एवं नागपुरी शामिल हैं। कुरमाली झारखण्ड की एक प्रमुख भाषा है। यह केवल झारखण्ड में ही नहीं बल्कि ओडिशा में क्योंझर, बामडा, मयूरगंज, सुंदरगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मिदनापुर, बंकुरा, मालदा, दिनाजपुर तथा भागलपुर इलाकों में बोली जाती है। इसी तरह मुंडारी भाषा भी विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसकी संस्कृति भी प्राचीनतम है। मुंडारी भाषा ने दूसरी भाषाओं को प्रभावित किया है। खास कर बांग्ला और उड़िया में मुंडारी भाषा का प्रयोग होता है जिसका

इतिहास करीब चार हजार साल पुराना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 32 जनजातीय समुदायों की 32 भाषाओं में से 27 भाषाएं लगभग विलुप्त हो चुकी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कुरमाली एवं मुंडारी भाषाओं को सविंधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के गया जिले से डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता एवं उनकी पत्नी डॉक्टर सुप्रभा गुप्ता, दोनों का पांच दिन पूर्व, जी.टी. रोड पर से गाड़ी सहित अपहरण हो गया है और भागलपुर में एक डॉक्टर की निर्मम हत्या हुयी है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार उन्हें बरामद करने में असफल रही है, जिससे वहां के आम लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बिहार सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुयी है। बिहार सरकार उनकी खोज करने के बजाय, उनके मुखिया पुलिस आधिकारियों का स्थानांतरण करने एवं दिल्ली में आकर चुनावी तिकड़म की राजनैतिक रोटी पकाने में लगी हुयी है। बिहार में लगातार अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार इत्यादि घटनाओं की बेतहाशा वृद्धि होने से, पुनः जंगल राज की वापसी से, लोग दहशत के साये में डरे और सहमे हुए हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति और व्यापारी बिहार से पलायन के लिए विवश हैं।

हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से डॉक्टर दम्पति को सुरक्षित वापस लाने हेतु आविलंब हस्तक्षेप कर एक टास्क फोर्स का गठन करने की कृपा करें और साथ ही साथ वहां के लोगों को जंगल राज से मुक्ति दिलायें।

महोदय, बिहार जल रहा है। आप बिहार को बचा लीजिए। मेरी आपसे यही अपील है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सदन चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा कल, 7 मई 2015 के पूर्वाह्न 11.00 **बजे** पुनः समवेत होने के लिए **स्थगित होती है।**

सायं 07.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 7 मई, 2015 / 17 वैशाख, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

06.05.2015

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित